

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

**SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th**

LOK SABHA DEBATES

**[चौथा सत्र]
Fourth Session**



**[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं]
Vol. XVI contains Nos. 41 to 50**

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 43, मंगलवार, 16 अप्रैल, 1968/27 चैत्र, 1890 (शक)

No. 43, Tuesday, April 16, 1968/Chaitra 27, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1227. महिलाओं की औद्योगिक सहकारी समितियां	Women's Industrial Co-operatives	.. 331—333
1228. टायरों का निर्यात	Export of Tyres	.. 333—336
1229. किसानों को छोटे ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Small Tractors to Farmers	.. 336—341
1230. कपास के मूल्य	Prices of Cotton	.. 341—344
1231. 'पेट्रियट' और 'लिंक' के प्रकाशकों द्वारा रूस से छपाई की मशीन का आयात	Import of Printing Machine from U.S.S.R. by Publishers of 'Patriot' and 'Link'	.. 344—346
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1232. हीरा तराशने वाले और निर्यात करने वाले भारतीयों के विरुद्ध आन्दोलन	Campaign against Indian Diamond Cutters and Exporters	.. 347
1233. ईरान से गेहूं की खरीद	Purchase of Wheat from Iran	.. 347
1234. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार	Heavy Electricals Ltd., Hardwar	.. 347—348
1235. भारी इंजीनियरी कार्य	Heavy Engineering Works	.. 348

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1236. दिल्ली के इर्द-गिर्द वृत्ताकार (रिंग) रेलवे	Ring Railway around Delhi	.. 348—349
1237 दिल्ली में केन्द्रीय रेलवे अनुसंधान बोर्ड की बैठक	Meeting of Central Board of Railway Research at Delhi	.. 349
1238. बैंक निरापत्ति प्रमाण पत्रों के बिना आयात लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Import Licences without Bank Clearance Certificates	.. 349—350
1239. रूस को लोहा तथा इस्पात का निर्यात	Export of Iron and Steel to U.S. S. R.	.. 351
1240. यालविगी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर दुर्घटना	Accident at Yalvigi Railway Station (S. Rly.)	.. 351—352
1241. भारतीय रेलवे इंजीनियरी निरीक्षक संघ का ज्ञापन	Memorandum from Indian Railway Engineering Inspectors' Union	.. 352
1242. घटिया किस्म की वस्तुओं का निर्यात	Export of Sub-standard Goods	.. 352
1243. पन्ना हीरा खानों के भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर	Former Chief Engineer of Panna Diamond Mines	.. 352—353
1244. कारों के मूल्य	Price of Cars	.. 353
1245. कपड़े पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Cloth	.. 354
1246. इंटैग्रल कोच फैक्टरी	Integral Coach Factory	.. 354
1247. अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	.. 354—355
1248. आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक के बम्बई कार्यालय से चुराये गये लाइसेंस	Licences stolen from the Office of Joint C. C. I. E. Bombay	.. 355—356
1249. पूर्वी तथा पश्चिमी रेलवे के वाणिज्यिक लिपिकों का स्थायीकरण	Confirmation of Commercial Clerks on Eastern and Western Railways	.. 356
1250. वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों द्वारा फर्मों में नौकरी	Joining of Private Firms by Senior Railway Officers	.. 356—357
1251. सीमेंट नियतन तथा समन्वयन संगठन	Cement Allocation and Coordinating Organisation	.. 357
1252. उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों की नियुक्ति	Appointment of Stenographers on Northern Railway	.. 357—358

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

1253. अशोक पेपर मिलज लिमिटेड	Ashoka Paper Mills Limited	..	358
1254. बीड़ी बनाने वाले सार्थ	Bidi Manufacturing Concerns	..	358—359
1255. पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with East Pakistan	..	359
1256. उत्तर रेलवे की हिन्दी समय- सारणी	Hindi Time-Table of Northern Railway	..	359

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7232-क. वृत्त चल-चित्र	Documentary Films	..	359—360
7233. मैसूर में पाये गये खनिज	Minerals found in Mysore	..	360
7234. रेलवे कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना	Teaching of Hindi to Railway Staff	..	360—361
7235. रेलवे अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Railway Officials' Tours Abroad	..	361
7236. मुगलसराय में रेलवे यार्ड में माल की चोरी	Pilferage of Goods at Mughalsarai Railway Yard	..	361—362
7237. नदियाद पर उपरि-पुल	Overbridge at Nadiad	..	362—363
7238. गाड़ियों का निर्धारित समय पर चलाना	Punctual Running of Trains	..	363—364
7239 रेलगाड़ियों का निर्धारित समय पर पहुंचना	Punctual Running of Trains	..	364—365
7240 बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के पालम-खलीलपुर सेक्शन पर यातायात कर्मचारी	Traffic Staff on Palam-Khalilpur Section in Bikaner Division (N. Rly.)	..	365
7241. रेलवे कर्मचारियों द्वारा हिन्दी सीखा जाना	Learning of Hindi by Railway Staff	..	365—366
7242. हैदराबाद-शोलापुर रेलवे लाइन	Hyderabad-Sholapur Railway Line	..	366
7243. उद्योगों को लाइसेंस देना	Grant of Licences to Industries	..	366—367
7244 औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में डा० हजारी का प्रतिवेदन	Dr. Hazari's Report on Industrial Licensing	..	367—368

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7245. दक्षिण पूर्व रेलवे का नैरोगैज सेक्शन	Narrow Gauge section of South-Eastern Railway ..	369—370
7246. इंजनों का आयात	Import of Diesel Engines	370
7247. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में भ्रष्टाचार	Corruption in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	370—371
7248. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में पड़ा स्टॉक	Stocks of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	371
7249. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	371
7250. रोलिंग स्टील और टिन प्लेट कम्पनियां	Rolling Steel and Tin Plates Companies ..	371—372
7251. पंखे बनाने वाले कारखाने	Fan Manufacturing Factories	372
7252. भोपाल और जबलपुर के बीच वातानुकूलित डिब्बे	A. C. Coaches between Bhopal and Jabalpur ..	372—373
7253. गोमांस और सुअर के मांस का आयात	Import of Beef and Pig Meat ..	373
7254. केन्द्रीय मशीनी औजार संस्था, बंगलौर	Central Machine Tools Industries, Bangalore ..	373—374
7255. चोपान से गड़वा रोड और कटनी तक रेलवे लाइन	Railway line from Chopan to Garwa Road and Katni ..	374
7256. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay scales of Khadi and Village Industries Commission Employees ..	374
7257. नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम के विपणन निदेशक की विदेश यात्रा	Foreign Tour by Director of Marketing, Central Cottage Industries Emporium, New Delhi ..	375
7258. नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम द्वारा की गयी खरीद	Purchases made by Central Cottage Industries Emporium, New Delhi ..	375—376
7259. पूर्वी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय के निम्न श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति	Promotion of Lower Grade Clerks in Chief Commercial Superintendent's Offices, Eastern Railway ..	376

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7260. राज्य पुलिस से रेलवे सुरक्षा दल में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारी	Officers from State Police, taken on Deputation in R. P. F.	376
7261. रेलवे के मालडिब्बों के लिये रूस से क्रयादेश	Soviet Order for Railway Wagons	.. 377
7262. अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	.. 377—378
7263. भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant	.. 379
7264. रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड और यूनाइटेड नेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड	Raisina Publications Ltd. and United Nations (Pvt.) Ltd.	379
7265. भारत का आयात तथा निर्यात	India's Import and Export	.. 380
7266. आविष्कार संवर्धन बोर्ड	Invention Promotion Board	380
7267. सहकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in Co-operative Sector	381
7268. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	.. 381
7269. मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइन	Railway lines in Adivasi Areas of M. P.	.. 381—382
7270. पटसन का निर्यात	Export of Jute	.. 382
7271. कपड़े का निर्यात	Export of Cloth	.. 382
7272. विदेशी पूंजी का विनियोजन	Foreign Investments	.. 383
7273. मैसूर में लोहे की खानों का सर्वेक्षण	Survey of Iron Mines in Mysore	.. 383—384
7274. सिंगापुर में संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures in Singapore	.. 384
7275. रेलवे में वाणिज्यिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Commercial Staff on the Railways	.. 384—385
7276. रेलवे कर्मचारियों को सप्लाई की जाने वाली वर्दियों का मानक निर्धारण	Standardisation of uniforms supply to Railway Employees	.. 385
7277. रेलवे में संगचल तथा यात्रा भत्ता	Running and Travelling Allowances on Railways	386
7278. धातु उत्पादकों का आयात	Import of Metallic Products	.. 386—387

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7279. निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अधीन आयातित कच्चे माल के दाम	Prices of Raw Material Imported under Export Promotion Programme ..	387
7280. रांची परियोजना में मशीनों का निर्माण	Manufacture of Machines at Ranchi Project ..	387—389
7281. आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण	Manufacture of Import Substitutes in the Country ..	389—390
7282. विकास के लिए विदेशी सहायता	Foreign Aid for Development ..	390
7283. वरिष्ठ वेतनमान में रेलवे अधिकारियों के लिए आशु-लिपिक	Stenographers for Railway Officers in Senior Scale ..	390—391
7284. भेड़ बकरी की चर्बी का आयात	Import of Tallow ..	391—392
7285. इस्पात के सौदों की जांच करने वाली समिति	Committee of Enquiry into Steel Transactions ..	392
7286. रेलवे दुर्घटनाएँ	Railway Accidents ..	392
7287. कोचीन-मंगलौर लाइन पर अतिरिक्त रेलवे पटरी	Additional Railway Track on Cochin-Mangalore Line ..	393
7288. आसनसोल डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Railway Employees in Asansol Division ..	393
7289. पश्चिम रेलवे पर 'सी' ग्रेड के गार्ड	'C' Grade Guards on Western Railway ..	393—394
7290. कुल्टी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Overbridge at Railway Crossing near Kulti Railway Station ..	394
7291. पूर्वी रेलवे द्वारा आसनसोल नगरपालिका को भुगतान	Payments to Asansol Municipality by Eastern Railway ..	394—395
7292. हस्तशिल्प तथा हथकरघा उद्योगों के लिये बोर्ड	Board for Handicraft and Handloom Industries ..	395
7293. राजस्थान में रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि	Increase in speed of trains in Rajasthan ..	396
7294. राजस्थान में कीमती पत्थरों का निकाला जाना	Mining of precious stones in Rajasthan ..	396

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7295. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपक्रम	Industrial undertakings in Uttar Pradesh ..	396—397
7296. रेलवे मंत्रालय के अधीन चल रहे औद्योगिक उपक्रम	Industrial undertakings functioning under control of Railways ..	397
7297. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपक्रम	Industrial undertakings in Uttar Pradesh ..	397—398
7298. पुस्तकों का निर्यात	Export of Books ..	398
7299. पुस्तकों का आयात	Import of Books ..	398
7300. स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters ..	398—399
7301. ग्लोब मोटर्स (पी०) लिमिटेड, दिल्ली	Globe Motors (P) Ltd., Delhi ..	399—400
7302. भारतीय वस्तुओं का डेनमार्क को निर्यात	Export of Indian Goods to Denmark ..	400—401
7303. छोटे उद्योग	Small Scale Industries ..	401
7304. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला की यातायात पुलिस द्वारा जब्त की गई तार	Cables seized by Traffic Police of Hindustan Steel Ltd., Rourkela ..	401—402
7305. लुमडिंग-गोहाटी क्षेत्र में मालगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment in Lumding Gauhati area ..	402
7306. गाजियाबाद में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रदर्शन	Demonstration against Chairman of Railway Board at Ghaziabad ..	402
7307. भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant ..	402—403
7308. मुख्तियारा तथा बरवाहा रेलवे स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train between Mukhtiyara and Barwaha Railway Stations ..	403
7309. गुना-मक्षी रेलवे लाइन	Guna-Maksi Railway Line ..	404
7310. हरियाणा में खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Haryana ..	404
7311. चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन	Chandigarh Railway Station ..	405
7312. दिल्ली स्टेशन पर गाड़ियों का देर से आना तथा छूटना	Late Arrival and Departure of Trains at Delhi Station ..	405
7313. नाइलोन के धागे के उत्पादक	Producers of Nylon Yarn ..	406

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7314. सूती कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन	Production of Fabrics by Cotton Mills ..	406—407
7315. रेलवे में बेकार पड़ी मशीनें	Idle Machines on Railways ..	407
7316. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ..	408
7317. कपड़ा मिलों का कार्यकरण	Working of Textile Mills ..	408—409
7318. इस्पात की चादरों की कमी	Shortage of Steel Sheets ..	409—410
7319. इस्पात का विनियंत्रण	Decontrol of Steel ..	410—411
7320. पार्सल कार्यालय, अजमेर में कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength in Parcel Office, Ajmer ..	411
7321. पूर्वी जर्मनी के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with East Germany ..	411
7322. ताशों का बनाया जाना	Manufacture of Playing Cards ..	412
7323. सर्प चर्म का निर्यात	Export of Snake Skins ..	412—413
7324. दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित रेलवे कर्मचारियों का अपने अधिकार में क्वार्टर रखना	Retention of quarters by Railway Employees transferred out of Delhi ..	413
7325. मध्य रेलवे के डिवीजनों में कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Staff in Divisions of Central Railway ..	413—414
7326. मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में गार्डों/यातायात शिक्षकों तथा स्टेशन मास्टर्स/सहायक स्टेशन मास्टर्स की पदोन्नति	Promotion of Guards, Traffic Appren- tices and Station Masters/Assistant Station Masters on each Division of Central Railway ..	414
7327. मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवी- जन में रेल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति	Retirement of Railway Staff on each Division of Central Railway ..	414
7328. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में मेहता समिति	Mehta Committee on Khadi and Village Industries Commission ..	415
7329. फिलीपीन के साथ व्यापार	Trade with Phillipines ..	415
7330. कागज बनाने की मिलें	Papers Mills ..	416
7331. मैसर्स इण्डियन आक्सिजन कलकत्ता	M/s. Indian Oxygen, Calcutta ..	416—417

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7332. मैसर्स इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड	M/s. Indian Oxygen, Ltd.	.. 417—418
7333. अमरीकी तथा ब्रिटिश समवाय	American and British Companies	.. 418
7334. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर का बन्द होना	Closure of New Victoria Mills, Kanpur	.. 418—419
7335. अहमदाबाद में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Ahmedabad	.. 419
7336. शीशे के सामान को जोड़ने के लिए प्रयोग में आने वाली धातु	Metals used for joining glasswares	.. 419
7337. गैर-सरकारी व्यापारियों को आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licences to Private Traders	.. 419—420
7338. फरक्का बांध पूरा हो जाने के बाद श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of workers after completion of Farukkha Barrage	.. 420
7339. खनन उपकरणों का आयात	Import of Mining Equipment	.. 421
7340. कलकत्ता आने जाने वाले यात्रियों के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियां	Suburban Trains carrying passengers to and from Calcutta	.. 421—422
7341. पश्चिम बंगाल में तांबे के निक्षेप	Discovery of Copper deposits in West Bengal	.. 422
7342. पटसन के माल का निर्यात	Export of Jute Goods	.. 423
7343. अल्युमिनियम का उत्पादन	Production of Aluminium	.. 423
7344. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	.. 424
7345. मैसर्स इण्डियन आक्सिजन, कलकत्ता	M/s. Indian Oxygen, Calcutta	.. 424
7346. अलमोनियम उद्योग	Aluminium Industries	.. 425
7347. साड़ियों का निर्यात	Export of Sarees	.. 426
7348. मूल्यवान धातु	Precious Metals	.. 426—427
7349. रूमानिया के साथ व्यापार सम्बन्धी करार	Trade Agreement with Rumania	.. 427
7350. चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors with Czech Collaboration	.. 428

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7351. रेलों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travel on Railways	.. 428
7352. विद्युत-करघों वाले कारखाने	Powerlooms Factories	.. 428—429
7353. दुर्गापुर और रूरकेला के इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Durgapur and Rourkela Steel Plants	.. 429—430
7354. वातानुकूलित-रेलगाड़ियां	Air-conditioned Trains	.. 430
7355. गाड़ी परीक्षकों के पुनरीक्षित वेतन-क्रम	Revised pay scale of Train Examiners	.. 430—431
7356. मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Madhya Pradesh	.. 431
7357. मध्य प्रदेश में ग्रामीण उद्योग	Rural Industries in Madhya Pradesh	.. 431—432
7358. बीदर रेलवे स्टेशन पर गोदाम	Godown at Bidar Railway Station	.. 432
7359. बीदर रेलवे स्टेशन	Bidar Railway Station	.. 432
7360. तांबे के निक्षेप	Deposits of Copper	.. 433—435
7361. राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by State Trading Corporation	.. 435—436
7362. मैसर्म गिलैंडर्ज आरबुथनौट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	M/s. Gillanders Arbuthnot and Co. Ltd., Kanpur	.. 436
7363. छपाई कागज के दाम	Price of Printing Paper	.. 436—437
7364. ग्वालियर-भिण्ड छोटी लाइन के रेलवे स्टेशनों पर प्लेट-फार्मों पर शेड	Sheds over Platforms on Stations on Gwalior-Bhind Narrow Gauge Line	.. 437
7365. ठेकेदारों द्वारा रेलवे स्टेशनों का प्रबंध	Management of Railway Stations by Contractors	.. 437—438-
7366. कपास का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Cotton	.. 438
7367. हरियाणा में सरकारी क्षेत्र में संयंत्र	Public Sector Plants in Haryana	.. 438—439
7368. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल के कन्ननूर जिले में तेल निकालना	Exploitation by Geological Survey of India of Oil Deposits in Cannanore District of Kerala	.. 439

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7369. रात की गाड़ियों से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारी	Security Staff for Protection of Passengers Travelling by Night Trains ..	439—440
7370. कोयले की उत्पादन लागत	Cost of Production of Coal ..	440
7371. भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच औद्योगिक सहयोग संबंधी समिति	Committee for Indo-UAR-Yugoslavia Industrial Co-operation ..	440—441
7372. कोयले की कीमत	Price of Coal ..	441
7373. पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयला ले जाने के लिये रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons for Movement of Coal from West Bengal and Bihar Coalfields ..	441
7374. रूस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to U.S.S.R. ..	441—442
7375. तम्बाकू व्यापारी संघ, कलकत्ता का अभ्यावेदन	Representation from Tobacco Merchants Association, Calcutta ..	442
7376. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम	Indian Motion Picture Export Corporation ..	442—443
7377. वस्त्र निगम	Textile Corporation ..	443
7378. मेसर्स साराभाई मर्क, बड़ौदा द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences by M/s. Sarabhai Merck of Baroda ..	443—444
7379. सूरकाचार कोयला खान से गुम हुए रूसी तार (केबल्स)	Missing of Russian Cables from Surakachar Colliery ..	444
7380. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ..	444—445
7381. ट्रांसफार्मरों के निर्माण के लिये मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बम्बई को लाइसेंस दिया जाना	Grant of Licence to M/s. Bajaj Electricals Ltd., Bombay for the manufacture of Transformers ..	445
7382. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India ..	446
7383. राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by State Trading Corporation ...	446—447

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7384. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे का आयात	Imports of Copper by M.M.T.C.	447
7385. बिजली उद्योग में अप्रयुक्त शक्ति	Idle Capacity in Electrical Industry ..	447—448
7386. मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लुधियाना	M/s. Oswal Spinning and Weaving Mills, Ludhiana ..	448
7387. छोटे पैमाने के रबड़ उत्पादक	Small Scale Rubber Cultivators ..	448—449
7389. विशेष पम्पों का निर्माण करने वाला कारखाना	Plant for Production of Special Pumps ..	449—450
7390. मैसर्स विन्टेक्स मिल्स, सूरत को लाइसेंस दिया जाना	Licence to M/s. Wintex Mills, Surat	450
7391. कलकत्ता में इस्पात नियंत्रक का कार्यालय	Steel Controller's Office, Calcutta ..	451
7392. ग्रेड 2 के क्लर्कों की ग्रेड 1 के क्लर्कों के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade II to Clerks Grade I ..	451—452
7393. महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर	Maheshwari Devi Jute Mills, Kanpur ..	452
7394. मैसर्स कूपर एलेन्ड लिमिटेड, कानपुर	M/s. Cooper Allen Ltd., Kanpur ..	452
7395. पंजाब स्टील एण्ड आयरन कम्पनी लिमिटेड, जालंधर छावनी	Punjab Steel and Iron Company (P) Ltd., Jullundur Cant. ..	453
7396. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India ..	453—454
7397. लेखा कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Accounts Staff ..	454
7398. उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश को विद्युतकरघों की सप्लाई	Supply of Powerlooms to U. P., Bihar and Madhya Pradesh ..	454
7399. भारत तथा कनाडा सहयोग संबंधी गोष्ठी	Seminar on Indo-Canadian Collaboration ..	455
7400. उत्तर रेलवे में उच्च अधिकारी	Senior Scale Officers on Northern Railway ..	455

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7401. निर्यातकों को दिये जाने वाले कच्चे माल का मूल्य	Prices of Raw Materials supplied to Exporters	.. 456
7402. युगोस्लाविया के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures with Yugoslavia	.. 456—457
7403. “आपरेशन हार्ड राक” का कार्यक्रम	“Operation Hard Rock” Programme	457
7404. कुटीर उद्योगों का विकास	Development of Cottage Industries	.. 458
7405. आयात लाइसेंस	Import Licences	.. 458
7406. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	.. 458—459
7407. राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Tours Abroad by Officers of S.T.C.	459
7408. बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन	Bulandshahr Railway Station	.. 459—460
7409. बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन	Bulandshahr Railway Station	460
7410. मैंगनीज का निर्यात	Export of Manganese	.. 460—461
7411. समुद्री खाद्य उद्योग	Sea Food Industry	.. 461—462
7412. रुई के भण्डार	Cotton Stocks	.. 462
7413. बम्बई में एक व्यापार गृह द्वारा आयात लाइसेंस का उल्लंघन	Violation of Import Licence by a Business House in Bombay	.. 462—463
7414. कम्पनी सेक्रेटरी	Company Secretaries	.. 463
7415. कम्पनी सेक्रेटरी	Company Secretaries	.. 464
7416. वैगन रिपेयर शाप, जगधरी के बेकुअम सेक्शन में फिटरों का तबादला	Transfer of Fitters in Vacuum Section of Wagon Repair Shop, Jagadhri	.. 464—465
7417. रूस से लकड़ी की लुगदी का आयात	Import of Wood Pulp from U.S.S.R.	.. 465
7418. मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सूती कपड़ा मिल	Cotton Textile Mill in Ratlam District (M. P.)	... 465
7419. असिस्टेंट पर्सनल इंस्पेक्टरों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Assistant Personnel Inspectors	.. 465—466

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7420. बालों, गिलहरियों और बन्दरों का निर्यात	Export of hair, Squirrels and Monkeys	.. 466—467
7421. पत्तनों से देश के भीतरी भागों में अनाज का पहुंचाया जाना	Transit of Foodgrains from Ports to Interior	.. 467
7422. रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	.. 468
7423. टूंडला में सामान ढोने का ठेका	Goods Handling Contract at Tundla	.. 468—469
7424. पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन पर पार्सल ढोने का ठेका	Parcel Handling Contract at Lucknow Junction (N. E. Rly.)	.. 469—470
7425. अपर इंडिया एक्सप्रेस का रोशनी तथा पंखों के बिना चलना	Running of Upper India Express without Lights and Fans	.. 470—471
7426. नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता	National Instruments Ltd., Calcutta	.. 471
7427. खुरदा डिवीजन के रेल कर्मचारियों को कर्मचारी लाभ निधि से, सहायता	Help to Railwaymen of Khurda Division from Staff Benefit Fund	.. 471—472
7428. पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर बुकिंग काउण्टर	Booking counter on Stations on the Western Railway	.. 472
7429. रेलवे में कर्माशियल क्लर्क	Commercial clerks on Railways	.. 472—473
7430. रूरकेला इस्पात कारखाने के क्वार्टरों में दरारें पड़ना	Cracks in quarters constructed in Rourkela Steel Plant	.. 473
7431. रूरकेला टाउनशिप के इस्पात मार्किट में दुकानों का आवंटन	Allotment of shops in Ispat Market of Rourkela Township	.. 473—474
7432. पलासा-हड्डू बांगी-पाला-कोंड से विजयानगरम तक रेलवे लाइन	Railway line from Palasa-Haddubangi Palakond to Vizianagaram	.. 474
7433. मिर्च तथा प्याज का निर्यात	Export of Chillies and Onions	.. 474—475
7434. भारत में स्कूटरों का मूल्य	Price of Scooters in India	.. 475
7435. चाय निर्यात संवर्धन निगम	Tea Export Promotion Corporation	.. 475—476
7436. उत्तरप्रदेश में खनिज सर्वेक्षण	Survey of Minerals in U. P.	.. 476—477

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7437. उत्तर प्रदेश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities in U. P. ..	478
7438. उत्तर प्रदेश में नये कारखाने	New Factories in U. P. ..	478—479
7439. उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in U. P. ..	479
7440. उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया लोहे तथा इस्पात का कोटा	Quota of Iron and Steel Allotted to U. P. ..	479—480
7441. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पांच वर्ष के लिए हड़ताल रोकना	5-Year Strike Moratorium in Public Sector Steel Plants ..	480
7442. उत्तर प्रदेश के लिए धातुओं का नियतन	Allocation of Metals to U. P. ..	480—481
7443. धातु की वस्तुओं का निर्यात	Exports of Metallic Products ..	481—482
7444. हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम का दिल्ली में फैशन शो	Handlooms and Handicrafts Export Corporation Fashion Show in Delhi ..	482—483
7445. बिना बारी के स्कूटरों का आवंटन	Out-of-Turn Allotment of Scooters ..	483—484
7446. दक्षिण पूर्व रेलवे सेवा आयोग	S. E. Railway Service Commission ..	484
7447. गंधक की कमी	Shortage of Sulphur ..	485
7448. रेलगाड़ी परीक्षक	Train Examiners ..	485—486
7449. रेलगाड़ी परीक्षकों के पुन-रीक्षित वेतनक्रम	Revised pay scale of Train Examiners ..	486
7450. संतरागाची तथा सियालदह में कोचिंग मेंटिनेंस यार्ड	Coaching maintenance yards at Santragachi and Sealdah ..	486—487
7451. लखेरी रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर दुर्घटना	Accident at Lakheri Railway Station (W. Rly) ..	487
7452. सवाई-माधोपुर-जयपुर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Sawai Madhopur-Jaipur M. G. Line into B. G. ..	487
7453. निवाई से टोंक (राजस्थान) तक रेलवे लाइन	Railway line from Niwai to Tonk (Rajasthan) ..	487

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
7454. केसोराम इंडस्ट्रीज, बाटा- नगर (पश्चिम बंगाल)	Kesoram Industries, Batanagar, (West Bengal)	.. 488
7455. सूती कपड़े पर नियंत्रण	Control on Cotton Textiles	488
7456. बुदनी स्टेशन पर जल की सप्लाई	Supply of water at Budni Station	.. 488
7457. कांडला निर्बाध व्यापार जोन	Kandla free Trade Zone	.. 489—490
7458. दिल्ली-रोहत सैक्शन पर रेलवे सेवा	Rail service on Delhi Rohtak Section	490
7459. भारी रसायन उपकरण का निर्माण	Manufacture of Heavy Chemical Equip- ment	.. 491
7460. भारत संयुक्त अरब गण- राज्य यूगोस्लाविया संयुक्त उपक्रम	Indo-UAR-Yugoslavia joint ventures	.. 491—492
7461. कपड़ा उद्योग में मंदी	Recession in Textile Industry	.. 492—493
7462. यूगोस्लाविया से मोटर गाड़ियों का निर्यात	Export of Vehicles from Yugoslavia	.. 493
7463. रेलवे कर्मचारियों से ऊनी जुराबों का पकड़ा जाना	Seizure of Woollen Socks from Railway Employees	.. 494
7464. व्यापार नीति	Trade Policy	.. 494
7465. आसनसोल और अन्दोल स्टेशनों के 'कैरिज और वैगन डिपो'	Carriage and Wagon Depots of Asansol and Andol Stations	.. 494—495
7466. औद्योगिक उत्पाद	Industrial Products	.. 495
7467. हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना	Hindustan Machine Tools	.. 495—496
7468. रेल संगचल कर्मचारियों के लिए विश्राम-गृह	Rest Rooms for Running Staff	.. 496
7469. उत्तर रेलवे में यार्ड कर्म- चारियों के वेतनमान	Scales of pay of Yard Staff on Northern Railway	.. 497
7470. दिल्ली डिवीजन में यार्ड मास्टर का चयन	Selection of Yard Master in Delhi Division	.. 497
7471. दिल्ली डिवीजन में सीधे भर्ती किये गये गार्ड	Directly Recruited Guards in Delhi Division	.. 497—498

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7472. पूंजीगत माल का निर्यात	Export of Capital Goods ..	498—499
7473. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission ..	499
7474. रेलवे में कार्मिक संघ	Trade Unions on Railways ..	499
7475. पंजीकृत कार्मिक संघों द्वारा प्रदर्शन और सभाएं	Demonstrations and Meetings by Registered Trade Unions ..	500
7476. परमानन्दपुर रेलवे स्टेशन पर माल डिब्बों का लूटा जाना	Looting of Wagons at Parmanandpur Railway Station ..	500
7477. विदेशी फर्मों का भारतीय-करण	Indianization of Foreign Firms ..	501
7478. कागज मिलें	Paper Mills ..	501—507
7479. देशी और विदेशी कागज मिल	Indian and Foreign Paper Mills ..	507
7480. बीना जंक्शन से मद्रास तक यात्रियों के लिए स्थानों के कोटे का नियतन	Fixation of Quota of seats for passengers from Bina Junction to Madras ..	507—508
7481. मिर्चों का निर्यात करने के लिए व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegation for Export of Chillies ..	508
7482. यात्री रेलगाड़ियां	Passenger Trains ..	508
7483. कटनी और इटारसी यार्डों से माल गुम हो जाना	Goods lost from Katni and Itarsi Yards ..	509
7484. नमक की ढुलाई के लिए व्यापारियों को माल डिब्बों का नियतन	Supply of Wagons to traders for movement of salt ..	509—510
7485. कागज में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Paper ..	510
7486. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ..	510—511
7487. गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात की निर्माण लागत	Cost of production of steel in the Private Sector ..	511—512
7488. अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ से ज्ञापन	Memorandum from All-India Station Masters' Union ..	512

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7489. समस्तीपुर जिले के ट्रेन क्लर्क	Train clerks of Samastipur District	512
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच नर्मदा परियोजना संबंधी वार्ता भंग हो जाने के समाचार	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— Reported breakdown of talks between the Central Government and M. P. Government on Narmada Project ..	513—517
स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices ..	517—518
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	518—521
प्राक्कलन-समिति— पचासवां प्रतिवेदन	Estimates Committee— Fiftieth Report ..	521
सामान्य आयव्ययक, 1968-69— अनुदानों की मांगें	General Budget, 1968-69— Demands for Grants ..	521—566
इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय	Ministry of Steel, Mines and Metals ..	521—540
श्री किरुत्तिनन	Shri Kiruttinan ..	521—522
श्री भोला न्थ	Shri Bhola Nath ..	522
श्री बृजभूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal ..	522—524
श्री राणे	Shri Rane ..	524—525
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha ..	525—526
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ..	526—528
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ..	528—529
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ..	529—531
श्री रामानी	Shri K. Ramani ..	531—533
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinker Desai ..	533—535
डा० चन्ना रेड्डी	Dr. Channa Reddy ..	536—540
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting ..	540
श्री प्र० ना० सोलंकी	Shri P. N. Solanki ..	541—543
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil ..	543—544

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Roa Joshi	.. 544—545
श्री के० जगैया	Shri K. Jaggaiah	.. 545—546
श्री कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 560—561
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata	.. 561—562
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 562—563
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	.. 563—564
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	.. 564—565
श्री इशाक सांभली	Shri Ishaq Sambhali	.. 565—566
श्री पें० वेंकटसुब्बैया	Shri P. Venkatasubbiah	.. 566
कार्य-मंत्रणा समिति— सत्रहवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee— Seventeenth Report	.. 562

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 16 अप्रैल, 1968/27 चैत्र, 1890 (शक)
Tuesday, April 16, 1968/Chaitra 27, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

महिलाओं की औद्योगिक सहकारी समितियां

*1227. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया" द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि महिलाओं की औद्योगिक सहकारी समितियां सहकारिता विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना का अभिन्न अंग होनी चाहिये ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बारे में आयोजित ढंग से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; तथा यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्त, विपणन, कच्चे माल तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता देने के लिये अनेक कदम उठाये हैं ।

(ग) गोष्ठी की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

Shri Beni Shanker Sharma : In the course of general massacre, that took place before and after the unfortunate partition of the country, many women in East Bengal and West Punjab became destitutes and the question of their honourable living was before them. Therefore with a view to earn their livelihood they started working in small industrial units and for which they established co-operative societies. In this context, will the Hon. Minister be pleased to state as to how many Women's Industrial Co-operatives for the women displaced from East Bengal and West Punjab have been given protection so far and what is the number of their members? Will he also state the number of such destitute women rehabilitated by now and what sort of assistance is being given to them?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है, उसके कुछ अंश के बारे में शायद पुनर्वास मंत्रालय समुचित कार्यवाही करेगा। कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं और किस प्रकार उनका पुनर्वास किया गया है इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूँ कि इस देश में स्त्रियों द्वारा संगठित लगभग 2000 औद्योगिक सहकारी समितियाँ हैं। 29 फरवरी, 1968 से 2 मार्च, 1968 तक दिल्ली में एक संगोष्ठी हुई थी और उस संगोष्ठी में विश्व की औद्योगिक महिला सहकारी समितियों की 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्होंने औद्योगिक सहकारी आन्दोलन के मार्ग में आनेवाली समस्याओं पर विचार किया और अनेक सिफारिशों की गईं, जो सरकार के विचाराधीन हैं।

Shri Beni Shanker Sharma : Today, due to increasing dearness and the rise in prices it has become necessary for the Indian Women to assist men in improving the economic conditions of their families. The educated among them earn something by working in some Government or private offices but a majority of women cannot secure jobs in offices due to lack of modern education. They can do very well the work of handi-crafts, sewing and other such industrial work. There is also a great demand of their hand-made things in and outside of the country. Therefore, I would like to ask the Hon. Minister whether they will take steps to organise them in the form of Industrial Co-operative Societies so that their hand-made things can be sold in the national and international markets through these Societies.

श्री रघुनाथ रेड्डी : महिलाओं द्वारा संगठित औद्योगिक सहकारी समितियों को पूर्ण सहायता देने की दिशा में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक और सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं तथा कच्चे माल को प्राप्त करने, तैयार माल के विपणन, वित्त की अपर्याप्तता तथा प्रशिक्षण और कर्मकारों की अपर्याप्तता से सम्बन्धित कठिनाइयों और गतिरोधों जिनका उल्लेख सम्मेलन में किया गया था, उनकी जांच भी कर रहे हैं। इन पहलुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है तथा कई राज्य सरकारें भी इस मामले की जांच कर रही हैं और वे वास्तव में उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नेशनल फेडरेशन आफ इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स को 1968 में रजिस्टर्ड किया गया था और यह संगठन अनेक औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा पैदा किये गये वस्तुओं के विपणन में और कच्चे माल की खरीद में रुचि लेने और सहायता देने का प्रयत्न कर रहा है। इस संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य व्यापार

निगम भी इन औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा उत्पन्न किये गये माल को खरीदकर तथा इन लोगों की इस प्रकार मदद करके सहायक होने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार राष्ट्रीय सहकारी समिति के विरुद्ध लगाये गये इस गम्भीर आरोप से अवगत है कि इस संस्था को फोर्ड फाउण्डेशन के द्वारा सी० आई० ए० की बहुत सारी निधि दी जाती है । इस संस्था ने हमारी महिलाओं और योजना बनाने वालों को परामर्श दिया है ।

यह है राष्ट्रीय सहकारी समिति । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है, यदि हां, तो उनका रुख कैसा है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि यह प्रश्न महिला औद्योगिक सहकारी समितियों से सम्बन्धित है । यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें तो मैं इसका जवाब दे सकूंगा ।

टायरों का निर्यात

*1228. **श्री हिम्मत्सिंहका :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि टायरों पर लगे शुल्क की वापिस दी जाने वाली राशि में 60 प्रतिशत से अधिक कटौती कर दिये जाने के सरकारी निर्णय से टायरों का निर्यात पूर्णतः बन्द हो गया है ;

(ख) इस कटौती के कारण भारत में बने टायरों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कितने बढ़ जायेंगे ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य कौन-कौन से देश टायरों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और भारत में बने टायरों के मूल्य उन देशों के टायरों के मूल्यों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस स्थिति पर पुनर्विचार किया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय टायर व्यापार को कोई अतिरिक्त समर्थन देने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां । भारत सरकार ने टायरों के निर्यात पर पहले लागू शुल्क वापसी की ब्राण्डवार दरों के स्थान पर सम्पूर्ण उद्योग के लिये शुक्ल वापसी की दर घोषित की जो 3 फरवरी, 1968 से लागू हुई । टायर उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि इसके फलस्वरूप टायरों पर शुल्क वापसी की राशि 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक कम हो गयी है ।

(ख) शुल्क वापसी में कमी के फलस्वरूप टायरों के निर्यात मूल्य में वृद्धि का परिमाण प्रत्येक निर्माता के लिये पहले लागू शुल्क वापसी की दरों के संदर्भ में अलग-अलग होगा ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य प्रतियोगी देश हैं : संयुक्त राज्य अमेरिका ; ब्रिटेन ; जापान ; फ्रांस ; पश्चिम जर्मनी ; इटली ; हालैण्ड ; आस्ट्रिया ; तथा चेकोस्लोवाकिया । शुल्क वापसी में कमी से पूर्व उनकी तुलना में भारतीय टायरों के मूल्य 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कम थे ; और

(घ) उद्योग की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री हिम्मतसिंहका : जहां तक टायरों आदि का सम्बन्ध है, इसके लिये काफी निर्यात क्षमता है । क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैण्ड निर्बन्धात्मक व्यापार प्रणाली को अपनाकर अपनी भुगतान शेष स्थिति को सुधारना चाहते हैं और 50 करोड़ पाँड बचाना चाहते हैं, क्या सरकार शुल्क की वापसी को, जिसकी पहले अनुमति दी जा रही थी पुनर्जीवित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जिससे कि निर्यात क्षमता का विकास होता रहे ?

श्री दिनेश सिंह : शुल्क की वापसी अभी विद्यमान है । जो हमने किया है वह यह है कि पहले शुल्क की वापसी किसी विशेष उद्योग के उत्पादन पर आधारित थी लेकिन उसकी बजाय अब यह सम्पूर्ण उद्योग पर लागू होती है । लेकिन मैंने अवश्य उल्लेख किया कि हम इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं कि दूसरे टायरों की तुलना में भारतीय टायरों की कीमतों में कुछ निश्चित अन्तर है तथा हम इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या मंत्री महोदय इस कीमत के अन्तर को अर्थात् उद्योग के इस घाटे की स्थिति को दूर करने के लिये कदम उठायेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह सारी कमियों को दूर कर सकता है । परन्तु हम इस बात के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे कि यह किस प्रकार अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकती है ।

Shri Shiva Chandra Jha : Whether it is a fact that U. A. R. has placed a big order for tyres to India, if so, how many tyres have been asked for and how many tyres India is going to export and what is the estimate of foreign exchange to be earned by India ?

Shri Dinesh Singh : Orders are not placed to the Government. This might have been placed to a company about which I have to enquire.

Shri Achal Singh : At present the price of the tyres have gone double in the country, whether the Government are taking any steps to control it ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir.

श्री उमानाथ : अधिकांश कम्पनियां जो टायरों का निर्यात कर रही हैं विदेशी कम्पनियां हैं, उदाहरणार्थ, डनलप, गुडइयर आदि । ये बहुत लाभ कमा रही हैं । वर्ष 1966-67 में उनको 4.38 करोड़ रुपये का लाभ हुआ । सरकार ने शुल्क की वापस दी जाने वाली राशि में जो कटौती की वह ठीक ही किया । इन कम्पनियों द्वारा रोक का अर्थ यह है कि वे सभी रियायतों को वापस लेने के लिये दबाव डाल सकें जिससे वे और अधिक लूट कर सकें । इन परिस्थितियों

में, (क) क्या सरकार इस सभा को यह आश्वासन देगी कि वे इन विदेशी कम्पनियों के दबाव में नहीं आयेंगे और (ख) भारत सरकार निर्यात करने के लिये तथा अधिक लूट के उद्देश्य से हमारी विदेशी मुद्रा को न रोक रखने के हेतु विदेशी कम्पनियों को बाध्य करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक (क) का सम्बन्ध है उसका उत्तर 'हां' में है,

श्री उमानाथ : क्या आप उनके दबाव में आ जायेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं। माननीय सदस्य इस प्रकार का आश्वासन चाहते हैं कि हम दबाव में नहीं आयेंगे। और मैं भी कहता हूँ कि हम दबाव में नहीं आयेंगे, यह कहना कठिन है कि इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है। हम इस बारे में विचार करते रहते हैं। इसीलिये हम इस सम्बन्ध में काफी सावधानी से विचार कर रहे हैं कि इन टायरों के निर्यात के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government is aware of the fact that the tyre is not supplied with the stepney of the scooter as there is great shortage of this tyre ? I want to know the steps taken by the Government to meet this shortage ?

Shri Dinesh Singh : The Hon'ble Member is fully aware of the present position of the tyres.

Shri Onkar Lal Berwa : The amount is charged in full. That should also be reduced.

Shri O. P. Tyagi : I had asked about the steps taken by the Government to meet the shortage of scooter tyres ?

Shri Dinesh Singh : I have already given a reply in detail. I think I had given the information regarding the number of tyres manufactured here, the number of tyres consumed and the number of tyres planned to be manufactured.

In so far as the question of reduction in price is concerned, it is entirely a different question.

श्री लोबो प्रभु : साइकल के टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में 60 प्रतिशत की और कार के टायर और ट्यूबों के मूल्यों में 70 से 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब स्कूटर के टायरों की कमी है तो निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति कहां तक न्यायोचित है और फिर ऐसा निर्यात जिससे विदेशी कम्पनियों के पास अधिकतम धन जाता हो ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि शुल्क वापसी निर्यात अनिवार्य नहीं है और न ही निर्यात के लिये प्रोत्साहन है ; यह तो केवल कुछ सुविधाएं मात्र हैं जिससे जो कुछ उन्होंने बाहर भेजा है उसे पुर्जों आदि के आयात के रूप में वापिस ला सकें। परन्तु इसके अतिरिक्त हम कुछ नकद धन राशि का प्रोत्साहन भी दे रहे हैं जिसे माननीय सदस्य प्रोत्साहन दे सकते हैं, परन्तु वह हमारे सामान्य निर्यात अभियान का अंग है। अर्थव्यवस्था की

वर्तमान स्थिति को देखते हुए निर्यात बढ़ाना आवश्यक है चाहे देश के अन्दर कुछ वस्तुओं की सप्लाई कम क्यों न करनी पड़े ।

श्री दिनकर देसाई : छोटे ट्रैक्टर का औसत मूल्य कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है ।

Supply of Small Tractors to Farmers

*1229. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to supply small tractors to the farmers on fair price ;

(b) the number of factories manufacturing small tractors at present as well as the number of tractors being manufactured by them annually ; and

(c) the estimated demand of small tractors in the country ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) से (ग). 20 अश्व शक्ति से नीचे के ट्रैक्टरों, जो सामान्यतया छोटे ट्रैक्टर समझे जाते हैं, की अनुमानित मांग 1970-71 तक प्रति वर्ष 12000 हो जायगी। फिलहाल देश में कोई भी कारखाना इस अश्व शक्ति के ट्रैक्टर नहीं बना रहा है। इस अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों का निर्माण करने की क्षमता की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ ट्रैक्टर उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से छूट दी गई है। इस अश्व शक्ति के ट्रैक्टर बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच इस प्रकार के ट्रैक्टरों की मांग जहां तक सम्भव होता है आयात के द्वारा पूरी की जा रही है।

Shri O. P. Tyagi : The average farmer has got nearly 3 hectares of land in India and therefore small tractors are more useful for them. In view of this may I know the reason as to why Government have not set up any factory for manufacturing small tractors ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : वर्ष 1970-71 के लिये लगभग 40,000 ट्रैक्टर की अनुमानित मांग है। 28,000 अधिक क्षमता वाले अर्थात् 20 अश्व शक्ति से अधिक वाले और 12,000 20 अश्व शक्ति से कम क्षमता वाले। अभी 20 अश्व शक्ति से कम क्षमता वाले ट्रैक्टर बनाने का हमारे देश में कोई कारखाना नहीं है। कृषि विभाग ने इस बात पर बल दिया है कि 20 अश्व शक्ति के तथा उससे कम क्षमता के ट्रैक्टर बनाने की काफी आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस देश में ऐसे ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। हमने ट्रैक्टर बनाने वाले कारखानों के सामने प्रस्ताव भेजे हैं परन्तु उन्होंने इस प्रकार के ट्रैक्टर बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। केवल गाजियाबाद इंजीनियरिंग ने रूसी सहयोग के साथ ऐसे ट्रैक्टर बनाने का प्रस्ताव किया था। इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था परन्तु उन्हें कार्यरूप देना उस समय सम्भव नहीं था। इस प्रकार के ट्रैक्टर बनाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने सारे ट्रैक्टर उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन)

अधिनियम के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से छूट दे दी है। जो उद्योगपति या कारखाना इस प्रकार के ट्रैक्टर बनाने के लिये तैयार हों, वे अपने प्रस्ताव सरकार को भेज सकते हैं और सरकार उनपर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगी।

इसके अतिरिक्त सरकार पहले ही इस अश्व शक्ति के ट्रैक्टर बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने पर भी विचार कर रही है और यह मामला अभी विचाराधीन है।

Shri O. P. Tyagi : He has not stated as to why Government have not taken steps to manufacture small tractors ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी तक नहीं बनाये हैं। वे अब इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi : My second question is that how long it will take to become self-sufficient with regard to manufacture of these tractors ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूँ कि ट्रैक्टरों की सप्लाई के बारे में आत्मनिर्भर बनने के लिये सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है।

श्री पं० वेंकटसुब्बया : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार तथा किसानों के पास उपलब्ध ट्रैक्टरों की वर्तमान क्षमता का कभी पता लगाया गया है ? हमें पता चला है कि सरकार के 75 प्रतिशत ट्रैक्टर ठीक प्रकार से काम नहीं करते और इसीलिए कृषि का कार्य ठीक नहीं चलता। क्या मैं यह भी पूछ सकता हूँ कि क्या हमारे देश में बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों पर मूल्य नियंत्रण रखने का, और सरकारी क्षेत्र की परियोजना बन जाने तक इन ट्रैक्टरों को किसानों को सस्ते मूल्य पर देने का सरकार का विचार है ? सरकार ने अब 28 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्या वह इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक 20 और 20 अश्व शक्ति से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है, सरकार ने उनके आयात की अनुमति दी है और कृषि सम्बन्धी कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका आयात किया जा रहा है।

जहां तक सरकार के पास उपलब्ध ट्रैक्टरों की क्षमता के उपयोग का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम इस समय ट्रैक्टरों के निर्माण के बारे में चर्चा कर रहे हैं ; मैं उनकी वर्तमान क्षमता के उपयोग के बारे में कुछ नहीं जानता, अतः मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

ट्रैक्टरों के मूल्यों के बारे में स्थिति यह है कि उनके मूल्य निश्चित हैं और अवमूल्यन के पश्चात् पुनः निश्चित किये गये हैं। ये मूल्य निश्चित करते समय ट्रैक्टर बनाने के लिये उन

अपेक्षित पुर्जों का ध्यान रखा गया है जिन्हें आयात करना पड़ता है। इसके साथ-साथ प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों का भी ध्यान रखा गया है। बल्कि सरकार ने प्रशुल्क आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों से भी कम मूल्य निश्चित किये हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के संदर्भ में क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है कि उन्हें यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया कम्पनी का सहयोग मिल सकता है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक मेरी जानकारी है, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। जहां तक सहयोग का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार स्वयं चेकोस्लाविया के साथ सहयोग करने के बारे में विचार कर रही है। इसे परियोजना के प्रतिवेदन का पहला तकनीकी भाग हमें मिला था। परन्तु परियोजना की लागत अधिक होने के कारण हमने उसे चेकोस्लाविया के विशेषज्ञों के पास पुनः विचार करने के लिये भिजवा दी थी। अब उन्होंने उत्पादन की लागत में कुछ कमी करके उस प्रतिवेदन को पुनः हमारे पास भेजा है और यह सारा मामला विचाराधीन है।

Shrimati Jayaben Shah : May I know the action taken in respect of 20,000 tractors which are said to be sick ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि 20,000 ट्रैक्टर खराब पड़े हैं, तो निश्चय ही यह बुरी बात है और सरकार अवश्य ही इस मामले पर विचार करेगी कि उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है।

Shrimati Jayaben Shah : I want to know the action taken uptil now ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

Shri Maharaj Singh Bharati : There is great shortage of small tractors and same is being sold in the black market. There is great demand of D. T. 14 tractor. In view of this I want to know whether Government would establish a factory in the public sector for manufacturing D.T. 14 tractor by reducing the cost of production or they will wait for the private sector to do so ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने सारे ट्रैक्टर उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से छूट दे दी है। गाजियाबाद इंजीनियरिंग वर्क्स या और कोई उद्योग, जो छोटे ट्रैक्टर या और किसी प्रकार के ट्रैक्टर बनाना चाहते हों, अपने प्रस्ताव सरकार के पास भेज सकते हैं और सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगी कि उन्हें ये ट्रैक्टर बनाने में क्या सहायता दी जा सकती है।

Shri Maharaj Singh Bharati : I wanted to know whether Government would manufacture them in the public sector if no one else is prepared to do so ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने यह पहले ही बता दिया है कि सरकारी क्षेत्र में छोटे ट्रैक्टर बनाने के प्रस्ताव पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि विचार करने की यह अवस्था कब तक समाप्त हो जायेगी ताकि इस परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ हो सके ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने पहले ही बता दिया है कि चेकोस्लाविया से हमें तकनीकी प्रतिवेदन मिला था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए उसे वापिस भेजा था । अब दोबारा उन्होंने अपने सुझावों सहित उसे हमारे पास भेजा है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है । मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव को शीघ्र ही कार्यरूप दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यथाशीघ्र ।

श्री पीलु मोडी : क्या मंत्री महोदय सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बनाये हुये ट्रैक्टरों पर कितना शुल्क तथा कर लगाया जाता है और आयातित ट्रैक्टरों पर कितना शुल्क लगाया जाता है तथा यह कितने प्रतिशत है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य इसके लिए अलग प्रश्न पूछें ।

Shri Randbir Singh : Mr. Speaker, I would like to ask through you from the Hon. Minister whether luxury goods will be given preference in this country or tractors ; whether Government will consider to stop the expenditure which is being incurred on the import of luxury goods today and will manufacture more and more tractors so that there may be maximum production ?

My second question is that a tractor costing Rs. 4,000 is being sold in this country at Rs. 15 or 16 thousands and the agriculturists are being fleshed, therefore, whether the Government will find out an agency for its distribution so that the agriculturists may be able to get the tractors at a reasonable price through it ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार ने प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में पहले ही निर्णय ले लिया है और यह निश्चित है कि सरकार के हाथों विलास की वस्तुओं को प्राथमिकता नहीं मिलेगी और ट्रैक्टरों को निश्चित रूप से सबसे अधिक प्राथमिकता दी जायेगी ।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है अर्थात् कि क्या 4 हजार का ट्रैक्टर 15 या 16 हजार में बिक रहा है, इस सम्बन्ध में मैं ट्रैक्टरों का विक्रय मूल्य बताना चाहूंगा जो इस प्रकार है :

26.5 एच० पी०	17.836 रुपये
35 एच० पी०	20.900 रुपये
35 एच० पी०	20.838 रुपये

34.5 एच० पी०	19.500 रुपये
28.0 एच० पी०	15.032 रुपये
50 एच० पी०	21.880 रुपये
35 एच० पी० (हिन्दुस्तान ट्रैक्टर एण्ड बुलडोजर्स लिमिटेड)	16.110 रुपये

इसलिये, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि माननीय सदस्य कैसे कहते हैं कि 4 हजार रुपये की लागत का ट्रैक्टर 16 हजार में बेचा जा रहा है।

Shri Onkar Lal Berwa : Recently 15 days before Shri Sukhadia, the Chief Minister of Rajasthan stated that a Tractor-Factory is being set up at Kota, I would like to know whether it is a fact and whether the Hon. Minister is aware of it?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे इसका पता नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : Whether it is all wrong?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा कि वे इसके बारे में नहीं जानते।

It can be a fact but the Hon. Minister is not aware of it.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मोटर ट्रकें किराया-खरीद आधार पर उपलब्ध हैं, मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार के पास किसानों को किराया-खरीद पद्धति पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार के पास कोई किराया-खरीद पद्धति नहीं है। अनेक वित्तीय संगठन हैं जो इसकी जांच करेंगे।

श्री क० लक्ष्मण : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार के आदेश पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कृषकों के लिए छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण हो सकता है। क्योंकि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए अनुमति देना सरकार की नीति है, मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार सभा को स्पष्ट आश्वासन देगी कि वे इस देश में काली-सूची-दर्ज पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों को लाइसेंस नहीं देंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सरकार सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण करना चाहती है लेकिन किसानों के लिए ट्रैक्टरों की आवश्यकता की जो बहुत बड़ी मांग है उसको देखते हुए गैर-सरकारी उद्योग द्वारा ट्रैक्टरों के निर्माण आरम्भ करने पर निषेध नहीं है।

श्री क० लक्ष्मण : मेरा प्रश्न यह था कि क्या काली-सूची-दर्ज उद्योगपतियों को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया जायेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि कोई काली सूची दर्ज उद्योगपति लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र भेजता है तो उस पर गुणों अथवा योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा और जब तक उसका नाम काली-सूची में रहेगा तब तक इस पर विचार नहीं किया जायेगा।

Prices of Cotton

*1230. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the price of cotton prevalent in each State in November-December, 1967 and at present in the open market after the abolition of minimum and maximum limits of cotton prices ;

(b) whether it is a fact that the present cotton price is unremunerative to growers ; and

(c) if so, the action proposed to be taken to ensure fair price to cotton growers and to see that there is no loss of cotton production in the coming Season ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-897/68]

Shri Deorao Patil : Mr. Speaker, in this session of the Lok Sabha I have asked questions many times about raw cotton but the Hon. Minister of Commerce does not understand the difference between cotton and raw cotton. The statement given by the Hon. Minister regarding cotton is wrong because my question relates to raw cotton and the price given to the growers for it while the answer given by the Hon. Minister pertains to cotton and the cotton cloth which the traders sell to the Mills. Last year when there was very low production of raw cotton in the country the textile mill owners gave a notice to the Government that they will close the mills. The Government that is the Ministry of Commerce procured the raw cotton forcibly from the agriculturists. This year the production of raw cotton in the country is in abundance and the Mill owners have decided and have passed resolutions thrice that they will not purchase raw cotton from the agriculturists more than their monthly requirements. The raw cotton will remain unsold in the market as no body will come forward to purchase it. In view of this I want to know from the Hon. Minister what steps the Government have taken to see that the farmers are paid remunerative prices for their produce ?

Shri Dinesh Singh : The Hon. member has correctly pointed out the difference between raw cotton and cotton. We both know the difference between raw cotton and cotton. Both of us have also talked about it. Mr. Speaker, you have first heard his long statement in the form of a question in which he has stated that the mill owners purchase raw cotton, but as he knows the mill owners do not purchase raw cotton, they purchase cotton, I thought that he wants to know the price of cotton that is why I placed this before him

Shri Maharaj Singh Bharati : The agriculturists sell raw cotton to the cotton Mill Owners and cotton owners sell cotton to the textile Mill Owners.

Shri Dinesh Singh : This is a new thing but the question which the Hon. member has asked is an important one. I pointed out this thing when there was a discussion about the expenditure of my Ministry here that we will try that the agriculturists should get a reasonable price of raw cotton. While giving reply I stated that the Agricultural Price Commission will look into it and according to that we will fix the minimum price.

Shri Deorao Patil : My second question is that the Government have fixed a minimum support price for such agricultural products as wheat, jwar or rice, I would like to know why a minimum support price has not been fixed for the raw cotton which is being purchased from the agriculturists for the last 25 years in the regular market ?

Shri Dinesh Singh : The minimum support price has been fixed.

Shri Deorao Patil : I would like to know whether the minimum support price of raw cotton has been fixed ?

Shri Dinesh Singh : No. Sir, that is for cotton.

Shri Deorao Patil : My question was that after all why the minimum support price has not been fixed during the last 25 years ?

Shri Dinesh Singh : I would like to draw the attention of the Hon. member to the last session in which it was stated that there had been control over cotton during the last 20 years and accordingly the prices of cotton went on increasing and it was being sold here at the control price. The Hon. member and others asked for the removal of the control but we cautioned them at that very moment that they are going to create troubles for it but they did not pay heed to our caution. The Hon. member is talking about cotton and raw cotton but there is difference only in the price of seeds. Both are co-related but we would like to say again that we will do our best that the agriculturists get remunerative prices of their produce.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या आप वाणिज्य मंत्री महोदय से अपने प्रश्न और उत्तर दोनों को ठीक करने के लिए कहेंगे, क्योंकि मूल प्रश्न विभिन्न राज्यों में प्रचलित कपास की कीमतों के बारे में है और जबकि उत्तर में कपास की किस्म, जिस राज्य में यह अधिकतर पैदा की जाती है, नवम्बर-दिसम्बर, 1967 में औसतन बाजार मूल्य के बारे में बताया गया है, कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि किस राज्य में ये मूल्य प्रचलित थे, यहां तक कि यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह भारत के राज्यों में हो अथवा अमेरिका के ।

मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय कपास तथा रुई के अन्तर को समझते हैं । इस तथ्य को जानने में उनको कितना समय लगेगा कि कपास भारतीय फार्मों से ओटाई हुई और दबाई हुई गांठों के रूप में नहीं आती तथा कृषि वस्तुओं के लिये जो मूल्य समर्थन की आशा की जाती है वह कृषकों द्वारा बेची जाने वाली कपास के लिए सहायता के रूप में होनी चाहिए । सौभाग्य से कपास का एक नियमित बाजार है और सरकार की मशीनरी अर्थात् आकाशवाणी द्वारा कीमतों की हर रोज घोषणा की जाती है । यहां तक कि ऐसे साधारण प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया जाता । आप अध्यक्ष की हैसियत से इस बात के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाएं उनका उत्तर दिया जाय तथा जिस बात की सूचना मांगी जाय वह दी जाय ।

श्री दिनेश सिंह : मैं उनसे यह प्रार्थना करके आपका काम आसान कर सकता हूं कि वे प्रश्न तथा उत्तर को जैसा छपा हुआ है वैसा पढ़ दें ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मूल प्रश्न जो कि हिन्दी में है उसमें कपास शब्द का प्रयोग किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम कपास आदि पर यहां कक्षा नहीं लगा सकते हैं। दुर्भाग्य से यह प्रश्न-काल है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : यह देखना आपका कर्तव्य है कि पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : यहां तक कि अध्यक्ष भी यहां कक्षा नहीं लगा सकता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि इण्डियन सैन्ट्रल काटन कमेटी ने कपास की न्यूनतम कीमतें निर्धारित करने के लिए सिफारिश की? क्या सरकार ने उस सिफारिश पर विचार किया तथा कोई कार्यवाही की?

श्री दिनेश सिंह : अब तक हम रुई के लिए स्थैर्य कीमतों के बारे में सोच रहे थे न कि कपास के बारे में, क्योंकि ओटाई के स्तर से आगे कपास के बीज के लिए अलग विक्रय है। रुई की कीमत पर नियंत्रण करना बड़ा आसान है इसीलिए कपास के संबंध में जो कि उसी समय फार्म से निकलती हो हमने मूल्य नियंत्रण अथवा स्थैर्य कीमत के बारे में विचार नहीं किया। ऐसा हमने केवल ओटाई के बाद की कपास के लिए ही किया।

श्री अनन्तराव पाटिल : यह बड़े दुःख की बात है कि रुई की कीमतों का प्रश्न ठीक प्रकार से तथा गम्भीरता से हल नहीं किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि गरीब कई वर्षों से हानि उठा रहा है। उसे दो के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है, एक तो कृषि मंत्रालय के तथा दूसरे वाणिज्य मंत्रालय के; इनमें से एक बड़ा दयालु है तथा दूसरा निर्दयी। जब कृषक कपास पैदा करता है तो कृषि मंत्रालय उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन कीमत के प्रश्न पर वाणिज्य मंत्रालय उसकी कोई सहायता नहीं करता। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी और नीति को मिल-मलिकों की समर्थक की बजाय किसान-समर्थक बनायेगी?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल गलत है कि किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्यों से भी अधिक निर्धारित किये गये हैं।

श्री उमानाथ : कुछ समय पहले कुछ मिल बन्द हो गये थे कुछ के बन्द होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसका कारण था रुई की अनुपलब्धता और व्यापारियों द्वारा रुई का जमा किया जाना। इसकी पुनरावृत्ति को भविष्य में रोकने के लिये सरकार रुई का व्यापार अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है? दूसरे, रुई में वायदा बाजारी पर पूर्ण रोक लगाने में सरकार क्यों संकोच कर रही है?

श्री दिनेश सिंह : यदि रुई में वायदा बाजारी पूर्णतः बन्द कर दी गई तो रुई के मूल्य एक दम गिर जायेंगे और रुई-उत्पादक इसे पसन्द न करेंगे। दूसरे सट्टा बाजारी पर हमने रोक लगाई हुई है।

श्री उमानाथ : सरकार रुई की खरीदारी स्वयं क्यों नहीं कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार रुई को स्वयं खरीदना आवश्यक नहीं समझती है ।

**Import of Printing Machine from U. S. S. R. by
Publishers of "Patriot" and "Link"**

+

*1231. **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Shri T. P. Shah :

Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Raisina Publications Limited and United India Periodicals Private Limited, publishers of 'Patriot' and 'Link' had imported from U. S. S. R. a printing machine valued at Rs. 5 lakhs in the beginning and the payment of this sum has not been made so far ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). M/s. United India Periodicals Private Limited, who are publishers of the weekly "Link" and own a press where this periodical as also the daily newspaper "Patriot" are printed, approached the State Trading Corporation of India Ltd., for the purpose of importing a Rotary Printing Press from U. S. S. R. A licence was issued on 24-11-1961 for the import of printing machinery valued at Rs. 6,65,000/- from U. S. S. R. but before the import was made, the Company entered into an Agreement with V/O TECHNOPROMIMPORT, the U. S. S. R. suppliers, who agreed to supply the machinery on deferred payment terms. These terms envisaged payment of 20% of the value before shipment and the balance of 80% in 12 years with interest at 6% per annum on the diminished balance. Eventually, the import of the machinery was made on 13-5-1963 after instalments aggregating Rs. 1,87,444/- were remitted to the suppliers. However, the rate of interest namely 6% was considered by Government to be much higher than the rate of 2½% or 3% that is normally permitted under the deferred payment terms for imports of machinery from the rupee area and the importer was directed to arrange a settlement with the exporters on the basis of the rate of interest not exceeding 2½%. It is understood that the Company has taken up the issue with the U. S. S. R. suppliers again but there is no information of any settlement nor the payment of the arrears of the instalments due.

Shri Bharat Singh Chauhan : May I know the names of the Directors of "Patriot" and "Link" papers and whether they hold office in any political party ?

Shri Dinesh Singh : A full list of the names of the Directors can be had from Company Law Administration. I have got some names but I cannot tell as to what organization they individually belong.

अध्यक्ष महोदय : जो नाम आपके पास हैं, आप उन्हें ही बता दीजिये ।

Shri Dinesh Singh : I have got following few names :

M/s Raisina Publication Limited

Shrimati Kamal-a-Balika

Shrimati Aruna Asaf Ali

Shri R. D. Bhagat

Shri K. Annadhanan

Shri N. R. Verugopan

Shri P. Viswanathan

Shri E. Narayanan

United India Periodicals Pvt. Ltd.

Shrimati Aruna Asaf Ali

Shri K. Annadhanan

Shri E. Narayanan

Shri Bharat Singh Chauhan : What is the extent of loss suffered by these compaines and may I know whether they have made it up by raising contributions ?

Shri Dinesh Singh : I am not in a position to give reply to these questions as they do not relate to my Ministry.

Shri Kanwarlal Gupta : A sum of Rs. 1,87,444/- was paid towards the cost of the Rotary Printing Press and the balance of about 5 lakhs of rupees is still standing. May I know whether the U. S. S. R. has given this much subsidy on the said printing machine; whether the embassies of the communist countries force those people, who import goods from these countries on rupee agreement basis, to give advertisements to these two companies on much higher rates ? This is a kind of undesired interference in the internal affairs of our country. I would like to know whether an enquiry will be instituted into such an affair.

Shri Dinesh Singh : I received no complaints about the so-called undue pressure on Indian importers for giving advertisements on higher rates. Secondly, negotiations are going on for having the reduced rate of interest i. e. 2½% instead of 6%. As far as the question of giving advertisements on higher rates is concerned, I can look into the matter if the Hon. Member furnishes some specific cases.

Shri Amrit Nabata : May I know whether this agreement is a rupee-payment agreement or Pound-payment agreement ; whether the instalments have been deposited in the State Bank of India.

Shri Dinesh Singh : This agreement is not in terms of Pounds but it is in terms of rupees.

श्री बलराज मधोक : क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि इन समाचार-पत्रों या साम्यवादी दल को साम्यवादी देशों से प्रत्यक्ष रूप से अथवा आयातकों के माध्यम से धन मिल रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : मूल प्रश्न तो यह है कि क्या व्यापारियों को ऐसा करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। कौन किसे दान देता है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। सभी राजनीतिक दल दान लेते हैं। यदि कुछ व्यक्ति अथवा कम्पनियां किसी को स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं।

Shri Shashibhusan Bajpai : May I know whether it is a fact that the Printing Machinery of the United India Periodicals was imported through S. T. C. and the price thereof was agreed to be paid in instalments ; the number of other Printing Presses in India which have imported machinery from Socialist Countries who are shareholders in this firm ? May I know the action Government propose to take against those who are running their Newspapers with the C. I. A. money ?

श्री दिनेश सिंह : मेरा सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है कि किसके कितने शेयर उसमें हैं । प्रश्न का सम्बन्ध तो मशीनरी के आयात की शर्तों से है और तत्सम्बन्धी सूचना सभा-पटल पर रख दी गई है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : सभा-पटल पर रखे गये पत्र तथा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में अनियमिततायें भरी पड़ी हैं । मंत्री महोदय का यह कहना गलत है कि स्वेच्छा से दान देने पर वह रोक नहीं लगा सकते । आयकर के उपबन्धों में ऐसी व्यवस्था कि दान भी एक निश्चित सीमा तक ही दिया जा सकता है । समाचार-पत्र निकालने वाली संस्थाएं दान कैसे ले सकती हैं फिर लोगों ने उन्हें दान क्यों और कैसे दिया ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि यह प्रश्न समवाय विधि प्रशासन से सम्बद्ध है । वह अपने सुझाव उसके पास भेज दें । वहां उन पर पूर्णरूपेण विचार किया जायेगा ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से भिन्न है ?

Shri Chandrajit Yadav : May I know whether the agreement made between the United India Periodicals Limited with the U. S. S. R. for the import of machinery is correct from all points of view and it is being implemented according to the terms mentioned therein ; if it is right, whether such allegations are being made for mere mud-slinging in the House ?

Shri Dinesh Singh : As far as the import of machinery is concerned, all details thereof have been given in the statement placed on the Table.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय ने शेष राशि के भुगतान तब तक न करने का आदेश दिया है जब तक ब्याज की दर 6 प्रतिशत घटाकर 2½ प्रतिशत न कर दी जाये । क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम ने यूनाइटेड इंडिया पिरियोडिकल्स को इस बात की सूचना दी है कि शेष भुगतान राशि को 14.3 प्रतिशत घटा दिया जाय, क्योंकि पौण्ड का अवमूल्यन हो गया है ?

Shri Dinesh Singh : The same question is being repeated. Hon. Member can see the record for it. More over, S. T. C. wants that the rate of interest should be reduced from 6% to 2½% and the balance should also be calculated on the basis of devalued Pound, because initially its prices were quoted in Pounds.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हीरा तराशने वाले और निर्यात करने वाले भारतीयों के विरुद्ध आन्दोलन

*1232. श्री शारदानन्द : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्जियम के एन्टवर्प, बन्दरगाह नगर में हीरा तराशने वाले और निर्यात करने वाले भारतीयों के विरुद्ध एक आन्दोलन चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका प्रतिरोध करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां, बेल्जियम हीरा व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा ।

(ख) कतिपय मिथ्या धारणाओं पर यह आरोप लगाये जा रहे हैं कि भारतीय निर्यातक तराशे हुए हीरों से बाजार पा रहे हैं ।

(ग) ब्रसेल्स स्थित हमारे राजदूतावास के प्रतिनिधि बेल्जियम के वित्तीय और व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों से उनकी मिथ्या धारणाओं को दूर करने तथा उन्हें इस बात के लिए आश्चस्त करने के लिये मिले हैं कि बेल्जियम के समाचार-पत्रों में प्रकाशित आरोपों में कोई सार नहीं है । बेल्जियम सरकार के अधिकारियों को भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

Purchase of Wheat from Iran

*1233. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether he paid a visit to Iran in March, 1968 to hold talks for purchasing wheat ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) the details of the agreement concluded, if any ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार

*1234. श्री योगेन्द्र शर्मा :

श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के प्रबन्धक प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर द्वारा प्रमाणित स्थायी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या स्थायी आदेशों में व्यवस्था है कि 10 दिन के अर्जित अवकाश, 7 दिन के आकस्मिक अवकाश और 8 दिन की त्यौहारों की छुट्टियां, कर्मचारियों को पूरे वेतन सहित दी जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो स्थायी आदेश को क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी संस्था, हरिद्वार ने सरकार को इस विषय में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इनका क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं; स्थायी आदेश लागू किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां; यह संघ मान्यता प्राप्त संघ नहीं है, अतः उनके प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रश्न ही नहीं है।

भारी इन्जीनियरी कार्य

*1235. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत सरकार ने देश में भारी इन्जीनियरी कार्यों के नियंत्रण के लिये एक विशेष व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और •

(ग) यदि सरकार ऐसी विशेष व्यवस्था करने के लिए तैयार है तो इसके अन्तर्गत किन-किन भारी इन्जीनियरी कार्यों को लाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). रूसी अधिकारियों ने भारत में स्थापित किये जाने वाले मशीन निर्माण संयंत्रों के विस्तृत प्रायोजन तथा मध्य समन्वय के लिये संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव विचाराधीन है।

दिल्ली के इर्द-गिर्द वृत्ताकार (रिंग) रेलवे

*1236. श्री स० च० सामन्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के इर्द-गिर्द वृत्ताकार (रिंग) रेलवे के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ख) उस पर कब तक यातायात शुरू हो जाने की संभावना है ;

(ग) दिसम्बर, 1967 तक उस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और 1968 में कितना धन खर्च करने का लक्ष्य है ; और

(घ) दिल्ली के इर्द-गिर्द वृत्ताकार (रिंग) रेलवे सेवा चलाने की योजना का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). स्वीकृत परियोजना का नाम "दिल्ली परिहार लाइनें और सम्बद्ध यातायात सुविधायें" है। इस काम को 31-12-68 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है, जब यह लाइन माल यातायात के लिए खोली जाएगी।

(ग) (i) दिसम्बर, 1967 तक 3.82 करोड़ और मार्च, 1968 तक 4.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ii) 1968-69 के लिए बजट में 54 लाख रुपए की व्यवस्था है। 31-3-69 तक 4.76 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

(घ) अभी तक कोई ब्योरेवार योजना नहीं बनाई गई है।

दिल्ली में केन्द्रीय रेलवे अनुसंधान बोर्ड की बैठक

*1237. श्री रवि राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेलवे अनुसंधान बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ख) क्या रेलवे के कार्य संचालन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यों का पुनर्विलोकन करने के लिए 23 मार्च, 1968 के केन्द्रीय रेलवे अनुसंधान बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे में सुरक्षा, कुशलता और मितव्ययिता के बारे में बोर्ड द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-898/68]

(ख) जी हां।

(ग) बैठक की कार्यवाही के मसौदे की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-898/68]

बैंक निरापत्ति प्रमाण-पत्रों के बिना आयात लाइसेंस जारी किया जाना

*1238. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों को बैंक निरापत्ति (बलीयरेन्स) प्रमाण-पत्रों के बिना ही आयात लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में ऐसे कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) ये लाइसेंस जारी करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस कार्यवाही के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भूतपूर्व निर्यात संबर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातकों को विदेशी मुद्रा की वसूली का बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आयात लाइसेंस दिये जाते थे। अक्टूबर, 1962 में निश्चय किया गया कि निम्न लिखित के प्रस्तुत करने पर पंजीकृत निर्यातक आयात लाइसेंस मांग सकते हैं :

- (1) निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि सौदे उनकी पालिसी के अन्तर्गत हुए हैं और यह कि माल खरीदार को सौंप दिया गया है और उसने स्वीकार कर लिया है ;

अथवा

- (2) छः महीने के अन्दर इस आशय का बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की वचनबद्धता कि जिन निर्यातों के बदले आयात लाइसेंस मांगे गये हैं उनके बारे में विदेशी मुद्रा की वसूली हो चुकी है ।

बाद में 1 जुलाई, 1965 से छः महीने के अन्दर बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की वचन-बद्धता पर आयात लाइसेंस मांगने की सुविधा समाप्त कर दी गई ।

6 जून, 1966 को रुपये के अवमूल्यन के साथ ही निर्यात संबर्द्धन योजनाएं समाप्त कर दी गईं । 6 जून, 1966 को या उसके बाद किये गए निर्यातों के बदले पुनर्भरण लाइसेंसों की एक नई नीति आरम्भ की गई । इस नीति के अन्तर्गत अब बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को आयात लाइसेंस देने से परस्पर सम्बद्ध नहीं रखा गया है क्योंकि पुनर्भरण लाइसेंस वास्तविक निर्यात के बारे में लेख्य-साक्ष्य के आधार पर दिये जाते हैं । जहां तक विगत पांच वर्षों में बिना बैंक प्रमाण-पत्र के दिए गये आयात लाइसेंसों की संख्या का प्रश्न है, निर्यातकों के विभिन्न वर्गों के बारे में, जिन्हें बैंकर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अथवा अन्यथा लाइसेंस दिये गये हैं, कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

चूंकि बिना बैंक प्रमाण-पत्र के आयात लाइसेंस सरकार की नीति के अनुसार ही दिये गए हैं इसलिए किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता । उन निर्यातकों के बारे में जो अपनी वचनबद्धताओं में अनुबद्ध अवधि के अन्तर्गत निर्यात आय कमाने में असफल रहे, उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

रूस को लोहा तथा इस्पात का निर्यात

*1239. श्री बृज भूषण लाल :	श्री रामचन्द्र जे० अमीन :
श्री शिवप्पा :	श्री अजमल खां :
श्री मुहम्मद इमाम :	श्री सीताराम केसरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :	श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :	श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री हरदयाल देवगुण :	

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत सरकार ने भारत से 10 लाख टन लोहा तथा इस्पात खरीदने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सौदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) इस सौदे की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). फिलहाल रूस को 2 लाख टन लोहा और इस्पात निर्यात करने के लिये करार किया गया है। इसके अलावा फरवरी, 1968 में जब रूस के विदेश व्यापार मंत्री भारत आये थे उस समय मैंने उनके साथ पाँच साल तक आधे से एक मिलियन टन प्रतिवर्ष तक अधिक निर्यात करने की सम्भाव्यता पर बातचीत की थी और सिद्धान्ततः उन्होंने यह बात मान ली थी। औपचारिक रूप में उन्हें लिखित प्रस्ताव दे दिया गया है यह प्रस्ताव सोवियत सरकार के पास भेज दिया गया है और अभी तक उनसे हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

यालविगी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर दुर्घटना

*1240. श्री कामेश्वर सिंह :

श्री श्रीधरन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 मार्च, 1968 को दक्षिण रेलवे के यालविगी रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मरे 53 व्यक्तियों के परिवारों और जखमी हुए 42 व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक को कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). इस दुर्घटना के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के दावे भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ख के अन्तर्गत नियुक्त होने

वाले दावा कमिश्नर द्वारा निश्चित किये जायेंगे। इस मामले में दावा कमिश्नर नियुक्त करने के प्रश्न पर मैसूर की राज्य सरकार और गृह-मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

फिर भी, अब तक कुल मिलाकर 21,900 रु० का अनुग्रह भुगतान किया जा चुका है।

Memorandum from Indian Railway Engineering Inspectors' Union

*1241. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a memorandum from the Indian Railways Engineering Inspectors' Union ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Perhaps the Hon. Member has in mind the Memorandum sent by the North Eastern Railway Zonal Unit of the Indian Railways Engineering Inspectors Association ;

(b) This Memorandum has been examined and the Railway Administration advised to take appropriate action where necessary.

Export of Sub-standard Goods

*1242. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have recently received a number of complaints about the standard and quality of goods exported or being exported by India ;

(b) if so, whether any action has been taken or is proposed to be taken against the exporters of such goods for bringing down the quality and standard of goods ; and

(c) whether any black list has been prepared of such exporters and any punishment given to them ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) A few complaints about the standard and quality of goods exported from India have been received but the number is insignificant as compared to the volume and variety of export trade.

(b) Export (Quality Control and Inspection) Act was enacted in 1963 and enforced from 1-1-64 to safeguard against export of sub-standard goods. Over 85% of export commodities have been brought under a system of compulsory quality control and pre-shipment inspection. These goods range from raw agricultural produce to semi-processed and manufactured items.

(c) The Act provides for punishment for offences committed under the Act.

Former Chief Engineer of Panna Diamond Mines

*1243. **Shri Molahu Prasad** ; will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5573 on the 22nd December, 1967 and state :

(a) the main features of the allegations levelled against the former Chief Engineer and some other Officers of Panna Diamond Mines and the value of diamonds misappropriated ;

(b) the details regarding the report submitted by the Special Police Establishment after investigations and the action taken thereon ;

(c) the salient points of the advice given by the Central Intelligence Bureau and the Ministry of Home Affairs ; and

(d) the reasons for bringing the said Officer from Panna to the Headquarters of National Mineral Development Corporation and appointing him an Officer on Special Duty in the Bailadilla Iron Ore Project ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) (i) Misappropriation of diamonds recovered by the Field Assistant and the Assistant to the Surveyor from Majhawan Mine site ;

(a) (ii) Inability of the Chief Engineer, Assistant Accounts Officer and the Establishment Officer attached to the Chief Engineer to account for the diamonds alleged to have been brought by them from the site ;

Diamonds were not valued.

(b) and (c). (i) The Field Assistant did not hand over diamonds or doubtful stones recovered.

(ii) The Assistant Accounts Officer and the Establishment Officer could not account for the diamonds or doubtful stones.

(iii) The Chief Engineer was negligent in the performance of his duties.

The Special Police Establishment recommended departmental action. The C. B. I. also advised departmental action. Ministry of Home Affairs was not consulted. The report of the S. P. E. was examined in consultation with the Central Vigilance Commission who advised regular departmental action against the Field Assistant for a major penalty and that no action was called for against any of the other officers.

(d) Chief Engineer was transferred from Panna to the Head Office of the National Mineral Development Corporation and later to Bailadilla Iron Ore Project on administrative grounds.

कारों के मूल्य

*1244. श्री जुगल मण्डल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में और फरवरी, 1968 के अन्त तक भारत में निर्मित तीन माडलों की कारों में से प्रत्येक माडल की कार के मूल्य में किस-किस तारीख को वृद्धि की गई थी ;

(ख) प्रत्येक अवसर पर मूल्य में कितनी वृद्धि की गई थी ; और

(ग) प्रत्येक मामले में मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-899/68]

कपड़े पर से नियंत्रण हटाना

*1245. श्री धीरेन्द्र नाथ देव : क्या वाणिज्य मंत्री 27 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े पर से नियंत्रण हटाने की सम्भावना पर ऐसे बीच में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार का कपड़े पर से वर्तमान नियंत्रण को पूर्णतया हटाने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) नियंत्रण के यथावश्यक पुनःसमंजन पर सरकार विचार कर रही है ।

इंटेग्रल कोच फैक्टरी

*1246. श्री स० कुण्डू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की इंटेग्रल कोच फैक्टरी में बने डिब्बे खराब पाये गये हैं और उनकी बार-बार मरम्मत की जाती है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये नियुक्त रेलवे समिति ने 1966 में इसकी जांच की थी और इनमें बहुत सी खराबियां बताई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो रेल के डिब्बों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Import of Newsprint

*1247. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India imports newsprint from foreign countries ;

(b) if so, the quantity of newsprint imported from foreign countries annually and the amount of foreign exchange spent thereon ;

(c) the production capacity of each of the Newsprint manufacturing mills in India and the names of States where they are functioning ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to remove the shortages of newsprint in the country ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) :

(a) Yes, Sir.

(b) About 1,07,000 tonnes of newsprint was imported in 1966 at the cost of about Rs. 11.78 crores and 1,20,000 tonnes of newsprint at the cost of about Rs. 13 crores is estimated to be imported during 1967-68.

(c) There is only one Newsprint Mill at present in the country which is situated in the Madhya Pradesh State and its present capacity is 30,000 tonnes per annum.

(d) The following action has been taken by the Government to remove the shortage of Newsprint in the country :—

- (i) The capacity of the existing newsprint mill is being increased from 30,000 to 75,000 tonnes per annum.
- (ii) The possibilities of the establishment of a newsprint mill in public sector on the basis of Euclyptus as main raw material in Kerala are being explored.
- (iii) A private party is also negotiating with the Himachal Pradesh Government for the establishment of a newsprint mill in that State, based on the soft woods in the Himalyan region.
- (iv) By way of encouragement to private parties to establish Newsprint plants, this industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
- (v) Excise duty on the indigenous newsprint has been abolished and import duty on the pulp imported for the purpose of manufacturing of newsprint has also been done away with.
- (vi) The Newsprint Industry has been included in the list of priority industries and as such it is eligible for liberalised imports of raw materials, etc.
- (vii) The rate of Development Rebate permissible to this industry has been increased from 20% to 35%.

आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक के बम्बई कार्यालय से चुराये गये लाइसेंस

*1248. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक के बम्बई कार्यालय से गुम/चोरी हो रहे लाइसेंसों के मामलों की सूचना उस कार्यालय को वर्ष 1966 में दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सूरत का मोतीराम खुशालदास बाडोरिया उन व्यक्तियों में सम्मिलित था जिन्होंने 12 अगस्त, 1966 को एक पत्र द्वारा इस हानि/चोरी की सूचना सीमा शुल्क विभाग, बम्बई को दी थी ;

(ग) क्या इस पक्ष ने तथा अन्य पक्षों ने अवमूल्यन के पश्चात् अपने लाइसेंसों को आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक के बम्बई कार्यालय को उन लाइसेंसों के मूल्यों को बढ़ाने के लिये भेजा था और मूल्य बढ़ा दिये जाने के बाद लाइसेंस संख्या 2540490 विधिवत ढंग से वापस कर दिया था किन्तु मोतीराम खुशालदास का दूसरा लाइसेंस संख्या 2543469 उसे वापस नहीं किया गया था और उसे बताया गया कि आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य

नियंत्रक के बम्बई कार्यालय के सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी को यह लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है ; और

(घ) यदि हां, तो यही लाइसेंस संख्या 2543469 बम्बई के सीमा शुल्क कलेक्टर के पास कैसे पहुंचा है और आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा इसका मूल्य भी बढ़ाया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हां। मैसर्स मोतीराम खुशालदास भण्डारिया, सूरत को 11.5.66 को जारी किये गये लाइसेंस संख्या 2543469 के खो जाने की सूचना मिली थी।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ). आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय, बम्बई ने लाइसेंस संख्या 2540490, लाइसेंस के मूल्य में यथोचित वृद्धि करके उस पक्ष को वापस कर दिया था जबकि अन्य लाइसेंस संख्या 2543469 आयात तथा निर्यात के कार्यालय, बम्बई में प्राप्त नहीं हुआ। बाद में विचाराधीन लाइसेंस अन्य पक्ष द्वारा, जिसका नाम मैसर्स वेलजी कस्तूरचन्द, 19 केशवजी नायक रोड, बम्बई है, सीमाशुल्क प्राधिकारी, बम्बई के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस बात की जांच की जा रही है कि लाइसेंस उक्त पक्ष के हाथ कैसे लगा।

पूर्वी तथा पश्चिमी रेलवे के वाणिज्यिक लिपिकों का स्थायीकरण

*1249. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के परिवहन यातायात तथा वाणिज्यिक विभागों में ऊंचे वेतनमानों के अनेक पद खाली रखे जाते हैं और इस प्रकार वाणिज्यिक लिपिकों की पदालि के वरिष्ठ व्यक्ति पदोन्नति के अवसरों से वंचित रहते हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी तथा पश्चिमी रेलों में काम करने वाले वाणिज्यिक लिपिकों को स्थायी नहीं किया जाता और उन्हें 'आफिशियेटिंग' ही माना जाता है, यद्यपि उन्हें 'आफिशियेट' करते हुए 4 या 5 वर्ष हो जाते हैं जबकि नियमों के अनुसार उन्हें 18 महीनों के बाद स्थायी कर दिया जाना चाहिए।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, उपयुक्तता और स्थायी पदों की उपलब्धता के अनुसार स्थायी किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी पद पर नियुक्त के 18 महीने पूरे होने से पहले या बाद कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाना चाहिये।

वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों द्वारा फर्मों में नौकरी

*1250. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनमें रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रालय

से अनुमति प्राप्त करने के बाद 1966-67 में और फरवरी, 1968, के अन्त तक नौकरी प्राप्त कर ली है ; और किन-किन वेतनों पर ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें स्थिति बतायी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-900/68]

सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन

*1251. श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट नियतन तथा समन्वयन संगठन ने विभिन्न राजनैतिक दलों को लगभग 49 लाख रुपये का दान कैसे दिया था जबकि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत केवल लाभ कमाने वाली कम्पनियां ही अपने लाभ का 5 प्रतिशत तक दानस्वरूप दे सकती हैं ; और

(ख) सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के निदेशकों के विरुद्ध इस अनियमितता के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सीमेंट नियतन तथा समन्वयन संगठन द्वारा अनेक राजनैतिक दलों को दिये गये दान से उत्पन्न अनेक पृष्ठक, जिनके लिये इस प्रकार के अंशदान करने की कम्पनी की शक्ति एक है, विचाराधीन है।

उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों की नियुक्ति

*1252. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों की भर्ती के लिये 1966 में तालिका में रखे गये बहुत से उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित रखा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा उसी पद के लिये और दो परीक्षाएं ली गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1966 में तालिका में रखे गये तथा बाद में परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकार किस प्रकार करना चाहती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद ने दो परीक्षाएं एक 12-1-1965 को और दूसरी 11-8-66 को ली और क्रमशः 30 और 19 उम्मीदवार चुने गये। पहली परीक्षा में चुने व्यक्तियों में से 22 उत्तर रेल प्रशासन द्वारा नियुक्त किये जा चुके हैं। इस समय खर्च में कमी लाने के सिलसिले में आशुलिपिकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और कुछ समय के लिये और उम्मीदवारों की नियुक्ति सम्भव नहीं

हो सकेगी। किसी सेवा आयोग द्वारा पैनल में नाम रखे जाने मात्र से उम्मीदवारों की नियुक्ति की गारंटी नहीं हो जाती।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड

*1253. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के निर्माण में लगभग सात करोड़ रुपये पहले विनियोजित किये जा चुके हैं और क्या तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मशीनरी के रूप में फ्रांस से विदेशी मुद्रा के ऋण की राशि पहले ही विनियोजित की जा चुकी है ;

(ख) क्या इस मिल की वार्षिक उत्पादन क्षमता 18,000 मीट्रिक टन कागज तैयार करने की है और क्या इस मिल को चालू करने के लिये तीन करोड़ रुपये की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि बिहार सरकार इस मिल को अपने कब्जे में ले तो क्या सरकार उसे चलाने के लिये अपेक्षित राशि ऋण के रूप में देगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) मिल की क्षमता 18,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है किन्तु कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी इसका ठीक-ठीक पता नहीं है।

(ग) बिहार सरकार के पास से इस कार्य के लिये ऋण की मंजूरी के बारे में अभी तक कोई भी निवेदन नहीं मिला है।

Bidi Manufacturing Concerns

*1254. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state.

(a) the total number of bidi manufacturing concerns in the country in the public sector and private sector separately and the details in regard thereto ;

(b) whether Government are aware that very inferior leaves are used in Bidi No. 27 as against tobacco ;

(c) whether Government have received any complaints in this regard ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Bidis are manufactured in the cottage industry sector and it is estimated that there are about 6,000 units manufacturing Bidis all over the country. There is no unit in the public sector for the manufacture of bidis.

(b) and (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार

*1255. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को कोयले, लौह-अयस्क तथा इस्पात का निर्यात पुनः आरम्भ करने के लिये कोई नवीन प्रयत्न किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों से तीन से चार गुना अधिक मूल्य पर पूर्वी पाकिस्तान ये वस्तुएं चीन तथा अन्य देशों से आयात करता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने कई बार दोनों देशों के मध्य व्यापार को पुनः आरम्भ करने के प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है परन्तु पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है ।

(ग) पाकिस्तान के समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार निकले हैं कि पाकिस्तान कोयला, रेलवे का समान जैसी वस्तुओं का आयात चीन तथा अन्य देशों से, भारतीय मूल्यों की तुलना में अधिक मूल्यों पर, कर रहा है ।

उत्तरी रेलवे की हिन्दी समय सारणी

*1256. श्री सूरजमान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की हिन्दी की समय-सारणी की कीमत पंजाबी में छपी समय-सारणी से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दी की समय-सारणी की कीमत पंजाबी की समय-सारणी की कीमत के बराबर करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

वृत्त चल-चित्र

7232क. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में निर्यात बढ़ाने के लिये सादे तथा रंगीन वृत्त चल-चित्र कितने-कितने तथा कौन-कौन से तैयार किये गये और उन पर कुल कितनी लागत आई ;

(ख) इन चल-चित्रों के प्रदर्शन के लिये क्या निश्चित प्रबन्ध किये गये तथा प्रत्येक चल-चित्र को कितनी बार दिखाया गया तथा किन-किन देशों में और किसके द्वारा ; और

(ग) प्रदर्शन करने के बारे में उनके मंत्रालय ने किस प्रकार के अधिलेख रखे हैं तथा इन चल-चित्रों को चलाने के बारे में तथा किस प्रकार से समय-समय पर निगरानी रखी जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1966-67 में दो काले-सफेद वृत्त-चित्र तैयार किये गये तथा विदेशों में वितरित किये गये। उनके नाम "हास्पिटल इक्विपमेंट" तथा "रेफीजेशन एण्ड एअरकण्डीसनिंग इक्विपमेंट" थे। कुल लागत 86,000 रुपये थी।

(ख) तथा (ग) : इन वृत्त-चित्रों के प्रिंट 82 वैदेशिक मिशनों (सूची अंग्रेजी में संलग्न है) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-876/68] को भेजे गये जिनके पास फिल्मों को दिखाने के साधन हैं। मिशनों द्वारा वृत्त-चित्र वर्ष भर उपयुक्त उत्सवों तथा समारोहों में दिखाये जाते हैं। यह जानकारी प्राप्त नहीं है कि मिशनों ने वे फिल्में कितनी बार दिखायीं। फिल्में मिशनों के पुस्तकालयों के अंग होते हैं और सामान्यतः इन्हें एक मिशन से दूसरे मिशन को नहीं भेजा जाता।

Minerals Found in Mysore

7233. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

- the names of minerals found in Mysore State ; and
- the annual profit accruing to Government therefrom ?

The Minister of Steels, Mine and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Workable deposits of asbestos, bauxite, china clays, limestone, gold, iron ore, manganese ore, kyanite, magnesite, ochres and silver are found in Mysore State.

- The information is being collected and will be laid on the table of the House.

रेलवे कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

7234. **श्री मुरासोली मारन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 25 जनवरी, 1962 को कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के बारे में विभिन्न विभागों को कोई पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने तत्पश्चात् इसी बारे में कोई परिपत्र भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) पत्र की एक प्रति अनुबन्ध 'क' पर रखी गई है।

(ग) जी हां, 1966 में ।

(घ) परिपत्र की एक प्रति, उसके अनुलग्नक सहित, अनुबन्ध 'ख' पर रखी गई है ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-877/68]

रेलवे अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

7235. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे बोर्ड के कितने अधिकारी विदेशों के दौरों पर गये और उनके नाम और पदनाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन देशों की और किन-किन तारीखों को यात्रा की और प्रत्येक दौरे पर प्रत्येक यात्रा के विमान यात्रा किराये सहित भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) कौन-कौन से अधिकारी अपनी पत्नियों तथा सम्बन्धियों को साथ ले गए थे ; और

(ग) प्रत्येक दौरे का प्रयोजन क्या था और उससे रेलवे प्रशासन को क्या लाभ हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-878/68]

(ख) केवल एक मामला ऐसा था जिसमें रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कृपाल सिंह के अमेरिका में शिष्ट मंडल के साथ दौरा करते समय उनकी पत्नी भी साथ थीं लेकिन उनका खर्च श्री कृपाल सिंह ने वहन किया था ।

(ग) यह सूचना विवरण के अन्तिम कालम में दी गई है ।

मुगल सराय रेलवे यार्ड में माल की चोरी

7236. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय रेलवे यार्ड से होकर प्रतिदिन कितनी मालगाड़ियां गुजरती हैं ;

(ख) इस यार्ड में प्रतिदिन चोरी के कितने मामले होते हैं और कितने मूल्य के माल की चोरी होती है ;

(ग) इस स्टेशन से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के कोयले की चोरी होती है ;

(घ) क्या यह सच है कि वहां से माल डिब्बों में भरे सिगरेटों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की चोरी की गई और इस माल को बचाने के लिये रेलवे सुरक्षा दल ने कोई भी प्रयास नहीं किया है ; और

(ङ) इस लूट को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) प्रतिदिन औसतन लगभग 5,600 माल डिब्बे मुगलसराय यार्ड से गुजरते हैं ।

(ख) 1966 और 1967 में चोरी के जितने मामले हुए और जितने मूल्य के माल की चोरी हुई वे इस प्रकार हैं :

वर्ष	चोरी के मामलों की संख्या	चुराये गये माल का मूल्य
1966	50	27,507/-
1967	18	8,983/30

(ग) मुगलसराय स्टेशन से 1966 और 1967 में लगभग 102 रुपये और 69 रुपये के मूल्य के कोयले की चोरी हुई थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) चोरियों को रोकने के लिये यार्डों में कर्मचारियों को तैनात करने के अलावा यार्ड के जिन भागों में चोरियां होती हैं वहां सशस्त्र पहरे की व्यवस्था की गई है । चोरों और अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं और अभियान चलाये जाते हैं ।

नदियाद पर उपरि-पुल

7237. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियाद में उपरि-पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलमंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अधीन व्यस्त समपार की जगह ऊपरी/निचला पुल बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित किये जाने अपेक्षित हैं और इसके साथ ही उन्हें यह भी बताना आवश्यक होता है कि इस काम को कितनी सापेक्ष प्रथमता दी जानी है और निर्माण-कार्य की लागत में सड़क प्राधिकारी की ओर से दी जाने वाली रकम की व्यवस्था वे किस वर्ष कर सकेंगे, जैसा कि वर्तमान नियमों के अधीन अपेक्षित है ।

अप्रैल, 1961 में नादियाद टाउन के पास राष्ट्रीय राज मार्ग नं० 8 की प्रस्तावित सड़क को घुमा कर ले जाने के लिए बड़ोदा-अहमदाबाद बड़ी मुख्य लाइन को पार करते हुए एक ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था । रेल प्रसासन ने स्वीकृत योजना के आधार पर एक विस्तृत अनुमान तैयार करके करारनामे के मसौदे के साथ अक्टूबर, 1962 में राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया था । लेकिन इस योजना को रेलवे

आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि बाद में यह योजना राज्य सरकार द्वारा आस्थगित कर दी गयी थी।

जुलाई, 1965 में राज्य सरकार ने अनुमान में संशोधन करने के लिए फिर से अनुरोध किया, जो रेलवे द्वारा उनके पास 1962 में भेजा गया था। रेलवे द्वारा अनुमान संशोधित कर दिया गया और अक्टूबर, 1965 में राज्य सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। बार-बार स्मरण दिलाने के बावजूद राज्य सरकार की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

गाड़ियों का निर्धारित समय पर चलाना

7238. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4225 के उत्तर के सम्बन्ध के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि गाड़ियां निर्धारित समय पर चलाई जायें, गाड़ियां चलाने के समय में क्या-क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि अब बहुत कम गाड़ियां अपने निर्धारित समय पर चलती हैं और गाड़ियां चलने के समय में परिवर्तन करके समय-पाबन्दी में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गाड़ियों का समय से चलना सुनिश्चित करने और जनता की बेहतर सेवा के लिए बम्बई वी० टी० और फीरोजपुर के बीच चलने वाली पंजाब डाक गाड़ियों (मध्य रेलवे पर 5 डाउन और 6 अप और उत्तर रेलवे पर 37 अप 38 डाउन) में इगतपुरी और झांसी के बीच डीजल इंजन लगाये जाने लगे हैं और 1.2.68 से उनमें सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है। इसके अलावा, इन गाड़ियों को, जो पहले दिल्ली जंक्शन तक जाती थीं, अब वहां तक नहीं जाना पड़ता और उसके बदले मध्यवर्ती नयी दिल्ली जंक्शन प्रयुक्त किया रहा है। यह काम दिल्ली जंक्शन पर शंटिंग में परिचालन की कठिनाइयां दूर करने के लिए किया गया। हिन्दूमलकोट-दिल्ली सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे के, जो इस गाड़ी में भटिंडा में लगाये जाते हैं, बदलने के कारण इन डिब्बों को भटिंडा लाने वाली 4 वी० एच० का समय आगे बढ़ा दिया गया है और इस प्रकार भटिंडा में मेल लेने के लिए समय, जो पहले 40 मिनट था, अब बढ़ाकर 65 मिनट कर दिया गया है। इस गाड़ी के संचलन क्षेत्र के मध्य रेलवे वाले भाग पर 5 डाउन 6 अप पंजाब डाक गाड़ियों के समय में काफी परिवर्तन कर दिया गया है और उत्तर रेलवे वाले भाग, खासतौर पर नयी दिल्ली के समय के सम्बन्ध में, मामूली हेरफेर कर दिया गया गया है।

(ख) इन गाड़ियों के समय की पाबन्दी अब भी सन्तोषजनक नहीं है और इसका मुख्य कारण भटिंडा और शकूर बस्ती के बीच इकहरी लाइन खंड पर परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। खासतौर से जब निर्धारित समय पर गाड़ियों के मेल लेने में व्यतिक्रम हो जाता

है। इसके अलावा, दिल्ली मुख्य जंक्शन पर चालू मार्ग रिले अन्तर्पाश के निर्माण कार्य जन्य अस्थायी कठिनाइयां, जाड़े में कुहरे का मौसम और मध्य रेलवे भाग पर 5 डाउन पंजाब डाक गाड़ी का विलम्ब से चलना है। फिर भी, डीजल से गाड़ियां चलाने के कारण मध्य रेलवे भाग पर 5 डाउन बम्बई वी० टी० फीरोजपुर पंजाब डाक गाड़ी के संचलन में कुछ सुधार दिखायी पड़ा है। इन गाड़ियों के संचलन में सुधार लाने के कुछ उपाय किये गये हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे।

रेल गाड़ियों का निर्धारित समय पर पहुंचना

7239. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 342 डाउन, 341 अप, आई० डी० आर०, डी० के० आर० रेल गाड़ियां कितनी बार ठीक समय पर पहुंचती हैं तथा छूटती हैं;

(ख) इन रेलगाड़ियों के ठीक समय पर आने-जाने की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि इन गाड़ियों के देर से चलने के कारण उपनगर क्षेत्र के "दफ्तर जाने वाले बहुत से यात्रियों" पर प्रभाव पड़ता है;

(घ) गाड़ियों के देर से चलने के बारे में इस वर्ष कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) निकट भविष्य में रेलगाड़ियों के निर्धारित समय पर पहुंचने तथा छूटने की व्यवस्था करने के लिये किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) के० आर० गाड़ी नाम की कोई गाड़ी नहीं है। सम्भवतः आशय 1 डी० के० आर० और 2 डी० के० आर० गाड़ियों से है। 1967-68 में 342 डाउन, 341 अप, 1 डी० आर०, 1 डी० के० आर० और 2 डी० के० आर० गाड़ियों के समय-पालन की प्रतिशतता क्रमशः 40.7, 44.5, 70.5, 96 और 58.5 थी।

(ख) और (ङ). गाड़ियों के परिचालन पर सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और गाड़ियों के अनावश्यक रूप से रुके रहने के बारे में आवश्यक कार्यवाई की जाती है और जहां जरूरी समझा जाता है उन कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जाती है जो गाड़ियों के विलम्ब के लिए जिम्मेदार पाये जाते हैं। उपनगरीय गाड़ियों के परिचालन को तरजीह दी जाती है और इस सूची में उपर्युक्त सभी गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली क्षेत्र और इसके आस-पास की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अन्य दीर्घकालीन उपाय विचाराधीन हैं ताकि उपनगरीय गाड़ियों सहित सभी गाड़ियां समय पर चल सकें।

(ग) यह सच है कि काफी संख्या में तफ्तर जाने वाले यात्री इन गाड़ियों से यात्रा करते हैं।

(घ) इन गाड़ियों के ठीक से न चलने के सम्बन्ध में जनवरी से मार्च, 1968 तक केवल पांच शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों की जांच की गयी और उत्तर भेजे गये। मुद्दावों की जांच की गयी और उन पर सर्वथा व्यावहारिक कार्यवाई की गयी।

**बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के पालम-खलीलपुर सेक्शन
पर यातायात कर्मचारी**

7240. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के पालम-खलीलपुर सेक्शन में यातायात कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिये नियुक्त किये गये डी० पी० सी० के लिये 7 मार्च, 1968 को एक जी० टी० की व्यवस्था नहीं की गई जैसा कि प्रचलित नियमों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण लगभग 400 कर्मचारियों को नियत दिन वेतन नहीं दिया गया और सारे सेक्शन के कर्मचारी प्रतीक्षा करते रहे; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रशासन को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) . बीकानेर मंडल में पालम-खलीलपुर खंड के कर्मचारियों को वेतन देने के लिये प्रत्येक महीने की 5 और 9 तारीख के बीच का समय निर्धारित है और सामान्यतया प्रत्येक महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाता है। चूंकि 7 मार्च, 1968 को विशिष्ट गाड़ी द्वारा जी० टी० की व्यवस्था नहीं की जा सकी इसलिए 8 मार्च, 1968 को वेतन दिया गया।

(ग) जी नहीं। सवाल नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा हिन्दी सीखा जाना

7241. श्री मुरासोली मारन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों से अपनी अन्वीक्षा अवधि में या स्थायी किये जाने के बाद हिन्दी सीखने की आशा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कैसे अमल किया जाता है;

(घ) क्या कर्मचारियों को यह छूट होती है कि यदि वे हिन्दी न सीखना चाहें तो वे न सीखें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) . सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत श्रेणी III और उससे ऊपर के उन सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिनकी आयु 1.1.1961 को 45 वर्ष से कम थी। इनमें औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले और निर्माण प्रभारित कर्मचारी शामिल नहीं हैं। इस उद्देश्य से सभी रेलों में हिन्दी सीखने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था है। हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत निर्धारित परीक्षाएं पास करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

लेकिन सीधे भरती किये जाने वाले श्रेणी I के रेलवे अधिकारियों को स्थायी होने से पहले अपनी परिवीक्षाधीन अवधि में हिन्दी की एक परीक्षा पास करनी होती है, जो मिडिल स्कूल के स्तर के बराबर है।

हैदराबाद-शोलापुर रेलवे लाइन

7242. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के मध्य में मैसूर राज्य के विद्यार्थियों ने तत्कालीन रेलवे मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि हैदराबाद से जहीराबाद (आन्ध्र प्रदेश), हुमनाबाद (मैसूर) और उमारगा (महाराष्ट्र) होती हुई शोलापुर तक एक नई रेलवे लाइन बनाई जाय; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस समय ऐसे कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे यह पता चल सके कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला था।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए सीमित धनराशि को देखते हुए निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किये जाने के आसार बहुत कम हैं।

उद्योगों को लाइसेंस देना

7243. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को लाइसेंस देने में लाइसेंस समिति ने किन-किन बातों की ओर ध्यान दिया था;

(ख) क्या इण्डियन इलेक्ट्रिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ट्रांसफार्मर और केबल उद्योगों की निर्माण-क्षमता में वृद्धि करने पर आपत्ति की है;

(ग) क्या यह सच है कि इसके बावजूद सरकार ने नये लाइसेंस दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) लाइसेंस समिति, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आए हुए आवेदन-पत्रों को जांचते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखती है :

1. पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर विकसनशील उद्योगों की आवश्यकता ।
2. अनावश्यक उद्योगों में धन लगाने को प्रोत्साहन न देकर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में धन लगाने की आवश्यकता ।
3. निर्यातोन्मुख तथा आयात बचत उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता और किसी विशेष योजना में विदेशी मुद्रा का व्यय ।
4. कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति ।
5. स्वामित्व संकेन्द्रण तथा थोड़े व्यक्तियों के हाथ में उद्योगों के नियंत्रण को रोकने की वांछनीयता ।
6. संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता ।
7. बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के क्षेत्रों के बीच अनावश्यक प्रतियोगिता को रोकने तथा लघु कुटीर उद्योगों के लिए संरक्षण की आवश्यकता ।
8. जिस स्थान पर यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो वहां पर पावर (विद्युत शक्ति) जल और यातायात की सुविधाओं की उपलब्धि ।
9. योजना की यदि कोई और विशेष बातें हों तो उन पर भी समुचित रूप से विचार किया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) . यहां तक कि इण्डियन इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन से प्रतिवेदन पहुंचने से पहले ही 33 के० वी० (किलो वोल्ट) से नीचे के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और केबल के निर्माण के लिए लाइसेंस देने पर 1 अप्रैल, 1966 तथा 1964 से क्रमशः रोक लगा दी गई है । औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अन्तर्गत पावर ट्रांसफार्मर के निर्माण का कार्य सरकारी क्षेत्र के यूनिटों के लिए आरक्षित है । यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्तमान यूनिटों के विकास कार्य की अनुमति है और इस सम्बन्ध में हाल में कोई नई क्षमता (कैपेसिटी) पैदा नहीं की गई है । परन्तु अनेकता (डाइवर्सिफिकेशन) की नीति की दृष्टि से, निर्माण करने वाली फर्म अपने उत्पादन को बिना नये लाइसेंस प्राप्त किए किसी निश्चित सीमा तक बढ़ा सकती हैं ।

औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में डा० हजारी का प्रतिवेदन

7244. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र देने वाली फर्म की आस्तियों और

दायित्वों, (दो) प्रति वर्ष बिक्री और (तीन) फर्म की वित्तीय क्षमता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी डा० हजारी के प्रतिवेदन में बताये गये दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन देने वाले सुनियोजित नये या विद्यमान उद्यम की आर्थिक स्थिति को आंकने के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है :

1. पूंजी व्यवस्था सुदृढ़ता जैसे इसकी अंश पूंजी इक्विटी अंश तथा अधिमान अंशों में वितरण ;
2. विद्यमान कम्पनी की पर्याप्त आरक्षित पूंजी जिसको वह नई परियोजना चलाने के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग कर सकती हो ;
3. किसी भी कम्पनी का दीर्घकालीन ऋण प्रभार उसकी कुल इक्विटी शेयर पूंजी से दुगना न हो और कम्पनी की अधिमान अंश पूंजी जिसका वसूली काल 12 वर्ष से अधिक हो और कम्पनी के पास निर्बाध आरक्षित पूंजी हो। ऋण तथा अंशदायी पूंजी का इससे अधिक अनुपात कम्पनी की अदायगी की क्षमता को अत्यधिक कम करती है।
4. प्रतिवर्ष की बिक्री का ब्योरा कम्पनी द्वारा सामान्य रूप से दिया जाता है।
5. नई कम्पनियों के मामले में भी ये सभी बातें ध्यान में रखी जाती हैं सिवा इसके कि उसकी संचित लाभ से बनी पुरानी आरक्षित पूंजी नहीं होती। उन मामलों में कम्पनी का नई परियोजना को लागू करने के लिये प्रस्तावित वित्तीय ढांचे को ध्यान में रखा जाता है। प्रवर्तकों की ख्याति, तकनीकी क्षमता तथा वित्तीय साधनों से इसका कुछ आभास हो जाता है कि क्या प्रवर्तक नई परियोजना को वित्तीय संस्थाओं तथा पूंजी बाजार की सहायता से लागू कर सकेंगे।
6. नये उद्यमी जिन्हें पर्याप्त औद्योगिक अनुभव न हो, के मामले में परियोजना प्रतिवेदन तथा प्रवर्तकों की तकनीकी क्षमता आदि से इस बात को आंका जाता है कि यदि परियोजना के लिए उसे लाइसेंस दिया भी जाये तो क्या उसके योजना के अनुसार पूरे हो जाने के युक्तिसंगत कारण हैं।

(ख) डा० हजारी के निष्कर्षों पर अन्तिम निर्णय तथा लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया में परिवर्तन, यदि कोई हों, पर अन्तिम निर्णय औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही किया जायगा।

दक्षिण-पूर्व रेलवे का नैरोगेज सेक्शन

7245. श्री गा० शं० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के नैरोगेज सेक्शन से रेलवे को प्रत्येक वर्ष कितनी आय हुई है तथा कितने प्रतिशत लाभ हुआ है ;

(ख) रेलवे के इस सेक्शन पर डीजल इंजनों को चलाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सेक्शन से रेलवे को होने वाले लाभ की ओर ध्यान देते हुए इस पर डीजल इंजन चलाने के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1966-67 की सूचना नीचे दी जा रही है :
(रकम हजार रुपयों में)

(क) कुल आमदनी	1,83,74
संचालन व्यय	4,26,61
ऋण पूंजी पर सामान्य राजस्व को 5.5%की दर से लाभांश	35,82
हानि की रकम	2,78,69
पूंजी निवेश पर हानि का प्रतिशत	42.80%

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के छोटी लाइन वाले भाग (नागपुर मण्डल के नागपुर-छिंदवाड़ा-नैनपुर-जबलपुर और गोंडिया-नैनपुर खण्ड) पर गतायु भाप चालित इन्जनों और अतिरिक्त यातायात को सम्भालने के लिए 15 डीजल इन्जन चलाए गये थे। डीजल इंजनों को तरजीह दी गयी क्योंकि इनके द्वारा काम अधिक अच्छा होता है। इसके अलावा, चूंकि देश में न तो छोटी लाइन के लिए भाप के और न डीजल इंजन बनाने की क्षमता मौजूद है इसलिए दोनों ही आयात करने पड़ते।

(ग) यद्यपि दक्षिण-पूर्व रेलवे के छोटी लाइन खण्ड घाटे में चल रहे हैं फिर भी, जो डीजल इंजन चलाये गये हैं उसके फलस्वरूप यातायात को अधिक कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से सम्भालने में सहायता मिली है जिसका कारण है भाप के इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन की विशेषताएं, जैसे भार में हल्कापन, कम कर्षण प्रयास से ही चल पड़ना, विशेषकर दक्षिण-पूर्व रेलवे के छोटी लाइन खण्ड पर ऊंचे-नीचे विस्तृत प्रदेश में चलाने के लिए अधिक डीजल इंजनों और अश्वशक्ति की उपलब्धता। डीजलीकरण के द्वारा अतिरिक्त यातायात को ढोना सम्भव हो सका है, जिसमें माल का औसत दैनिक लदान जो 1963-64 में 527 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की थी, 1966-67 में बढ़ कर 578 माल डिब्बे हो गयी है। कुछ खण्डों पर सवारी गाड़ियों को डीजल इंजनों के द्वारा चलाये जाने से यात्री गाड़ियों में दो बोगियां और जोड़ दी गई हैं। प्रति माल गाड़ी का (इंजन के भार को छोड़कर) कुल भार 1963-64 में 217

मीटरिक टन से बढ़ कर 1966-67 में 225 मीटरिक टन हो गया है। 1966-67 में डीजल इंजन का लाइन पर (सभी गाड़ियां) प्रति इंजन दिन इंजन किलोमीटर 225 था जबकि भाप इंजन का 103 था। इसी तरह, 1963-64 में प्रति इंजन का प्रति इंजन घण्टा शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर 609 से बढ़कर 1966-67 में 627 हो गया। कुछ स्टेशनों पर पानी की कमी के कारण जो पुरानी कठिनाइयां बनी हुई थीं, वे डीजल इंजनों के उपयोग के फलस्वरूप समाप्त हो गयीं। दक्षिण-पूर्व रेलवे पर 15 छोटी लाइन वाले डीजल इंजनों के चलाने के फलस्वरूप 19 भाप वाले इंजनों की बचत हुई है जिनका उपयोग अन्य कामों में किया जा रहा है।

डीजल इंजनों का आयात

7246. श्री गा० शं० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश ने डीजल इंजनों का आयात करने पर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की है तथा यह कहां से मिली है ;

(ख) भारत में उस फर्म का नाम क्या है जिसने इस सौदे को अन्तिम रूप देने में रुचि ली ; और

(ग) रेलवे ने इस फर्म को कितना मुनाफा लेने दिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० सु० पुनाचा) : (क) यह नहीं बताया गया है कि किस अवधि की सूचना अपेक्षित है। परन्तु, 1957-67 की अवधि में रेलों के लिए डीजल रेल इंजनों की खरीद पर 69.702 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गयी। विदेशी मुद्रा के स्रोत इस प्रकार थे :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमेरिकन एजेंसी।

(ii) विश्व बैंक से उधार।

(iii) पश्चिम जर्मनी से कर्जा, और

(iv) कनाडा से उधार।

(ख) और (ग). डीजल रेल इंजन अमेरिका, पश्चिम जर्मनी और कनाडा से खरीदे गये थे। अमेरिका और कनाडा को दिए गए ठेकों के लिए भारत में कोई ऐसी फर्म नहीं थी, जिसने आर्डरों को अन्तिम रूप देने में रुचि दिखायी हो। पश्चिम जर्मनी को दिये गए ठेकों के लिए, मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जयपुर ने आर्डरों के सम्बन्ध में रुचि दिखायी। जैसी कि सप्लाई करने वालों ने प्रार्थना की थी और जैसी कि ठेके में व्यवस्था है, मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को पश्चिम जर्मनी के एक सप्लाईकर्ता को दिए गए दो ठेकों के सम्बन्ध में एजेंसी कमीशन के रूप में केवल 214.055 डेनिश मार्क के बराबर रकम का भुगतान किया गया। यह रकम 2,54,827 रुपए होती थी।

Corruption in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

7247. **Shri J. Sundar Lal** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of Khadi Gramodyog Bhawan openly

receive commission from the contractors doing dyeing, printing and stitching work for Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to check such corruption ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b). No such complaint has been received by the Government. Notwithstanding this the position is being ascertained.

Stocks of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

7248. **Shri J. Sundar Lal :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) the extent to which the stocks of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi were found short or in excess during the annual stocktaking during the last two years and the details thereof ;

(b) the procedure for maintaining the stock in the Bhawan and whether it is a fact that the stock instead of being shown in term of yards or items, are shown in terms of rupees ; and

(c) the procedure being followed in other similar Government or semi-Government organisations in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

7249. **Shri J Sundar Lal :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) the details of articles stolen or pilfered from Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi, during the last two years ;

(b) whether departmental action was taken against the persons responsible for the loss of those articles and if not, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government propose to take to remedy the situation ?

The Deputy Minister of in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Rolling Steel and Tin Plates Companies

7250. **Sbri Kashi Nath Pandey :** Will the **Minister of Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names, places and full addresses of foreign and Indian owned rolling Steel and tin plates companies or factories in India with capital investment, names of Directors, details of foreign collaboration, if any, of each unit ;

(b) the names and particulars of products with their quantity and value produced by each unit annually during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ;

(c) the amount of foreign exchange allowed annually during the said period to each company and particulars of items imported with their specific purpose ; and

(d) the value of products exported annually with the names of countries during the said period by each unit ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

पंखे बनाने वाले कारखाने

7251. श्री जुगल मण्डल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पंखे बनाने वाले विदेशी और भारतीय कारखानों की संख्या, नाम, स्थान और पते क्या हैं और इनमें कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) प्रत्येक कारखाने के निदेशकों के नाम और विदेशी सहयोग, यदि कोई है ; तो उसका ब्योरा क्या है और प्रत्येक कारखाने द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष उत्पादित उत्पादों का नाम, ब्योरा, मात्रा और मूल्य क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त अवधि में किन-किन कम्पनियों ने प्रति वर्ष कितने मूल्य के पंखों का निर्यात किया ;

(घ) पंखे बनाने वाली कम्पनियों में कम्पनी-वार कितने कर्मचारी हैं और इनका प्रति वर्ष मजूरी पर कितना व्यय होता है ; और

(ङ) कम्पनी-वार कितने विदेशी नागरिक काम करते हैं, उनका वेतन कितना है और ये नागरिक प्रति वर्ष कितनी धनराशि बाहर भेजते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

A. C. Coach Between Bhopal and Jabalpur

7252. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a partially air-conditioned coach was introduced from the 1st April, 1965 between Bhopal and Jabalpur twice a week in each direction ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether this coach is being attached even now ; and

(d) the number of persons who travelled in this coach during the last two years ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The service was introduced as an experimental measure in response to a request from the Madhya Pradesh Government.

(c) No ; this coach was discontinued with effect from 1-3-1967.

(d) Between April, 1965 and February, 1967, 661 Air-conditioned Class passengers travelled by this coach.

Imports of Beef and Pig Meat

7253. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

- (a) whether beef and pig meat are imported from abroad in tins ;
- (b) if so, the names of countries from which imported and the quantities thereof ;
- (c) the names and addresses of the concerns which import them ; and
- (d) whether Government propose to ban their imports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b). Import is banned. However, some small imports have been made as gift parcels.

(c) and (d). Do not arise.

केन्द्रीय मशीनी औजार संस्था, बंगलौर

7254. **श्री चित्ति बाबू** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मशीनी औजार संस्था, बंगलौर के वर्तमान संयुक्त निदेशक को जो कृषि इंजीनियरी में केवल स्नातकोत्तर हैं इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में अभी तक रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कार्यवाहक निदेशक अथवा उसके किसी कर्मचारी ने अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में पत्र प्रकाशित किए हैं और क्या कार्यवाहक निदेशक अथवा उसके कोई कर्मचारी इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य हैं ; और

(घ) इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी इस संयुक्त निदेशक से सम्बन्धित हैं और शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन किस आधार पर किया गया है तथा उन्हें चैकोस्लोवाकिया किस आधार पर भेजा गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) और (ख). श्री आर० वी० रामैया की जो विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय में एक स्थायी अधिकारी हैं, केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान, बंगलौर में 26 मार्च, 1962 से 31 दिसम्बर, 1967 तक संयुक्त निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर

लेने पर वह अब अपने मूल संगठन में प्रत्यावर्तित हो गये हैं। संस्थान में फिलहाल कोई भी संयुक्त निदेशक नहीं है।

जहां तक श्री रामैया की योग्यता का सम्बन्ध है उनके पास कृषि इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि होने के अलावा वह मैसूर विश्वविद्यालय के इंजीनियरी स्नातक (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) भी हैं। इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर से उन्होंने वैमानिक इंजीनियरी का पाठ्यक्रम भी पूरा किया था।

(ग) फिलहाल वहां कोई भी कार्यवाहक निदेशक नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में किसी भी सदस्य के कोई पेपर (पत्र) नहीं छपे हैं। कर्मचारी वर्ग के तीन सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य हैं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इन्स्टीट्यूट के कर्मचारी वर्ग का कोई भी सदस्य भूतपूर्व संयुक्त निदेशक श्री रामैया का सम्बन्धी नहीं है। अध्ययन कार्य करने वाले व्यक्तियों की भर्ती प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन के आधार पर की जाती है और चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। चेकोस्लोवाकिया में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति संस्थान की शासी परिषद की स्वीकृति से की जाती है।

Railway Line From Chopan to Garhwa Road and Katni

7255. **Shri Shashi Bhushan Bajpai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the justification given and benefits envisaged from the proposed Railway line between Chopan to Garhwa Road on the Eastern Railway and Katni on the Central Railway; and

(b) whether this line would be remunerative or unremunerative, and the details in regard thereto ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). A statement is attached. [Placed in Library. See No. LT-879/68]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के वेतनमान

7256. **श्री रवि राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों ने अपने वेतनमान निर्धारित कराने के लिये एक मजूरी बोर्ड गठित किये जाने की मांग की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग के प्रधान ने पानीपत में अपने भाषण में कर्मचारियों की इस मांग को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम के विपणन निदेशक की
विदेश यात्रा**

7257. श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जनपथ में स्थित केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम के विपणन के निदेशक ने हस्तशिल्प और हथकरघों की वस्तुओं की बिक्री के लिए क्रयादेश प्राप्त करने के लिये हाल ही में ब्रिटेन का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपने दौरे में कितना धन खर्च किया और उसने कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नवम्बर, 1967 में केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ ने विपणन निदेशक को ब्रिटेन तथा यूरोप के कुछ अन्य देशों की यात्रा के लिए भेजा था जिससे कि वे उन देशों में उस प्रकार के निर्यात बाजार की स्थापना की संभावनाओं का पता लगायें जैसा कि संघ द्वारा तैयार किए गए महिलाओं के परिधानों के लिए सं० रा० अमेरिका में उपलब्ध हैं ।

(ख) यात्रा पर किया गया व्यय 12,927 रुपए था और उनके द्वारा बुक किए गए आर्डरों का मूल्य 1,35,687 रुपये था ।

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम द्वारा की गई खरीद

7258. श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम के विपणन निदेशक कोई मूल्य सूचियां मंगवाये बिना कुछ चुने हुए माल संभरणकर्ताओं से एम्पोरियम के लिए लगभग एक करोड़ रुपए के मूल्य का सामान प्रति वर्ष खरीदता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम उन वस्तुओं पर, जो इसके द्वारा बेची जाती हैं, 25% से 200% तक लाभ लेता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) खरीदारियां एक क्रेता दल द्वारा की जाती हैं जो समय-समय पर विभिन्न राज्यों का दौरा करके, वस्तुओं की किस्म और डिजाइन को ध्यान में रखते हुए क्रय मूल्य तय करता है । 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,30,56,892.27 रुपए मूल्य की कुल खरीदारियां की गई ।

(ख) हस्तशिल्प विशेषीकृत मदें हैं जो निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होतीं तथा प्रत्येक शिल्पी की कलात्मक कारीगरी दूसरे से भिन्न होती है अतः इस प्रकार की खरीदारियां मूल्य सूचियों पर आधारित नहीं की जा सकतीं ।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिये सामान के उतरने पर लागत में वृद्धि करके मूल्य निर्धारित करता है। यह हर वस्तु के मामले में भिन्न होती है और जून, 1967 में समाप्त होने वाले वर्ष में औसत वृद्धि 19.8% थी।

पूर्वी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय के निम्न श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति

7259. श्री रमानी :

श्री अब्राहम :

श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित पूर्वी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय के 97 निम्न श्रेणी के लिपिकों ने 15 वर्ष से अधिक नौकरी पूरी कर ली है, परन्तु उनको अभी तक उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ख) क्या उनकी पदोन्नति का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य पुलिस से रेलवे सुरक्षा दल में प्रतिनियुक्ति पर लिए गये अधिकारी

7260. श्री नायनार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा दल में उच्च अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी (उप-निरीक्षक तथा निरीक्षक) राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं जिससे रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के पदोन्नति के रास्ते, जो पहले ही बहुत सीमित हैं ; बन्द हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि एक उच्च अधिकारी को जो लगभग तीन महीने तक एक पागलखाने में रहा था, रेलवे में लिया गया है और उसे एक जोनल रेलवे में सी० एस० ओ० के पद पर नियुक्त किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन इससे क्षेत्रीय रेलों पर रेलवे सुरक्षा दल के विभागीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की सरणी किसी तरह अवरुद्ध नहीं होती।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई मामला रेल मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

रेलवे के मालडिब्बों के लिए रूस से क्रयादेश

7261. श्री लोबो प्रभु : श्री पीलु मोड़ी :
 श्री पी० रामपूर्ति : श्री नन्द कुमार सोमानी :
 श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के 10,000 माल डिब्बों के आयात के लिए रूस को ऋण देने का प्रस्ताव है क्योंकि अब रूस के साथ व्यापार संतुलन बराबर-सा है ;

(ख) यदि नहीं, तो रूस से क्या-क्या वस्तुएं आयात की जायेंगी; और

(ग) क्या उनके आयात के बारे में करार करने से पहले उनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से मिलाये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). मालडिब्बों के भुगतान को संतुलित करने के लिए यदि कोई अतिरिक्त आयात अपेक्षित हुआ तो उस माल का ही आयात किया जाएगा जो अत्यावश्यक होगा तथा जिसका आयात मुक्त विदेशी मुद्रा से किया जाना था । ऐसे माल के मूल्य प्रायः विश्व के मूल्यों के अनुरूप होंगे ।

अखबारी कागज का आयात

7262. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
 श्री वेदव्रत बरुआ : श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 तथा 1969 में भारत में अखबारी कागज की कितनी आवश्यकता होगी ;

(ख) इसी अवधि में अखबारी कागज के आयात के लिए विभिन्न देशों के साथ किये गये करारों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन वर्षों में देश के अन्दर अखबारी कागज का उत्पादन कितना बढ़ाया जाएगा; और

(घ) यदि कोई कमी रहेगी, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) निर्बाधरूप से उपलब्ध होने पर अखबारी कागज की कुल मांग का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है । यदि अखबारी कागज समुचित मात्रा में उपलब्ध हो तो समाचार-पत्रों की प्रचार संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे कुछ उप-भोक्ता भी जो मुद्रण-कागज का प्रयोग कर रहे हैं, अखबारी कागज का प्रयोग करने लगेंगे । फिर भी 1968-69 में सीमित खपत का अनुमान दो लाख मे० टन है ।

(ख) 1968-69 में राज्य व्यापार निगम का 1,20,000 मे० टन० आयात करने का विचार है। अब तक 83,500 मे० टन की संविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है जिनके ब्योरे निम्नांकित हैं—

क्रमांक	देश का नाम	मूल्य प्रति मे० टन लागत बीमा भाड़ा सहित	जितनी मात्रा की संविदा की गयी।	सुपुर्दगी की अवधि
1.	कनाडा	कनाडा डालर 158 (कनाडा डालर-6.94 रु०)	20,000	अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969 तक
2.	सोवियत रूस	1082 रु० (लदान व उतराई खरीदार के लेखों में) तथा 52.50 रु० आशाअन्तरीप के मार्ग से माल भेजने का अतिरिक्त प्रभार	52,500	अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969 तक
3.	स्केन्डिनेविया	(क) चमकीला अखबारी कागज 68 पौंड 10 शि० (ख) रीलों में बढ़िया अखबारी कागज 60 पौंड 18 शि० 4 पेंश (ग) सीटों में बढ़िया अखबारी कागज 71 पौ० 8 शि० 4 पें०	7000 2500 (रा० व्या० निगम की इच्छा पर इसे 3000 मे० टन भी किया जा सकता है) 2500 (रा० व्या० निगम की इच्छा होने पर इसे 2000 मे० टन तक बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है)	अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969 तक ,, ,,

आगामी वर्ष में राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले आयातों के बारे में कोई संकेत इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता।

(ग) ऐसी सम्भावना है कि वर्ष 1968-69 में स्वदेशी उत्पादन में 10,000 मे० टन और वर्ष 1969-70 में 25,000 मे० टन की वृद्धि हो जाएगी।

(घ) सीमित खपत को दृष्टि में रखते हुए अखबारी कागज की कोई कमी नहीं है।

भिलाई इस्पात कारखाना

7263. श्री जार्ज फरनेन्डोज : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भिलाई इस्पात कारखाने के पर्सनल मैनेजर के विरुद्ध किसी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उस मैनेजर पर धोखा धड़ी के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). एक गुमनाम शिकायत मिली थी जिसमें भिलाई इस्पात कारखाने के कार्मिक-प्रबन्धक पर कुछ आरोप लगाये गये थे । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उपाध्यक्ष ने इस शिकायत की जांच की है परन्तु ये आरोप सही नहीं निकले हैं ।

Raisina Publications Ltd. and United Nations (Private) Ltd.

7264. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Sharda Nand :
Shri T. P. Shah :

Shri Brij Bhusan Lal :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of capital owned at the time of inception by the Raisina Publications Ltd. and United Nations (P) Ltd., who are printing Patriot and Link newspapers, and the amount of capital owned by them at present ;

(b) the total loss shown by both the concerns from the beginning upto the 31st March, 1967; and

(c) whether it is a fact that they have made good those losses from donations and loans ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Raisina Publications Ltd. in its first balance sheet for the year ending 29-2-1964 showed its paid-up capital at Rs. 8.13 lakhs. For the year ending 28-2-1967 its paid-up capital was Rs. 30.47 lakhs. The records available with the Government show that there is no company by the name of United Nations Private Ltd. printing the Link newspaper. The paid-up capital of United India Periodicals Pvt.Ltd., which brings out Link as on 31-12-1958 was Rs. 2.25 lakhs. It was Rs. 17.58 lakhs as on 31-12-1966.

(b) The profit and Loss account of Raisina Publications Ltd. showed an aggregate loss of Rs. 43.07 lakhs as on 28-2-1967. Aggregate loss outstanding in respect of United India Periodicals Pvt. Ltd. was of the order of Rs. 9.21 lakhs as on 31-12-1966.

(c) Raisina Publications Ltd. had an outstanding secured and unsecured loans of Rs. 10.67 lakhs as on 28-2-1967 and received total donations of Rs. 5.7 lakhs. The balance sheet of United India Periodicals Pvt. Ltd. shows aggregate secured and unsecured loans at Rs. 25.78 lakhs as on 31-12-1966. In addition, the company received donations amounting to Rs. 2.97 lakhs since its inception.

भारत का निर्यात तथा आयात

7265. श्री रवि राय : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री श्रीनिवास मिश्र : श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टर्लिंग तथा डालर पर भारी दबाव के कारण विश्व व्यापार में तथा भारत के निर्यात तथा आयात व्यापार में अनिश्चितता सी होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्या के इस पहलू पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जब भी पौंड स्टर्लिंग तथा अमरीकी डालर पर दबाव पड़ता है, विश्व व्यापार में, जिसमें भारत का व्यापार भी है अवश्य ही अनिश्चितता आ जाती है ।

(ख) तथा (ग). सरकार मामले पर निरन्तर विचार करती रहती है और यथाआवश्यक उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जाएगा ।

आविष्कार संवर्धन बोर्ड

7266. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन आविष्कारों के विकास तथा संवर्धन के लिए आविष्कार संवर्धन बोर्ड द्वारा अपने स्थापनाकाल के बाद वित्तीय सहायता दी गई थी और प्रत्येक मामले में कितनी राशि की सहायता दी गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : आविष्कार संवर्धन बोर्ड, जिसकी स्थापना 1960 में आविष्कारों को प्रोत्साहन देने तथा आविष्कार की भावना का संचार करने तथा देश में आविष्कार की प्रतिभा की सहायता एवं मार्ग दर्शन के लिए की गई थी, आविष्कारकों को पारितोषिक तथा वित्तीय सहायता देता है । पारितोषिक वितरण वर्ष में दो बार अर्थात्, 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को किया जाता है किन्तु वित्तीय सहायता विचाराधीन आविष्कार की प्रगति के अनुसार विभिन्न चरणों में दी जाती है ।

2. 1960 में स्थापना से लेकर अब तक आविष्कार संवर्धन बोर्ड ने 271 आविष्कारों के विकास (जिनका व्यौरा अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न विवरण-1 में दिया गया है) के लिए 4,62,803 रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है और 1,75,700 रुपये के 187 पुरस्कार (जिनका व्यौरा अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न विवरण-2 में दिया गया है) दिए हैं ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-880/68]

Industries in 'Co-operative' Sector

7267. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of industries in the co-operative sector which are provided assistance by Government and the ceiling thereof ;

(b) the small scale industries in the co-operative sector, based on agricultural products which have so far been given assistance as also the amount of assistance given to each during 1967-68; and

(c) the provision made for this sector during the current year ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

7268. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में, जिसके नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखाने हैं, औद्योगिक शान्ति बनाये रखने का हल निकालने के लिए मजदूर संघों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). कुछ केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और जल्दी ही आगे बातचीत की जाएगी।

Railway Lines in Adivasi Areas of M. P.

7269. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government has submitted any scheme for the construction of Railway lines in Adivasi areas ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the said scheme is under consideration of Government ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The Madhya Pradesh Government have been urging for the construction of the Dantewara-Dhalli Rajhara railway line.

(c) and (d). In view of the present difficult ways and means position, and the size of funds that will be required to complete the throw-forward works, the chances of including this line in the IV plan frame are very remote.

पटसन का निर्यात

7270. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कितने टन पटसन या पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को;

(ख) उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) वर्ष 1967-68 में कुल कितनी मात्रा में इनका निर्यात होने की सम्भावना है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है :

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). गत दो वर्षों में निर्यात किये गये पटसन तथा पटसन के सामान का परिमाण तथा मूल्य और 1967-68 में होने वाला अनुमानित निर्यात निम्नलिखित हैं :

वर्ष	कच्चा पटसन		पटसन का सामान	
	मे० टन	करोड़ रु०	मे० टन	करोड़ रु०
1965-66	18,955	2.89	895,400	182.71
				(अवमूल्यन पूर्व)
1966-67	37,139	8.42	734,200	235.20
1967-68	12,000	2.50	772,000	240.10
(अनुमानित)				

कपड़े का निर्यात

7271. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती, रेशमी, रेयन तथा अन्य बढ़िया किस्म के कपड़े का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको पिछले दो वर्षों में इनका निर्यात किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि में इस कपड़े के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-881/68]

विदेशी पूंजी का विनियोजन

7272. श्री बेदव्रत बरुआ :

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश उद्योग संघ के विदेश कार्य सम्बन्धी वरिष्ठ सलाहकार, सर नार्मन किपिंग, का यह विचार है कि भारत में विदेशी पूंजी के विनियोजन की काफी गुंजाइश है ;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले में सरकार से कोई बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । सरकार को 21 मार्च के नेशनल हेराल्ड (1 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स में नहीं) में प्रकाशित समाचार भारत में विदेशी विनियोजन सम्बन्धी स्थिति के बारे में सर नार्मन किपिंग के विचारों के सम्बन्ध में जानकारी है ।

(ख) तथा (ग). सर नार्मन किपिंग ने भारत की यात्रा में सरकार से मुख्यतः भारतीय उद्योगों के लिए आवश्यक आयात के लिए ब्रिटेन के ऋण (जो सामान्यरूप से किपिंग ऋण के नाम से प्रसिद्ध है) पर बातचीत हुई थी, यद्यपि भारत में विनियोजन सम्बन्धी परिस्थितियों का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया था ।

मंसूर में लोहे की खानों का सर्वेक्षण

7273. श्री बेदव्रत बरुआ :

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की तीन ट्रेडिंग फर्मों ने मैसूर राज्य में कुन्डरमुख लौह अयस्क खानों का मूलभूत सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय खनिज तथा धातु विकास निगम और अमरीका की मारकोना निगम के साथ एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार का व्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). जापान की व्यापारी फर्मों ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और अमरीका की मारकोना कारपोरेशन के साथ

मूल सर्वेक्षण के लिए कोई समझौता नहीं किया है। वास्तव में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण लगभग पूरा किया जा चुका है। तथापि आर्थिक दृष्टि से अधिकतम लाभकर विदोहन की योजना प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन हाथ में लेने के उद्देश्य से निगम द्वारा नारकोनास और इन जापानी व्यापारी-फर्मों के साथ बातचीत की गई थी। ऐसा कुद्रेमुख के मैगनाटाइट के निक्षेपों की जटिल प्रकृति और देश में आवश्यक उपकरण व तकनीकी जानकारी के उपलब्ध न होने के कारण किया गया था। प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सिंगापुर में संयुक्त उपक्रम

7274. श्री वेदव्रत बरुआ :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय व्यापार दल सिंगापुर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). समाक्षारीय रसायन, भेषज तथा साबुन निर्यात संवर्द्धन परिषद्, बम्बई द्वारा प्रायोजित एक विक्री दल ने परिषद् के कार्य-क्षेत्र में आने वाले उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई तथा सुदूर पूर्वी देशों का, जिनमें सिंगापुर भी शामिल है, दौरा किया था। ऐसा समझा जाता है कि इस दल ने सिंगापुर में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता नहीं लगाया।

रेलवे में वाणिज्यिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण

7275. श्री ओ० प्र० त्यागी :

श्री उमानाथ :

श्री श्रीकान्तन नायर :

श्री मोहन स्वरूप :

श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को पता है कि वाणिज्यिक कर्मचारियों को, जिनका हर पांच साल बाद स्थानान्तरण होता है, बड़े शहरों में पगड़ी का रिवाज होने के कारण अपने आवास (मकान/क्वार्टर) की व्यवस्था करने में बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों को सप्लाई की जाने वाली वर्दियों का मानक निर्धारण

7276. श्री ओ० प्र० त्यागी :

श्री उमानाथ :

श्री श्रीकान्तन नायर :

श्री मोहन स्वरूप :

श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों को सप्लाई की जाने वाली वर्दियों का मान निर्धारण करने के लिये एक समिति गठित की गई थी जिसने यह सिफारिश की है कि उन रेलवे कर्मचारियों को वर्दियां दी जानी चाहिये जो जनता के सम्पर्क में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों के अनुसार किन-किन श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को वर्दियां दी गई हैं;

(ग) यह बात निर्धारित करने के लिए कि कौन से रेलवे कर्मचारी जनता के सम्पर्क में आते हैं, क्या कसौटी अपनाई गई है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ रेलों में वाणिज्यिक लिपिकों को वर्दियां दी जाती हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों को वर्दियां नहीं दी जातीं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, यह उन सिद्धान्तों में से एक था जिसकी सिफारिश की गयी थी ।

(ख) अनुबन्ध 1 के रूप में एक सूची संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-882/68]

(ग) कोई विशिष्ट कसौटी निश्चित नहीं की गयी है ।

(घ) और (ङ). रेलवे वर्दी समिति की सिफारिशों पर आधारित वर्दियों के मानकीकरण के अन्तर्गत केवल आरक्षण और पूछताछ क्लर्क वर्दियों के लिए पात्र माने गये थे । रेल प्रशासनों पर जहां वाणिज्यिक क्लर्कों की अन्य कोटियों अर्थात् बुकिंग, पार्सल और माल बाबुओं को फरवरी, 1963 में वर्दी के मानकीकरण से पहले चालू पोशाक के पुराने विनियमों के अनुसार वर्दियां दी जाती थीं, वहां वर्तमान परिपाटी चलती रही । इस कारण विभिन्न रेलों पर परिपाटियों में असमानता है ।

रेलवे में संगचल तथा यात्रा भत्ता

7277. श्री ओ० प्र० त्यागी : श्री रामसेवक यादव :
श्री कामेश्वर सिंह : श्री उमानाथ :
श्री श्रीकान्तन नायर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन रेलवे कर्मचारियों को जिनका कार्य रेल गाड़ियों में साथ चलने का है, संगचल भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गार्ड, ब्रेकमैन, ड्राइवर, फायरमैन, यात्रा सहायक, माल क्लर्क, यात्रा टिकट निरीक्षक रेल कर्मचारियों को रेल गाड़ियों में संगचल ड्यूटी देने को कहा जाता है, किन्तु केवल गार्डों, ब्रेकमैनों तथा फायरमैनो को ही संगचल भत्ता दिया जाता है जबकि अन्य कर्मचारियों को यात्रा भत्ता ही दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि जब एक गार्ड अथवा ट्रैफिक सिगनेलर अथवा ब्रेकमैन, बीमा हुए गार्ड के रूप में काम करता है, तो उसे संगचल भत्ता दिया जाता है, परन्तु यदि एक वाणिज्यिक क्लर्क यही काम करता है तो उसे संगचल भत्ता नहीं दिया जाता; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). नियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों के केवल ऐसे ही वर्गों को रनिंग कर्मचारी माना जाता है और उन्हें रनिंग भत्ता दिया जाता है जो गाड़ियों के प्रत्यक्षतः इंचार्ज और उनके परिचालन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे, ड्राइवर, शंटर, फायरमैन, गार्ड और ब्रेक्समैन । ऐसे कर्मचारियों को जो रनिंग भत्ता दिया जाता है उसमें यात्रा भत्ता के तत्व के साथ-साथ प्रोत्साहन अदायगी का समावेश रहता है । यह अदायगी गाड़ियों के संचलन में हिफाजत, समय पाबन्दी और शीघ्रता बरतने के लिए दी जाती है जिन पर परिचालन कुशलता निर्भर करती हैं । कर्मचारियों के ऐसे कई अन्य वर्ग हैं जिन्हें चलती गाड़ियों में अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है लेकिन, चूंकि उनकी ड्यूटी उन गाड़ियों के संचलन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए उन्हें यात्री भत्ता दिया जाता है, न कि रनिंग भत्ता ।

(घ) और (ङ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Import of Metallic Products

7278. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity and value of stainless steel, copper, nickel, zink, glass, 20-26 gauge brass metal, G. P. Sheets and aluminium imported by Government from the 1st January, 1957 to 31st December, 1967, year-wise ;

(b) the countries from which they were imported ; and

(c) the quota in respect of each of these metals allotted to each State during the above period and the rules governing their distribution ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (c). Neither the import Statistics of stainless steel, copper, nickel; lead etc. separately by Government nor the statewise distribution are available as the accounts of foreign trade are not maintained sector-wise or state-wise.

Prices of Raw Material Imported under Export Promotion Programme

7279 **Shri O. P. Tyagi :**

Shri Chandrika Prasad :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the exporters of E. P. N. S. brass and stainless steel are authorised to sell the raw material received by them under the Export Promotion Scheme in lieu of the products exported by them or they have to export products manufactured from that raw material ; and

(b) whether Government have fixed any sale prices in case the exporters choose to sell the said raw material in the market ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Materials imported under import licences issued against export of E. P. N. S. articles, brasswares and stainless steel articles cannot be sold. Against export of brasswares and stainless steel articles, import licences are issued to manufacturers only, subject to 'actual user' condition, that is, subject to the condition that the imported materials be used in the licensee's factory. In the case of exports of E. P. N. S. ware, licences are issued to the registered exporter subject to the condition that the imported materials should not be sold but should be used for getting products manufactured on his account.

(b) The question does not arise.

रांची परियोजना में मशीनों का निर्माण

7280. श्री स० चं० सामन्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची परियोजना में मशीनों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना को पूर्ण कार्य-क्षमता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) दिसम्बर, 1967 तक इसमें कितनी पूंजी लगाई जा चुकी थी और इस समय इसकी क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची, हैवी मशीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट तथा हैवी मशीन टूल्स प्रोजेक्ट नामक तीन परियोजनाओं का प्रभारी है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पूरी हो चुकी है। हैवी मशीन टूल्स प्रोजेक्ट लगभग पूरी है। फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट अभी तैयार

की जा रही है और उसके सितम्बर, 1968 तक पूरी हो जाने की आशा है। जितनी मशीनें लगाई जा चुकी हैं उनके अनुसार सभी संयंत्रों में उत्पादन शुरू किया जा चुका है। 1967-68 में उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :

1. हैवी मशीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट :

	मी० टन	मूल्य लाख रु०
मशीनी उपकरण	6532.7	320.25
ढाँचे संबंधी वस्तुएं	8123.5	127.53
कुल...	14656.2	447.78

2. फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट :

9088.60 मी० टन जिसका मूल्य
178.65 लाख रु० है।
(ये आंकड़े अस्थायी हैं)

3. हैवी मशीन टूल्स प्रोजेक्ट :

15 संख्या जिसका मूल्य 56.44 लाख
रु० है।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार इन संयंत्रों में उनकी निर्धारित क्षमता में उत्पादन निम्नलिखित वर्षों में होने लगने की आशा है :

1. हैवी मशीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट	1973-74
2. फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट	1975-76
3. हैवी मशीन टूल्स प्रोजेक्ट	1975-76

(ग) दिसम्बर, 1967 तक कम्पनी में अंश पूंजी के रूप में 100 करोड़ रु० की रकम लगाई गई। कम्पनी को कुल 92.16 करोड़ रु० के दीर्घकालिक ऋण भी मंजूर किये गये थे।

(घ) वर्तमान क्षमता, जो 1968-69 के लिए अस्थायी उत्पादन कार्यक्रम है, निम्न प्रकार है :

1. हैवी मशीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट :

मशीनी वस्तुएं	16,000 मी० टन
ढाँचे संबंधी वस्तुएं	14,000 मी० टन
कुल ...	30,000 मी० टन

2. हैवी मशीन टूल्स प्रोजेक्ट :

मशीनी औजार	33 संख्या	644 मी० टन
ट्रैक्शन गियर	10 सेट	26 मी० टन

	कुल ...	670 मी० टन

3. फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट :

(क) ढला लोहा तथा अलौह धातु ढलाई	14,590 मी० टन
(ख) इस्पात ढलाईघर	10,500 मी० टन
(ग) फोर्ज शाप	3,200 मी० टन

	योग ... 28,290 मी० टन

आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण

7281. श्री स० चं० सामन्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण करने से विदेशी वस्तुओं के आयात में 1965, 1966 और 1967 में कितने प्रतिशत कमी हुई है; और

(ग) स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण तथा विदेशी निर्माताओं के साथ सहयोग के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं तथा वे कितनी अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). चूंकि आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें उद्योग का सम्पूर्ण क्षेत्र आ जाता है, इसलिए आयात में कितने प्रतिशत कटौती होगी या विदेशी सहयोग से इन वस्तुओं के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों में कितनी कमी की जायगी या विभिन्न उद्योगों के बारे में क्या-क्या उपाय किये गये हैं या लगातार किए जा रहे हैं इन्हें विशद में बता सकना सम्भव नहीं है। फिर भी निम्नलिखित एक-दो वस्तुओं के बारे में आयात प्रतिस्थापन के कार्य को आगे बढ़ा सकना सम्भव हो सका है :

1. आयातित कच्चे भाल, हिस्सों तथा फालतू पुर्जों के स्थान पर देश में निर्मित उसी आकार-प्रकार या उससे मिलते-जुलते किस्म के पुर्जों और सामग्री का इस्तेमाल करने तथा उनके शीघ्र विकास के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना;

2. उत्पादन के प्रत्येक यूनिट में आयातित : कच्चे माल और पुर्जों की खपत में कमी करना;
3. मध्यवर्ती पदार्थों से रसायनों तथा रसायनिक उत्पादों का उत्पादन करने के बजाय मूलभूत कच्चे माल से उनका उत्पादन शुरू करना;
4. आयातित कच्चे माल या पुर्जों में उपयुक्त वैकल्पिक परिवर्तनों के द्वारा तैयार उत्पादन के विशिष्ट विवरण में परिवर्तन करके इस्तेमाल में लाना; और
5. यथासम्भव कम से कम समय में अधिकाधिक देशी अंश प्राप्त करने के लिए अवस्थावद्ध निर्माण कार्यक्रमों को तेज करना ।

विकास के लिये विदेशी सहायता

7282. श्री रवि राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी कुल राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत भाग विकासशील देशों के विकास के लिये देने के प्रश्न पर विकसित साम्यवादी देशों तथा लोकतंत्रीय देशों के रवैये में उन्हें कोई मूलभूत अन्तर दृष्टिगोचर हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वे अन्तर क्या हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). नई दिल्ली में हाल ही में हुए व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वितीय सत्र में समाजवादी देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यद्यपि वे विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दे रहे हैं, परन्तु वे वित्तीय प्रवाह के किसी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु वे कोई वचन देना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे विकासशील देशों की आर्थिक कठिनाइयों के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। उनमें से कुछ ने यह भी कहा कि वे स्वयं आर्थिक अल्प-विकास की स्थिति से हाल ही में निकले हैं, इसलिए वित्तीय प्रवाह के लक्ष्यों के सम्बन्ध में उन्हें विकसित बाजार अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के साथ समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता। जहां तक विकसित बाजार अर्थ-व्यवस्था वाले देशों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ देश तो विकासशील देशों को वित्तीय स्रोतों के हस्तान्तरण के मामले में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 1 प्रतिशत के लक्ष्य पर पहले ही पहुंच चुके हैं, कुछ अन्य इसे 1975 तक प्राप्त करने की आशा रखते हैं तथा कुछ अन्य किसी निर्धारित तिथि तक लक्ष्य को पूरा करने का वचन देने की स्थिति में नहीं हैं।

वरिष्ठ वेतनमान में रेलवे अधिकारियों के लिये आशुलिपिक

7283. श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1965 में रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था कि भारतीय रेलवे के वरिष्ठ वेतनमान तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को 1 अप्रैल, 1965 से 210-425 (ए० एस०) ग्रेड के आशुलिपिक दिये जाने चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे में इन आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है और 130-300 रुपये के ग्रेड के बहुत से आशुलिपिक अभी भी वरिष्ठ वेतनमान तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं ; और

(ग) उन पर अमल न किये जाने के क्या कारण हैं और रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों के उल्लंघन तथा उन पर अमल न करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जनवरी, 1965 में रेलों को यह आदेश जारी किया गया था कि 1-4-1965 से प्रवर वेतनमान अधिकारियों के साथ काम करने वाले स्टेनोग्राफरों का वेतनमान 210-425 रुपये होना चाहिए ।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भेड़-बकरी की चर्बी का आयात

7284. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेड़-बकरी की चर्बी का आयात करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितने वास्तविक उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भेड़-बकरी की चर्बी चोर बाजार में बेच दी जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी चोर बाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). पंजीकृत निर्माता-निर्यातकों को, नहाने के साबुन, औद्योगिक साबुन तथा कपड़े धोने के साबुन, वसीय अम्लों एवं स्टियरिक अम्लों के निर्यात के बदले भेड़-बकरी की चर्बी का आयात करने की अनुमति दी जाती है । यह अनुमति साबुनों एवं वसीय अम्लों के मामले में निर्यातों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 20% और स्टियरिक अम्ल के निर्यात के बदले जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 30% की समस्त अनुमेय सीमा तक दी जाती है ।

(ग) पंजीकृत निर्यातक नीति के अंतर्गत दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्योरा इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज तथा निर्यात लाइसेंसिज" प्रकाशन में उपलब्ध है, जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है ।

(घ) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Committee of Enquiry into Steel Transactions

7285. **Shri Brij Bhushan Lal :**

Shri Sharda Nand :

Shri Kanwar Lal Gupta :

Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the action taken by Government on the report submitted by the Committee of Enquiry into steel transactions headed by Shri A. K. Sarkar regarding M/s. Amin Chand Payaray Lal :

(b) whether Government propose to lay a copy of the Report on the Table ; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) The Report of the Committee is under examination of the Government.

(b) and (c). Yes, Sir. As soon as the decision is taken by the Government, the Report as well as a copy of the Government Resolution on the subject will be placed on the Table of the House.

रेलवे दुर्घटनायें

7286. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री श्रीधरन :

श्री जार्ज फरनेन्डीज :

श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में हुई रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार किया है और दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि ऐसे कारण उत्पन्न न हो सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सभी रेल दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और सरकार द्वारा जांच रिपोर्टों पर विचार किया जाता है। रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की गयी जांचों से पता चलता है कि रेल कर्मचारियों की गलती रेल दुर्घटनाओं का एकमात्र सबसे प्रमुख कारण रहा है। इसलिए कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए एक चतुर्मुखी शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक और तकनीकी सुरक्षा अभियान चलाया गया है। जांच रिपोर्टों की छान-बीन पर जो अन्य कार्रवाई जरूरी समझी जाती है, की जाती है।

कोचीन-मंगलौर लाइन पर अतिरिक्त रेलवे पटरी

7287. श्री श्रीधरन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन-मंगलौर लाइन पर अत्यधिक यातायात है जिसके कारण एक अतिरिक्त रेलवे पटरी का बिछाना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). भविष्य में यातायात में होने वाली वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शेरुवण्णूर-मंगलूर खण्ड पर पर्याप्त फालतू क्षमता उपलब्ध है। शेरुवण्णूर-कोच्चिन हार्बर टर्मिनस् खण्ड पर उपलब्ध वर्तमान परिवहन क्षमता में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

आसनसोल डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों को स्थायी बनाना

7288. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल डिवीजन में ऐसे रेलवे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिनकी सेवाएं अभी तक स्थायी नहीं की गई हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि एक कर्मचारी को सामान्यतः 6 या 7 वर्ष के बाद स्थायी किया जाता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-883/68]

(ख) जी नहीं, फिर भी कुछ कोटियों में स्थायी पद उपलब्ध न रहने के कारण कर्मचारियों को स्थायी होने के लिए कुछ वर्षों तक इन्तजार करना पड़ता है।

पश्चिमी रेलवे पर 'सी' ग्रेड के गार्ड

7289. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, बड़ौदा-भावनगर, राजकोट डिवीजन में 'सी' ग्रेड के गार्डों की पदोन्नति के अवसरों की तुलना में कोटा-रतलाम-जयपुर-अजमेर डिवीजन में 'सी' ग्रेड के गार्डों की पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई-बड़ौदा, राजकोट-भावनगर डिवीजन में 'बी' ग्रेड के गार्डों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि वहां पर यात्री यातायात बहुत है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 21 अप्रैल, 1965 से पहले पश्चिम रेलवे में 'सी' ग्रेड के गार्डों की वरिष्ठता का हिसाब क्षेत्र के आधार पर लगाया जाता था जिससे कोटा-रतलाम-

जयपुर-अजमेर डिवीजन और बम्बई-बड़ौदा-भावनगर-राजस्थान डिवीजन में 'सी' ग्रेड के गाड़ों के बीच विषमताओं को दूर कर दिया जाता था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि कोटा-रतलाम-जयपुर-अजमेर डिवीजन में 'सी' ग्रेड के गाड़ों की पदोन्नति 21 अप्रैल, 1965 से पहले की पुरानी प्रणाली के आधार पर हो ताकि सबको पदोन्नति के समान अवसर मिल सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). ग्रेड 'सी' गाड़ों को ग्रेड 'बी' गाड़ों के पदों पर तरक्की देने के उद्देश्य से 21-4-1965 से पहले मीटर लाइन के चार मंडलों—अजमेर, जयपुर, राजकोट और भावनगर को मिलाकर एक यूनिट और बड़ी लाइन के चार मंडलों—बम्बई, बड़ौदा, रतलाम और कोटा को मिलाकर दूसरा यूनिट बनाया गया था । इस तारीख के बाद कर्मचारी परिषद् के अभ्यावेदन के फलस्वरूप और मजदूर यूनियनों के परामर्श से प्रत्येक मंडल को पदोन्नति के लिए एक स्वतंत्र यूनिट बना दिया गया है ।

कुल्टी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

7290. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल्टी रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) के निकट रेलवे फाटक पर रेलवे का कोई ऊपरी पुल नहीं है जिसके कारण कुल्टी की जनता को बड़ी असुविधा होती है और अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां, लेकिन रेलों द्वारा शंटिंग के काम में उपयुक्त परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप कुल्टी स्टेशन के समपार पर सड़क यातायात की रुकावटों की संख्या में काफी कमी हो गयी है । 1966 और 1967 में इस समपार पर दो दुर्घटनाएं हुईं जिनमें दो व्यक्ति मरे ।

(ख) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क-पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा यह बताते हुए प्रायोजित होने चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है और निर्माण पर लागत में सड़क प्राधिकारी के हिस्से के रूप में धन की व्यवस्था, जैसाकि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, वे किस वर्ष करेंगी ।

कुल्टी रेलवे स्टेशन के निकट वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है ।

पूर्वी रेलवे द्वारा आसनसोल नगरपालिका को भुगतान

7291. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पूर्वी रेलवे ने आसनसोल नगरपालिका को 30 लाख रुपये

प्रति वर्ष देने होते हैं किन्तु वह केवल एक लाख रुपये प्रति वर्ष देती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी रेलवे नगरीय प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आसनसोल नगरपालिका को देय 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर इस समय नहीं दे रही है;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रेलवे प्रशासन का भविष्य में पूरी उपरोक्त राशि देने का कोई विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। 31-3-1964 तक नगरपालिका की मांग 1,01,280.13 रुपये प्रति वर्ष थी। 1.4.1964 से यह रकम बढ़ाकर 1,50,826.76 रुपये कर दी गयी थी। रेलवे ने दर में वृद्धि करने के विरोध में जो आपत्ति उठायी है उस सम्बन्ध में जब तक नगरपालिका की पुनरीक्षण समिति अपना अन्तिम निर्णय नहीं दे देती, तब तक उसी दर पर भुगतान किया जा रहा है जिस दर पर पहले किया जाता था।

(ख) जी हां।

(ग) नगरपालिका ने पहली बार 1967-68 की दूसरी तिमाही से शिक्षा उपकर के रूप में प्रति वर्ष 15,279.60 रुपये देने की मांग की। चूंकि इस रकम की वसूली संविधान बनने के पश्चात् की जा रही है इसलिये संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा यह रकम देय नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ग) में जो स्थिति बतायी गयी है उसे देखते हुए इस तरह का कोई विचार नहीं है।

Boards for Handicraft and Handloom Industries

7292. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Boards have been constituted for the handicrafts and handlooms industries in India ;

(b) if so, the composition of the boards and details of their working ; and

(c) the increase in the trade after the constitution of these Boards ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes, Sir.

(b) Kindly see Annexures 'A' and 'B'. [Placed in Library. See No. L. T.-884/68].

(c) The export of handicrafts have picked up from Rs. 7,96.97 lakhs to Rs. 40,41 lakhs during the period from 1951-52 to 1966-67. As regards the handlooms, the exports have increased from Rs. 1,01 lakhs to Rs. 1,12 lakhs during the period from 1962-63 to 1966-67.

Increase in Speed of Trains in Rajasthan

7293. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it takes 15 hours to cover distance of 270 miles from Jaipur to Udaipur while it takes 24 hours to cover a distance of 900 miles from Delhi to Howrah ;

(b) whether the Railway Board have considered the question of increasing the speed of trains in Rajasthan ; and

(c) the difficulties in the way of increasing the speed of trains in Rajasthan, if any ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. Journey between Jaipur and Udaipur is by metre gauge involving two changes while that between Delhi and Howrah is direct by broad gauge. The two are not comparable.

(b) Yes.

(c) Train speeds have been increased to the maximum possible extent under existing conditions of track, traction, operational and commercial requirements.

Mining of Precious Stones in Rajasthan

7294. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that precious stones are being mined in Rajasthan and, if so, the progress made regarding such mines and the nature of control being exercised by Government on the production and sale of these stones; and

(b) the names of the places where "Neelam" and "Pukhraj" diamond mines are situated and the progress in respect thereto ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : Emerald is the only precious stone mined in Rajasthan. Its production is fluctuating. Emerald collected from mines are deposited in the custody of the Government of Rajasthan, under the joint supervision of representatives of the Government of Rajasthan and the representatives of mine owners. Emeralds are sold by auction from time to time after giving sufficient notice. Garnet, a semi-precious stone, also occurs in Rajasthan and is mined.

(b) Neelam is mined in Soomjam in Paddar area of Udhampur District of Jammu and Kashmir. There is no 'Pukhraj' mine in the country. Production of 'Neelam' however, is not steady.

Industrial undertakings in Uttar Pradesh

7295. **Shri Mulahu Prasad** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the names of Industrial Undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Five Year Plan period and the estimated outlay in respect of each of them;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-885/68]

(b) to (d). The work on the Fourth Plan which is to begin from April, 1969, has just been initiated. As the Plan is yet to be finalised, it is not possible at this stage to indicate the industrial undertakings which are likely to be taken up in different states during the Fourth Plan period.

Industrial undertakings Functioning under control of Railways

7296. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan Period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details thereof ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) A statement is attached. [Placed in Library. See No. LT-886/68]

(b) There is no proposal at present to set up any Railway Production Unit during the Fourth Plan Period.

(c) and (d). Does not arise.

Industrial undertakings in Uttar Pradesh

7297. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state

(a) the names of industrial undertakings, Statewise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पुस्तकों का निर्यात

7298. श्री जुगल मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाठ्य-पुस्तकों तथा प्रौद्योगिकी प्रकाशनों के निर्यात को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में उनकी अनुमानित मांग कितनी है; और

(ग) उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सुविधायें देने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि एशिया तथा अफ्रीका के पड़ोसी देशों जैसे बर्मा, श्रीलंका, मलयेशिया, केन्या आदि में भारतीय पुस्तकों की अच्छी मांग है तथापि मांग की मात्रा का ठीक-ठीक आकलन करना कठिन है ।

(ग) छपी हुई पुस्तकों के निर्यात पर निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर 30 प्रतिशत की दर से आयात पुनर्भरण दिया जाता है ।

पुस्तकों का आयात

7299. श्री जुगल मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने विदेशों से पुस्तकों और प्रकाशनों का आयात कम कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्कूटरों का उत्पादन

7300. श्री जुगल मंडल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में कितने वेस्पा तथा लम्ब्रेटा स्कूटर बनाये गये; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्कूटरों का निर्माण करने वाले कारखानों के विस्तार की अनुमति देने का है या स्कूटरों के निर्माण के लिये कुछ अन्य फर्मों को लाइसेंस जारी करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) 1967-68 में स्कूटरों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

स्कूटर का नाम	1967-68 में उत्पादन
वेस्पा	17,724 संख्या
लम्ब्रेटा	14,842 संख्या

(ख) स्कूटरों का निर्माण करने के लिए वर्तमान कारखानों के विस्तार की अनुमति के अतिरिक्त उपयुक्त आर्थिक क्षमता वाले एक और कारखाने को लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।

ग्लोब मोटर्स (पी०) लिमिटेड, दिल्ली

7301. श्री बूटा सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ग्लोब मोटर्स (पी०) लिमिटेड, दिल्ली के लोगों की धनराशि जमा करते हैं ;

(ख) क्या ऐसा कारोबार करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियत तिथियों के बीत जाने के बाद भी इस कम्पनी ने जमा करने वालों का पैसा वापस करने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो जनता के हितों की रक्षा के लिये इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कम्पनियों द्वारा जनता से जमा के प्रतिग्रहण के लिये, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकार अथवा कम्पनी विधि बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिसम्बर, 1963 में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में, 1 लाख रुपयों से अधिक की अभिदत्त पूंजी वाली गैर-बैंकिंग कम्पनियों, निगमों तथा फर्मों द्वारा जमा के प्रतिग्रहण पर नियंत्रण रखने के लिये रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के उपबन्ध जोड़े गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई शक्तियों के अनुसरण में, बैंक ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों को, उनके पूंजी विन्यास के असमानुपाती जमा के प्रतिग्रहण पर किनार लगाते हुए व्यापक निर्देशन प्रेषित किये थे।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों से पता चलता है कि कम्पनी जमाकर्ताओं को उनके देय लौटाने में असमर्थ है।

(घ) जमा के प्रतिग्रहण पर कुछ बंधन लगाते हुये, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित निर्देशों के अलावा, रिजर्व बैंक के अधिकारी कम्पनियों के लेखे की किताबों का भी निरीक्षण

करते हैं। शिकायतों अथवा अन्य कार्यों पर, कम्पनी विधि बोर्ड के अधिकारी भी ऐसी कम्पनियों के लेखे की किताबों का निरीक्षण करते रहते हैं। इस प्रकार के निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, यदि आपराधिक विलंघन की सामग्री प्राप्त होती है, तो ऐसे मामले पुलिस को सौंप दिये जाते हैं। जहां कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन पाये जाते हैं, तो कम्पनी रजिस्ट्रारों को कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने को कहा जाता है। ऋणदाताओं तथा जमाकर्ताओं के मध्य समझौता अथवा व्यवस्था से संबंधित, धारा 391 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को याचिकाओं के बारे में, कम्पनी विधि बोर्ड, यथा संभव जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये, अपने पास प्राप्य संबंधित सूचनाओं, तथा तथ्यों को न्यायालयों के नोटिस में लाते हुये, धारा 394 ए के अन्तर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है। इस विशिष्ट मामले के संबंध में, कम्पनी को अनिवार्य परिसमापन करने की संभावना की परीक्षा की गई है।

भारतीय वस्तुओं का डेन्मार्क को निर्यात

7302. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेन्मार्क को भारतीय वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय दल ने हाल ही में उस देश का दौरा किया था;

(ख) क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). डेन्मार्क की 'एल्मार्क ओग लारेंज क्रिस्टेन्सेन मार्किटिंग' की निम्नलिखित वस्तुओं के बाजार सर्वेक्षण करने में सहायता करने के लिये 1967 के मध्य में एक भारतीय दल, जिसमें भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् और साधित खाद्य उद्योग का एक-एक प्रतिनिधि था, डेन्मार्क गया :

इंजीनियरी सामान :

सिलाई मशीनें, हाथ के औजार तथा मशीनी औजार सहसाधन।

साधित खाद्य :

परिरक्षित फल जिनमें डिब्बाबन्द रस और स्कवाश शामिल हैं।

समुद्री उत्पाद :

श्रिम्प, माकरेल, तूना।

मसाले :

हर प्रकार के मसाले।

काजू उत्पाद :

काजू गिरी।

कपड़े का सामान :

सिले सिलाए वस्त्र, कार्य-वस्त्र, पायजामे तथा रात्रि-परिधान।

प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और अधिक निर्यात संभावनाओं वाली वस्तुओं का सुनिश्चय करने के लिये दल द्वारा किये गये विभिन्न वस्तुओं के बाजार सर्वेक्षणों पर विचार किया जा रहा है।

हाल ही में जनवरी, 1968 में भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान का एक अधिकारी ताजे साधित फलों और सब्जियों के बाजार सर्वेक्षण के लिए डेन्मार्क गया। इस विषय में प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

छोटे उद्योग

7303. श्री स० कुण्डू : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों के लिये जिनके पास धन नहीं है परन्तु जो उद्यमी हैं और तकनीकी योग्यता रखते हैं, छोटे उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). लघु उद्योगों को स्थापित करने के इच्छुक शिल्पियों तथा अन्य प्रशिक्षित उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक योजना है। इस योजना का और व्योरा इस प्रकार है कि उद्यमी अच्छे चरित्र वाले और ईमानदार तथा परियोजन को भली प्रकार चलाने की अपेक्षित जानकारी और योग्यता प्राप्त होने चाहिये। जो व्यक्ति पहले किसी कारखाने के सम्पूर्ण अथवा आंशिक मालिक रह चुके हैं उन्हें इस योजना के द्वारा सहायता देने पर विचार नहीं किया जायगा। उन्हें वित्तीय सहायता, मशीनें और उपकरण खरीदने के लिये ऋण की किस्त का भुगतान करने, दीर्घकालिक कार्य संचालन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था करने के लिये मध्यावधि ऋण देने और जहां कहीं आवश्यक हो मालिक की इक्विटी तथा नकद ऋण या ऋण की मांग तथा मध्य-कालिक कार्य संचालन पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए दी जायगी। यह वित्तीय सहायता 1 लाख रु० तक सीमित है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला की यातायात पुलिस द्वारा जब्त की गई तार

7304. श्री स० कुण्डू : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 5 मार्च, 1968 को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला की यातायात पुलिस ने तार से भरा एक ट्रक पकड़ा था जब वह माल अनधिकृत रूप से बाहर ले जाया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो वे तार कितनी लागत के हैं; और

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है और किसी अधिकारी को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 15,000 रुपये ।

(ग) पुलिस मामले की जांच कर रही है । तीन कर्मचारी, जिनका इसमें हाथ था, गिरफ्तार कर लिये गये हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई है । उनमें से दो को नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया है ।

Derailment in Lumding-Gauhati Area

7305. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train derailed in Lumding-Gauhati section of the NEF Railway in December, 1967 ;

(b) if so, the loss caused to Government as a result thereof ; and

(c) whether Government suspect that some foreign elements had a hand in the accident ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably the reference is to the derailment of through goods train No 804 Dn. between Panbari and Thakurkuchi stations on the Lumding--Gauhati Section of the Northeast Frontier Railway on 11.12.1967.

(b) The cost of damage to railway property was estimated approximately at Rs. 5,486/-

(c) No.

Demonstration Against Chairman, Railway Board at Ghaziabad

7306. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway employees had staged a demonstration against the Chairman of the Railway Board at Ghaziabad Railway Station as reported in the "Hindustan", dated the 24th December, 1967 ; and

(b) if so, the reasons for the demonstration ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Bhilai Steel Plant

7307. **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Shri Shri Chand Goel :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of various types of iron and steel produced in Bhilai Steel Plant

during the months of January, February and March, 1968, separately ;

(b) the quantity of iron and steel exported to foreign countries during the above period ; and

(c) the amount of foreign exchange earned by Government therefrom ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) The following quantities of various items of iron and steel were produced in Bhilai Steel Plant during the months of January, February and March, 1968 :

Product	(Tonnes)			
	January'68	February'68	March'68	Total
(i) Pig iron	55,575	8,497	68,392	1,92,464
(ii) Semis				
Blooms	88	176	44	308
Billets	33,985	29,528	16,060	79,573
Total semis	34,073	29,704	16,104	79,881
(iii) Finished Steel				
Merchant Products	19,015	17,704	16,558	53,277
Rails	17,641	18,222	20,192	56,055
Heavy structurals	15,639	15,273	15,933	46,845
Wire rods	10,170	13,189	13,783	37,142
TOTAL :	62,465	64,388	66,466	1,93,319

(b) and (c). About 69,800 tonnes of pig iron and 69,800 tonnes steel were exported during January-March'68 period, resulting in foreign exchange earning of Rs. 5.86 crores.

Derailment of Goods Train between Mukhtiara and Barwaha Railway Stations

7308. **Shri Hukam Chand Kachawai :**

Shri C. Chittybabu :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had to suffer a heavy loss due to the derailment of a goods train between Mukhtiara and Barwaha Railway Stations on the Western Railway, as reported in Vir Arjun of the 23rd March, 1968 ;

(b) if so, the causes thereof and the amount of loss, in terms of rupees, suffered by Government as a result thereof ; and

(c) whether Government have enquiries into the causes of the accident ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Train No. 955 Up Goods derailed between Mukhtiara Balwada and Barwaha stations on 21.3.68. The cost of damage to railway property was estimated approximately at Rs. 13,200/-. The cause of the accident is under investigation.

Guna-Maksi Railway Line

7309. **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

- (a) when survey of Guna-Maksi Railway line was completed;
- (b) when the scheme for the construction of this line was approved ;
- (c) when the work of laying the above railway line was started and the expenditure incurred by Government thereon so far ;
- (d) the number of Railway bridges and culverts constructed on the said track and the number of Railway bridges and culverts which are yet to be constructed ; and
- (e) the target date fixed by Government for the completion of this project ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Final Location Survey of this line was carried out by the Central Railway in the year 1959-60.

(b) The Project was sanctioned in March, 1962.

(c) Work was commenced from 10-4-1962. Expenditure incurred upto end of January, 1968 is Rs. 5.25 crores approximately.

(d) 30 major bridges and 143 minor bridges have already been completed. Work on 3 major bridges and 61 minor bridges is in progress.

(e) No target date for completion of the Project has been fixed. The project will be completed in due course taking into view the financial position and the rate of traffic growth in the area.

हरियाणा में खनिजों का सर्वेक्षण

7310. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में वहां की पहाड़ियों में धातुओं और खनिजों का पता लगाने के लिये यदि कोई सर्वेक्षण किया गया है, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या महेन्द्रगढ़ जिले में लोहा और इस्पात का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) राज्य का एक सामान्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और प्रारंभिक खनिज-निर्धारण लगभग पूरा कर लिया गया है। इससे कुछ खनिज प्रकाश में आये हैं, जिनमें से लौह-अयस्क और चूना पत्थर आर्थिक महत्व के हैं।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन

7311. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के सुधार संबंधी किसी योजना को हाथ में लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ के महत्व के अनुसार मौजूदा इमारत के पास स्टेशन की एक नयी इमारत बनाने का विचार है, जिसमें आवश्यक यात्री सुविधाओं की व्यवस्था होगी । इसके लिये आवश्यक प्राक्कलन, योजना आदि तैयार की जा रही है । आशा है, निर्माण-कार्य लगभग 2 वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

Late Arrival and Departure of Trains at Delhi Station

7312. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of passenger trains which arrived at and departed from Delhi Station during last year ;

(b) the number of trains, out of them, which arrived late and the number of trains which started late ;

(c) whether it is a fact that the number of trains running late these days is more than in the past ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to ensure that trains run in time ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) During 1967, 28,474 trains arrived at and 28,468 trains left from Delhi Main Station.

(b) Out of these 13,406 trains arrived late and 4,270 trains left late.

(c) No.

(d) The majority of the trains which arrive at Delhi Main and leave from Delhi Main are long distance trains and some of them are through trains, i. e. they do not terminate at Delhi Main. The reasons for the trains arriving late at or leaving late from Delhi Main are long distance trains and some of them are through trains, i. e. they do not terminate at Delhi Main. The reasons for the trains arriving late at or leaving late from Delhi Main are quite varied. A close day-to-day watch on the punctual running of all trains is maintained and besides other remedial action, avoidable detentions are taken up. However, there is a fair percentage of cases where trains ran late because of activities of anti-social elements, agitations by students, language agitations, alarm chain pulling, obstructing movement of trains, cutting of telephone wires, etc. The attention of the State Governments has been drawn from time to time in regard to such activities and their co-operation has been sought to minimise their incidence.

नाइलोन के धागे के उत्पादक

7313. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश में बनने वाले विस्कोज तथा नाइलोन के धागे में से अधिकतर धागे का उत्पादन केवल लगभग 10 बड़े कारखाने करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन बड़े कारखानों के पिछले कुछ वर्षों के संतुलन पत्रों/बिक्री/लाभ के बारे में कोई विश्लेषण किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस धागे का मूल्य निर्धारित करने तथा सभी छोटे कारखानों को उनकी संस्थाओं द्वारा अथवा किसी तरीके से इसके सम्यक वितरण के लिये कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय देश में 13 कारखानों विस्कोज तथा नायलान धागा बना रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ). विस्कोज तथा नायलान धागे पर कोई सांविधिक मूल्य अथवा वितरण नियंत्रण नहीं है । देश में विस्कोज धागा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । जहां तक नायलान धागे का प्रश्न है स्वदेशी बुनाई उद्योग की मांग का आकलन करने के पश्चात् और स्वदेशी प्राप्यता को ध्यान में रखकर सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात का प्रबन्ध किया है । स्वदेशी रेयन धागा उत्पादक उपभोक्ता स्तर पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट मूल्यों को बनाये रखने के लिये स्वेच्छा से सहमत हो गये हैं । इसके अतिरिक्त वे अपने उत्पादन का एक अंश सूरत के बुनाई कारखानों को, करघों की संख्या के आधार पर, वितरण करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नायलान धागा भी वास्तविक उपयोक्ताओं के आधार पर, मान्यता-प्राप्त क्षेत्रीय संघों के माध्यम से वितरित किया जाता है ।

सूती कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन

7314. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा मिलों को अपने उत्पादन में 40% तक मिश्रित धागों वाले कपड़े/कृत्रिम रेशम के कपड़े बनाने की अनुमति है ;

(ख) क्या कृत्रिम रेशमी कपड़े बनाने वाले कारखानों को तन्तुक/विस्कोज/नाइलोन के साथ सूती धागे के प्रयोग करने की ऐसी रियायतें नहीं दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूती वस्त्र के उत्पादन के लिये पंजीकृत मिलें संश्लिष्ट पदार्थों तथा 33% सूत वाले मिश्रित वस्त्रों के उत्पादन के लिये अपनी प्रस्थापित क्षमता का दस प्रतिशत भाग एवं अधिक से अधिक 20 करघों तक का उपयोग कर सकती हैं ।

(ख) जी, नहीं । इसी प्रकार नकली रेशम के वस्त्रों के लिये पंजीकृत मिलें, मिश्रित वस्त्रों, जिसमें रेशम का भाग भार में 50% से कम न हो, के उत्पादन के लिये अपनी प्रस्थापित क्षमता का दस प्रतिशत एवं अधिकतम 20 करघों तक का उपयोग कर सकती हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे में बेकार पड़ी मशीनें

7315. श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 लाख रुपये से अधिक के मूल्य की बेकार पड़ी मशीनों के बारे में अक्टूबर, 1967 की "रेलवे सेंटिनल" नामक पत्रिका वाल्यूम संख्या पन्द्रह संख्या 10 में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच का आदेश दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि चालकों के पद समय पर मंजूर न किये जाने के कारण इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका था ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । 3.10 लाख रुपये के मूल्य की केवल 7 मशीनें बेकार पड़ी हैं ।

(ख) जांच का कोई आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि जिस इमारत में ये मशीनें लगायी जानी थीं, उनके पूरा होने में अनिवार्य रूप से विलम्ब हो गया था ।

(ग) और (घ). उपर्युक्त भाग (क) में जिन 7 मशीनों का उल्लेख किया गया है वे इमारत पूरी न होने के कारण बेकार पड़ी रहीं, आपरेटर के पदों के सृजन न होने के कारण नहीं ।

इसके अतिरिक्त 1964-65 में 0.96 लाख रुपये के मूल्य की 5 और मशीनें प्राप्त हुई थीं जिन्हें पुराने छापाखाने की इमारत में लगाया गया था । ये मशीनें वर्तमान कर्मचारियों द्वारा चलायी जा रही थीं यद्यपि इनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा था । इन मशीनों की पूरी क्षमता काम में लाने के लिये आवश्यक पदों का सृजन किया जा चुका है और उनसे काम लिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

7316. श्री मधु लिमये :

श्री बलराज मधोक :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा 1966-67 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकरण में बताई गई खामियों और अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या निगम के वित्तीय नियंत्रक के प्रतिवेदन की ओर भी विशेष रूप से सामान और फालतू पुर्जों सम्बन्धी उनकी टिप्पणी की ओर, सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय नियंत्रक तथा सरकारी लेखा-परीक्षकों द्वारा बताई गई मुख्य खामियां और अनियमितताएं क्या हैं ; और

(घ) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) 1966-67 वर्ष के लिये लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

(ख) हां, महोदय ।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की 1966-67 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें इस वर्ष के लिये लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट भी अन्तर्विष्ट है, संसद के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ।

वित्त-नियंत्रक ने वस्तुसूची के प्रभावी नियन्त्रण के लिये और छोटी तथा आपातक खरीदों को छोड़कर अन्य सब स्थानीय खरीदों के लिये अग्रदाय निधि का प्रयोग समाप्त करने के लिये सुझाव दिये हैं ।

(घ) यह विषय कम्पनी के अधिकार क्षेत्र के सीमान्तर्गत हैं और वह आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

कपड़ा मिलों का कार्यकरण

7317. श्री सीताराम केसरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सूती कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है जो अपर्याप्त तथा पुरानी मशीनों के कारण अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम काम कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : कपड़ा मिलें अनेक कारणों से, जिनमें अपर्याप्त तथा पुरानी मशीनें शामिल हैं, अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम काम कर सकती हैं । अपेक्षित जानकारी केवल प्रत्येक मिल का व्यापक अध्ययन करके ही प्राप्त हो सकती

है। फिर भी ऐसी अनेक मिलों के बारे में, जिन्होंने किसी भी कारणवश अधिष्ठापित क्षमता से काम किया है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात की चादरों की कमी

7318. श्री सीताराम केसरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्लभ किस्म की इस्पात चादरों की अब भी सप्लाई कम है और यदि हां, तो 1963-64 से 1966-67 तक और अप्रैल से दिसम्बर, 1967 तक पृथक-पृथक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 16 से 20 गाज, 20 गाज और पतली चादरों का वार्षिक उत्पादन कितना था ; और

(ख) देश में कौन-कौन से बड़े उद्योग 18 गाज की इस्पात चादरों का उपयोग कर रहे हैं और प्रत्येक उद्योग को इस्पात की कितनी मात्रा दी गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। इस्पात चादरों की दुर्लभ किस्मों की अभी भी कमी नहीं है। सम्भवता मान्य सदस्य का इशारा काली प्लेन चादरों की ओर है। उत्पादक प्रश्न में उल्लिखित इन चादरों के विभिन्न 2 गेजों में उत्पादन के आंकड़े अलग से नहीं रखते। फिर भी प्रासंगिक अवधि में इस्पात की ऐसी चादरों का कुल वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार था :

वर्ष	टाटा	राउरकेला	(हजार टन)
			कुल
1963-64	87.2	163.0	250.2
1964-65	97.4	188.8	286.2
1965-66	106.9	186.1	293.0
1966-67	101.3	113.6	214.9
1967-68	62.5	92.4	154.9

(दिसम्बर 1967 तक)

(ख) जो बड़े-बड़े उद्योग 20/210 लिटर क्षमता के ढोलों के निर्माण के लिये विशेषतः 18 गेज और सामान्यतः 16-20 गेज की इस्पात की चादरों का उपयोग करते हैं, उनके नाम हैं :

- (1) बाइसिकिल।
- (2) कृषि-उपकरण।
- (3) स्वः चालित और सहायक।

- (4) संरचनात्मक ।
- (5) इस्पात के दरवाजे, खिड़कियां और दुकानों आदि के किवाड़ ।
- (6) इस्पात के पाइप और ट्यूब ।
- (7) केबल (Cables) और वायर ।
- (8) बिजली के पंखे ।
- (9) प्रशीतक (रैफ्रिजेरेटर) और वातानुकूलक ।
- (10) धातु-फैलाने वाले उद्योग ।
- (11) इस्पात-फर्नीचर और अस्पताल फर्नीचर ।
- (12) लोहे का सामान बनाने वाले उद्योग ।
- (13) इन्मेल का सामान (तामचीनी का सामान) ।
- (14) रासायनिक तथा पेट्रोल के पदार्थों को बन्द करने के लिये ढोल ।

1 मई, 1967 से दुर्लभ किस्मों के इस्पात पर से नियन्त्रण हटाये जाने से पूर्व कोटा सर्टीफिकेट 16-20 गेज की चादरों/स्ट्रिप शीर्षक के नीचे दिये जाते थे और यह नहीं लिखा जाता था कि कोई कारखाना किस गेज की कितनी चादर ले सकता है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कारखानों को 18 गेज की कितनी चादर/स्ट्रिप दिये गये ।

इस्पात का विनियंत्रण

7319. श्री सीताराम केसरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी किस्मों के इस्पात के विनियंत्रण अर्थात् 1 मई, 1967 से पूर्व सरकार निर्माण हेतु दुर्लभ किस्मों की इस्पाती चादरों का नियतन कुछ उद्योगों को एक पारी के आधार पर तथा दूसरे उद्योगों को दो या तीन पारियों के आधार पर करती थी ; और

(ख) क्या कुछ उद्योगों को एक पारी के आधार पर दुर्लभ किस्मों की इस्पाती चादरों का नियतन का कारण या तो कच्चे माल का अभाव था या निर्मित वस्तुओं की मांग का कम होना था, यद्यपि उन उद्योगों की क्षमता पर्याप्त थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 1 मई, 1967 को नियंत्रण हटाये जाने से पूर्व दुर्लभ किस्मों के माल के विनिधान का तरीका यह था :

यह मंत्रालय विभिन्न प्रायोजी प्राधिकारियों को माल का थोक-आवंटन कर देता था और अपनी-अपनी सूचियों में सम्मिलित कारखानों को माल का आगे आवंटन करने का काम इन प्रायोजी प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाता था । चूंकि दुर्लभ किस्मों के इस्पात की उपलब्धि

कुल वार्षिक मांग की तुलना में बहुत कम थी, प्रायोजी प्राधिकारी कई बातों, जैसे प्रत्येक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता, उसमें काम की पारियों और सम्बद्ध उद्योग की अग्रता को देखकर माल का यथानुपात आवंटन करते थे।

पार्सल कार्यालय, अजमेर में कर्मचारियों की संख्या

7320. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्सल कार्यालय, अजमेर (पश्चिम रेलवे) में कार्यभार की तुलना में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है और यह मामला 1963 से विचाराधीन पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों को अधिक समय तक कार्य करने का भत्ता नहीं दिया जाता है और कर्मचारी कम होने के कारण अधिक कार्यभार के परिणामस्वरूप हो जाने वाली गलतियों के लिये उन्हें दण्ड भी दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यभार के अनुसार कर्मचारियों को प्रतिकर देने के लिये रेलवे द्वारा और कितना समय लगाये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त नहीं समझी जाती। कुछ समय पहले कर्मचारियों की वर्तमान संख्या की समीक्षा की गयी थी, लेकिन उनकी संख्या में किसी प्रकार का संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) समयोपरि भत्ता वर्तमान नियमों के अनुसार दिया जाता है। कुछ गलतियां हुई थीं, लेकिन इनका कारण अपर्याप्त कर्मचारियों का होना नहीं समझा जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Trade Agreement with East Germany

7321. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement was concluded with East Germany for the export of goods worth Rs. one crore and fifty lakhs during 1968-69 ;

(b) if so, the commodities to be exported by India during the above period ; and

(c) the commodities which would be imported by India against her exports ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) An arrangement was concluded between India and G. D. R. on 12th September, 1964, a copy of which is available in the Parliament Library. This arrangement has been extended for one year upto the end of 1968 by exchange of letters. It is estimated that the exchange of goods during 1968 may be of the order of Rs. 30 crores each way.

(b) and (c). A list of commodities to be exported by India to G. D. R. and exported by G. D. R. to India have been included as Schedules to the letter dated 12th September, 1964.

ताशों का बनाया जाना

7322. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ताश बनाने वाली फर्मों के नाम और पते क्या हैं ;

(ख) इनमें से कितनी फर्में विदेशी सहयोग से कार्य कर रही हैं ;

(ग) क्या सरकार ताश बनाने के लिये एक विदेशी फर्म को लाइसेंस देने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उस विदेशी फर्म का नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-887/68]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सर्प चर्म का निर्यात

7323. श्री बाबू राव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में सर्प चर्म के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ख) क्या सर्प चर्म का निर्यात करने वालों ने सरकार से सर्प चर्म पर बढ़ाया गया निर्यात शुल्क समाप्त करने के लिये अनुरोध किया है क्योंकि इसका निर्यात विदेशी बाजार में बदलते जा रहे फैशन पर निर्भर है और "उसे बनाये रखने के लिए भारी प्रयत्न करने पड़ते हैं ;" और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विगत तीन वर्षों में सर्प चर्म के निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित था :

		मूल्य लाख रुपये में
		(अवमूल्यन के पश्चात् की समता के आधार पर)
1965-66	1966-67	अप्रैल 1967 से जनवरी, 1968
128.99	188.73	284.69

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है क्योंकि निर्यात शुल्क की समाप्ति अथवा उसमें कमी करने से निर्यातों के इकाई मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित रेलवे कर्मचारियों का क्वार्टर अपने अधिकार में रखना

7324. श्री सूरजभान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कितने रेलवे कर्मचारियों को 1966-67 और 1967-68 में दिल्ली क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किये जाने पर रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने दिया गया ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें (एक) छः महीनों के भीतर (दो) एक वर्ष के भीतर और (तीन) एक वर्ष से अधिक समय के भीतर पुनः दिल्ली स्थानान्तरित किया गया ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित वर्ग (एक) से (तीन) के प्रत्येक वर्ग में आने वाले कर्मचारियों से, रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने की अवधि का किराया किस प्रकार वसूल किया गया है ;

(घ) क्या रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने के ऐसे मामलों में नियमों को लागू करने में भेदभाव किया गया है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) 1966-67 में = 97
1967-68 में = 101

(ख) (i) छः महीनों के भीतर 17
(ii) एक वर्ष के भीतर 13
(iii) एक वर्ष के अधिक समय के भीतर 2

(ग) प्रथम दो महीनों के लिए सामान्य किराया बाद के दो महीनों के लिए निर्धारित किराये का दुगुना या कर्मचारी की परिलब्धि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और उसके बाद बाहरी व्यक्तियों के लिए निर्धारित किराये की दर से ।

(घ) जी, नहीं ।

मध्य रेलवे के डिवीजनों में कर्मचारियों की भर्ती

7325. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में मध्य रेलवे के डिवीजनों में पृथक् रूप से कितने सहायक स्टेशन मास्टर्स/स्टेशन मास्टर्स/सहायक यार्ड मास्टर्स/टी० एन० आई०/टी० आई० और राजपत्रित

अधिकारियों को मूलतः (1) सिगनेलर/सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर

(2) गार्ड

(3) यातायात शिक्षु

(4) इन वर्गों के अतिरिक्त पदों पर भर्ती किया गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में गार्डों, यातायात शिक्षुओं तथा स्टेशन मास्टरो/सहायक स्टेशन मास्टरो की पदोन्नति

7326. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में पिछले पांच वर्षों में कितने गार्डों, यातायात शिक्षुओं और स्टेशन मास्टरो/सहायक स्टेशन मास्टरो को 205-280 रुपये (ए० एस०) के वेतनमान में स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया ;

(ख) उनका वेतन किस क्रम पर नियत किया गया था ; और

(ग) उनमें से 45 वर्ष से अधिक आयु के कितने व्यक्ति हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में रेल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

7327. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में गत पांच वर्षों में ऐसे कितने ए० एस० एम०/एस० एम०/वाई० एम०/टी० एन० आई०/टी० आई० सेवानिवृत्त हुए जो (1) 130-240 (ए० एस०)/130-225 (ए० एस०) रुपये, (2) 150-280 (ए० एस०), 150-240 (ए० एस०) रुपये, (3) 205-280 (ए० एस०), (4) 250-380 (ए० एस०) और (5) 335-425 (ए० एस०) तथा इससे ऊपर के ग्रेडों में थे ;

(ख) कितने आरम्भ में सिग्नलरो/ए० एस० एम० के रूप में भर्ती किये गये थे ; और

(ग) अन्य श्रेणियों से गार्ड के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों सहित कितने गार्डों में से पदोन्नत किये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Mehta Committee on Khadi and Village Industries Commission

7328. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mehta Committee on Khadi and Village Industries Commission have recommended in their report submitted recently to Government that there is a need for giving a new turn to Khadi and Gramodyog programme in the country with a view to preparing strong agro-industrial base for the rural economy ;

(b) the other recommendations of the Committee ; and

(c) the reaction of Government thereto ; and

(d) the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b). The Report has been received very recently and arrangements for its printing have been made. Examination of the recommendations and suggestions made in the Report has also been undertaken.

(c) and (d). Do not arise at this stage.

फिलिपीन के साथ व्यापार

7329. श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिपीन के वाणिज्य मंत्री भारत आये थे और उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के उपायों के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उसका व्योरा क्या है ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). परमश्रेष्ठ मारसेलो एस० व्लाट्वट, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के नेतृत्व में फिलिपीन के गणराज्य की सरकार के एक प्रतिनिधिमण्डल ने श्री दिनेश सिंह, वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल से व्यापार तथा तत्सम्बन्धी मामलों पर बातचीत की थी। उस बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों मंत्रियों ने 26 मार्च, 1968 को दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये। इस करार के अन्तर्गत भारत तथा फिलिपीन के बीच वाणिज्य के विकास तथा प्रसार के लिये सामान तथा सेवाओं के आदान-प्रदान तथा व्यापार के विविधकरण को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा मिलेगा। इस करार में प्रत्येक देश से निर्यात के लिये उपलब्ध वस्तुओं का भी मुख्य रूप से व्योरा दिया हुआ है। औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का काम करने के लिये दोनों सरकारें वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये भी सहमत हो गई हैं। व्यापार करार तथा इस अवसर पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

कागज बनाने की मिलें

7330. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज बनाने की प्रत्येक मिल में 1966-67 तथा 1967-68 में कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) उन मिलों में कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966 तथा 1967 में कागज तथा गन्ने का कुल उत्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	उत्पादन
1966	5,85,000 मी० टन
1967	6,09,000 मी० टन

(उपरोक्त वर्षों में कारखानेवार उत्पादन की जानकारी आज ही सदन में अतारांकित प्रश्न 7478 के उत्तर में दी गई है।)

(ख) देश में कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

- (1) कागज उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है।
- (2) कागज उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है और इसलिए यह कच्चे माल के उदार आयात का हकदार हो गया है।
- (3) सन्तुलन उपकरणों के कार्यक्रम के अन्तर्गत कागज मिलों से प्राप्त क्षमता के विस्तार के लिए आवेदनों पर विचार किया जाता है।
- (4) नई कागज मिलों की स्थापना और विद्यमान मिलों के विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन शुल्क में कुछ रियायतें दी गई हैं।
- (5) कागज उद्योग के मामले में विकास शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

मेसर्स इण्डियन आक्सिजन, कलकत्ता

7331. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स इण्डियन आक्सिजन, कलकत्ता को अब तक किस-किस प्रकार के लाइसेंस दिये गये हैं ;

- (ख) क्या उस फर्म ने इन लाइसेंसों का पूरा उपयोग किया है ; और
(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) मैसर्स इण्डियन आक्सीजन कलकत्ता ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अब तक निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस जारी किए हैं :

नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने के लिये	1
विद्यमान उपक्रमों के 'पर्याप्त विस्तार' के लिये	20
'नई वस्तुओं' का उत्पादन करने के लिये	... 5
व्यापार करने के लिये	14
विद्यमान उपक्रमों का स्थान बदलने के लिये	1
	41

- (ख) लाइसेंस प्राप्त सभी योजनायें लागू कर दी गई हैं ।
(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड

7332. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि मैसर्स इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड का भारत में एकाधिकार है;
(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक और उस फर्म ने भारत में कितनी पूंजी लगा रखी है ; और
(ग) इसके कितने प्रतिशत अंश ब्रिटेन की मैसर्स ब्रिटिश आक्सिजन लिमिटेड ने ले रखे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) सदन के पटल पर 8 दिसम्बर, 1965 को प्रस्तुत की गई, एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में, अनेक उत्पादनों, जिनमें इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड, का नाम अंकित है, की एक सूची संलग्न है ।
[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-888/68]

(ख) संलग्न सूची के कालम 3 में, एकाधिकार जांच आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिये गये, कुल उत्पादन में, कम्पनी के भाग का निरूपण करते हुए, प्रतिशत आंकड़े, दिये गये हैं । कम्पनी की प्रदत्त पूंजी, 30 सितम्बर, 1966 के इसके तुलन-पत्र के अनुसार, 4.62 करोड़ रुपये है ।

(ग) 30 सितम्बर, 1966 को, ब्रिटेन की मैसर्स ब्रिटिश आक्सिजन लिमिटेड के पास मैसर्स इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड के, 66.06 प्रतिशत हिस्से थे।

अमरीकी तथा ब्रिटिश समवाय

7333. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से 1967 तक की अवधि में कितने नये अमरीकी तथा ब्रिटिश समवायों ने भारत में भारतीयों के सहयोग से अपना व्यापार आरम्भ किया है ;

(ख) किन मुख्य उद्योगों में इन समवायों को स्थापित किया गया है ; और भारतीय, अमरीकी तथा ब्रिटिश राष्ट्रियों की इनमें कितने-कितने प्रतिशत शेयर हैं ; और

(ग) भारतीय हितों की रक्षा के लिए यदि कोई विशेष व्यवस्था की गई है तो क्या ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). भारत सरकार द्वारा 1965 से 1967 में स्वीकृत नई भारतीय ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियों में अंग्रेजी तथा अमरीकी विनियोजन दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। इसमें भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी कम्पनी का नाम, कम्पनी के व्यवसाय का रूप, प्रत्येक मामले में कुल पूंजी (विवरण अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है)। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-889/68]

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई संयुक्त कम्पनी में स्वामित्व तथा नियन्त्रण रूपी अधिक हित भारतीय हाथों में रहें विदेशी कम्पनी के हिस्से को सामान्यतः आधे से कम ही रखा जाता है। विदेशी पूंजी की सामान्यतः उन उद्योगों में स्वीकृति दी जाती है जिनके लिए तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध नहीं होती। देश में बिकने वाले उत्पादों पर विदेशी मार्कों तथा नामों की आज्ञा सामान्यतः नहीं दी जाती। नौकरी पर कर्मचारियों को लगाने के मामले में यद्यपि सरकार उन तकनीकी पदों पर अभारतीयों की नियुक्ति की अनुमति देती है जबकि आवश्यक योग्यताओं वाले भारतीय उपलब्ध नहीं होते तो भी सरकार इस महत्व पर अधिक बल देती है कि उन पदों पर भी शीघ्रतम भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जाय और उन्हें नौकरी पर लगाया जाय।

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर का बन्द होना

7334. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के बन्द होने के बारे में 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4339 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल के कार्यों की जांच करने के बारे में उद्योग (विकास तथा विनियमन)

अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई समिति की सिफारिशों पर इस बीच में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Textile Mills in Ahmedabad

7335. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of textile mills in Ahmedabad which have been issued licences by the State Government and the quantity of raw materials which they have been allowed to keep with them ;

(b) the number of textile mills in Ahmedabad which had to import raw materials from abroad continuously during the last five years ;

(c) the quantity and value of such imports ; and

(d) the names of textile mills out of them which have exported goods and the quantity of goods supplied and the amount of foreign exchange earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Metals used for joining glasswares

7336. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the companies and individuals to whom licences for metal used for joining glasswares were granted by the Central Government during the last five years and the details thereof ; and

(b) the number of applications received during the aforesaid years and the number of those applications among them who had been getting the licence continuously during the last five years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Government have not granted industrial licences for the manufacture of any such metal nor have they granted any licence for import of the same.

Grant of Import Licences to Private Traders

7337. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ;

(a) the value of Import Licences issued during 1967-68 ;

(b) the names of Companies which have been given these licences and the names of places where they are functioning ; and

(c) the number of Companies out of them which have utilised the import Licences given to them and the number of those which have not done so ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b). The details of licences issued to various companies during 1967-68 are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences, and export Licences." Copies of the same are available in the Parliament Library.

(c) The information is not available.

फरक्का बांध पूरा हो जाने के बाद श्रमिकों की छटनी

7338. श्री निहाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पूर्वोत्तर रेलवे में नौका द्वारा नदी पार करने के विभिन्न स्थानों पर कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे का विचार फरक्का बांध पूरा हो जाने के बाद कर्मचारियों की छटनी करने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे से उनके लिये वैकल्पिक नौकरी की कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क)

पूर्व रेलवे		कर्मचारियों की संख्या
फरक्का	...	1584
मोकामाघाट	...	825
सकरीगलीघाट	...	256

	जोड़	2665

पूर्वोत्तर रेलवे		कर्मचारियों की संख्या
महेन्द्रूघाट	...	484
बरारी	...	704

	जोड़	1188

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

खनन उपकरणों का आयात

7339. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में खनन उपकरणों के आयात के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन को दे दी जायेगी ।

कलकत्ता आने-जाने वाले यात्रियों के लिये उपनगरीय रेलगाड़ियां

7340. श्री समर गुह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता आने-जाने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों में रविवार को छोड़कर औसतन प्रतिदिन कितने यात्री सफर करते हैं ;

(ख) इन यात्रियों को लाने ले जाने के लिये प्रत्येक लाइन पर कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं और प्रत्येक गाड़ी में औसतन कितने डिब्बे लगे होते हैं ;

(ग) प्रत्येक डिब्बे में कितने यात्रियों के लिए स्थान होता है ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रत्येक गाड़ी में निश्चित स्थानों की क्षमता से पांच से लेकर दस गुना तक अधिक यात्री सफर करते हैं ; और

(ङ) इन दैनिक यात्रियों से रेलवे को कुल कितनी आय होती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1967-68 में यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 6,64,000 थी । रविवार और अन्य साप्ताहिक दिनों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग). पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों में प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ियों की औसत संख्या और प्रत्येक डिब्बे में सीटों की औसत संख्या अलग-अलग नीचे दी गई है :

	पूर्व रेलवे	—	दक्षिण-पूर्व रेलवे
प्रतिदिन चलने वाली उपनगरीय रेल गाड़ियों की औसत दैनिक संख्या (इसमें बिजली बहु एकक गाड़ियां और "पुश एण्ड पुल" बिजली गाड़ियां भी शामिल हैं)	462	...	33
प्रत्येक गाड़ी में डिब्बों की औसत संख्या	7.25	...	12
सीटों की औसत संख्या

पुराने सवारी डिब्बे

तीसरे दर्जे के डिब्बे	90	...	100
-----------------------	----	-----	-----

बिजली बहु एकक गाड़ी के डिब्बे

पहले दर्जे में

बैठने के लिये स्थान	52
---------------------	----

खड़े होने के लिये स्थान	52
-------------------------	----

तीसरे दर्जे में बैठने के लिये स्थान	100
-------------------------------------	-----

खड़े होने के लिये स्थान	100
-------------------------	-----

इन आंकड़ों में मुख्य लाइन पर चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियां शामिल नहीं हैं जो कुछ उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती हैं और जिनमें उपनगरीय यात्री बैठ सकते हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) लगभग दो लाख रुपये प्रति दिन ।

पश्चिम बंगाल में तांबे के निक्षेप

7341. श्री समर गुह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पूरुलिया जिला में हाल ही में तांबे के निक्षेपों का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तांबे के इन निक्षेपों का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ग) क्या सरकार ने तांबे के निक्षेपों वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और इसका खनन कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या आसपास के क्षेत्रों में तथा अन्य स्थानों में तांबे के निक्षेपों की खोज का कार्य जारी रखा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह बताया जाता है कि तांबा निक्षेपों का प्रत्याशित मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है ।

(ग) यह क्षेत्र राज्य सरकार में निहित है । अभी यह बताने का समय नहीं आया कि खनन कार्य के कब आरम्भ किये जाने की आशा की जा सकती है क्योंकि क्षेत्र में समुचित उपलब्ध राशि निश्चित रूप से सिद्ध करने के लिए आगे विस्तृत अन्वेषण कार्य जरूरी है ।

(घ) और (ङ). हां, महोदय । कार्य प्रगति पर है । इसके परिणाम तभी उपलब्ध होंगे जब यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।

पटसन के माल का निर्यात

7342. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा किया जाने वाला पटसन के माल का निर्यात कम होता जा रहा है और भारत द्वारा इस सम्बन्ध में खोया गया व्यापार-क्षेत्र पाकिस्तान ने सम्भाल लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात शुल्कों में की गई कटौती का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) भारत द्वारा इस व्यापार क्षेत्र को पुनः प्राप्त किये जाने की क्या संभावनायें हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय पटसन के माल का निर्यात 1964-65 से गिर गया है जबकि पाकिस्तान से निर्यात बढ़ रहा है । ऐसा अनेक कारणों के फलस्वरूप हुआ ।

(ख) निर्यात शुल्क में कमी से हमारा पटसन का माल प्रतियोगिता में अधिक सक्षम हो गया है परन्तु तब से पाकिस्तान ने भी अपनी बोनस वाउचर स्कीम के मूल्य में वृद्धि कर दी है ।

(ग) फिर भी 1967-68 का निर्यात निष्पादन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अच्छा होने की सम्भावना है ।

अल्यूमिनियम का उत्पादन

7343. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्यूमिनियम की मांग बराबर बढ़ती जा रही है और अधिक उत्पादन के बावजूद इसका आयात करना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये उत्पादन बढ़ाने की क्या सम्भावनायें हैं ताकि आयात न किया जाये ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) एल्यूमिनियम उत्पादन के लिये देश में वर्तमान स्थापित क्षमता 115,800 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष है । इस धातु में यथासंभव शीघ्र आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के किये कदम उठाये जा रहे हैं । 327,500 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष की (150,000 मेट्रिक टन सरकारी क्षेत्र में और 177,500 मेट्रिक टन गैर-सरकारी क्षेत्र में) अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

7344. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की संचित हानि 82 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 1967 तक कुल 82.32 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ख) इस्पात कारखानों की विस्तार परियोजनाओं के पूर्ण एवं फलन तथा आर्थिक स्थिति में अनुमानित उन्नति से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण की प्रगति में सहायता मिलेगी । इसके अतिरिक्त, प्रतिकारक उपायों के लिए एक सर्वतोमुखी कार्यक्रम हाथ में लिया गया है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :

- (1) 20 मार्च, 1968 को लोकसभा में दिए गये वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार उच्चतम-प्रबन्ध पद्धति में कुछ मूल परिवर्तन ।
- (2) तकनीकी एवं विशिष्ट कौशलों का विकास ।
- (3) औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार ।
- (4) नियन्त्रण तकनीकों में सुधार ।
- (5) तकनीकी सुधार, फेर बदल ।
- (6) विक्रय-वृद्धि ।

मेसर्स इंडियन आक्सीजन, कलकत्ता

7345. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में मेसर्स इंडियन आक्सीजन, कलकत्ता ने तैयार माल के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ख) क्या इस कम्पनी को निर्यात व्यापार में एकाधिकार प्राप्त है ?

वाणिज्य-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) . चूंकि निर्यात आंकड़े वस्तुवार रखे जाते हैं न कि फर्म-वार, अतः जानकारी देना तब तक संभव नहीं जब तक कि वस्तु विशेष का नाम न बताया जाये ।

अल्मोनियम उद्योग

7346 : श्री शिवचन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में अल्मोनियम उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का आयोजन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी क्षेत्र में अल्मोनियम उद्योग की तुलना में सरकारी क्षेत्र में अल्मोनियम उद्योग में उत्पादन किस प्रक्रम में है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं महोदय ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐल्युमिनियम उद्योग 1966 के औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'ख' में अन्तराविष्ट है और इस प्रकार इसके भावी विकास का कार्य, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये खुला है । इस समय देश के सभी स्थगित ऐल्युमिनियम प्रद्रावक, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 115, 800 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है, गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं । 150,000 मैट्रिक टन की कुल क्षमता की सरकारी क्षेत्र में दो नई प्रायोजनाओं की—एक कोरबा (मध्य-प्रदेश) में और दूसरी कोयना (महाराष्ट्र) में—स्थापना के उद्देश्य से नवम्बर, 1965, में भारतीय ऐल्युमिनियम कम्पनी (केन्द्रीय सरकार का उद्यम) निगमित की गई थीं ।

कोरबा ऐल्युमिनियम प्रायोजना की पहली प्रावस्था (अर्थात् ऐल्युमिना संयंत्र के संबंध में क्षेत्रीय कार्य आगे ही आरंभ हो चुका है । प्रद्रावक की विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा ऐल्युमिना सेमिज के उत्पादन के संबंध में एक संविदा को अंतिम रूप देने के लिये बातचीत चल रही है । प्रायोजना (प्रद्रावक और ऐल्युमिना संयंत्र) के 1971-72 तक पूरी किये जाने की आशा है ।

कोयना (महाराष्ट्र) ऐल्युमिनियम प्रायोजना के संबंध में देशी उपकरणों तथा सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रायोजना के क्रियान्वित करने संबंधी तकनीकी परामर्श प्रबन्धों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है । प्रायोजना पर काम परामर्श प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के तुरन्त बाद ही आरंभ हो जाने की आशा है । प्रायोजना के 1971-72 तक पूरी किये जाने की आशा है ।

177, 500 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता की भी गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है और जितना जल्दी हो सके ऐल्युमिनियम के आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उसे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

साड़ियों का निर्यात

7347. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साड़ियों का निर्यात विशेष रूप से यूरोप के देशों और अमरीका को किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस प्रकार की साड़ियों का, कितना-कितना निर्यात किया जाता है और इनके निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने साड़ियों के निर्यात के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है और इससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) . जानकारी एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मूल्यवान धातु

7348. श्री शिवचन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन से और मूल्यवान धातु मिलते हैं और कहां-कहां ;

(ख) प्रति वर्ष निकाले गये मूल्यवान धातुओं का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ग) उनमें से कितने और कौन-कौन से धातुओं का निर्यात किया जाता है और इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है; और

(घ) भारत में जिन धातुओं को अभी तक नहीं निकाला गया है उनकी अनुमानित मात्रा कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सोना मैसूर में कोलार स्वर्ण क्षेत्र और हुत्ती की खानों में मिलता है । चांदी भी वहीं स्वर्ण-अयस्क के साथ और राजस्थान के जावर क्षेत्र के सीसा-जस्ता-अयस्क के साथ मिलती है । सोने और सीसे के परिकरण से चांदी उपोत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है ।

(ख) सोने और चांदी के वार्षिक उत्पादन का अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार से है :

वर्ष	सोना		चांदी	
	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य रुपयों में	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य रुपयों में
1966	3740	4,50,25,000	1220	4,30,000
1967	3161	4,66,93,000	3470	12,37,000

(ग) 1966 और 1967 के दौरान कोई सोना निर्यात नहीं किया गया। इस अवधि में चांदी के निर्यात इस प्रकार थे :

वर्ष	चांदी	
	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य रुपयों में
1966	2,570	8,04,000
1967	11,477	45,13,000

(घ) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

रूमानिया के साथ व्यापार संबंधी करार

7349. श्री शिवचन्द्र झा :

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूमानिया के बीच व्यापार के विकास के लिये सरकार ने रूमानिया के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) . जी, हां। 4 अप्रैल, 1968 को भारत सरकार तथा रूमानिया की समाजवादी सरकार के बीच एक दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार किया गया है। मोटे तौर पर इस करार की रूपरेखा, 30 नवम्बर, 1962 को बुखारेस्ट में दोनों सरकारों के बीच हुए दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार जैसी ही है। 4 अप्रैल, 1968 को किये गये करार के अंतर्गत रूमानिया से भारत में जिन प्रमुख वस्तुओं का आयात किया जायेगा उनमें राष्ट्र निर्माण की विविध प्रायोजनाओं, विशेषकर तेल की खोज तथा खुदाई, शोधनशालाओं तथा पेट्रो रासायनिक कारखानों के लिये संघटक तथा फालतू पुर्जे शामिल हैं। रूमानिया पर्याप्त मात्रा में स्नेहक तेल, उर्वरक तथा अन्य कुछ औद्योगिक कच्चे माल के, जिसके लिये भारत को मुख्यतः आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, संभरण के लिये सहमत हो गया है। रूमानिया को भारत कुछ परम्परागत मर्दों जैसे पटसन, चाय, वस्त्र तथा खली के अलावा काफी मात्रा में कच्चे लोहे तथा बाक्साइड का, जिनकी निर्यात संभावनाएं पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गई हैं, निर्यात करेगा। इस करार के अंतर्गत इंजीनियरी माल तथा अन्य अपरम्परागत वस्तुओं के अधिक मात्रा में निर्यात किये जाने की संभावना भी बढ़ गई है।

उपर्युक्त करार की प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

7350. श्री हिम्मतसिंहका : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 26 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित ट्रैक्टर बनाने के कारखाने में बने एक ट्रैक्टर की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स मोटोकोव से प्राप्त प्रस्तावित ट्रैक्टर परियोजना की आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन के अनुसार जीटर 2011 ट्रैक्टर की कारखाने से निकलते समय की उत्पादन लागत लगभग 10,800 रु० होगी ।

रेलों में बिना टिकट यात्रा

7351 . श्री हिम्मतसिंहका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभप्रद रेलवे लाइनों पर बिना टिकट यात्रा का अधिक सही अनुमान लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या-क्या उपाय किये गये हैं और इस प्रयोजन के लिये कौन सी व्यवस्था काम में लगाई गई है; और

(ग) उन लाइनों पर बिना टिकट यात्रा का पता लगाने तथा दोषी लोगों को दंड देने के लिये जनवरी से मार्च, 1968 के बीच की अवधि में कितनी बार मौके पर जाकर दंडाधिकारी का न्यायालय लगाया गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां ।

(ख) इस समय सीधे रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में एक केन्द्रीय टिकट जांच दस्ता सभी क्षेत्रीय रेलों पर, अलाभप्रद रेलवे लाइनों सहित, विभिन्न खण्डों पर बिना टिकट यात्रा का अनुमान लगाने के उद्देश्य से जांच कर रहा है ।

(ग) पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । सूचना मंगायी जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विद्युत-करघों वाले कारखाने

7352. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विद्युत-करघों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बहुत ही कम मूल्यों पर बेच कर भारत को प्रति वर्ष 50,000 रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है और उन वस्तुओं को खरीदने के लिये कोई खरीदार नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 4000 से भी अधिक मजदूर अपना रोजगार खो चुके हैं और लुधियाना के कपड़ा उद्योग में लगभग 1250 हथ-करघे बेकार पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लुधियाना में विद्युत-करघों तथा हथ-करघों की बेकार क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु खरीदारों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ). जी, हां। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप कृत्रिम रेशम निर्यात प्रोत्साहन योजना समाप्त कर देने से निर्यात में गिरावट के कारण पंजाब में कुछ बुनाई क्षमता बेकार हो गयी। इस स्थिति को ठीक करने के लिए राज्य व्यापार निगम से कहा गया था कि वह पंजाब के लघु पैमाने के बुनकरों के साथ उनके उत्पादों की निर्यात की संभावनाओं को सुधारने के उपायों के बारे में बातचीत करे। इस बातचीत के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम तथा रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने जो संयुक्त प्रयत्न किये उनका यह परिणाम हुआ है कि अमृतसर तथा लुधियाना के बुनकरों को कनाडा, इराक तथा इटली को निर्यात के लिये 14.5 लाख मीटर के नकली रेशम के माल के क्रयादेश मिले हैं।

दुर्गापुर और रूरकेला के इस्पात कारखानों का विस्तार

7353. **श्री हिम्मत्सिंहका :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मन्दी को ध्यान में रखते हुए, जिसका हिन्दुस्तान स्टील लि० पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, दुर्गापुर और रूरकेला के इस्पात कारखानों की विस्तार योजनाओं को स्थगित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के भावी विस्तार के बारे में निर्णय करने की दृष्टि से देश की इस्पात की मांग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह अध्ययन किस स्तर पर और किस अभिकरण द्वारा किया गया है और इस अध्ययन के क्या मुख्य परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में सम्मिलित दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का और अधिक विस्तार करने का काम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया है :

(i) वर्तमान आर्थिक मन्दी के कारण इस्पात की मांग की वृद्धि का कम होना,

(ii) साधनों की कमी; और

(iii) देश के कारखानों में बनाये जाने वाले संयंत्रों और उपकरणों का यथासंभव मात्रा में अधिकाधिक प्रयोग करने की आवश्यकता।

(ख) और (ग) . लोहे और इस्पात की मांग का पुनर्विलोकन करने और लोहे इस्पात के विकास के लिए भावी कार्यक्रम निश्चित करने के उद्देश्य से व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् से दीर्घकाल के लिए लौह एवं इस्पात की मांग के अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मांग के बारे में रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है और इस समय इस पर विचार किया जा रहा है।

व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार 1970-71 तक की प्रत्याशित मांग के लिए उपलब्ध क्षमता लगभग पर्याप्त होगी और 1975-76 में वर्तमान क्षमता, जिसमें इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रस्तावित विस्तार तथा नये बोकारो इस्पात कारखाना (प्रथम चरण) भी सम्मिलित है, प्रत्याशित मांग से लगभग 1.70 मिलियन टन कम होगी। 1975-76 में आगे के पांच वर्ष की अवधि में जो 1980-81 में समाप्त होगी, प्रत्याशित मांग 1975-76 के अन्त में होने वाली मांग से 5.00 मिलियन टन के लगभग अधिक होगी।

वातानुकूलित-रेलगाड़ियां

7354. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री गिरिराज शरण सिंह :

श्री मीठा लाल मीना :

श्री अजमल खां :

श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कुछ वातानुकूलित गाड़ियों का पर्यटकों के लिये होटलों के रूप में इस्तेमाल करने का है;

(ख) योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित योजना से सरकार तथा पर्यटकों को क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

गाड़ी परीक्षकों के पुनरीक्षित वेतनक्रम

7355. श्री स० कुण्डू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के गाड़ी परीक्षकों ने अधीनस्थ इंजीनियरी कर्मचारियों के बराबर नौकरी शुरू करते समय का वेतनक्रम अर्थात् 205-280 रुपये के पुनरीक्षित वेतनक्रम की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वेतनक्रम लागू करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० सु० पुनाचा) : (क) से (ग) . गाड़ी परीक्षकों के लिए 205-280 रुपये का प्रारम्भिक ग्रेड देने की मांग प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

Industrial Development in Madhya Pradesh

7356. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the projects started by Government so far in Madhya Pradesh for industrial development ;

(b) whether any survey has been conducted in regard to the availability of raw materials for various industries in Madhya Pradesh ; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) The industrial projects taken up in Madhya Pradesh in the Central Sector are :

1. Bilai Steel Plant (including its expansion)	.. Bilai.
2. Heavy Electrical Plant do	.. Bhopal.
3. Nepa Paper Mills do	.. Nepanagar
4. Security Paper Mills	.. Hoshangabad
5. Korba Aluminium	.. Korba
6. New Alkaloid Factory	.. Neemuch.
7. Mandhar Cement Factory	.. Mandhar.

(b) and (c). A Techno-Economic Survey of Madhya Pradesh was carried out by the National Council of Applied Economic Research covering a period of ten years (1961—71). The details would be available in the report of the Survey which was brought out in 1960. A copy of the report is available in the Parliament Library.

Rural Industries in Madhya Pradesh

7357. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up rural industries in Madhya Pradesh during 1968-69 ;

(b) the amount of financial help likely to be given by Government for this purpose ; and

(c) if the reply to Part (a) above be in the negative, whether the above proposal is likely to be considered by Government in the near future?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) and (b). At present four Rural Industries Projects viz. Bind, Sarguja, East Nimar and Bilai are under implementation in Madhya Pradesh State. No proposal for setting up additional projects during 1968-69 has been received from the Madhya Pradesh State

Government. During 1968-69 an amount of Rs. 14.00 lakhs will be available to the State as Central Assistance for Rural Industries Projects Programme.

(c) If any proposal for establishing more projects in the State is received, it will be considered on merits.

Godown at Bidar Railway Station

7358. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is no godown for storing goods at Bidar Railway Station in Mysore State resulting in a great loss of goods of the public ;

(b) if so, whether Government propose to construct a godown there ; and

(c) when the godown would be constructed ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably, the question refers to provision of goods shed. A goods shed measuring 50 ft. × 40 ft. with a total floor area of 2000 sft. already exists at Bidar Railway Station.

(b) No. The accommodation available in the existing goods shed is considered adequate to meet the requirements.

(c) Does not arise.

Bidar Railway Station

7359. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are considering to expand Bidar Station and also to construct another platform there ;

(b) whether Government are aware that at the time of crossing of trains at the above station, passengers have to face great difficulty for want of space ;

(c) if so, whether Government are considering to construct a bridge to enable the passengers to cross the platforms ; and

(d) if so, the time by which the construction of the bridge would be completed ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. A second platform (rail level) is already available, for use when some occasional passenger train crossing takes place.

(b) No. A 6 ft. wide sleeper pathway at each end of the platform exists to enable passengers to cross over to the other platform conveniently.

(c) No. The existing arrangements are considered adequate specially as there is no scheduled crossing of passenger trains and as most of the trains are received on the main platform only.

(d) Does not arise.

तांबे का निक्षेप

7360. श्री म० ला० सौधी :

श्री समर गुह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में तांबे के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) ये निक्षेप किन-किन स्थानों पर पाये गये हैं और वर्तमान प्राक्कलनों के आधार पर तांबे की कितनी मात्रा मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) इन निक्षेपों से तांबा निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). हां, महोदय । ठीक-ठीक स्थान, जहां यह पाया जाता है और दस लाख मैट्रिक टनों में उसकी अनुमानित उपलब्ध राशि निम्न प्रकार से है :

राज्य	खण्ड	अयस्क की उपलब्ध राशि दस लाख मैट्रिक टनों में	तांबे की प्रतिशतता
बिहार	मोसाबनी	3.45	2.44
	सुरडा	0.50	2.30
	पथरगारा	0.16	1.71
	केन्दावीह	0.005	2.74
	रोम-सिद्धेश्वर	25.84	1.69
	राखा	38.06	1.45
	ताभा पहाड़	25.40	1.20
	रामचन्द्र पहाड़	1.40	1.00
	तुरामदीह	2.00	1.00
	बड़ागुंदा	0.20	1.75
राजस्थान	कोलिहान	20.00	2.00
	मधान-कुधान	140.20	0.8
	या	92.80	1.00
	या	53.20	1.2
	भागोनी 1	0.86	1.24

राज्य	खण्ड	अयस्क की उपलभ्य राशि दस लाख मैट्रिक टनों में	तांबे की प्रतिशतता
	भागोनी 2	0.36	0.74
	दरीबा खान	0.21	2.55
	दरीबा नाला	0.20	2.50
	अकवाली उत्तर	1.000	1.50-2.00
	सतकूई	1.000	1.50-2.00
आन्ध्र प्रदेश	धुकोंडा	2.123	1.54
	नलकोंडा	3.663	1.50
	बंडाला मोट्ट	0.312	0.56
		0.775	1.71
	मैलारन्	0.400	2.07
मद्रास	ममन्दुर	0.900	0.63

(ग) इस समय इंडियन कापर कारपोरेशन ही देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक मात्र यूनिट है जो कि तांबे के उत्पादन में संलग्न है। 1966 और 1967 के दौरान उनका उत्पादन क्रमशः 9,333 और 8,904 मैट्रिक टन था। उन्हें फ़ोलेदार तांबा धातु की 16,500 मैट्रिक टन क्षमता का एक स्फुरण प्रद्रावक स्थापित करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। इस प्रद्रावक के 1969 तक चालू हो जाने की आशा है।

देश में तांबा निक्षेपों के विकास की ओर संकेन्द्रित ध्यान देने के लिये, सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। जो तांबा परियोजनाएं कम्पनी को सौंपी गई हैं, वह इस प्रकार हैं :

(1) खेतरी कापर कम्प्लैक्स (राजस्थान) : 10,000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रोलाइटिक तांबा प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिये यह प्रायोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तराविष्ट की गई थी। सितम्बर, 1966 में सरकार द्वारा स्वीकृत प्रायोजना के विस्तृत कार्यक्षेत्र के अनुसार खेतरी के संकलित संयंत्र की क्षमता 31,000 मैट्रिक टन (21,000 मैट्रिक टन खेतरी खान से और 10,000 मैट्रिक टन निकटवर्ती कोलिहान की खान से) और इलैक्ट्रोलाइटिक तांबा धातु प्रतिवर्ष उत्पादन करने की होगी। 600 मैट्रिक टन गन्धक के तेजाब का प्रतिदिन उपोत्पाद के रूप में उत्पादन होगा और इसे 2,14,500 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष ट्रिपल सुपर फास्फेट उत्पादन करने के लिये उपभोग में लाया जायेगा। प्रायोजना पर अब 85.93 करोड़ रुपया लागत आने का अनुमान है। लागत के पक्के अनुमान विचाराधीन हैं। फ्रांसीसी समूह के साथ सामान्य इंजीनियरिंग सेवाओं के संबंध में किया गया संविदा 30 जून, 1967 को लागू

हुआ। प्रायोजना की 180 लाख डालर तक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं फ्रांसीसी कन्सोर्टियम ऋण से उपलब्ध होंगी और शेष अन्य स्रोतों से। खान की ऊपरी सतह के विकास के लिये लगभग सारे उपकरण ऐक्सिन बैंक ऋण के अधीन और पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। उर्वरक और तेजाब का संयंत्र भारतीय उर्वरक निगम के सहयोग से खेतरी में स्थापित किया जा रहा है। कोलिहान में खनन के कार्य जनवरी, 1967 में प्रारम्भ किये गये थे और विकास कार्य प्रगति पर हैं। खेतरी प्रायोजना द्वारा 1970-71 में उत्पादन प्रारम्भ करने तथा 1972-73 तक पूरा उत्पादन (31,000 मेट्रिक टन) प्राप्त करने की आशा है।

(2) अग्निगुन्डाला तांबा प्रायोजना (आंध्र-प्रदेश) : तांबे और सीसे का खनन करने के लिये इस निक्षेप के विकास का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को अक्टूबर, 1966 में सौंपा गया था। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के बन जाने पर यह प्रायोजना अब इसे सौंप दी गई है। इन निक्षेपों के विदेशी सहयोग और वित्तीय सहायता से विकास और उपयोग के लिये सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकृति दे दी है।

(3) दरीबो तांबा प्रायोजना (राजस्थान) : हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने 1400 मेट्रिक टन तांबे के उत्पादन की दृष्टि से इस तांबा-निक्षेप के विकास के लिये एक प्रायोजना रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में आगे भूमिगत पूर्वोक्षण करने की एक योजना सम्मिलित कर ली गई है। अब आगे विस्तृत पूर्वोक्षण कार्य (जिसमें दो वर्ष लगने की आशा है) हो जाने पर तथा सरकार को प्रायोजना के आर्थिक दायित्व के सम्बन्ध में उसके परिणामों का पता चल जाने के पश्चात् ही अब इस योजना पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(4) राखा तांबा प्रायोजना (बिहार) : हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने बिहार के सिधभूम जिले के राखा तांबा निक्षेपों को उपयोग में लाने के लिये 8.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार प्रतिवर्ष 3,500 मेट्रिक टन तांबा की प्राप्ति के लिये तांबे के संकेन्द्रकों का उत्पादन प्रस्तावित है। इस खान व संयंत्र को स्थापित करने में, प्रायोजना की स्वीकृति दिये जाने की तिथि से लगभग 30 मास लगेंगे।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

7361. श्री म० ला० सोंधी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया ;

(ख) इन वस्तुओं का निर्यात किन-किन देशों को किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) ये निर्यात किन करारों के अन्तर्गत किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-890/68] जिसमें राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये जाने वाली प्रमुख मर्दों (दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के माल), देश जिनको ये वस्तुएं निर्यात की जाती हैं और 1965-66 तथा 1966-67 वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्योरा दिया गया है।

(ग) विवरण में (*) चिह्नित देशों को निर्यात भारत सरकार तथा सम्बन्धित देश की सरकार के बीच हुए व्यापार करारों के अन्तर्गत हैं। राज्य व्यापार निगम संयोजक अथवा वस्तुविनिमय सौदों के अन्तर्गत सीधे निर्यात नहीं करता। संयोजक अथवा वस्तुविनिमय सौदों के अन्तर्गत गैर-सरकारी पक्षों द्वारा निर्यात किया जाता है।

मैसर्स गिलैडर्स आरबुथनोट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

7362. श्री म० ला० सोंधी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स गिलैडर्स आरबुथनोट एण्ड कम्पनी लिमिटेड की कानपुर शाखा को बन्द किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कानपुर शाखा के 40 कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). गिलैडर्स एम्पलाईज यूनियन, कानपुर, ने सरकार को, यह संकेत देते हुये कि कम्पनी के प्रबन्धकों ने कानपुर शाखा को, जहां 40 व्यक्ति नियुक्त हैं, बन्द करने का निर्णय कर लिया है, एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

(घ) यूनियन ने, सरकार को, कम्पनी के लिये अपनी कानपुर शाखा के बन्द न करने का निर्देशन प्रेषित करने की प्रार्थना की है। कम्पनी विधि बोर्ड के पास कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, कम्पनी को ऐसा निर्देशन प्रेषित करने की शक्ति नहीं है, एवं यूनियन को तदनुसार सूचना दे दी गई है।

छपाई कागज के दाम

7363. श्री हरदयाल देवगुण : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार छपाई कागज के मूल्य वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कागज उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव पर सरकार ने विचार किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खीन अली अहमद) : (क) और (ख). कागज तथा अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में कागज उद्योग के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। निर्णय करने से पूर्व इसके सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

Sheds over Platforms on Stations on Gwalior-Bhind Narrow Gauge Line

7364. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sheds have not been provided on the platforms of even important stations such as Bhind, Soni, Gohad and Nonera on the Gwalior-Bhind narrow gauge line for the protection of the passengers from sun and rain ;

(b) whether Government propose to provide sheds on the said platforms to remove the inconvenience caused to the passengers ; and

(c) if so, when ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, except at Bhind where a shelter measuring 69' x 29'-6" has been provided.

(b) Yes. The proposals will be put up to Railway Users' Amenity Committee on this railway which will meet shortly to select amenity works for 1969-70.

(c) The works will be taken in hand in 1969-70, subject to approval by the Railway Users' Amenities Committee and availability of funds.

Management of Railway Stations by Contractors

7365. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the management of some stations situated between Gwalior and Bhind and Gwalior and Shivpur Kalan on narrow gauge railway lines of the Central Railway has been handed over to contractors ;

(b) the amount of commission given to the contractors on the sale of tickets every month and the maximum limit of income prescribed for them ;

(c) whether the question of giving commission to the contractors up to higher limit of sale would be taken into consideration so that corruption is avoided and the Department could also be benefited by the larger sale of tickets ; and

(d) whether there is a proposal under consideration to take over the management of these stations by the Railway Department from the contractors ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) At three train halts viz. Bhadroli, Sondha Road and Asokhar on Gwalior-Bhind section and at Sikroda train halt on Gwalior-Sheopur-Kalan section contractors have been appointed to sell tickets on commission basis.

(b) Halt contractors are paid commission at the rate of 10% on the gross sale of tickets at the halt concerned subject to a maximum of Rs. 80/- per month.

(c) A review is currently being made by the Railway Administration to find out whether any change in the existing rate of commission is necessary.

(d) No.

कपास का रक्षित भंडार

7366. श्री देवराव पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री 27 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची कपास का रक्षित भण्डार बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1967-68 के लिये कच्ची कपास का समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में समिति ने क्या सिफारिश की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1967-68 के लिये रुई की बढ़िया किस्म अर्थात् एम० पी० विरनार फाइन 27/32" का समर्थन मूल्य 279 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । कपास के सुरक्षित भण्डार बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति से समर्थन मूल्यों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने की अपेक्षा नहीं की जाती ।

हरियाणा में सरकारी क्षेत्र में संयंत्र

7367. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये हरियाणा सरकार ने हरियाणा में सरकारी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हरियाणा सरकार ने शराब निकालने, कोका कोला तथा माल्टा का सत निकालने जैसी परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रस्ताव किया है । अन्य परियोजनाएं भी उनके विचार में

हैं जैसे गुड़गांव जिले में चूना कंकर पर आधारित सीमेंट का कारखाना, पायराइट पर आधारित सुपरफास्फेट का निर्माण तथा संगमरमर की खानों का प्रयोग।

(ख) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि शराब निकालने का कारखाना, कोका कोला तथा माल्ट के सत निकालने का कारखाना इतने महत्व के नहीं हैं कि उन्हें सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाय। उनको परामर्श दिया गया है कि वह वचन बद्ध होने से पूर्व अन्य परियोजनाओं की तकनीकी तथा आर्थिक जांच करवायें।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल के कन्नूर जिले में तेल निकालना

7368. श्री प० गोपालन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नूर जिले में कोयला तथा तेल के निक्षेपों के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समाजवादी देशों से कोई तकनीकी सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रात की गाड़ियों से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा कर्मचारी

7369. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात की गाड़ियों से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ;

(ख) क्या इस सुविधा के निमित्त राज्य सरकारों को कोई सहायता दी जाती है ;

(ग) क्या सभी गाड़ियों में इन सुविधाओं के देने हेतु राज्य सरकारों के संसाधन पर्याप्त हैं ; और

(घ) क्या चलती गाड़ियों में की गई हत्याओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस जिम्मेदारी को स्वयं लेने की संभावना पर विचार किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, राज्य सरकारों को व्यवस्था-पुलिस का पूरा खर्च तथा पुलिस पर्यवेक्षण कर्मचारियों का एक चौथाई खर्च दिया जाता है।

(ग) और (घ). इस पूरे मामले पर एक उच्चाधिकार समिति विचार कर रही है जिसे रेल मंत्रालय ने रेलों में सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा साथ ही ऐसे उपायों की सिफारिश करने के लिये नियुक्त किया है जो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में सहायक हों। समिति का कार्य अभी जारी है।

कोयले की उत्पादन लागत

7370. श्री दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले की उत्पादन लागत प्रति टन 19 रुपये से 45 रुपये तक है जब कि विक्रय मूल्य प्रति टन केवल 27 रुपये है ;

(ख) क्या निगम में लागत-लेखे की जांच करने की कोई प्रक्रिया नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो घाटा न होने देने और निगम के कार्यकरण को व्यवस्थित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी समिति

7371. श्री दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, युगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच औद्योगिक सहयोग के संबंध में उच्चस्तरीय समिति बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) कौन-कौन से उद्योग इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). यूगोस्लाविया, सं० अरब गणराज्य तथा भारत के विदेशी व्यापार मंत्री नीचे दिये गये प्रत्येक उद्योग के लिये एक 'प्रमोटर' मनोनीत करने के लिये सहमत हो गये हैं जोकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी कार्यों कि देखभाल करेगा। सम्पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करने के लिये एक समन्वयकर्ता की नियुक्ति के लिये और सहमति हो गई जोकि 'प्रमोटरों' तथा अन्य दो सरकारों के समन्वयकर्ताओं के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहेगा।

(ग) निम्नलिखित उद्योगों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है :

- (1) ट्रेक्टर, डीजल इंजिन तथा उसके संघटक ;
- (2) टेलिविजन चित्र नलियां तथा शीशा ;
- (3) यात्री कारें, ट्रक, जीपें, वाणिज्यिक गाड़ियां, स्कूटर तथा ओटो का सहायक सामान ;
- (4) नाइट्रोजन तथा फास्फेट उर्वरक और राक फास्फेट के निक्षेपों की खोज ;
- (5) विद्युत उपकरण तथा परिवर्तकों के लिये जटिल संघटक; और
- (6) जहाज के सहायक सामान ।

कोयले की कीमत

7372. श्री दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कोयला उद्योग ने कोयले की कीमत में और वृद्धि की मांग की है ; और
- (ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : हां, महोदय ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयला ले जाने के लिए रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई

7373. श्री दामानी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयला ले जाने के लिए रेल के माल डिब्बों की सप्लाई अपर्याप्त होने के कारण खानों के द्वार पर कोयले के स्टॉक जमा हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को किस प्रकार सुधारने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रूस को जूतों का निर्यात

7374. श्री दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले हाथ से गोट लगाए हुए जूतों के लिए सोवियत संघ ने इस वर्ष कम मूल्य देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप स्थानीय छोटे पैमाने के निर्यातक एककों तथा आयकर निगम के बीच जूतों के मूल्य तथा लाभ में हिस्सा बंटाने के बारे में गतिरोध पैदा हो गया है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि भारतीय जूतों के निर्यात में हानि न होने पाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). विदेशी संविदा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व राज्य व्यापार निगम ने निर्माताओं के प्रतिनिधियों से परामर्श किया था और वे गत वर्ष के आधार पर जहाज तक निःशुल्क मूल्य से उद्भूत मूल्यों पर जूतों की पूर्ति करने के लिए सहमत हो गये थे । उनकी सहमति के होते हुए भी राज्य व्यापार निगम ने मूल्यों में और भी वृद्धि की घोषणा की और आर्डर को समय पर तथा संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देना स्वीकार किया । निर्माताओं को सप्लाई आर्डर दे दिये गये हैं और लघु पैमाने के जूता उद्योग के केवल थोड़े से लोग हैं जो मूल्यों को और बढ़ाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ।

तम्बाकू व्यापारी संघ, कलकत्ता का अभ्यावेदन

7375. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता के बड़ा बाजार के तम्बाकू व्यापारी संघ से अथवा ऐसे ही किसी और संस्था से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम

7376. श्री जुगल मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के सदस्यों के नाम और पद क्या हैं तथा प्रत्येक की वार्षिक वेतन तथा परिलब्धियां क्या हैं ; और

(ख) निगम के कार्य के लिए 31 दिसम्बर, 1967 तक विदेशों का दौरा जिन सदस्यों ने किया उनके नाम क्या हैं । उन्होंने विदेशों को कितने तथा किस-किस तिथि को दौरे किये व किन-किन देशों में गये तथा प्रत्येक सदस्य ने प्रत्येक दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय किया और प्रत्येक दौरे का विशिष्ट प्रयोजन क्या था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है।

(ख) दो विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-891/68]

वस्त्र निगम

7377. श्री नम्बियार : श्री प० गोपालन :
श्री प्रेम चन्द वर्मा : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित वस्त्र निगम पंजीकृत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस निगम की कुल पूंजी कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निगम का पंजीयन कब हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हां।

(ख) अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स साराभाई मर्क बड़ौदा के द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

7378. श्री नम्बियार : श्री अनिरुद्धन :
श्री गणेश घोष : श्री एस्थोस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मर्क के द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किये जाने के आरोपों का पता सरकार को किस दिन लगा था ;

(ख) जांच कब शुरू की गई थी ; और

(ग) जांच पूरी होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). फर्म के विरुद्ध आरोप सर्वप्रथम 8 दिसम्बर, 1967 को वाणिज्य मंत्रालय में प्राप्त हुए और जांच तत्काल आरम्भ कर दी गई।

(ग) किसी भी आरोप की जांच करने में विभिन्न स्रोतों से भारी दस्तावेजों और जानकारी को एकत्र करना पड़ता है जिसमें लम्बा समय लगता है। जांच चल रही है।

सुराकाचार कोयला खान से गुम हुए रूसी तार (केबल्स)

7379. श्री नम्बियार : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 12 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सुराकाचार कोयला खान से रूसी तार (केबल्स) किस दिन चोरी हुए थे ;
(ख) पुलिस ने किस दिन जांच पड़ताल आरम्भ की ;
(ग) क्या जांच पड़ताल होने तक सम्बन्धित अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है ; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) से (घ). तारों की चोरी का पता 27 जुलाई, 1967, को लगा था और तुरन्त स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने मामले को दर्ज कर लिया और आवश्यक जांच प्रारम्भ कर दी।

निगम के प्रबन्ध-निदेशक के आदेशों से प्रवर विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप, चार पहरेदारों, एक उपनिरीक्षक (पहरा और निगरानी) और दो माल देने वालों को आरोप-पत्र दिये गये हैं और उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रवर-भण्डारी तथा एक अन्य माल देने वाले को भी आरोप-पत्र दिये गये हैं और संबंधित विभागीय अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

7380. श्री नायनार : श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि : श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जांच समिति कब स्थापित की गई थी ;
(ख) समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन कब किया था ;
(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और
(घ) प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क)
22 जुलाई, 1967

(ख) 17 फरवरी, 1968

(ग) और (घ). समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट के आधार पर 34 निष्कर्ष/सिफारिशों की हैं और उन पर अभी विचार हो रहा है।

**ट्रांसफार्मरों के निर्माण के लिए मैसर्स बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
बम्बई को लाइसेंस दिया जाना**

7381. श्री नाथनार :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री अनरिद्धन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड बम्बई को ट्रांसफार्मरों के निर्माण के लिए इस मामले को लाइसेंस समिति को भेजे बिना, लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि, हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी अन्य स्थान पर इसी वस्तु के निर्माण के लिए इस कम्पनी को पहले भी लाइसेंस दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो स्थान बदलने के लिए क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). पार्टी के वर्तमान उपक्रम (जो पहले रेडियो लैम्प वर्क्स लिमिटेड, बम्बई था) को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत 1952 में पंजीकृत किया गया था और लाइसेंसिंग कमेटी को इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। पार्टी को अपने कार्यक्रम का विस्तार कर ट्रांसफार्मर बनाने का लाइसेंस सितम्बर 1955 में दिया गया था। लाइसेंस प्राप्त क्षमता के और अधिक विस्तार की अनुमति लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा विचार कर लेने के पश्चात् मार्च, 1964 में दी गई थी।

(ग) तथा (घ). दो कारखानों के जो कि किराये की जगह पर स्थिति थे, बम्बई से पूना स्थानान्तरित करने की अनुमति जनवरी, 1968 में दी गई थी। इसका लाइसेंसिंग कमेटी को उल्लेख करना आवश्यक नहीं था क्योंकि दोनों स्थान एक ही राज्य में हैं। स्थानान्तरण का कारण कम्पनी की अपने पूना स्थित कारखाने में फालतू जगह का प्रयोग करने की इच्छा थी ताकि वह ऊपरी खर्चों को बचा सके और अपने उत्पादन कार्यक्रम में विविधता लाकर कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर सके।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

7382. श्री नायनार : श्री पी० राममूर्ति :
श्री गणेश घोष : श्री अनिरुद्धन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो के गवेषणा विभाग के भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के साथ विलय के पश्चात् गवेषणा शिविरों में काम करने वाले आकस्मिकाश्रित मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है जबकि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में काम करने वाले आकस्मिकाश्रित मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय कुल कितने श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

7383. श्री न० कु० सोमानी : श्री मुहम्मद इमाम :
श्री लोबो प्रभु : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्य व्यापार निगम ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए विशेषकर तेल निकली हुई मूंगफली की खली, तैयार पोषाक और मसालों का प्राइवेट पार्टियों द्वारा निर्यात किये जाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) हमारे गैर-सरकारी व्यापार की तुलना में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकों को दिया गया दीर्घकालीन ऋण कितना है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम, कोल्हापुर चप्पलों के लिए 1.15 और 1.20 डालर की कीमत के मुकाबले, जिस पर कि गैर-सरकारी व्यापारी इसको बेच रहे हैं, 1.07 डालर लेकर हमारे गैर-सरकारी व्यापारियों से प्रतियोगिता करता है ; और

(घ) क्या जब से राज्य व्यापार निगम ने सोयाबीन के तेल के आयात का काम अपने हाथ में लिया है तब से सोयाबीन के तेल की कीमत प्रति मीट्रिक टन 95 रुपये बढ़ गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । इन मदों के निर्यात की निर्वाध अनुमति है । राज्य व्यापार निगम भी मूंगफली की तेल रहित खली तथा सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात अपने सहयोगियों के साथ मिल कर करता है । राज्य व्यापार

निगम ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-सरकारी पक्षों को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी है।

(ख) निगम आयातकों को कोई दीर्घावधि ऋण नहीं देता।

(ग) तथा (घ). जी, नहीं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे का आयात

7384. श्री न० कु० सोमानी :

श्री लोबो प्रभु :

श्री मुहम्मद इमाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम साफ किये गये तांबे की सामान्य आयात लागत में 300 रुपये जोड़ देता है ;

(ख) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि छोटे उत्पादकों को अपनी आवश्यकता का लाभ उठाने के लिए दी जाने वाली सूचना से बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ग) अलौह धातुओं के आयात पर अधिक 'क्लीयरिंग एक्सपेंसेस' के अतिरिक्त अधिक मुनाफा लेने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली उद्योग में अप्रयुक्त शक्ति

7385. श्री एन० के० सोमानी :

श्री लोबो प्रभु :

श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो 1 करोड़ 67 लाख रुपये के मूल्य के बिजली के प्लास्टिक इंसुलेटेड तारों तथा 769 लाख रुपयों के मूल्य के कैपेसिटर्स का आयात करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने तार की छड़ों (वायर राड), कैपेसिटर और पतली गेज की इस्पात की चादरों का, जितना अब आयात किया जाता है, निर्माण करने के लिए अप्रयुक्त क्षमता के विविधीकरण की अनुमति नहीं दी है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने अनेक संबंधित उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता को प्रयोग करने के लिए ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए जोर दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लुधियाना

7386. श्री चक्रपाणि :

श्री रमानी :

श्री पी० राममूर्ति :

श्री अब्राहम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लुधियाना को मैसर्स काश्मीर वूलन मिल्स क्षमता हस्तांतरण के लिए लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह लाइसेंस लाइसेंसदाता समिति को आवेदन-पत्र भेजे बिना ही दे दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). जी, हां। मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लुधियाना ने अपनी एक सहयोगी संस्था, मैसर्स काश्मीर वूलन मिल्स से हस्तांतरण द्वारा दो बिजली चालित करघे प्राप्त किये हैं।

(ग) तथा (घ). 30 जुलाई, 1958 को लाइसेंस समिति द्वारा लिए गये निश्चय के अनुसार, बिजली चालित करघों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लुधियाना का आवेदन-पत्र लाइसेंस समिति के सामने लाये बिना ही मंजूर किया जा सकता था।

छोटे पैमाने के रबड़ उत्पादक

7387. श्री अ० कु० गोपालन :

श्री अनिरुद्धन :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री एस्थोस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के रबड़ उत्पादकों की समस्याओं पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति ने अपने काम में कितनी प्रगति की है ;

(ख) इसका प्रतिवेदन कब पेश हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इसका प्रतिवेदन पेश किये जाने के लिए सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) समिति ने अनेक छोटी जोतों वालों को एक प्रश्नावली भेजी है जिसके उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है। समिति के क्षेत्र कर्मचारी भी छोटी जोतों की स्थिति की जांच पड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने उनमें से काफी का अध्ययन कर लिया है। समिति के चार सदस्य शीघ्र ही श्री लंका में छोटे रबड़-कृषकों की दशा का अध्ययन करने के लिये उस देश का भ्रमण करेंगे ताकि भारत के छोटे रबड़-कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वे सरकार को उपयुक्त सिफारिशें दे सकें।

(ख) 31, मई 1968 तक।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष पम्पों का निर्माण करने वाला कारखाना

7389. श्री चित्ति बाबू : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विशेष पम्पों का निर्माण के लिए इलाहाबाद के निकट सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस कारखाने की स्थापना रूसी सहयोग से की जायेगी और यदि हां, तो रूस क्या सहायता देगा ;

(ग) इस कारखाने पर कुल कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) यह कारखाना कब से चालू हो जायेगा और इसमें किस प्रकार के पम्पों का निर्माण होगा तथा तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। भारी कम्प्रेसर और पम्प बनाने के लिए इलाहाबाद के -निकट नैनी में एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

(ख) देश में उपलब्ध इंजीनियरी प्रतिभा और टेक्नोलाजी का अधिकाधिक उपयोग किया जायगा और भारतीयों को प्रशिक्षण देने, विदेशी तकनीशियनों और औद्योगिक प्रलेखों आदि के लिए जहां कहीं आवश्यकता समझी जायगी सोवियत रूस का तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जायगा।

(ग) अनुमानित खर्च 11.68 करोड़ रुपए है ।

(घ) पम्पों की किस्में नीचे दी गई हैं :

1. तेल खोदने के लिए रेसीप्रोकेटिंग स्लरी पम्प ।
2. उष्ण तेल पदार्थों तापक्रम 400 डिग्री सेंटीग्रेड (दो किस्में), के लिए सेंट्रीफ्यूगलक्षैतिज पम्प ।
3. विशेष रेसीप्रोकेटिंग पम्प ।

परियोजना में काम शुरू हो जाने के बाद से लेकर 30 महीनों में उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है ।

मैसर्स विटैक्स मिल्स, सूरत को लाइसेंस दिया जाना

7390. श्री पी० गोपालन :

श्री के० रमानी :

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत के विटैक्स मिल्स को अनधिकृत रूप से लगाए विद्युतकरघों को नियमित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत करघों को किन परिस्थितियों में नियमित किया गया है ; और

(ग) क्या ये कपड़ा आयुक्त द्वारा अधिकार दिये जाने के अनुसार नहीं लगाये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो कपड़ा आयुक्त को ऐसे अधिकार देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). शक्ति-चालित करघा जांच समिति ने 1964 में सरकार को दिये गये अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त अपेक्षित कपड़े का उत्पादन विकेन्द्रित क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त समिति ने विकेन्द्रित क्षेत्र में 1,10,000 अतिरिक्त शक्ति-चालित करघे लगाने की सिफारिश की थी । परन्तु इन अतिरिक्त शक्ति-चालित करघों के राज्यवार आवंटन की घोषणा करने से पूर्व सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनधिकृत शक्ति-चालित करघों को नियमित करने का निर्णय किया जिससे सरकार द्वारा नये आवंटन को शुरू करने का मार्ग साफ हो जाये । तदनुसार वस्त्र आयुक्त को कहा गया कि वे सूती वस्त्र (निर्माण) आदेश, 1948 तथा वस्त्र (शक्ति-चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, 1956 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इन शक्ति-चालित करघों को नियमित करें ।

कलकत्ता में इस्पात नियंत्रक का कार्यालय

7391. श्री गणेश घोष :

श्री वि० कु० मोडक :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री भगवान दास :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3677 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के पुनर्गठन के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पुराने इस्पात नियंत्रक कार्यालय के सभी कर्मचारियों को पुनर्गठित कार्यालय में काम पर लगा दिया जायगा ;

(ग) कुल कितने कर्मचारियों के काम पर लगाए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) फालतू कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). एक स्टाफ इन्स्पैक्शन यूनिट ने इस बात का अध्ययन कर लिया है कि लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में जो काम इकट्ठा हो गया है उसको निपटाने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इस बात पर अभी विचार किया जा रहा है कि कुल कितने कर्मचारियों को नौकरी में रखा जाय। इस बारे में अन्तिम निर्णय किए जाने के पश्चात् ही इस बात का पता चलेगा कि कितने कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो जायेंगे। फालतू कर्मचारियों को गृह मन्त्रालय द्वारा 1966 में 'पुनः रोजगार दिलाने की योजना' के अनुसार अन्य सरकारी विभागों/कार्यालयों में रोजगार दिलाने के प्रयत्न किए जायें इसके अलावा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी उपक्रमों से भी कहा गया है कि ये फालतू कर्मचारियों को रोजगार देने के मामले पर विचार करें।

ग्रेड 2 के क्लर्कों को ग्रेड 1 के क्लर्कों के पदों पर पदोन्नति

7392. श्री वि० कु० मोडक :

श्री भगवान दास :

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1956 से अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली तथा यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में कुल कितने (ग्रेड II) क्लर्कों को ग्रेड I के क्लर्कों के पदों पर पदोन्नत किया गया ; और किस-किस व्यक्ति ने परिशिष्ट 2-क की परीक्षा पास की है और किम-किस ने नहीं की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर

7393. श्री सत्यनारायण सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3711 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर को खरीदने के लिए सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तथा उसने कितने रुपये की बोली लगाई थी ;

(ख) प्रबन्धकों ने क्या आपत्तियां उठाई ; और

(ग) इस विक्री के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार का क्या आपत्ति उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मैसर्स जयपुर उद्योग लि० ने 20.15 लाख रुपए का आफर दिया है ।

(ख) यह विदित नहीं है कि समवाय द्वारा किस प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की गई है ।

(ग) राज्य सरकार ने यह आपत्ति की है कि बिक्री के प्रचार में तथा बिक्री करने में कथित सारवान अनियमितताएं थीं जिसके परिणामस्वरूप बोलियां अपर्याप्त रहीं ।

मेसर्स कूपर एलेन लिमिटेड, कानपुर

7394. श्री सत्यनारायण सिंह :

श्री चक्रपाणि :

श्री भगवान दास :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा कूपर एलेन लिमिटेड, कानपुर के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिये जाने के बारे में सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से किस तारीख को पत्र मिला था ;

(ख) सरकार ने उस पत्र को राज्य व्यापार निगम के पास किस तारीख को भेजा था ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र वाणिज्य मंत्रालय में 19 फरवरी, 1968 को प्राप्त हुआ ।

(ख) 1 मार्च, 1968 को सरकार ने राज्य व्यापार निगम को लिखा ।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि राज्य व्यापार निगम इस कम्पनी को नहीं खरीदेगा ।

पंजाब स्टील एण्ड आयरन कम्पनी लिमिटेड, जालंधर छावनी

7395. श्री सूरजभान : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब स्टील एण्ड आयरन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर छावनी के अंशधारी कौन-कौन हैं ;

(ख) इस फर्म को 1962 से वर्ष वार इस्पात का कितना कोटा दिया गया है ; और

(ग) क्या इस फर्म को पारी से बाहर कोई कोटा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बार और कितनी मात्रा में ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

7396. श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री उमानाथ :

श्री अब्राहम :

श्री एस्थोस :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुखर्जी आयोग ने भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कुछ अनुभागों और भारतीय खान ब्यूरो के विलय, के बारे में प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). भारतीय खान ब्यूरो से संलग्न समन्वेषी कक्ष 2 जनवरी, 1966 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अन्तर्गत किया गया था । ब्यूरो के अवशिष्ट कृत्यों को आंकने के लिये जुलाई 1966 में श्री बी० सी० मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी । अन्य बातों के साथ-साथ, समिति ने समन्वेषी कक्ष के विलय के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

“भारतीय खान ब्यूरो को विस्तृत समन्वेषण सम्बन्धी उचित कर्तव्य फिर से सौंपे जायें, जिससे कि देश भर के खनिज-निक्षेपों को व्यवस्थित रूप से सिद्ध करने व मापने का कार्य एक बार फिर से इसका एक मुख्य उत्तरदायित्व बन जाए । सिद्ध करने का यह कार्य उस सीमा तक किया जाय जहां से खनन उद्योग (चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर-सरकारी) खनिजों का वाणिज्यिक रूप में विदोहन कार्य आरम्भ कर सके । इस क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य मूल

भूवैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, मानचित्रण, व्यधन और प्रारम्भिक समन्वेषण कार्यों तक ही सीमित हो, जो "अनुमति" या "निर्दिष्ट" उपलब्धियों से सम्बन्धित निष्कर्षों की ओर अग्रसर करें।"

(ग) हां, महोदय।

(घ) जहां समिति की अधिकतर सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई हैं और उन्हें अपनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है या की जा रही है, वहां समन्वेषी कक्ष को भारतीय खान ब्यूरो को पुनरन्तरित करने सम्बन्धी सिफारिश अभी विचाराधीन है।

लेखा कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

7397. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शंकर सरन पंचाट के लागू होने के बाद प्रत्येक क्षेत्रीय (जोनल) रेलवे के अलग-अलग कुल कितने लेखा कर्मचारी 110-180 रुपये के मूल वेतन क्रम में सेवा निवृत्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय (जोनल) रेलवे में लेखा विभाग के कितने-कितने कर्मचारी 180 रुपये पर ही रुके हुए हैं ; और

(ग) कम वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों को ऊंची श्रेणी में पदोन्नत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Supply of Powerlooms to U. P., Bihar and Madhya Pradesh

7398. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of powerlooms supplied to Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh, separately, during 1967-68 and their district-wise distribution by them ;

(b) whether Government have supplied powerlooms to all the States in the country and if so, the details thereof; and

(c) the number of powerlooms supplied to the Co-operative Societies in the States of Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (c). 98,650 powerlooms as shown in the statement enclosed [Placed in Library. See No. L. T.-892/68], have been allocated in June 1966 to the different States and Union Territories for installation during the Fourth Five Year Plan. The distribution, phasing etc. of the powerlooms have been left to the discretion of the State Governments. The Central Government has no information about the district-wise distribution of these powerlooms or the number of powerlooms allocated by the different States to the Co-operative Societies.

भारत तथा कनाडा सहयोग सम्बन्धी गोष्ठी

7399. श्री चेंगलराया नायडू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जयपुर में व्यापार के सम्बन्ध में भारत तथा कनाडा के बीच सहयोग के बारे में दो दिन की एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत तथा कनाडा के प्रतिनिधि कौन-कौन थे ;

(ग) उस गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उसमें क्या-क्या निर्णय किए गये हैं ;

(घ) क्या दोनों सरकारों के समक्ष कुछ सुझाव रखे गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। गोष्ठी गैर-सरकारी थी और शिक्षा तथा व्यापार दोनों से सम्बन्धित थी।

(ख) कनाडा का प्रतिनिधित्व वहां के उच्चायुक्त ने किया। वाणिज्य मंत्रालय अंकटाड-द्वितीय में पहिले ही व्यस्त होने के कारण अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका।

(ग) से (ङ). प्रायोजकों ने गोष्ठी द्वारा दी गई सिफारिशों के स्वरूप के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं भेजी है। अतः इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना सरकार के लिए कठिन है।

उत्तर रेलवे में उच्च अधिकारी

7400. श्री एस्थोस : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में कितने उच्च अधिकारी हैं ;

(ख) उत्तर रेलवे में रुपये 210-425 (ए० एस०) के वेतनमान के कितने स्टेनोग्राफर हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड के आदेश हैं कि प्रत्येक उच्च अधिकारी का स्टेनोग्राफर रुपये 210-425 (ए० एस०) के वेतनमान में होना चाहिए ;

(घ) क्या उत्तर रेलवे में इन आदेशों को पूर्णतया क्रियान्वित किया जा जा रहा है ;
और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Prices of Raw Materials supplied to Exporters

7401. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under the Export Promotion Scheme, some exporters are allotted raw materials at reduced prices ;

(b) whether as a result of this, the exporters have been able to sell their exportable goods also at a cheaper price and if so, the proportion thereof ;

(c) whether Government obtain some undertaking from the said exporters that they would export goods after manufacturing them in their factories with the said raw material ; and

(d) if not, Government's policy in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes, Sir. Exporters of engineering goods may, under a scheme being operated by the industry, ask for supply of prime iron and steel used in the manufacture of the export product, at international prices. A provision has been made for exporters eligible for import licences for polythene granules and PVC resins, moulding powder, composition and sheeting, to obtain supplies of polythene and PVC at international prices, from manufacturers of these materials who may make such supplies at international prices in lieu of their export obligation.

(b) As a result, the exporters will have to pay for the concerned raw materials only the same price as are paid by their competitors abroad, and, will be able to export competitively. The extent to which the export products would cost less consequent to obtaining indigenous raw materials at international prices instead of at local prices, would vary from product to product depending upon the value added.

(c) and (d) . Supply of prime iron and steel at international price to fabricators of engineering goods for export is allowed by the Joint Plant Committee for the Steel Industry only against a certificate from the fabricator to the extent that the types of raw materials asked for have been actually consumed by him in his own factory or foundry for production for export. Similarly, release of polythene and PVC at international prices, will be against exports made and subject to the condition that raw materials will be used for manufacture in the factory of the person in whose favour the release order is issued.

यूगोस्लाविया के साथ संयुक्त उपक्रम

7402. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के अर्थ-व्यवस्था मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन—2 में यूगोस्लाविया के प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष के रूप में अपनी हाल की यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी ;

(ख) यूगोस्लाविया में स्थापित किए जाने वाले किन-किन विशिष्ट उपक्रमों के बारे में उनसे बातचीत हुई थी ; और

(ग) इस बारे में की गई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी विशिष्ट संयुक्त उद्यम पर बातचीत नहीं हुई थी किन्तु भारत और यूगोस्लाविया में द्विदेशीय औद्योगिक सहयोग पर सामान्य रूप से बातचीत हुई थी । ऐसा अनुभव किया गया था कि प्रत्येक देश में उन क्षेत्रों में शीघ्र ही प्रवर्तक नियुक्त किये जायें जिनमें औद्योगिक सहयोग पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार गुंजायश है ।

(ग) यह भी माना गया था कि दोनों देशों में हुई द्विदेशीय औद्योगिक सहयोग की प्रगति पर समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाय ।

“Operation Hard Rock” Programme

7403. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the area surveyed so far under ‘Operation Hard Rock’ programme and the names of the metal explored ;

(b) the details regarding the said operation and the time by which the project is likely to be completed ; and

(c) the time by which the American advisers and experts working in the said-project would be replaced by Indian experts ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) The areas selected for airborne survey and exploration are parts of Andhra Pradesh, Rajasthan and Bihar. This project was envisaged with the main objective of locating new resources of base metal ores such as, copper, lead, zinc etc. in which the country is gravely deficient. Of the three areas mentioned, aerial survey has been completed in Andhra Pradesh and Rajasthan. The airborne survey in Bihar is in progress and is expected to be completed by the middle of May, 1968.

(b) The project ‘Operation Hardrock’ is an integrated, multiphase mineral exploration programme. The aerial survey forms the first phase of the project which is to be followed by ground follow-up work (Phase II) including detailed geological, geophysical and geochemical work and subsequent drilling (Phase III) where warranted. The indications of promising areas (anomalies) shown up as a result of aerial survey are to be interpreted and assessed. The promising anomalies will then be checked up on the ground in relation to the known geology, reported mineral occurrences, structural features etc. The detailed ground follow-up work would give indications where drilling is to be carried out to prove the extent and grade of the deposits. Depending on the progress of Phase II, the project is expected to be completed by the middle of 1970.

(c) Foreign experts normally would be associated with the project until its close i. e. the middle of 1970. Some of them would however be replaced earlier as and when it is considered that the Indian geologists and geophysicists would be able to continue the work efficiently without foreign assistance.

Development of Cottage Industries

7404. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the steps taken by Government for the development of small-scale leather industry in the cities like Agra where thousands of persons are engaged in manufacturing leather chappals and shoes ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): The development of leather industry in Agra is being looked after by the Small Industries Service Institute, Agra Central Footwear Training Centre and the Precision Shoe Last Factory. The Small Industry Organisation has been rendering technical and management consultancy services and officers specialised in leather visit these units quite often and carry out development work to demonstrate improved processes. The Central Footwear Training Centre looks after the requirements of skilled persons for the trade whereas the Precision Shoe Last Factory makes available standard lasts of modern design to small scale units.

In addition to above the State Government have a number of common facility centres to help footwear units. These units are also helped with financial assistance under the State Aid to Industries Act.

In order to modernise the existing small scale leather footwear industry the D. C. SSI had appointed a committee on Mechanisation of Small Scale Leather Footwear Industry which has completed its work recently.

Import Licences

7405. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

- whether Government have issued import licences contrary to the advice tendered by the Directorate General of Technical Development during 1966-67 ;
- if so, the total value of such licences issued ;
- the reasons for issuing these licences ; and
- the amount of foreign exchange spent as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

- It is not possible to find out the details of licences issued contrary to the advice of Directorate General of Technical Development unless specific instances are indicated.
- to (d). Do not arise.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

7406. **श्री राम चरण** : क्या वाणिज्य मंत्री 14 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5665 और 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पार्टियों के नामों और पत्तों की जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है जिनको खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1,97,96,308 रुपये का ऋण दिया गया था और उनसे वह राशि लेनी थी; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). वास्तव में बकाया राशि 1,60,158.58 रुपये थी, उन पार्टियों के नाम और पते संलग्न विवरण में दिये गये हैं जिन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण दिये गये थे।

जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण

पार्टी का नाम	बाकी रकम (₹० में)
सर्वोदय आश्रम, उरई (उ० प्र०)	15,060.00
जियागुड टेनर्स को-आप०	9,000.00
सोसाइटी, जियागुड	
विद्यार्थी सुधार संघ, नागपुर (महाराष्ट्र)	13,684.50
सरंजाम कार्यालय, कृष्णराजपुरम्, मैसूर	1,22,414.08
योग :	<u>1,60,158.58</u>

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे

7407. श्री राम चरण : क्या वाणिज्य मंत्री राज्य व्यापार निगम द्वारा अधिकारियों के विदेशों के दौरो पर किये गये खर्च के बारे में 24 नवम्बर, 1957 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और
(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-893/68]

Bulandshahr Railway Station

7408. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that Shri Kripal Singh, the then Chairman of Railway Board had inspected Bulandshahr Railway Station before his retirement ;
(b) whether it is also a fact that he had taken note of many shortcomings at Bulandshahr Railway Station during his inspection and had also issued some orders ;
(c) if so, the details regarding the shortcomings taken note of by him and the orders issued to remove them ; and

(d) the orders which have been carried out and the details regarding the action on them ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha

Bulandshahr Railway Station

7409. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the District Magistrate, Bulandshahr, Chairman of the Municipal Committee, Bulandshahr and Shri Beni Prasad Madhav, M. L. C. gave many suggestions for providing facilities at Bulandshahr Railway station during the last three years ;

(b) whether a demand was also made to the effect that a Delhi-Calcutta train should run via Hapur-Bulandshahr-Khurja and whether the General Manager, Northern Railway had acceded to the demand ; and

(c) if so, the reasons for its non-implementation so far and when Government propose to divert the said train via the said route ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

मैंगनीज का निर्यात

7410. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में मैंगनीज का कितना निर्यात किया गया है तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कम हो जाने के कारण मैंगनीज खनन उद्योग समाप्त होने वाला है, क्योंकि इससे भारी घाटा हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग की किस प्रकार सहायता करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत पांच वर्षों में भारत से निर्यात किये गये मैंगनीज अयस्क का परिणाम तथा मूल्य निम्नलिखित है :

		(परिणाम लाख मे० टन में) (मूल्य करोड़ रुपये में)				
		1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
		(अनुमानित)				
परिमाण	9.43	15.79	13.31	11.85	10.02	
मूल्य	8.00	13.14	10.72	13.37	11.36	

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मैंगनीज अयस्क का निर्यात खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा मैंगनीज और इण्डिया लि० के माध्यम से किया जाता है। निर्यात पर होने वाली कोई भी हानि इन दोनों एककों द्वारा वहन की जाती है ।

समुद्री खाद्य उद्योग

7411. श्री म० ला० सोंधी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1953-54 में देश में समुद्री खाद्य उद्योग का उल्लेखनीय विकास हुआ था जबकि इसकी निर्यात आय 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.70 करोड़ रुपये हो गई थी ;

(ख) क्या हाल ही में अवमूल्यन, स्वेज नहर के बन्द होने तथा निर्यातकों की संख्या बढ़ जाने के कारण इस उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या इस समय यह उद्योग अपनी अधिष्ठापित क्षमता की 25 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग कर रहा है ; और

(घ) इस उद्योग को पुनः बसाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) 1951-52 1952-53 और 1953-54 के तीन वर्षों में मछली (डिब्बा बन्द मछली को छोड़कर) के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

1951-52	र० 3,28,32,238
1952-53	र० 3,86,80,541
1953-54	र० 4,18,89,546

(सामुद्रिक मछली तथा असामुद्रिक मछली के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(ख) निःसन्देह आन्तरिक मूल्य वृद्धि आदि कारणों से यह उद्योग कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है किन्तु भारतीय रुपये के अवमूल्यन से इस उद्योग को लाभ हुआ है। स्वेज नहर के बन्द होने का इसके निर्यात पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) तथा (घ). जी, हां। यह उद्योग मछली सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अपनी क्षमता के एक अंश का ही प्रयोग कर सकता है। इस उद्योग के पुनः बसाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :

1. अधिक मछलियां पकड़ने के लिए और विशेषकर तट से दूर पर्याप्त मात्रा में मछली पकड़ने को सुनिश्चित करने के लिए;

2. बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सामुद्रिक डीजल इंजनों तथा ट्रालरों के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है ;
3. मछली पकड़ने के उद्योग का मशीनीकरण करने के लिए सभी सम्भव सहायता दी जा रही है । इण्डस्ट्रियल डेवेलोपमेंट बैंक आफ इण्डिया ने अपनी दुबारा छूट तथा आस्थगित भुगतान की योजना को देश में निर्मित मछली के ट्रालरों तक बढ़ा दिया गया है । इससे गैर-सरकारी उद्यमी मछली पकड़ने के जलयान को प्राप्त करने के योग्य हो जायें ।

रुई के भण्डार

7412. श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्रायुक्त द्वारा रुई के स्टॉक रखने पर लगाये गये प्रतिबन्ध केवल निजी मिलों के लिये हैं, महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब के कपास उठाने वाले राज्यों में उत्पादक सहकारी समितियों के लिये नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन नियमों के पालन कराने पर आग्रह करना सहकारिता संबंधी कानून के विरुद्ध है, क्योंकि उसके अन्तर्गत ऐसी सहकारी समितियां तथा स्वयं उत्पादक समूची उपज को एक दूसरे से बेचने तथा खरीदने के लिये पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत बाध्य होते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस दायित्व का उल्लंघन दंडनीय होने के कारण, उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है ; और

(घ) उत्पादकों की ऐसी सहकारी समितियों को दोषपूर्ण व्यवस्था से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

बम्बई में एक व्यापार गृह द्वारा आयात लाइसेंस का उल्लंघन

7413. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में एक व्यापार गृह पर केन्द्रीय जांच विभाग तथा वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने छापा मारा था क्योंकि जिस सामान को आयात करने के लिये आयात लाइसेंस दिये गये थे, उन्होंने उससे भिन्न सामान आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करके आयात किये गये सामान को जब्त कर लिया था;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस फर्म को कितने मूल्य तथा किन-किन वस्तुओं का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस जारी किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग तथा वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही में बम्बई में किसी व्यापार गृह पर, उस फर्म के दिये गये आयात लाइसेंस में अनुमेय माल से भिन्न माल का आयात करने के कारण, छापा नहीं मारा। शायद यह प्रश्न मैसर्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्पनी से सम्बन्धित है जिसने गंधक के स्थान पर भेड़-बकरियों की चरबी का आयात किया था। यदि हां, तो इस फर्म के भवन पर बम्बई के सीमा शुल्क समाहर्ता ने छापा मारा था और उसने उनके अभिलेख तथा आयातित माल पर कब्जा कर लिया।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है जो और आगे जांच कर रहा है।

(घ) मैसर्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्पनी, बम्बई को 30 लाख रु० के मूल्य के गंधक के आयात के लिये आयात लाइसेंस दिया गया था।

कम्पनी सेक्रेटरी

7414. श्री दी० चं० शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यमों का ब्यूरो उन लोगों के विवरण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भेजता रहता है, जिन्होंने कम्पनी सेक्रेटरी परीक्षा का सरकारी डिप्लोमा प्राप्त किया है, और उन्हें उपयुक्त अनुसचिवीय पदों पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परिपत्र जारी किये जाने के बाद उपरोक्त डिप्लोमा प्राप्त लोगों में से कितने लोगों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त किया गया है और कितने ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जिनके पास डिप्लोमा नहीं था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सूचना प्राप्य नहीं है।

कम्पनी सेक्रेटरी

7415. श्री दी० चं० शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित लोग उपलब्ध करने के विचार से सरकार ने वर्ष 1961 में कम्पनी सेक्रेटरी परीक्षा आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे कितने पदों पर केन्द्रीय और राज्य-सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अथवा अन्य व्यक्ति काम कर रहे हैं जिन्हें इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, कि ऐसे पदों पर व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूहदीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् । सरकार का आशय व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिवों का एक निकाय स्थापित करने का था, जहां से कम्पनियां अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुसार व्यक्ति प्राप्त कर सकती थीं ।

(ख) सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ग) भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों ने, अपने अन्तर्गत उपक्रमों को उनके सचिवीय विभागों में, उपयुक्त पदों के लिये योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान देने के लिये, अनुदेश प्रेषित किये हैं । लोक उपक्रमों के कार्यालयों ने, कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा की योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के व्यौरे, उन्हें रोजगार देने के लिये सम्पूर्ण सरकारी उपक्रमों को परिचालित किये हैं । पुनः कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा ही केवल एक ऐसी परीक्षा नहीं है, जो कम्पनियों में सचिवों के पदों के लिये उम्मीदवार तैयार करती हो । कानून स्नातक, अथवा जिन व्यक्तियों ने चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान, लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान, चालू व्यापार प्रबन्ध पाठ्यक्रम संस्थान तथा सचिव निगम या चार्टर प्राप्त सचिवों के संस्थान, लंदन, जिनको शाखायें भारत में हैं, की परीक्षाएँ पास कर ली हैं, को भी ऐसे पदों की नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया है । यह अवबुद्ध है कि बहुत सी कम्पनियां, अपने सचिवीय विभागों में ऐसी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करती हैं ।

वेगन रिपेयर शाप, जगाधरी के वेकुअम सेक्शन में फिटरों का तबादला

7416. श्री सूरजभान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जगाधरी रेलवे वर्कशाप, अम्बाला (हरियाणा) में वेगन रिपेयर शाप के वेकुअम सेक्शन में पिछले 8-10 वर्षों से काम कर रहे छः अर्धकुशल फिटरों को

हाल ही में उनके विरुद्ध कोई शिकायत के बिना उसी शाप के अन्य सेक्शनों में तबादला कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अपने काम के बारे में इतना अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद उनका तबादला करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ऊंचे पदों पर काम कराने के लिये इन कर्मचारियों को स्थानापन्न भत्ता देने की वांछनीयता पर विचार करना चाहती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Import of Wood Pulp from U. S. S. R.

7417. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have signed any agreement with U. S. S. R. for the import of wood pulp ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). According to an understanding reached between the Government of India and the Soviet authorities relating to the exchange of commodities for the year 1968 an adequate provision for the import of wood pulp from the U. S. S. R. for that year has been made. In implementation of the understanding a contract to import 10,000 tonnes of P. K. Strong variety of wood pulp has been signed on 18.3. 1968 between the State Trading Corporation and an exporting organisation of the U. S. S. R.

Cotton Textile Mill in Ratlam District (M. P.)

7418. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have considered the proposal to set up a Cotton Textile Mill in Ratlam District of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). The proposal for setting up a co-operative cotton textile mill in Ratlam District received in 1964; was not accepted as it was not possible for the project to be included in the State's Third Plant programme.

असिस्टेंट पर्सनल इन्सपेक्टरों के वेतन-क्रम

7419. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये समझौते से पहले असिस्टेंट पर्सनल इन्सपेक्टरों के 150-225

रुपये का वेतन-क्रम और पर्सनल ब्रांच के हेड-क्लर्कों के 160-220 रुपये के वेतन-क्रम को समान मानने के आदेश दिये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि असिस्टेंट पर्सनल इंस्पेक्टरों को अब कम वेतन-क्रम के अर्थात् 210-320 रुपये में, और हेड क्लर्कों को अधिक वेतन-क्रम में अर्थात् 210-380 रुपये में रखा गया है, यद्यपि यह पद सिलेक्शन पद ही बना हुआ है जबकि हेड क्लर्कों का पद अब सिलेक्शन पद नहीं रहा है;

(ग) यदि हां, तो उनके मामले में वेतन-क्रम की असामनता को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या यह सच है कि न्यायाधीश श्री राजाध्यक्ष ने अपने पंचाट में कंडिका 347 में सरकार को व्यादेश दिया है कि रोजगार के घंटों सम्बन्धी विनियमों के लिये आन्तरिक व्यवस्था में विशेष योग्यता प्राप्त चुने हुए व्यक्ति होने चाहिये और उन्हें अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर पर्सनल इंस्पेक्टर 210-320 रुपये के वेतन-क्रम में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके कर्तव्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए 210-320 रुपये में निम्नतम वेतन-क्रम के स्थान पर उन्हें अनुपातिक आधार पर उपयुक्त उच्च वेतन-क्रम देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अधिकृत वेतनमानों से पहले की वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत 150-225 रु० और 160-220 रु० के वेतनमान, निर्धारित वेतनमानों का संशोधन होने पर वेतन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, समान माने गये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) कार्मिक निरीक्षक और प्रधान लिपिक कर्मचारियों की दो विभिन्न कोटियां हैं जिनकी ड्यूटी अलग-अलग है । इनके वेतनमान एक जैसे होने आवश्यक नहीं हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) 450-575, 370-475, 335-425, 250-380, और 210-320 रु० के विभिन्न ग्रेडों में कार्मिक निरीक्षकों के पद कार्य के महत्व के आधार पर बनाये जाते हैं । उच्चतर ग्रेड के पद तभी प्रवर्तित किये जाते हैं जब ऐसा करना उचित समझा जाता है ।

Export of Hair, Squirrels and Monkeys

7420. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

- the names of the countries to which hair were exported during 1967-68 ;
- the quantity exported by each State ;

(c) the details of export of squirrels, rats and monkeys to each country during the above period and the amount of foreign exchange being earned thereby ; and

(d) the measures being undertaken by Government to increase their exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) The names of main countries to which human hair was exported during 1967-68 are USA, Hongkong, South Korea, Federal German Republic, Italy and Australia.

(b) and (c). Statistics of State-wise exports are not recorded. Statistics of exports of squirrels and rats are not available, as these are not classified separately in the Trade classification. Exports of the other items have been as follows :

Product	Value of exports (in Rs. lakhs) 1967-68 (upto Jan.)	Major importing countries.
Human hair, unworked and waste,	71	USA, Hongkong, S. Korea, Federal German Republic, Australia
Human hair, dressed or otherwise worked, wool or other animal hair prepared for use in making wigs and the like.	26	USA, Hongkong, Italy.
Wigs, false beards, etc., of human hair or animal hair or of textile and other articles of human hair.	8	USA
Monkeys 35569 Nos.	29	USA, USSR, U. K.

(d) Export of Monkeys is controlled and is allowed within a limited quota released from time to time. Since Government is not keen to export monkeys in large numbers, its export is limited to the minimum required for medical work.

पत्तनों से देश के भीतरी भागों में अनाज का पहुंचाया जाना

7421. श्री मनुमाई पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 से नवम्बर, 1967 के बीच रेलवे द्वारा पत्तनों से देश के भीतरी भागों में कितना अनाज पहुंचाया गया ; और

(ख) 1966 में इसी अवधि में कितना अनाज ढोया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 46.74 लाख मीट्रिक टन ।

(ख) 55.23 लाख मीट्रिक टन ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

7422 श्री दे० अमात : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने जांच करने के बाद हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के जनरल मैनेजर को एक प्रतिवेदन दिया है कि रूरकेला इस्पात कारखाने को प्रतिदिन लाखों रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब दिया गया था और विशेषज्ञों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रतिदिन कितना घाटा हो रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

टूंडला में सामान ढोने का ठेका

7423. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद डिवीजन में टूंडला में 1967 में सामान ढोने का ठेका अधिकतम राशि का टेंडर देने वाले ठेकेदार को दिया गया था और एक अनुभवी स्थानीय ठेकेदार के कम राशि के व्यवहार्य टेंडर को स्वीकार नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार किये गये टेंडर तथा अस्वीकार किये गये कम राशि के टेंडर के बीच ठेका अवधि के लिये राशि मूल्य में क्या अन्तर था, और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वीकार किया गया दर पहले ठेकेदार को दिये गये दर से अधिक है;

(घ) टूंडला, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर में रेलवे द्वारा सीधे नियुक्त किये गये नैमित्तिक श्रमिकों के लिये क्या मजूरी दर स्वीकार किया गया तथा दिया गया; और

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) में उल्लिखित स्टेशनों पर नैमित्तिक श्रमिकों के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा प्रमाणित बाजार दर क्या थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) नैमित्तिक श्रमिकों को प्रति श्रमिक दी जाने वाली दैनिक मजूरी की दर नीचे दी गई है :

टूंडला	3 रुपये
अलीगढ़	...
	3 रुपये

कानपुर	...	3 रुपये
इलाहाबाद	...	2.50 रुपये
मिर्जापुर		2 रुपये

(ड) ये दरें निम्नलिखित हैं :

टूण्डला	...	3 रुपये प्रति श्रमिक प्रति दिन
अलीगढ़	...	3 रुपये यथोपरि
कानपुर		3 रुपये यथोपरि
इलाहाबाद	...	2.50 रुपये यथोपरि
मिर्जापुर	...	2 रुपये यथोपरि

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन पर पार्सल ढोने का ठेका

7424. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन पर पार्सल ढोने का ठेका 1965 में एक ठेकेदार को दिया गया था और मजूरी दरों तथा निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के अनुरूप अधिक दर पर उसकी अवधि बढ़ा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अकबरपुर, अयोध्या, सतगंज, प्रयाग, जंघई, मालीपुर तथा उन्नाव स्टेशनों पर पार्सल ढोने के काम के लिये 1967 में उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित स्टेशन के मामलों में की गई कार्यवाही की बजाय टेंडर मांगने के क्या कारण थे;

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा प्रमाणित बाजार दर क्या है; और

(घ) लखनऊ स्टेशन पर रेलवे द्वारा सीधे नियुक्त किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को प्रति दिन क्या मजूरी दी जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाच्चा) : (क) 1-10-1965 से तीन वर्ष के लिये एक ठेका दिया गया था, लेकिन बाद में ठेकेदार से, जो कि एक लिमिटेड सहकारी समिति है, अभ्यावेदन मिलने पर, बातचीत के बाद, भुगतान की दर में संशोधन कर दिया गया।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित विनिश्चय पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, किया गया था। इस भाग में उल्लिखित स्टेशनों पर टेंडर मांगने का विनिश्चय उत्तर रेल प्रशासन द्वारा किया गया था। यह विनिश्चय इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कि उत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन पर ठेकेदार का काम असन्तोषजनक था। ऐसे मामलों में विनिश्चय का उपयुक्त दायित्व प्राधिकारी पर होता है और टेंडर मांगने का जो विनिश्चय किया गया, वह वास्तविक और अपवाद रहित था।

(ग) सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा अकुशल श्रमिकों की जिन बाजार-दरों की सिफारिश की गयी है, वे नीचे दी गयी हैं :

	प्रतिदिन प्रति कारीगर दर रु०
बाराबंकी	3.00
सुल्तानपुर	2.50
उन्नाव	2.50 से 4.00
शाहगंज	2.50
रायबरेली	2.00 से 3.00
जंघई	2.50 से 2.75
अयोध्या	सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है
लखनऊ	3.00
अकबरपुर	सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है
मालीपुर	यथोपरि
प्रयाग	3.00

(घ) यह दर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2 रुपये 25 पैसे से लेकर 3 रुपये तक थी ।

Running of Upper India Express Without Lights and Fans

7425. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Upper India Express had started from Sealdah on the 10th March, 1968 without lights and fans;

(b) whether no attention was paid to the complaints made in this regard by the passengers to the Guards and other officials at Mughalsarai and other stations;

(c) whether two Members of Parliament had also registered their complaints in the Complaint Book at Varanasi Station on the 11th March, 1968;

(d) if so, whether Government have enquired into the cause of the failure of lighting arrangements in the train; and

(e) if so, the outcome of the enquiry and whether action has been taken against the persons responsible for it and if not, the reasons therefor?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) Attention was paid to the complaints made in this regard and whatever defects could be attended to, during the brief halts at Bhagalpur, Jamalpur, Patna, Danapur and Mughalsarai, were rectified.

(c) Yes. It is a fact that two Members of Parliament (Lok Sabha), S/Shri Ramavatar Shastri and Satya Narain Singh had recorded a complaint at Varanasi on 11-3-1968.

(d) Yes. The Government have made necessary enquiries into the particular incident through a committee of three officers.

(e) 5 train lighting staff have been held responsible either for negligence of duty or lack of initiative. Disciplinary action against them will be initiated.

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता

7426. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता को लगभग दो लाख रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने तथा मुनाफा कमाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जादवपुर, कलकत्ता को 1966-67 में 2 लाख रुपये का घाटा हुआ था। इन्जीनियरी उद्योगों में सामान्य मन्दी और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों जिनमें रेलवे भी सम्मिलित है, जो कम्पनी के उत्पादों के मुख्य तथा नियमित ग्राहक थे, की मांग में कमी होने के कारण कम्पनी की बिक्री तथा फलस्वरूप इसके उत्पादन को धक्का पहुंचा है। मांग में कटौती के कारण बिक्री में कमी हुई और इसके उत्पादन में भी कमी हुई। व्यय में वृद्धि कर्मचारियों के भत्ते तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि हो जाने तथा कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई।

कम्पनी ने कुछ परम्परागत वस्तुओं के उत्पादन को कम/स्थगित कर दिया है और उन्होंने उन वस्तुओं का निर्माण करके अपने उत्पादन में विविधता लाई है, जिनकी मांग है। कम्पनी ने रक्षा विभाग से जटिल यन्त्रों के आर्डर प्राप्त कर लिए हैं। बिक्री बढ़ाने के आन्दोलन के फलस्वरूप कम्पनी ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा विभिन्न शिक्षा और चिकित्सा संस्थाओं से आर्डर प्राप्त किये हैं। राज्य ब्यापार निगम के माध्यम से कम्पनी ने निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न भी किए हैं।

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड में उत्पादन में विविधता लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक तकनीकी अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है।

सूचना डिवीजन के रेल कर्मचारियों को कर्मचारी लाभ निधि से सहायता

7427. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में कर्मचारी लाभ निधि से सहायता के लिये खुरदा

रोड डिवीजन के ऐसे कितने रेल कर्मचारियों ने आवेदन किया है जिनको उड़ीसा के कटक जिले में हाल में आए भारी तूफान के कारण हानि पहुंची थी;

(ख) उन्हें क्या सहायता दी गई है और कितने कर्मचारियों को यह सहायता दी गई है; और

(ग) अन्य व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1967-68 से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गयी है :

(क) 54।

(ख) 25 कर्मचारियों को 125 रुपये नकद।

(ग) 29 आवेदन-पत्रों को नामंजूर कर दिया गया, क्योंकि उनके समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं किये गये थे।

1968-69 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह वर्ष अभी प्रारम्भ हुआ है।

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर बुकिंग काउन्टर

7428. श्री प्रताप सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर केवल एक व्यक्ति को दो अथवा दो से अधिक काउंटर्स को देखने के लिये कहा गया है;

(ख) क्या सरकार को यात्रा करने वाले लोगों की कठिनाइयों का पता है जिन्हें टिकट देने वाले बाबू के अन्य काउन्टर पर व्यस्त रहने के कारण काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या प्रशासन को इस बारे में कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) जनता तथा रेलवे कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में कर्मशियल क्लर्क

7429. श्री प्रताप सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कर्मशियल क्लर्क, जो यद्यपि भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं, अब भी रेलवे में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि रेलवे द्वारा इन कर्मचारियों का विधिवत् चयन किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और अन्य रेलवे कर्मचारियों के लिये लागू शर्तों और निबन्धनों पर नियुक्त किया जाता है परन्तु इनको 'अस्थायी' माना गया है जबकि वे रेलवे में 18 महीनों से अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे अथवा भारतीय खाद्य निगम ने उनकी रिहायश के लिये कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के क्वार्टरों में दरारें पड़ना

7430. श्री गु० च० नायक :

श्री दे० अमात :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने में अब तक कितने क्वार्टर बनाये गये हैं और उन पर कितनी लागत आयी है;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में दरारें आ जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी मरम्मत पर कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) अब तक राउरकेला में 16,161 क्वार्टर बनाये गये हैं और उन पर 10.50 करोड़ रुपये के लगभग लागत आई है ।

(ख) और (ग). 136 एक-शयन-कक्ष वाले मकानों में, जो निर्माण के प्रथम चरण (1959 तक) में बनाये गये थे, भूमि के फैलने के कारण दरारें आ गई थीं । ऐसी भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े कहीं-कहीं पाये गये हैं । चूँकि उनकी मरम्मत पर काफी खर्च आने का अनुमान था, कम्पनी ने यह फैसला किया है कि उनको गिरा दिया जाय और उनकी जगह नये मकान बनाये जायें ।

रूरकेला टाउनशिप के इस्पात मार्किट में दुकानों का आवंटन

7431. श्री गु० च० नायक :

श्री दे० अमात :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला टाउनशिप में इस्पात मार्किट में दुकानों के आवंटन के लिये रूरकेला के

कितने विस्थापित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे;

(ख) उनको कितनी दुकानें आवंटित की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). जिन आठ विस्थापित व्यक्तियों ने राउरकेला टाउनशिप में इस्पात मार्किट में दुकानों के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र दिये थे, दुकान आवंटन समिति ने उनमें से एक को दुकान दी है। समिति ने अन्य आवेदकों को योग्य नहीं समझा।

पलासा-हड्डू बांगी-पालाकोंड से विजयानगरम तक रेलवे लाइन

7432. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने 1963-64 में पलासा-हड्डू बांगी-पालाकोंड से विजयानगरम तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने के बारे में एक सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

मिर्च तथा प्याज का निर्यात

7433. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को मिर्च तथा प्याज के निर्यात के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश की व्यापारी संस्था से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके निर्यात के सम्बन्ध में किन-किन देशों के साथ व्यापार करार हुए हैं ;

(ग) इनके निर्यात में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) किसी भी देश को केवल मिर्च तथा प्याज के निर्यात के लिये कोई व्यापार करार नहीं दिये जाते। फिर भी इराक, जोर्डन, सूडान, ट्यूनिशिया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा पूर्वी

यूरोपीय देशों के साथ हुए व्यापार करारों में निर्यात मदों की सूची में मसालों का उल्लेख है। समय-समय पर घोषित वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार, सभी गन्तव्य स्थानों को, निर्यातकों द्वारा कुछ शर्तों के पूरा किये जाने पर, उदारता से निर्यात की अनुमति दी जाती है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भारत में स्कूटरों का मूल्य

7434. श्री ज्योतिर्भय बसु : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में स्कूटरों का नियंत्रित मूल्य (बिना करों के) जापान, इटली, पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन की तुलना में कितना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 1966 में भारत में निर्मित तीन प्रकार के स्कूटरों के मूल्य तथा उनके मूल देश के मूल्य और भारत में कारखाने से चलते समय के प्रचलित मूल्य निम्नलिखित हैं :

स्कूटर का नाम	मूल देश के मूल्य को कोष्ठक में दिखाया गया।	भारत में कारखाने से चलते समय का वर्तमान मूल्य निर्मित गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क तथा अधिभार को छोड़कर
लम्ब्रेटा	रु० 2085 (इटली)	2389 रु०
वेस्पा	रु० 1813 (इटली)	2402 रु०
फेंटाबुलस	रु० 2691 (ब्रिटेन)	3200 रु०

जापान तथा पश्चिमी जर्मनी में स्कूटरों के मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

चाय निर्यात संवर्धन निगम

7435. श्री गा० शं० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय निर्यात संवर्धन का प्रस्तावित निगम इस बीच बना लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय के मूल्य स्थिर किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) गत कुछ वर्षों में चाय के निर्यात में कितनी मंदी हुई थी तथा श्रीलंका को छोड़कर हमारे मुख्य प्रतियोगी कौन-कौन थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत तथा श्रीलंका से चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये निगम अथवा फर्मों के सार्थसंघ बनाये जाने का उद्देश्य निर्यातित चाय से प्राप्त मूल्यों में सुधार करना है ।

(घ) वर्ष 1965 के निर्यातों की तुलना में 1966 में भारत की चाय का निर्यात 10.1 प्रतिशत गिर गया जबकि पूर्व अफ्रीकी देशों की चाय का निर्यात, जोकि श्रीलंका को छोड़कर भारत के प्रमुख प्रतियोगी हैं, उसी अवधि में 30.5 प्रतिशत बढ़ गया । फिर भी, वर्ष 1967 में भारतीय चाय के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उस वर्ष का निर्यात 1965 के स्तर से अधिक हो गया ।

उत्तर प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण

7436. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या उत्तर प्रदेश में कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है ;
- (ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;
- (ग) क्या खनिजों को निकालने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और
- (घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) से (घ). सारे राज्य का आधुनिक स्थलाकृति-पत्रों पर भूवैज्ञानिक टोह-सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पिछले 25 वर्षों के दौरान अलमोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, गढ़वाल, मिर्जापुर, झांसी आदि जिलों का 1:63,360 व इससे भी छोटे मापों पर विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। राज्य में अन्वेषण अभी जारी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणामस्वरूप चूना-पत्थर, मैगनेसाइट, कोयला, जिप्सम, कांच-रेत, ऐस्बेस्टोस, पाइरोफिलाइट, अग्निसह मृत्तिका, स्टियटाइट और राक फास्फेट का पता लगा है। इनका ब्योरा नीचे दिया जाता है :

चूना-पत्थर : अलमोड़ा, कोसी नदी की घाटी, देहरादून और मंसूरी के दक्षिण से सीमेंट की श्रेणी के चूना-पत्थर के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। सब श्रेणियों के चूना-पत्थरों की कुल उपलब्ध राशि का अनुमान 4000 लाख मैट्रिक टन है।

मैगनेसाइट : तीन क्षेत्रों अर्थात् आगरा-सिरेचेचिना, गिरेछोना-धाउना और देवलधर, अलमोड़ा में सब श्रेणियों की लगभग 121.9 लाख टन उपलब्ध राशि का पता लगा है।

तांबा-सीसा-जस्ता : अभी तक किसी खनिज-योग्य निक्षेप का पता नहीं लगा है।

कोयला : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मिर्जापुर जिले में स्थित सिंगरौली कोयला क्षेत्र में 10.740 लाख मैट्रिक टन कोयले की उपलब्ध राशि का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने क्षेत्र को समन्वेषण के लिये अधिसूचित कर दिया है।

कांच-रेत : कांच-रेत की प्रदाय के लिये सोन घाटी के क्वार्टजाइट बहुत ही महत्वपूर्ण, वास्तविक और सम्भाव्य स्रोतों में से एक है। यह बनारस के चकिया क्षेत्र व बरगढ़ में जो बांदा और इलाहाबाद जिलों में नैनी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, निकाले जाते हैं। मानिकपुर और बरगढ़ के बीच कम से कम ऐसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां अच्छी प्रकार की कांच-रेत पायी जाती है। केवल रेवा-बांदा क्षेत्र में ही 1,100 लाख मैट्रिक टन की कुल उपलब्ध राशि का अस्थायी अनुमान लगाया जाता है।

ऐस्बेस्टास : चमोली में ऐस्बेस्टास मिलने का पता चला है।

पाइरोफिलाइट : पाइरोफिलाइट का झांसी जिले में पाये जाने का पता चला है। उपलब्ध राशि का अनुमान 0.70 लाख मैट्रिक टन लगाया जाता है।

जिप्सम : जिप्सम के छोटे-छोटे संचयिका निक्षेप गढ़वाल इलाके में देहरादून, टिहरी गढ़वाल, सौंग नदी के दाहिने किनारे पाये गये हैं।

राक-फास्फेट : किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में मंसूरी क्षेत्र के निम्न-लिखित खण्डों में खनन योग्य मात्रा के फास्फेट निक्षेप पाये गये हैं।

मलदेयोता

धूस्ति

मटिठयोगांव-बाधी

दुरमाला

किमोई

मसराना

मसूरी परितिभा

चामासरी

नागिनि

कुमालु-चुम्पा

इस समय नागिनि और किमोई क्षेत्रों में व्यधन कार्य किये जा रहे हैं और मलदेयोता में समन्वेषी खनन का कार्यक्रम है। औसतन प्रत्येक 100 मीटर में 15 से 20 प्रतिशत $पी_2$ ओ₃ के झुकाव की ओर विस्तार पर 60 से 100 लाख मैट्रिक टन के राक-फास्फेट की संभावित उपलब्ध राशि का अनुमान है। जब उपलब्ध राशि को सिद्ध कर लिया जायेगा तभी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उनको उपयोग में लाने का काम हाथ में लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

7437. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू होने के पश्चात् अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धि या कमी का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात् सरकार द्वारा बहुत सी नकली औषधियां तथा उपमिश्रित खाद्यपदार्थ पकड़े गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने उत्तर प्रदेश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने तथा खाद्य-पदार्थों तथा दवाइयों में मिलावट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण (विवरण सं० 1, अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 894/68] जिसमें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लागू होने से पूर्व तथा बाद के अत्यावश्यक वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य दिखाए गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण (विवरण सं० 2, अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 894/68] जिसमें अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने तथा अपमिश्रण आदि को रोकने के लिए किए गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय दर्शाये गए हैं।

उत्तर प्रदेश में नये कारखाने

7438. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने नये कारखाने स्थापित किये गये और उन्हें कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिये सरकार ने कितना धन दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं तथा 1966-67 में स्वीकृत योजनाओं की धन राशि निम्नलिखित है :

योजनाएं

1966-67 में योजना का आवंटन
(करोड़ रु०)

1. बी० एच० ई० एल० हरिद्वार 32.00

(सभी पी० एच० ई० एल० परियोजनाओं के लिए जिनमें तिरुचि और हैदराबाद सम्मिलित हैं)

2. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स	1.00
3. पम्प तथा कम्प्रेसर	0.50
4. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० ऋषिकेश	8.00
5. फर्टिलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर	9.98

उपर्युक्त परियोजनाओं में से ऋषिकेश की ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारखाना 1966-67 में पूरा हो गया था ।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग

7439. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग में कितने सूत की खपत हुई ; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक बुनकर सहकारी समिति को ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 3.25 करोड़ किलोग्राम ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ऋणों तथा अनुदानों के रूप में राज्य सरकार को सहायता देती है और उसी प्रकार राज्य सरकार बुनकरों की सहकारी समितियों को सहायता देती है । प्रत्येक बुनकर सहकारी समिति को दिये गये ऋणों तथा अनुदानों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया लोहे तथा इस्पात का कोटा

7440. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उत्तर प्रदेश को किस किस्म के और कितनी मात्रा में लोहे तथा इस्पात का कोटा आवंटित किया गया था और उसे वास्तव में कितनी मात्रा में भेजा गया ;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त माल उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम को नहीं दिया गया ;

(ग) क्या इससे इन धातुओं पर आधारित उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पांच वर्ष के लिये हड़ताल रोकना

7441. श्री नम्बियार :

श्री भगवान दास :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 मार्च, 1968 को अपने पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पांच वर्ष के लिए हड़तालें रोकने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). वर्ष 1967-68 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में विशेषतः दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों में मालिक-मजदूर सम्बन्ध संतोषजनक नहीं रहे। इस पृष्ठ भूमि में कुछ केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ बातचीत की गई है जिससे कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे प्रत्येक कारखाने में मजदूरों के ऐसे संघ को मान्यता दी जाय जो वास्तव में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसे सभी सामूहिक और सामान्य विषयों पर प्रबन्धकवर्ग के साथ बातचीत करने का एकमात्र अधिकार हो और सभी औद्योगिक झगड़ों को बातचीत, मेल-मिलाप आदि से निपटाने के लिये संयुक्त स्थायी समितियां नियुक्त की जाय। इस संदर्भ में यह सुझाव भी दिया गया है कि यदि 'एक इस्पात कारखाने के लिए एक यूनियन' की बात मान ली जाती है, तो हड़ताल आदि किये बिना औद्योगिक विवादों को अपने आप हल करने के लिए एक दीर्घकालीन समझौता उदाहरणार्थ पांच वर्ष के लिए किया जा सकता है। यह बातचीत अभी जारी है।

Allocation of Metals to U. P.

7442. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of Commerce be pleased to state the quantity of each metal allocated to U. P. by the Minerals and Metals Trading Corporation annually?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): MMTC is not the allocating authority for Non-ferrous Metals. Till September, 1965 MMTC had been supplying non-ferrous Metals to various States against the State-wise allocations made by Development Commissioner, Small Scale Industries. Allocations made to U. P. by the DC (SSI) during the last few years were as follows :

	Unit		Metric Ton
	1962-63	1963-64	1964-65
Copper	2506	2527	1562
Zinc	2000	1853	1103
Lead	26	58.7	124
Tin	36	51.49	65.05

(Oct. 62 to March 63)

Aluminium Wire Rods :

October, 62/September, 63	73
October, 63/March, 64	122
1964-65	107
1965-66	66

Unit
1963-64

Nickel :

April/September, 63	38.65
October, 63/September, 64	83.30
October, 64/March, 65	35.375
1965-66	4.007

On 14th September, 1965 Government of India promulgated Scarce Industrial Material (Control) Order 1965 under which purchase and sale of Non-ferrous Metals—Copper, Zinc, Lead and Tin was regulated by issue of permits by the Controller appointed under the Order and no State-wise allocations were made upto June, 1966 when the Control Order was rescinded on 7th June, 1966.

In December, 1966 Government decided to issue import licences directly to actual users in the small scale sector. Import licences were, therefore, issued directly to all the actual users. This policy, however, changed for the period 1967-68 and MMTC was again made responsible for meeting the requirements of Non-priority industries both in the small scale sector and scheduled sector against release orders to be issued by the licensing authorities. There are no State-wise allocations made to the States as such, The total value of release orders so far received by the MMTC for allottees in the non-priority sector in U. P. are as follows :

: Copper	Rs. 5,03,687/-
Zinc	Rs. 2,45,536/-
Tin	Rs. 1,93,308/-
Lead	Rs. 55,504/-
Nickel	Rs. 95,502/-
Aluminium Wire Rods	Rs. 12,668/-
Allocation without mentioning the value of each metal.	Rs. 16,76,088/-

Exports of Metallic Products

7443. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

- (a) the quantity and value of E.P.N.S., brass and stainless steel goods exported by each State during the period from 1st January, 1957 to 31st December, 1963, year-wise; and
- (b) the steps proposed to be taken by Government to step up their export?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

- (a) Foreign Trade statistics are not compiled State-wise. It is not possible to furnish information regarding the quantity and value of E.P.N.S., brass and stainless steel goods exported from each State. However, export statistics for the years 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 (April to Jan.) are as follows: (Earlier figures did not make any distinction between copper and brass ware).

Commodities	(Value in Rs. lakhs)			
	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68 (Ap.—Jan.)
1. E.P.N.S. Ware	13.72	16.99	28.17	20.57
2. Stainless Steel products	18.27	21.07	9.39	10.13
3. Brass Utensils	18.26	11.38	9.85	38.41
4. Brass Sheets and Circles	19.47	33.92	8.25	9.82
5. Brass Castings	—	—	0.29	—
6. Brass Products Others	2.56	5.70	2.34	0.81

(b) The steps taken by Government to promote exports of these products are :

- (i) Issue of import licences against exports of these products to the extent of import content.
- (ii) Cash assistance at the rate of 10% of the FOB value of exports of E.P.N.S. Ware and brass ware.
- (iii) Drawback of duty on exports.

हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम का दिल्ली में फैशन शो

7444. श्री नारायणन :
श्री मयाबन :
श्री दीवीकन :

श्री सुबाबेलू :
श्री दण्डपाणि :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम ने दिल्ली में हाल में एक 'फैशन शो' आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस शो में दिखाई गई कुछ वेशभूषायें लगभग अश्लील थीं ;

(ग) उस शो को आयोजित करने पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) इस शो को आयोजित करने के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले हैं अथवा निकलने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लगभग 14,250/-रुपये ।

(घ) प्रथमतः, 'फैशन शो' में माडलों के प्रदर्शन से द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों में भारतीय हथकरघा वस्त्रों के सौन्दर्य एवं लालित्य का पर्याप्त प्रचार हुआ । दूसरे, प्रसिद्ध फ्रांसीसी डिजाइनर ने स्वयं हथकरघा वस्त्रों के उस विशाल संग्रह

को देखा जिन्हें भारत पोशाकों तथा सहसाधनों की डिजाइन तैयार करने और फ्रांस तथा अन्य देशों में उसके व्यापक वितरण स्रोतों के माध्यम से उनकी बिक्री कराने के लिये उसको प्रस्तुत कर सकता है। परिणामतः उस फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर ने चरखा, टैबी तथा डुपियन रेशमी छपे हुए वस्त्रों, स्कार्फों, रेशम जरी तथा रेशम कटवर्क के लिए 14,220 अमरीकी डालर मूल्य का क्रयादेश दिया। इसके अतिरिक्त बनारस रेशमी-सूती कटवर्क, छपे हुए आरगंजा, डुपियन तथा कसीदे के सूती परिधानों के लिए निगम को लगभग 6,000 अमरीकी डालर का हाल में ही एक और आर्डर प्राप्त हुआ है।

बिना बारी के स्कूटरों का आवंटन

7445. श्री मयाबन : श्री सुन्नावेलू :
श्री नारायणन : श्री दीवीकन :
श्री दण्डपाणि :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के स्कूटरों की बिक्री तथा वितरण के लिए प्राथमिकता तथा बारी के कितने प्रकार की श्रेणियां हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत स्कूटर आवंटित किये जाते हैं ; और

(ग) सामान्य बिक्री श्रेणी में स्कूटरों के पंजीकरण तथा दिये जाने की वास्तविक तिथि में सामान्यता कितना समय लगता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). स्कूटरों के विभिन्न प्रकार के प्राथमिकता कोटे तथा प्रत्येक कोटे के लिए नियत प्रतिशत उत्पादन नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या प्राथमिकता कोटे की श्रेणी	लेम्ब्रेटा 1967 में उत्पादन का प्रतिशत	वेस्पा 1967 में उत्पादन का प्रतिशत	फेन्टेबुलस 1967 में उत्पादन का प्रतिशत
1. केन्द्रीय सरकार का कोटा (सुरक्षा विभाग के कोटे सहित)	21 (लगभग)	19 (लगभग)	24 (लगभग)
2. राज्य सरकारों का कोटा	10 (लगभग)	9 (लगभग)	कुछ नहीं
3. संघीय क्षेत्रों का कोटा	3 ,,	2 ,,	,,
4. उत्पादकों का कोटा	2 प्रतिशत या प्रतिमास 50 जो भी अधिक हो	2 प्रतिशत या प्रतिमास 50 जो भी अधिक हो	2 प्रतिशत या 25 जो भी अधिक हो

फेन्टाबुलस का केन्द्रीय सरकार का कोटा आवेदनकर्ताओं के न होने के कारण कभी भी प्रयुक्त नहीं होता ।

(ग) आर्डरों के पंजीकृत होने तथा स्कूटर दिये जाने के मध्य का अन्तर स्कूटर के मार्के तथा स्थानानुसार भिन्न-भिन्न है । देहली में विभिन्न स्कूटरों के लिए प्रतीक्षा काल लगभग निम्न प्रकार हैं :

लेम्ब्रेटा	6 से 7 साल तक
वेस्पा	9 से 10 साल तक
फेन्टाबुलस	2 से 3 महीने तक

दक्षिण पूर्व रेलवे सेवा आयोग

7446. श्री स० कुण्डू :	श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री बेघर बेहरा :	श्री म० माझी :
श्री अ० दीपा :	श्री गु० च० नायक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे सेवा आयोग में एक सदस्य का पद खाली हो गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार के एक मनोनीत व्यक्ति को उस आयोग के सदस्य के रूप में अब तक नियुक्त किया जाता रहा है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने रेलवे बोर्ड को लिखा है कि इस रिक्त पद पर उसके मनोनीत व्यक्ति को नियुक्त किया जाये ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार के मनोनीत व्यक्ति को स्वीकार करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । कलकत्ता-स्थित रेल सेवा आयोग दक्षिण-पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाना और रेल बिजली योजना के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है ।

(ख) रेल सेवा आयोगों के सदस्यों को क्षेत्रीय आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक उप-युक्तता के विचार से संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

गंधक की कमी

7447. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री चं० चु० देसाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गंधक की कमी होने के कारणों के बारे में 25 मार्च, 1968 के 'इकानौमिक टाइम्स' में छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) देश में गंधक की कमी को दूर करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने क्या काम किया है ; और

(घ) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गंधक का व्यापार किये जाने के बारे में गैर-सरकारी उपक्रमियों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय भारत में गंधक की कोई कमी नहीं है ।

(ग) 1966 के अन्त में तथा 1967 के आरम्भ में गंधक की अत्यन्त कमी हो गई थी और मूल्य 350 रु० प्रति मै० टन से बढ़कर लगभग 1,400 रु० प्रति मै० टन हो गया था । फरवरी, 1967 से राज्य व्यापार निगम ने गंधक का काफी मात्रा में आयात किया । 1967-68 में निगम ने 1,67,000 मे० टन गंधक का आयात किया । देश में काफी मात्रा में गंधक आ जाने के परिणामस्वरूप मूल्य गिर गये । अक्टूबर, 1967 से निगम जेटी से बाहर तक 600 रु० प्रति मे० टन पर गंधक दे रहा है । उसने 1968 में गंधक के आयात के लिए दीर्घावधि संविदायें की हैं । अब स्थिति यह है कि देश में गंधक की कोई कमी नहीं है ।

(घ) गैर-सरकारी उद्यमियों ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गंधक के आयात का विरोध किया । वास्तव में निगम को केवल पांच महीने के लिए ही आयात अनन्तरूप से करने दिया गया था ।

रेलगाड़ी परीक्षक

7448. श्री अ० सि० सहगल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में और उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में विभागीय तौर पर नियुक्त किये गये कुछ रेलगाड़ी परीक्षकों को, जो इन पदों के लिए पात्र नहीं थे और श्रेणी 'ग' के 205-280 रुपये के वेतनक्रम में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे, उनके मूल पदों पर पदावनत कर दिया गया है और अनर्ह रेलगाड़ी परीक्षकों को पात्रता प्राप्त करने के आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सीधे भर्ती किये गये इतनी बड़ी संख्या में रेलगाड़ी परीक्षकों को, जो उच्चतर वेतनक्रम के लिए उसी प्रकार अनर्ह हैं, निम्न वेतनक्रम में पदावनत न किये जाने और उच्चतर ग्रेड में रिक्त पदों पर अर्हताप्राप्त रेलगाड़ी परीक्षकों को नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) पूर्वी और उत्तर रेलवे में सीधे भर्ती किये गए कुछ अनर्ह रेलगाड़ी परीक्षकों को श्रेणी 'ग' के 205-280 रुपये के वेतनक्रम में काम करते रहने की अनुमति किन कारणों से दी गयी है ; और

(घ) सीधे भर्ती किये गये और विभागीय तौर पर नियुक्त किए गए रेलगाड़ी परीक्षकों के बीच इस प्रकार का भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलगाड़ी परीक्षकों के पुनरीक्षित वेतनक्रम

7449. श्री अ० सि० सहगल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1964 में आल इण्डिया रेलवे मैज फ़ैडरेशन के साथ हुई स्थायी वार्ता अवस्था की बैठक में रेलवे बोर्ड ने गाड़ी निरीक्षकों के 180-240 रुपये तथा 205-280 रुपये के दो न्यूनतम वेतनक्रमों को मिलाकर 180-280 रुपये मासिक का पुनरीक्षित वेतनक्रम लागू करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले में आगे और विचार करने पर यह निर्णय किया गया कि इस तरह का वेतन-मान लागू करने से पर्यवेक्षण में कुशलता नहीं बढ़ेगी ।

संतरागाची तथा सियालदह में कोचिंग मेंटिनेंस यार्ड

7450. श्री अ० सि० सहगल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के संतरागाची तथा पूर्व रेलवे के सियालदह जंक्शन पर कोचिंग मेंटिनेंस यार्डों के आयोजन तथा निर्माण में डिब्बों के किनारों के साथ-साथ अंडरगीयर मेंटिनेंस स्टाफ के आने जाने के लिए अपर्याप्त जगह छोड़ी गई है ;

(ख) क्या इन कोचिंग मेंटिनेंस यार्डों में गन्दगी की निकासी के लिये अपर्याप्त व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या बिजली के खम्भों, ट्रेन लाइटिंग चार्जिंग पोस्टों, पानी के नलकों तथा पानी की नलियों की उपस्थिति के कारण संधारण कर्मचारियों को अपना काम अच्छी तरह से करने में दिक्कत होती है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर 'हां' में हों तो इन कोचिंग मेंटेनेन्स यार्डों के उचित आयोजन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). जी नहीं ;

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Accident at Lakheri Railway Station (W. Rly.)

7451. **Shri Jamna Lal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the engine and many wagons of a goods train sunk into the ground at Lakheri Station of the Western Railway on the 25th March, 1968 ;

(b) if so, the loss suffered by the Railways as a result thereof ; and

(c) the causes thereof and the action taken against the persons responsible for their lapse ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) On 25-3-68, the driver of goods train number 880 A Up Special entered the dead end of line number 1 at Lakheri Station after passing the Up goods starter at danger resulting in the derailment of the engine and six wagons.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 5,000/-.

(c) While the cause of the accident is under investigation, prima facie the accident was due to failure of railway Staff.

Conversion of Sawai Madhopur-Jaipur M. G. Line into B. G.

7452. **Shri Jamna Lal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Sawai Madhopur-Jaipur metre gauge line into broad gauge line ;

(b) if so, the estimated cost thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Conversion of this section from M. G. to B. G., is considered not justified at present.

Railway Line from Niwai to Tonk (Rajasthan)

7453. **Shri Jamna Lal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a railway line from Niwai to Tonk (Rajasthan) to overcome the backwardness of the area ; and

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

केसोराम इण्डस्ट्रीज, बाटानगर (पश्चिम बंगाल)

7454. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केसोराम इण्डस्ट्रीज, बाटानगर पश्चिम बंगाल ने कारखाने को बन्द करने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कारखाने के बन्द हो जाने से कुल कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि कारखाना बन्द न हो ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सूती कपड़े पर नियन्त्रण

7455. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सूती कपड़े का नियन्त्रण कम करके उसे 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने का है;

(ख) क्या कपड़े के मूल्यों में वृद्धि कराने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). नियन्त्रित कपड़े की योजना में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

बुदनी स्टेशन पर जल की सप्लाई

7456. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च, 1968 से बुदनी स्टेशन, पश्चिम रेलवे पर जल की सप्लाई बंद कर दी गई है जिससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वहां पानी की सप्लाई पुनः कब आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो जल की इस सप्लाई को बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कांडला निर्बाध व्यापार जोन

7457. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला निर्बाध व्यापार जोन से वह उद्देश्य पूरा हो रहा है, जिसके लिये इसको बनाया गया था;

(ख) इससे अब तक देश को क्या लाभ हुए हैं;

(ग) कांडला निर्बाध व्यापार जोन में आयातकों तथा निर्यातकों को क्या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और इस जोन में ये सुविधाएं देने के लिये सरकार द्वारा अब तक कितनी पूंजी लगाई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और कई निर्बाध व्यापार जोन स्थापित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उष्वंत्रि (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). कांडला निर्बाध व्यापार जोन की स्थापना अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाने, कांडला पत्तन पर पहले ही विकसित सुविधाओं को पूर्णतः उपयोग करने और क्षेत्र की रोजगार क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से की गयी थी। मार्च, 1968 के अन्त तक अधिकांश विकास कार्य पूरा हो चुका था।

कई स्वीकृत पक्षों ने विकसित प्लाटों/शेडों का कब्जा ले लिया है। 26 फर्मों द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्माण के नक्शे मंजूर किये गये हैं। चार कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और 15 लाख रुपये से अधिक का माल निर्यात किया जा चुका है। इस वर्ष कई और कारखानों द्वारा उत्पादन तथा निर्यात आरम्भ कर दिये जाने की आशा है। जैसे-जैसे औद्योगिक कार्य बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा के उपार्जन में पर्याप्त वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

(ग) कांडला निर्बाध व्यापार जोन के उद्योगों को प्रदान की गई विशेष सुविधाएं निम्नलिखित हैं :—

1. संयंत्र, मशीनें, कच्चे माल तथा संघटकों पर सीमा शुल्क तथा कच्चे माल तथा संघटकों पर उत्पादन शुल्क से विमुक्ति। जोन में निर्मित तथा वहां से निर्यातित उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाता।
2. विकसित प्लाटों तथा बने बनाए औद्योगिक शेडों का यथोचित किराये पर आवंटन।
3. उनके निर्यात आर्डरों की शर्त के बिना प्रथम छः महीनों के लिये अपेक्षित कच्चे माल, संघटकों आदि के लिये अग्रिम आयात लाइसेंस देना।
4. देश के अन्य भागों के पंजीकृत निर्यातकों को अनुमेय निदेशों की तुलना में अधिक निवेशों के आवेदनपत्रों पर गुणावगुण के आधार पर भी अनुमति दी जा सकती है।

विकास कार्यों के लिये मंजूर 84.35 लाख रुपयों में से अब तक सरकार ने लगभग 76 लाख रुपये व्यय किये हैं ।

(घ) और जोनों की स्थापना करने से पहले काण्डला निर्बाध व्यापार जोन के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है तथा इसकी प्रगति को देखा जा रहा है ।

दिल्ली-रोहतक सेक्शन पर रेलवे सेवा

7458. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-रोहतक सेक्शन पर रेलवे सेवा की शोचनीय स्थिति, विशेष रूप से प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों के लिये कार्यालयों के समय चलने वाली रेल-गाड़ियों की खराब हालत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या 2 डी० के० आर०, 341 अप और 37 अप रेल-गाड़ियों को चलाने में रेलवे की निरन्तर अकुशलता के कारण कार्यालयों के लिये प्रतिदिन दिल्ली आने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं;

(ग) क्या ये रेलगाड़ियां अपने चलने के मूल स्टेशन से कभी-कभी 4-5 घण्टे देरी से चलती हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस सेक्शन पर रेलगाड़ी सेवा में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, ताकि दैनिक यात्री गन्तव्य स्थानों पर समय पर पहुंच सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कुछ शिकायतें मिली हैं जिनमें दिल्ली-रोहतक खण्ड पर कुछ गाड़ियों के देर से चलने की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) दिल्ली जाने वाले कार्यालय-कर्मचारी अन्य गाड़ियों के अलावा 2 डी० के० आर० और 341 अप गाड़ियों से सफर करते हैं, 37 अप डाक से नहीं जाते । पहली दो गाड़ियां निरन्तर देर से नहीं चलतीं ।

(ग) जी नहीं, ऐसा बहुत कम और तभी होता है जब कोई असामान्य स्थिति पैदा हो जाय ।

(घ) गाड़ी-चालन पर सभी स्तरों पर कड़ी नजर रखी जाती है और विलम्ब की सभी परिहार्य घटनाओं के सम्बन्ध में और यदि आवश्यक हो तो, सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध भी उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । उपनगरीय यात्रियों को ले जाने वाली सभी गाड़ियों के चालन को अग्रता दी जाती है और इस सूची में उपर्युक्त गाड़ियां भी शामिल हैं । दिल्ली क्षेत्र में और इसके इर्द-गिर्द रेल सुविधाओं में सुधार के लिए अन्य दीर्घकालिक उपायों पर विचार किया जा रहा है, ताकि उपनगरीय गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों को ठीक समय पर चलाया जा सके ।

भारी रसायन उपकरण का निर्माण

7459. श्री रा० बरुआ :

श्री एम० एस० ओबराय :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूमानिया की सरकार से सरकारी क्षेत्र में भारी रसायन उपकरण के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने की योजना त्याग दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य विदेशी पार्टी/विदेश के सहयोग से इस प्रकार की कोई अन्य परियोजना चालू होने वाली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) रूमानिया की सहायता से उर्वरक तथा रसायन कारखाने की स्थापना को फिलहाल स्थगित करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) निर्मित माल के प्रयोग करने वाले कई उद्योगों जैसे रसायन, शोध तथा उर्वरक आदि के लक्ष्यों में कमी के परिणामस्वरूप इन उद्योगों के उपकरणों की आवश्यकता का पुनरांकन किया गया था और यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि इन उद्योगों के उपकरणों के निर्माण की क्षमता देश में पर्याप्त है और यह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है इसलिये इस परियोजना को स्थगित किया जा सकता था ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य-यूगोस्लाविया संयुक्त उपक्रम

7460 श्री रा० बरुआ :

श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के संबंध में भारत-संयुक्त अरब गणराज्य-यूगोस्लाविया त्रिपक्षीय करार की प्रगति के बारे में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिल कर पुनर्विचार किया गया था;

(ख) क्या उपरोक्त त्रिपक्षीय करार लागू हो गया है;

(ग) क्या करार के अंतर्गत स्थापित होने वाली संयुक्त परियोजनाओं के बारे में भारत ने अपनी मान्यतायें बता दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मुख्य बातें ये हैं (1) संयुक्त अरब गणराज्य में फास्फेट के निक्षेपों की खोज; (2) राक फास्फेट से फास्फेट उर्वरकों के उत्पादन के लिये एक कारखाने की स्थापना हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का तैयार करना; और (3) फास्फेट उर्वरक संयंत्र के लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी और संयंत्र तथा उपकरण के एक बड़े भाग का संभरण ।

कपड़ा उद्योग में मंदी

7461. श्री रा० बरुआ :

श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु मिल मालिक संघ, मदुराई ने हाल में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें कपड़ा उद्योग में आई मंदी का मुकाबला करने के लिये कुछ उपाय सुझाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य सुझाव क्या हैं और क्या सरकार ने उनकी व्यावहारिकता की जांच की है; और

(ग) कपड़ा उद्योग की वर्तमान मंदी के प्रभाव के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). तामिलनाडु मिल मालिक संघ, मदुराई ने मद्रास के मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी भेजी गई है ।

ज्ञापन में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :

1. सूती धागे पर बिक्री कर 5 वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए;
2. बिजली पर से अधिभार तथा खपत कर वापिस लिया जाए;
3. राज्य वित्तीय अभिकरणों तथा व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से संकट ग्रस्त एककों को उपयुक्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए;
4. धागे और मोटे तथा मध्यम कपड़े पर से उत्पादन-शुल्क खत्म करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करनी चाहिए; और
5. ट्रेड यूनियनों को यह समझाया जाना चाहिये कि मजदूरों के मंहगाई भत्ते को 5 वर्ष के लिए अथवा उनकी स्थिति सुधरने तक जो भी पहले हो 50 प्रतिशत कम करने की आवश्यकता है, कम से कम संकट ग्रस्त तथा समाप्त-प्राय एककों के मामले में ।

उपर्युक्त सुझावों का अधिकांशतः राज्य सरकारों से सम्बन्ध है तथा वे उन पर विचार कर रही हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है तामिलनाडु मिल मालिक संघ और वस्त्र उद्योग के अन्य संघों द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों पर विचार किया जाता रहा है और उद्योग की सहायता करने के लिए पहले ही निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. 1968-69 के बजट प्रस्तावों में कुछ किस्मों के धागे पर उत्पादन शुल्क में उल्लेखनीय छूट दी गई है। कपड़े पर उत्पादन शुल्क में भी कुछ सीमान्त समंजन किए गए हैं।
2. हाल ही में बैंकों की व्याज दर घटाई गई है।
3. जो मिलें इस सुविधा की हकदार हैं उनके सम्बन्ध में कपड़ा-मशीनरी की सप्लाई के लिए आस्थगित भुगतान की अवधि 7 वर्ष तक बढ़ा दी गयी है।
4. सूती कपड़ा एककों के आधुनिकीकरण तथा कार्यकर पूंजी के लिए अधिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कपड़ा-आयुक्त (टैक्सटाइल कमिश्नर) के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गयी है।

यह सरकार के विचाराधीन है कि इस उद्योग को आगे किस प्रकार अधिकतम सहायता दी जा सकती है।

यह आशा की जाती है कि कृषि उत्पादन में सुधार से, ऋण की उदारतापूर्वक सुविधाएं देने से तथा अन्य प्रकार की सहायता से कपड़े की मांग में सुधार होगा।

यूगोस्लाविया से मोटर गाड़ियों का निर्यात

7462. श्री रा० बरुआ :

श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के पास जमा हुए भारतीय रुपयों का प्रयोग करने के लिये यूगोस्लाविया को अशोक लीलैण्ड द्वारा निर्मित ट्रकों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता सरकार ने हाल ही में लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में यूगोस्लाविया के साथ अन्तिम रूप में कोई सौदा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी अन्य प्रकार के माल का भी निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यूगोस्लाविया को अशोक लीलैण्ड द्वारा निर्मित ट्रकों के निर्यात की सम्भावनाओं के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे कर्मचारियों से ऊनी जुराबों का पकड़ा जाना

7463. श्री चॅंगलराया नायडू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना अधिकारियों के इस्तेमाल वाली ऊनी जुराबों के लगभग 200 जोड़े गाजियाबाद में तीन रेलवे कर्मचारियों से पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये दोषी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, केवल 166 जोड़े मोजे बरामद किये गये थे ।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल ने 1-4-68 को रेल परिसम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 की धारा 3/29/66 के अधीन तीन अभियुक्त रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था । इन तीनों अभियुक्तों को 15-4-68 तक अदालती हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था, किन्तु बाद में 4-4-68 को 4000 रुपये प्रति व्यक्ति जमानत देने पर, गाजियाबाद के उपमण्डल मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया । मामले की जांच अभी हो रही है ।

व्यापार नीति

7464. श्री रबि राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात निर्यात का सन्तुलन करने और समुद्रपार व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार का विचार एक योजना तैयार करने का है जिससे ये दोनों उद्देश्य पूरे हो सकें ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत औद्योगिक एककों को निर्यात बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है । यद्यपि कोई योजना बनाने का विचार नहीं है तथापि सरकार ने सर्वदा ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिनसे आयात तथा निर्यात के बीच अन्तर कम हो । इस उद्देश्य को निर्यात बढ़ा कर तथा आयात प्रति-स्थापन द्वारा आयात घटाकर और स्वदेशी उत्पादन पर अधिक निर्भर रहकर प्राप्त किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

आसनसोल और अन्दोल स्टेशनों के 'कॅरिज और वॅगन डिपो'

7465. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के आसनसोल और अन्दोल स्टेशनों के कॅरिज और

वैगन डिपो के 150 रेलवे कर्मचारियों को 24 फरवरी, 1968 को मुअत्तिल करने के नोटिस दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये नोटिस प्रत्येक कर्मचारी को न देकर नोटिस बोर्ड पर लगा दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

औद्योगिक उत्पाद

7466. श्री मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक जो उपाय किये गये हैं उनके परिणामस्वरूप भारत में औद्योगिक उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है ; और

(ख) अब तक क्या उपाय किये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरुद्दीन अली अहमद) : (क) कुछ उद्योगों के उत्पादन में, जिन पर मन्दी का अधिक असर पड़ा था, कुछ सुधार होता जा रहा है । कुछ अन्य उद्योगों के बारे में भी सामान्य रूप से यही कहा जा सकता है कि मन्दी का और अधिक प्रभाव पड़ना रुक गया है ।

(ख) मन्दी के प्रभाव को कम करने के लिये भारत सरकार द्वारा पहले ही किए गए उपायों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना है ताकि पूंजीगत की मांग यथा सम्भव उत्पन्न की जा सके । प्रभावित उद्योगों के उत्पादन क्रम में विविधता लाना, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ बिक्री ढांचा बनाकर नियमित निर्यात की मण्डियों के विकास पर बल देना तथा उस सीमा तक आयात पर रोक लगाना जहां तक देश की स्थापित क्षमता से आवश्यकता पूरी हो सकती है । इसमें ऐसे आयात जिनके लिए पहले ही स्वीकृति तो दी जा चुकी है किन्तु उसके लिए वचन नहीं दिया गया, का पुनरीक्षण करना और उदार ऋण नीति घोषित करना जिसमें हाल ही बैंक दर में की गई कमी की घोषणा भी सम्मिलित है ।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना

7467. श्री मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने ने अपनी मशीनों को

किराये पर देने की योजना की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने प्रयोग के आधार पर बंगलौर, मद्रास, बम्बई और पूना इन चार केन्द्रों में प्रारम्भ में 1 अप्रैल, 1968 से जून, 1968 तक के लिये किराये की एक योजना चलाई है। उत्तर का पता लगने के बाद इस योजना के अन्य केन्द्रों में चलाये जाने की सम्भावना है। इस समय इस योजना में परम्परागत किस्म की सात मशीनें ही आती हैं। इसके अन्तर्गत मासिक किराये की राशि मशीन के कुल मूल्य की $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगी। जो उद्यमी इस योजना के अन्तर्गत एच० एम० टी० की मशीनें लेने के इच्छुक हों उन्हें मशीन लेने से पहले मशीन के तीन महीने के किराये के बराबर रकम जमा करानी होगी।

रेल संगचल कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह

7468. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलों के महाप्रबन्धक मितव्ययिता के उपाय के तौर पर रेल संगचल कर्मचारियों के विश्राम तथा मनोरंजन के लिए बनाये गये संगचल कर्मचारी विश्राम-गृहों को बन्द कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि संगचल कर्मचारियों ने इन विश्राम-गृहों के बन्द किए जाने का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इन विश्राम-गृहों को बन्द न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मितव्ययिता के उपाय के रूप में किसी रनिंग रूम को बन्द नहीं किया गया है। गाड़ीपरिचालन की विधि में परिवर्तन, यातायात में कमी आदि के फलस्वरूप पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे और मध्य रेलवे के कुछ रनिंग रूम बन्द कर दिये गये हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में मध्य रेलवे में कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक यूनियन से विरोध-पत्र मिला था।

(ग) और (घ). केवल वे ही रनिंग रूम बन्द किये गये हैं जिनके लिए परिवर्तित अवस्था में औचित्य नहीं पाया गया और जहां-कहीं आवश्यक था, कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध कर दिये गये हैं। फिलहाल, बन्द किये गये रनिंग रूमों को फिर खोलने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर रेलवे में यार्ड कर्मचारियों के वेतनमान

7469. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डिवीजन में चीफ यार्ड मास्टर, यार्ड मास्टर तथा असिस्टेंट यार्ड मास्टर क्रमशः 335-425 रुपये 250-380 रुपये और 205-280 रुपये के अधिकृत वेतनमान में हैं जबकि इलाहाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ डिवीजनों में इसी श्रेणी के कर्मचारी क्रमशः 370-475 रुपये 335-425 रुपये तथा 250-380 रुपये के अधिकृत वेतनमान में हैं ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न डिवीजनों में भिन्न-भिन्न वेतनमान निश्चित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली डिवीजन के यार्ड कर्मचारियों को इलाहाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ डिवीजनों के कर्मचारियों के समान वेतनमान देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली डिवीजन में यार्ड मास्टर का चयन

7470. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में यार्ड मास्टर का 10 अगस्त, 1964 को किया गया चयन पक्षपात के विरुद्ध की गई अपील में 14 सितम्बर, 1965 को अवैध घोषित किया गया था और फिर 28 जुलाई, 1966 को नया चयन किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 28 जुलाई, 1966 को किये गये चयन में वे व्यक्ति बुलाये गये थे जिनके पास अपेक्षित अर्हता नहीं थी और अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों की उपेक्षा की गई थी और डिवीजनल अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों के प्रति पक्षपात करने के लिये इस चयन का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो डिवीजनल अधिकारियों को ऐसे चयनों का परिणाम वर्षों तक रोके रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं और क्या ऐसा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली डिवीजन में सीधे भर्ती किये गये गार्ड

7471. श्री अमृत नाहाटा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में गार्डों की सीधी भर्ती

करने के बाद गाड़ों के संवर्ग में शेष रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये गाड़ों को उन स्थानों से रिक्त होने की तारीख से जो बाद के वर्षों में आगे चलते रहे थे वरिष्ठता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पदोन्नत किये गये गाड़ों को सीधे भर्ती किये गये गाड़ों से वरिष्ठ बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि उनकी पदोन्नति पहले नहीं हुई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वरण-पदों (सिलेक्शन पोस्ट) में अनुसूचित जातियों के कोटे के आरक्षण के मामले में उनकी नियुक्ति और वरिष्ठता का निर्धारण भारत सरकार द्वारा अनु-मोदित प्रणाली के अनुरूप आरक्षित रिक्त स्थानों के अनुसार नहीं अपितु योग्यता-सूची में उनके स्थान के अनुसार किया गया है ;

(घ) क्या यह सच भी है कि ग्रेड 4 के स्टेशन मास्टरो/सहायक स्टेशन मास्टरो के मामले में उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक पहले ही यह निर्णय दे चुके हैं कि कोटे की कमी को पूरा किया जा सकता है परन्तु वरिष्ठता भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् पद रिक्त होने की तिथि से नहीं दी जा सकती है ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो दिल्ली डिवीजन में सीधे भर्ती किये गये गाड़ों के मामले में भेदभावपूर्ण नियम अपनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) 1952 में रेलों का पुनवर्गीकरण होने के बाद सीधी भर्ती में नियुक्त किये गये ऐसे सभी गाड़ों की वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण करने के लिये जिसके बारे में कुछ कर्मचारियों ने भी अनुरोध किया है अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूँजीगत माल का निर्यात

7472. श्री नारायण राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के कुछ महीनों में पूँजीगत माल के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). जी हां । निर्यात के निम्नलिखित मासिक आंकड़ों के अनुसार पूँजीगत माल के निर्यात में वृद्धि का रुख रहा है :

		मूल्य लाख रुपये में
अप्रैल,	1967	70
मई,	1967	67
	...	

	मूल्य लाख रुपये में
जून, 1967	79
जुलाई, 1967	77
अगस्त, 1967	104
सितम्बर, 1967	149
अक्तूबर, 1967	131
नवम्बर, 1967	96
दिसम्बर, 1967	88
जनवरी, 1968	196

Khadi and Village Industries Commission

7473. **Shri J. Sundar Lal** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9038 on the 11th August, 1967 and state :

(a) the progress made by the Khadi and Village Industries Commission to hand over the management of Departmental Stores run by it to the State Boards so far ;

(b) whether the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi is also proposed to be transferred to certain Agency and if so, the name thereof ; and

(c) whether Government propose to protect the pay and service conditions of the employees of Khadi Gramodyog Bhawan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

रेलवे में कार्मिक संघ

7474. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा संरक्षणों को रेलवे के अन्य पंजीकृत कार्मिक संघों को देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या सुविधायें तथा संरक्षण देने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) रेलवे में यूनियनों के मान्यता देने के नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त यूनियनों को सुविधाएं दी जाती हैं ।

पंजीकृत कार्मिक संघों द्वारा प्रदर्शन और सभाएं

7475. श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे प्रशासन से यथोचित मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ की बिना अनुमति लिये या पूर्व सूचना दिये परिसर में प्रदर्शन करने या सभाएं करने देती हैं ;

(ख) क्या सरकार अन्य पंजीकृत कार्मिक संघों को अनुमति मांगने पर या पूर्ण सूचना देने पर प्रदर्शन करने या सभाएं करने की अनुमति देती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग), कोई भी ट्रेड यूनियन, चाहे मान्यता प्राप्त हो या न हो, साधिकार रेल परिसरों के भीतर काम की जगह पर प्रदर्शन नहीं कर सकती। लेकिन मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों रेल परिसरों के भीतर सभा कर सकती हैं जिसके लिए उन्हें रेल प्रशासन से पहले से इजाजत लेनी होती है।

परमानन्दपुर रेलवे स्टेशन पर माल डिब्बों का लूटा जाना

7476. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 मार्च, 1968 को एक बजे मध्याह्न पश्चात् पूर्वोत्तर रेलवे में परमानन्दपुर रेलवे स्टेशन पर 2-सी० जी० डाउन माल गाड़ी के गेहूं, चावल, चीनी और सरसों से भरे दस माल डिब्बों को लूट लिया गया था ;

(ख) क्या इस घटना के बारे में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन केवल 6 माल डिब्बों से।

(ख) जी हां। सरकारी रेलवे पुलिस, सौनपुर ने सहायक स्टेशन मास्टर के बयान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/379 के अधीन अपराध सं० 3 के रूप में एक मामला दर्ज किया है। उसी दिन अर्थात् 14-3-68 को 6 अभियुक्तों को (जिनमें 5 महिलाएं थीं) गिरफ्तार किया गया, जिनके पास थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अनाज था। बाकी जिन 4 अभियुक्त व्यक्तियों का इस मामले से सम्बन्ध बताया जाता है, उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 3 व्यक्ति अभी फरार हैं। पुलिस अभी इस मामले की छान-बीन कर रही है।

(ग) इस तरह की घटनाओं की रोक-थाम के लिये परमानन्दपुर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के दो रक्षक तैनात कर दिये गये हैं।

विदेशी फर्मों का भारतीयकरण

7477. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मालिकों की फर्मों या उन फर्मों जिन पर विदेशियों का नियंत्रण है, के भारतीयकरण की योजना सर्वप्रथम कब आरम्भ की गई थी ;

(ख) इस योजना को क्रियान्वित करने का तरीका क्या है और इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रक्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक संबंधित फर्म से कोई वार्षिक या नियत-कालिक विवरण मंगवाया जाता है और इन विवरणों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जाती रही है ;

(घ) इस योजना को आरम्भ करने के समय और वर्ष 1967 के अन्त में इन फर्मों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त भारतीयों की स्थिति क्या थी ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार योजना की और विदेशी फर्मों द्वारा भारतीयों और गैर-भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना मंगवाने के लिये जारी किये गये पब्लिक नोटिस की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) से (ङ). एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-895/68]

Paper Mills

7478. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number, names and addresses of Indian and foreign Paper Mills in India, the capital invested in them, the names of their Directors and complete details about the foreign collaboration, if any, in case of each paper mill;

(b) the names and other details of the products as well as their quantity and value, manufactured by each paper mill during the last three years ; and

(c) the value of products exported by each Paper Mill each year, during the said period and the names of countries to which exported ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) and (b). A statement giving the names, addresses, capacity and production of each mill during the years 1965, 1966 and 1967 is attached. [Placed in Library. See No. L. T.-896/68]

The following Paper Mills have foreign capital participation to the extent shown against each :

(i) M/s. Tribeni Tissues Pvt. Ltd., Calcutta.	100%
(ii) M/s. South India Paper Mills Ltd., Mysore.	67%
(iii) M/s. Senapathy Whitely Pvt. Ltd., Bangalore.	50%
(iv) M/s. Mandya National Paper Mills Ltd., Bangalore.	about 27% about
(v) M/s. Seshasayee Paper and Boards Ltd., Madras.	20%

All the other Paper Mills are totally Indian.

Further information regarding the Capital invested, the names of the Directors of each Mill and the gross value of the production of each Mill is available in the reports published annually by each of them.

(c) The statistics regarding party-wise exports of any product are not maintained. However, the total export of paper and paper products (excluding publications) during the year 1966-67 and April-December, 1967 stood at Rs. 219.9 lakhs and Rs. 214.0 lakhs respectively. These exports have taken place to some extent to Egypt but mostly to the South East Asian Countries like Burma, Thailand, Philippines, Hong Kong etc.

Statement referred to in reply to parts (a) and (b) of Unstarred Question No. 7478 for answer in the Lok Sabha on the 16th April, 1968.

(Mills in production (as on 31.1.1968))

No.	Name and address of the mills	Location	Paper and Paper Boards.			
			Capacity (Tonnes/Yr)	Production (Tonnes)		
				1965	1966	1967
West Bengal	1. M/s. Titaghur Paper Mills Co., Ltd., Chartered Bank Bldg., Calcutta.	Titaghur I Kankinara II	54,000	50,074	52,698	51,765
	2. M/s. India Paper Pulp Co. Ltd., 8, Clive Row, Calcutta.	Naihati	17,500	15,343	14,934	16,246
	3. M/s. Tribeni Tissues Pvt., Ltd., 24B, Park Street, Calcutta.	Chandranati Hooghly	6,000	5,454	5,787	5,588
	4. M/s. Bengal Paper Mills Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Raniganj	36,000	29,155	36,658	36,195
	5. M/s. Western India Match Co. Ltd., Indian Mercantile Chambers, Nicol Road, Ballard Estate, Bombay.	Alambazar Calcutta.	6,000	4,726	4,389	4,943

No.	Name and address of the mills	Location	Paper and Paper Boards			
			Capacity (Tonnes/Yr)	Production (Tonnes)		
			1965	1966	1967	
6.	M/s. Shree Gopinath Paper Mills, 7, Bhawani Dutta Lane, Calcutta-7.	Baranagore	1,080	267	79	102
7.	M/s. Eastend Paper Industries Ltd., 32, A, Brabourne Road, Calcutta.	Barabaria	3,000	1,600	2,180	1,000
8.	M/s. Priti Paper Board Mills (P) Ltd., 22, Burro Shibtola, Main Road, Calcutta-32.	Sheoraphuli	1,800	351	748	439
9.	M/s. P. Ghosh and Co. 20, Seven Tanks Lane, Calcutta-30.	Calcutta	*1,500	*	—	—
10.	M/s. Indian Card Board Industries, 18, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.	Calcutta	3,200	—	2,684	3,116
11.	M/s. Star Paper Mills Ltd., Bajoria Place, Saharanpur (27, Brabourne Road, Calcutta).	Saharanpur	30,000	27,257	28,083	26,025
12.	M/s. Upper India Couper Paper Mills Co. Ltd., Lucknow.	Lucknow	4,200	2,742	1,782	1,050
Bihar 13.	M/s. Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar (Bihar).	Dalmianagar	60,000	50,009	43,885	41,807
14.	M/s. Thakur Paper Mills Ltd., Samastipur (Darbhanga)	Jitwarpur	*3,000	224	*	—
Orissa 15.	M/s. Orient Paper Mills Ltd., Brajrajnagar (Dt. Sambalpur)	Brajrajnagar	70,000	64,045	64,589	64,410
16.	M/s. Titaghur Paper Mills Co. Ltd., Chartered Bank Building, Calcutta.	Chowdwar	12,000	11,761	12,064	13,437
17.	M/s. Straw Products Ltd., 11, Rabindra Sarani, Calcutta-1.	Singhpur Road Rayagada.	20,000	11,761	12,064	13,437
Haryana 18.	M/s. Shree Gopal Paper Mills, Ltd. Yamunanagar. (Thapar House, 25, Brabourne Road, Calcutta).	Yamunanagar.	40,000	35,607	36,038	35,967

No.	Name and address of the mills	Location	Paper and Paper Boards			
			Capacity (Tonnes/Yr)	Production (Tonnes)		
				1965	1966	1967
19.	M/s. Murari Paper Mills, (Bharat Carbon and Ribbon Mfg. Co. Ltd.) 6, Ring Road, Lajpat Nagar, IV, New Delhi-14.	New Industrial Township, Faridabad.	1,200	928	809	841
20.	M/s. Delhi Pulp Industries, .16/25, Katra Baryan, Fatehpuri, Delhi.	-do-	3,000	1,372	2,545	3,799
21.	M/s. Rajendra Paper Mills, 51. New Industrial Township, Faridabad.	-do-	1,600	358	1,009	1,946
M. P. 22.	M/s. Alok Paper Industries, 11, Prince Yashwant Road, Indore City.	Industrial State, Indore,	1,200	516	390	493
23.	M/s. Straw Products Ltd., Chola Road, Bhopal.	Bhopal	8,000	5,680	6,348	5,155
24.	M/s. Mandidip Paper Mills Private Ltd., Sehore.	Sehore (Mandidip)	3,000	—	928	687
25.	M/s. Orient Paper Mills Ltd., 15, India Exchange Place, Calcutta.	Amlai (Sahdol)	65,000	18,244	51,544	64,690
Gujarat 26.	M/s. Gujarat Paper Mills Ltd., 653, Shakar Bazar, Ahmedabad.	Barejaudi	6,000	3,266	1,806	1,267
27.	M/s. Rohit Pulp and Paper Mills Ltd., Hassan Chambers, Parsee Bazar Street, Bombay.	Pardi (Surat)	6,600	4,420	3,902	4,176
28.	M/s. Jayant Paper Mills Ltd., People's Buildings, Sir P. M. Road, Bombay.	Utran	5,000	4,383	4,246	4,843
29.	M/s. Stadfast Paper Mills, Medows House, Medows Street, Bombay-1.	Dungra P. O. Vapi	450	258	212	273
30.	M/s. Parekh Paper Mills, Gondal (Saurashtra).	Gondal	1,000	237	328	248
31.	M/s. Speciality Paper Ltd. P. O. Udvarda (Distt. Surat).	Udvada	1,440	50	—	*

No.	Name and address of the mills	Location	Paper and Paper Boards			
			Capacity (Tonnes/Yr)	Production (Tonnes)		
			1965	1966	1967	
32.	M/s. Associated Pulp and Paper Mills Ltd., Lokhand Mahajan Bldg., Nawa Darwaza Road, Ahmedabad.	Ahmedabad	4,800	—	—	307
Maharashtra						
33.	M/s. Deccan Paper Mills Co. Ltd., Commonwealth Buildings, Laxmi Road, Poona.	Hadapsar	3,600	1,887	1,883	1,718
34.	M/s. F. Pudumjee and Co. (P) Ltd., 60, Forbes Street, Bombay-1.	Bombay	1,800	1,503	1,111	1,304
35.	M/s. Paper and Pulp Conversions Ltd., 376, Shukrawar Peth, Poona-2.	Khopoli	7,500	6,528	6,453	4,352
36.	M/s. Pudumjee Pulp and Paper Mills Ltd., 60, Forbes Street, Bombay.	Khopoli	5,000	791	828	467
37.	M/s. Ballarpur Paper and Straw Board Mills Ltd., Thapar House, 25, Brabourne Road, Calcutta.	Ballarpur (Ballarshah)	45,000	37,152	44,309	45,435
38.	M/s. Providence Paper Mills, New Standard Engg. Compound Ghodbunder Road, Santa Cruz, Bombay.	Santa Cruz, Bombay.	510	—	*	—
39.	M/s. Premier Paper Mills Ltd., Jogeswari Estate, Ghodbunder Road, Jogeswari, Bombay-60.	Jogeswari	2,100	1,439	*1,103	—
40.	M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., 59, Apollo Street, Bombay.	Kalyan Thana Distt.	1,500	844	1,023	451
41.	M/s. Ajanta Paper and General Products (P) Ltd., Vadavali P.O. Taluka, Kalyan, Bombay.	Vadavali Distt. Thana	1,800	609	820	1,011
42.	M/s. Paper Products Ltd., Dinshaw Vaccha Road, Vaswani Mansion, Bombay-1.	Roha (Kolaba Dt.)	4,800	3,395	2,488	3,421

No.	Name and address of the mills	Location	Paper and Paper Boards			
			Capacity (Tonnes/Yr)	Production (Tonnes)		
			1965	1966	1967	
	43. Vidharbha Paper Mills Ltd., Degade Mansion Sitabuldi, Nagpur.	Kamptee	1,500	779	1,091	978
	44. M/s. Bombay Paper Mfg. Co., 109, Shaikh Memon Street, Bombay.	Kalyan	900	253	825	558
	45. M/s. Afsons Industrial Corpora- tion (P) Ltd., 18, Princes Street, Bombay.	Wasrangap	2,400	391	1,041	1,332
Andhra	46. M/s. Sirpur Paper Mills Ltd. Sirpur-Kaghaznagar. (15, India Exchange Place, Calcutta).	Sirpur- Kaghaznagar.	40,000	33,034	31,821	31,608
	47. Andhra Pradesh Pulp and Paper Mills Ltd., Rajahmundry.	Rajahmundry	24,000	2,602	686	19,481
Mysore	48. M/s. Mysore Paper Mills Ltd., Bhadravati.	Bhadravati	19,000	11,866	17,794	18,218
	49. M/s. West Coast Paper Mills Ltd., Shreeniwas House, Waudby Road., Fort, Bombay.	Dandeli	36,000	33,463	35,261	35,409
	50. M/s. South India Paper Mills (P) Ltd., Chickayana Chaitra, P. O. Nanjangud, Mysore.	Nanjangud	3,000	2,164	2,402	2,425
	51. M/s. Mandya National Paper Mills Ltd., 14, Palace Road, P. B. No. 66, Bangalore-1.	Balagula	*10,800	9,396	*2,151	—
	52. M/s. Senapathy Whitely (P) Ltd., 14, Tannery Road, Bangalore.	Ramanagaram	900	371	472	747
Kerala	53. M/s. Punalur Paper Mills Ltd., Punalur (Travancore).	Punalur	11,640	8,683	6,440	6,168
	54. M/s. Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg.) and Co. Ltd., P. O. Box No. 37, Kozhikode.	Kozhikode	2,700	—	2,023	277
Madras	55. M/s. Seshasayee Paper and Board Ltd., P. O. Cauvery (Salem Distt.) Madras State.	Gauvery	20,000	19,990	20,628	19,374

No.	Name and address of the mills.	Location	Paper and Paper Boards			
			Capacity (Tonnes/Yr) 1965	1966	Production (Tonnes) 1966	1967
56.	M/s. Sun Paper Mills Co. Ltd., P. Bag. No. 2, Cheranmahadevi, Tirunelveli Distt. Madras.	Ariyanayakipuram.	3,000	1,648	2,079	2,088
57.	M/s. Amravathi Srivenkatesa Paper Mills (P) Ltd., P. O. Udmalpet, Madras.	Amravathi Nagar.	3,000	842	1,213	2,186
Total :			730,000	536,962	585,051	608,796
(ii) Newsprint						
M. P. 1.	M/s. National Newsprint and Paper Mills Ltd., Napanagar.	Nepa Nagar	30,000			
(iii) Pulp						
Kerala 1.	M/s. Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg.) Co. Ltd., P. B. No. 37, Kozhikode..	Mavoor	54,000			
(*Mills not in production)						

Indian and Foreign Paper Mills

7479. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreigners employed in the Indian and Foreign Paper Mills or Companies, their salaries and the amount of capital being sent by them to foreign countries ;

(b) the amount of foreign exchange released to each Paper Mill or Company; the material imported and the purpose for which that was imported by each Paper Mill, each year, during the last four years ; and

(c) the amount of profit remitted by the foreign Paper Mills to foreign countries each year during the last four years, the amount of annual profit earned by each of them during the above period, Company-wise ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information asked for is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

Fixation of Quota of Seats for Passengers from Bina Junction to Madras

7480. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no quota of seats has been fixed for the passengers travelling from Bina Junction to Madras ; and

(b) if so, the measures being taken by Government in view of the inconvenience caused to passengers?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes. No quota is set apart exclusively for Bina Junction.

(b) Suitable quotas have been set apart on all trains running from Delhi/New Delhi to Madras for reservation of accommodation for passengers travelling from intermediate stations and this facility is also available to passengers travelling from Bina to Madras.

Trade Delegation for Export of Chillies

7481. **Shri T. P. Shah:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to send abroad a delegation for exploring new markets for the export of chillies;

(b) if so, the date by which the said delegation is likely to be sent abroad; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes Sir.

(b) and (c). The details are being worked out in consultation with the Chairman, Spices Export Promotion Council, Ernakulam.

यात्री रेल गाड़ियां

7482. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या रेलवे मंत्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारण है कि बम्बई से इलाहाबाद होते हुए कलकत्ता तक तथा दिल्ली से इटारसी होते हुए बम्बई के बीच रेलगाड़ियों की संख्या उसी अनुपात में अब तक नहीं बढ़ाई गई है, जिस अनुपात में दिल्ली-मद्रास, बम्बई-मद्रास तथा कलकत्ता-मद्रास के बीच रेलगाड़ियां बढ़ाई हैं;

(ख) क्या अब इन लाइनों पर रेल-गाड़ियां बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) टर्मिनल स्टेशनों पर अपर्याप्त सुविधा के अलावा रास्ते के खण्डों में लाइन क्षमता जैसे अपेक्षित साधनों का अभाव, सवारी डिब्बों की कमी।

(ख) जी हां, जैसे ही अपेक्षित साधन/सुविधाएं उपलब्ध होंगे/होंगी।

(ग) इस समय कोई निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है।

कटनी और इटारसी यादों से माल गुम हो जाना

7483. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मंत्री 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 और 1967 के दौरान कटनी और इटारसी यादों पर माल डिब्बों के रोके जाने के क्या कारण थे ; और

(ख) क्या इस वर्ष इस बात की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि यह शरारत अंशतः रेलवे कर्मचारियों की कुछ व्यापारियों से की गई सांठ गांठ के कारण हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) माल डिब्बे निम्नलिखित कारणों से रुके रहे :

(i) कुछ माल डिब्बे मरम्मत और यानान्तरण के लिए निर्धारित किये गये थे ।

(ii) वी० ओ० एक्स० माल डिब्बों को, मरम्मत के बाद, समुचित रेलों द्वारा निकासी के लिए इन्तजार करना पड़ा ।

(iii) जिन स्थानीय माल डिब्बों पर मालगोदाम, रिपैकिंग शेड आदि में काम होना था, उन्हें खड़े करने, माल लादे जाने, माल उतारे जाने और वापस किये जाने जैसी अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ा ।

(iv) अगल-बगल के खण्डों पर दुर्घटनाओं, जमावों, दंगों और अन्य सामान्य घटनाओं आदि के कारण कुछ प्रकार के यातायात का विनियमन करना पड़ा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उटता ।

Supply of Wagons to Traders for Movement of Salt

7484. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that wagons are not provided to traders for the movement of salt produced from Phalodi, Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that the wagons are supplied after a period of two or three months at one time ;

(c) whether it is further a fact that some complaints have been received by Government in this connection ;

(d) if so, whether Government propose to fix a daily quota for them ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) No. Wagon supply at this station for loading salt is fairly regular. Sometimes, however, there may be some time lag in the supply of wagons for non-programmed salt which moves in the lowest priority along with other goods, preference having to be given to the movement of salt programmed by the Salt Commissioner, which enjoys higher priority.

(c) Yes.

(d) and (e). The Salt Commissioner has fixed a daily quota of 10 wagons in the Zonal Scheme for movement of programmed salt from Phalodi. As non-programmed salt has to be cleared along with other general goods traffic according to date of registration and priority, no separate quotas can be laid down. Every effort is made to ensure supply of wagons for loading of non-programmed salt to the maximum extent possible. During period January to March, 1968, 1,165 metre gauge wagons were loaded with non-programmed salt from Phalodi as against only 482 metre gauge wagons during the corresponding period of 1967.

कागज में आत्म-निर्भरता

7485. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री लोबो प्रभु :

श्री म० अमरसे :

श्री मीठा लाल मीना :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश कागज के मामलों में आत्म-निर्भर है ;

(ख) यदि नहीं, तो राजसहायता से निर्यात का क्या औचित्य है ; और

(ग) कागज के देशान्तर्गत मूल्य विश्व मूल्यों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) कागज की लगभग सभी किस्मों में देश आत्म निर्भर है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में निर्मित कागज की सामान्य किस्मों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कम है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

7486. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री मीठा लाल मीना :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और सिंगरेनी कोयला खानों को गत वर्ष कितना घाटा हुआ था और इस वर्ष कितना घाटा होने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यदि सिंगरेनी में कम खानों पर काम किया जाता, जैसे तीस के स्थान पर चार, तो यह घाटा कम किया जा सकता था; और

(ग) जाँच आयोग ने इस सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में क्या कमियाँ बताई हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1966-67 वर्ष के दौरान सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड को 9.9 लाख रुपये की हानि और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड को 1.58 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम या सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी के कार्यकरण-परिणामों का निर्धारण करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि लाभ और हानि के लेखे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं।

(ख) आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी कुछ खानें राष्ट्रीय हित में निस्संदेह कार्य कर रही हैं। परन्तु सामान्य स्थिति इस प्रकार है कि कोयले की मांग में कमी के कारण काफी संख्या में कोयला खानें या तो बन्द कर दी गई हैं या उनमें कार्य निलम्बित कर दिया गया है और या उत्पादन की गति धीमी कर दी गई है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जांच समिति की पहली रिपोर्ट का अभी सरकार द्वारा परीक्षण हो रहा है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात की निर्माण लागत

7487. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री मीठालाल मीना :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात की निर्माण लागत लगभग 650 रुपये है, जबकि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में यह 1,200 रुपये है ;

(ख) यदि नहीं, तो सही आंकड़े क्या हैं ;

(ग) मुख्य किस्मों के इस्पात के निर्यात का मूल्य क्या निश्चित किया गया है; और

(घ) जितने निर्यात का अब वचन दिया गया है, उसके सम्बन्ध में कुल कितनी राज-सहायता दी जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1966-67 में सार्वजनिक तथा नीजी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात कारखानों की प्रथम अवस्था में प्रति टन इस्पात पिण्ड की औसत विनिर्माण-लागत इस प्रकार थी—

	रुपये				
	राउरकेला	भिलाई	दुर्गापुर	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी
खुली भट्ठी में तैयार किये जाने वाले इस्पात पिण्ड	279.75	245.10	281.54	267.47	294.58
एल० डी० प्रक्रिया से तैयार किये जाने वाले इस्पात पिण्ड	272.99	-	-	-	-

(ग) विश्व के बाजारों में इस्पात के ढेर लगे हुए हैं और विदेशों में माल बेचने के लिए विभिन्न देशों में बड़ा मुकाबला है, अतः निर्यात-मूल्य का देशीय उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये मूल्य प्रत्येक देश के और प्रत्येक कान्ट्रेक्ट के लिए अलग-अलग होते हैं। गम्यस्थान के आधार पर और वर्गानुसार, प्रत्येक माल के लिए एक निम्नतम मूल्य समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं और उससे कम मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(घ) चूंकि निर्यात-मूल्य प्रत्येक देश और प्रत्येक कान्ट्रेक्ट के लिए अपने अपने होते हैं अतः यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि निर्यात के लिए किये गये करारों के लिए कितनी राज-सहायता दी जाएगी। वर्ष 1967-68 में लोहे और इस्पात के निर्यात के लिए 6.86 करोड़ रुपये की राज-सहायता दी गई।

Memorandum from all India Station Masters Union

7488. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether the All India Station Masters' union has recently submitted a memorandum containing six demands to Government ;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) the reaction of Government thereto?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No such memorandum has been received recently by the Government from this Association.

(b) and (c). Do not arise.

समस्तीपुर जिले के ट्रेन क्लर्क

7489. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने दो आफिस क्लर्कों को प्रशासनिक आधार पर उनकी मूल वरिष्ठता का लाभ उनको पक्षपातपूर्ण ढंग से देकर उनकी समस्तीपुर रेलवे जिले में ट्रेन क्लर्कों के रूप में स्थानान्तरित करके वहां से 75 से अधिक ट्रेन क्लर्कों की वरिष्ठता को खराब कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ट्रेन क्लर्क, जो पिछले चार वर्षों से ट्रेन क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे, आफिस क्लर्कों के पदों पर बदल दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या आफिस क्लर्क से ट्रेन क्लर्क के पद पर पदोन्नति की कोई सीढ़ी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किन परिस्थितियों में उनके साथ इस प्रकार का पक्षपात किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (घ). यह मामला विचाराधीन है और एक बयान यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच नर्मदा परियोजना

सम्बन्धी वार्ता भंग हो जाने का समाचार ।

श्री प्र० के० देव(कालाहांडी) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ तथा अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें—

“केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच नर्मदा परियोजना सम्बन्धी वार्ता के भंग हो जाने का समाचार ।”

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री द्वारा 18-12-67 को की गई बैठक में, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और राजस्थान के सिंचाई मंत्री उपस्थित थे, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह कहा कि मध्य प्रदेश की जल की आवश्यकता संकरी और अधिक अन्न उपजाने वाली फसलों को बोने से बढ़ गई है। यह महसूस किया गया कि इस पर कृषि व सिंचाई के विशेषज्ञ विचार विमर्श करें। यह फैसला किया गया था कि उसको एक मास के भीतर ही पूरा कर लेना चाहिए और कि मुख्य मंत्री पुनः 20 जनवरी, 1968 को अथवा इसके आसपास की तारीख को एक बैठक करें।

मध्य प्रदेश के अधिकारियों से यह प्रार्थना की गई थी कि जिस विषय पर राज्य सरकार अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श करना चाहती है वे उन्हें पहले से ही हमें भेज दें किन्तु न कोई जानकारी ही प्राप्त हुई और न ही कोई आंकड़े। फिर भी, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के चार प्रवर अधिकारी भोपाल गये और 18 तथा 19 जनवरी, 1968 को मध्य प्रदेश के अधिकारियों से मिलें। कुछ विचार-विमर्श के पश्चात् उन पदों की सूची तैयार की गई जिनके संबंध में और अध्ययन करने अथवा और जानकारी लेने की आवश्यकता थी और यह मान लिया गया कि इस कार्य को एक मास के भीतर पूरा कर दिया जाये। किन्तु दुर्भाग्य से एक महीने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई जानकारी न भेजी। जब हमने इन आंकड़ों के लिए फिर कहा, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री को 5 मार्च, 1968 को निम्न प्रकार से लिखा :

“गत चार वर्षों के दौरान नर्मदा के बारे में आगे ही बहुत सी जानकारी और आंकड़े केन्द्र द्वारा नियुक्त विविध समितियों को दिये जा चुके हैं तथा अब और जानकारी देने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई और नये आधार्किक आंकड़े प्रस्तुत करने को नहीं हैं। अब जरूरत इस बात की है कि कृषि, सम्बन्धी नई नीति और कृषि सम्बन्धी हाल ही में प्रयोग में लायी गई तकनीकों की रोशनी में इन आंकड़ों को प्रयोग में लाया जाय और इनकी व्याख्या की जाए। इस काम को उत्तम ढंग से करने का तरीका यह है कि आपस में बैठकर इस पर विचार

विमर्श किया जाए और इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि आप अपने विशेषज्ञों को इस उद्देश्य के लिए यथाशीघ्र भोपाल भेजें।”

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि विशेषज्ञ नर्मदा बेसिन का भी दौरा करें और हाल ही के विकास की वृत्ति का अध्ययन करें। अतः ये अधिकारी 20 और 21 मार्च को मध्य प्रदेश गये और उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दिखाये गये नलकूपों द्वारा सेवित कुछ क्षेत्रों में सिंचाई विकास का निरीक्षण किया। इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच इस विषय पर भोपाल में विचार-विमर्श हुआ, किन्तु इसका कोई विवरण तैयार नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने शस्य पद्धति और जल आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कुछ नोट इनको दिये।

मध्य प्रदेश और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की एक बैठक 10 और 11 अप्रैल को हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को रिकार्ड किया जाय और फिर केन्द्रीय सरकार के विचारों को रिकार्ड किया जाए और फिर मध्य प्रदेश के अधिकारियों के प्रयुक्तर को रिकार्ड किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी इस पर अपने हस्ताक्षर करें। इस विचार-विमर्श के शुरु होने से पहले मध्य प्रदेश सरकार के जन-कार्य विभाग के सचिव ने सिंचाई व बिजली मंत्रालय के सचिव को निम्नलिखित रूप से लिखा था :

“इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इसी विषय पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष श्री एम० आर० चोपड़ा की अध्यक्षता में विचार-विमर्श किया गया था और अच्छा होगा यदि यह वार्तालाप भी इसी पद्धति के अनुसार ही हो।”

श्री चोपड़ा के अधीन हुए विचार-विमर्श में विवाद से सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने अपना-अपना दृष्टिकोण रखा था, किन्तु केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष को एक बार भी नहीं कहा गया था कि वे विविध मदों पर इस अधिकारी वर्ग के सम्मुख अपने विचार रखे। तब हस्ताक्षरों के लिए भी नहीं कहा गया था। इस विचार-विमर्श के वर्तमान दौर के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने विचार-विमर्श के सार को जारी करना ही था। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सुनाये गये तरीके से विचार-विमर्श को रिकार्ड करना न तो ठीक है न ही उचित। यह केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली किसी भी पद्धति से मेल नहीं रखता केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की इस प्रार्थना के बावजूद भी विचार-विमर्श को जारी रखा जाए, मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने इस विषय पर विचार-विमर्श करने से इन्कार कर दिया और बैठक से बाहर चले गये।

मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की यह मांग कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अपने विचार रिकार्ड करने चाहिए और कि इस रिकार्ड पर अपने-अपने हस्ताक्षर करने चाहिए एक बहुत असाधारण और अनुचित बात थी, विशेषकर तब जब केन्द्रीय सरकार इस विवाद की भागी नहीं है।

श्री प्र० के० देव : वार्ता के भंग होने का समाचार तथा केन्द्र और राज्यों के तनावपूर्ण सम्बन्धों का होना चिन्ता का विषय है। अतः हम कभी यह सोचते हैं कि राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार के स्थान पर दुबारा नदियों के आधार पर क्यों न निर्धारित की जाएं। हमें यह भी लगता है जिन राज्यों की केन्द्र तक अच्छी पहुंच है उन्हें प्रत्येक मामले में अधिक भाग मिल जाता है। इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार स्वयं न्यायाधीश का कार्य करने के स्थान पर इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई निष्पक्ष न्यायिकरण नियुक्त करेगी जो इस समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार कर के कोई उचित हल निकाल सकें।

डा० कु० ल० राव : केन्द्रीय सरकार इस बात का यथा संभव प्रयत्न कर रही है कि राज्य स्वयं इस नदी जल सम्बन्धी विवाद को हल कर ले। अब तक ऐसा नहीं हो सका है। यदि भविष्य में भी हमारे प्रयत्न असफल रहे, तो सरकार अन्तरज्यीय जल-विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने पर विचार करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : चूंकि नर्मदा जल वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है अतः क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों के बीच इस विवाद को हल करने का है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है इस विवाद के कारण दोनों राज्यों के किसानों को हानि उठानी पड़ेगी

डा० कु० ल० राव : मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कुछ टिप्पणियां दी हैं। उन्होंने उनमें कुछ संशोधन किया है। उनका अध्ययन किया जा रहा है। उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने पर मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रयत्न किया जाएगा। यदि इसमें असफलता मिली तो अन्तरज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

श्री अ० सिंह सगहल (विलासपुर) : सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 262 के अन्तर्गत इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

डा० कु० ल० राव : सामान्य सिद्धान्त के अनुसार राज्यों को अपना विवाद स्वयं निपटा लेना चाहिए। यदि समस्या इस तरीके से हल न हो सके, जैसा कि इस मामले में लगता है, तो अन्तरज्यीय जल-विवाद के अन्तर्गत मामला सौंपना पड़ता है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठरी (मंदसौर) : नर्मदा अनिवार्य रूप से मध्य-प्रदेश की नदी है। इसका सम्पूर्ण जलागम क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है 800 मील में से यह नदी 700 मील मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहती है, केवल 100 मील गुजरात क्षेत्र में बहती है केन्द्रीय सरकार को पूर्णतः निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सरकार को न केवल न्याय ही करना चाहिए अपितु ऐसा प्रतीत भी नहीं होना चाहिए कि सरकार न्याय कर रही है। डा० राव ने समाचार-पत्रों में ऐसा अभास क्यों दिया है कि वह कुछ राज्यों का पक्ष ले रहे हैं ? यदि केन्द्रीय सरकार निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनाती है तो वह एक बहुत खतरनाक परम्परा स्थापित करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विचित्र बात है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी राज्य

सरकार के कर्मचारियों के सहयोग से कार्य नहीं कर सकते हैं। बैठकों की कार्यवाही का रिकार्ड रखा जाता है और यह रखा भी जाना चाहिए। इसके बारे में विवाद क्यों होता है? इस संबंध में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या वह निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करना चाहते हैं?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में दिसम्बर 1966 में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठकमें मैंने इस विवाद के हल के लिए एक सुझाव दिया था जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अच्छा हल बताया था। किन्तु बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गये। उसके बाद उनकी एक बैठक हुई जो सौहार्दपूर्ण रही। यह विचित्र बात है कि समाचार-पत्रों में कहा गया है कि मैं किसी एक राज्य का पक्ष ले रहा हूँ। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की है। मुख्य मंत्रियों के गोपनीय सम्मेलन में मैंने कुछ बात कही थी क्योंकि वह भी दोनों पक्षों को भी मान्य थी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जो चाहे कह सकते हैं। हम सदैव यह प्रयत्न करते हैं कि ऐसे मामले स्वयं परस्पर निपटा लें। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो हम देश के हित को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही करते हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंड्या): सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दो भिन्न-भिन्न बातें रखी हैं। मंत्री महोदय जब केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के प्रधान थे उन्होंने नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बड़ा बांध बनाने के बारे में कुछ सुझाव दिये थे जिनका मध्य-प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विरोध किया था। डा० राव फिर वही सुझाव दे रहे हैं और मध्य प्रदेश उसका विरोध कर रहा है।

डा० राव मध्य प्रदेश में सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन को इस विवाद के लिए बेकार में उत्तरदायी ठहरा रहे हैं।

अब महाराष्ट्र ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। मैसूर केन्द्रीय सरकार को नोटिस दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें डा० राव में विश्वास नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि मंत्री महोदय सम्बन्धित पक्षों में समझौता कराने के लिए कारगर ढंग से कार्य करते रहेंगे?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातें सच नहीं हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से सम्बन्धित रहते हुए मैंने कभी भी एक बड़ा बांध बनाने का सुझाव नहीं दिया था। बड़े बांध का सुझाव वर्ष 1963 में मेरे मंत्रित्व काल में आया था। वर्ष 1963 में गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच बांध के बारे में समझौता हुआ था। शेष बातें काल्पनिक हैं। बड़े बांध का प्रश्न हाल में ही उठाया गया है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वक्तव्यों का सम्बन्ध है, मुझे केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की बात पर निर्भर करना पड़ता है। इस महीने की 11 तारीख को, जिस दिन वार्ता भंग हुई थी, मैं यहां नहीं था। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं यहां था और मैंने वार्ता भंग करवाने के लिए कहा था। केन्द्रीय सरकार के अधिकारी अनुभवी व्यक्ति हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताओं में भाग लेते हैं। उन्हीं के कहने के अनुसार मैंने वक्तव्य में तथ्य दिये हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है वह

स्वयं अपने मन से कहा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वे जो चाहे कह सकते हैं। मैं उन्हें इस विशेषाधिकार से वंचित नहीं कर सकता हूँ।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने सम्बन्धी सूचनाओं के बारे में

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, I came to you and sought your permission for having discussion on this matter.....(Interruptions).....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, शोर करके सभा में अशान्ति पैदा कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री वाजपेयी जी मेरे पास आये थे और उन्होंने इस पर चर्चा के लिए मुझसे अनुमति मांगी थी, इसीलिए मैं इस बारे में उन्हें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दे रहा हूँ। उनके विचारों से सहमत होना या न होना अलग बात है।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, what has happened in Uttar Pradesh is a big blow to democracy in the country. When the announcement regarding President's rule was made in the House on 25th February, 1968, the Home Minister had said that the Assembly would not be dissolved because the Government want to restore popular Government in the state at an early date.

The leaders of the S. V. D. came to Delhi and met the President. They told the President that they commanded a majority in the legislature. But they were not given a chance and the Assembly has been dissolved. It is very unfair. If the S. V. D. did not have majority support then the leader of the Congress Party should have been invited to form the Government. After all one of the two must have been in majority and should have been called to form the Government. But this was not done. The Home Minister has inflicted a severe blow on our federal constitution by dissolving the legislature and continuing President's rule in the State. We must censure the Government for this act and therefore leave may be granted to move the adjournment motion. This matter must be discussed immediately.

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मुझे अनेक स्थगन प्रस्ताव मिले हैं। मैं कुछ समय पहले यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा की अवधि में स्थगन प्रस्ताव लाना उचित नहीं है क्योंकि यदि माननीय सदस्य सरकार को गिराना ही चाहते हैं तो वे मांगों पर मतदान के समय ऐसा कर सकते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री वाजपेयी जी को सहमत कराने का प्रयत्न किया था। यदि हम उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि मांग पर चर्चा को स्थगित करना पड़ेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है यही कारण है कि यह जानते हुए भी राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर इस सभा में विचार किया जायेगा तथा मांगों पर मतदान के दौरान हम सरकार को गिरा सकते हैं, हमने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। अध्यक्षों के सम्मेलन में आचरण सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त बनाये थे जिनकी देश भर में

सराहना की गई थी। किन्तु सरकार ने उनकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। इससे एक नया प्रश्न पैदा हो गया है जिसका संसदीय कार्यों से गहरा सम्बन्ध है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : उत्तर प्रदेश के बारे में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके अतिरिक्त गोहाटी में किसी सैनिक कर्मचारी द्वारा दो पत्रकारों को पीटे जाने के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में मैंने आज प्रातःकाल आपको लिखा था। मुझे इस बारे में तार मिले हैं। अतः मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति चाहता हूँ। प्रतिरक्षा मंत्री महोदय को इस बारे में कम से कम वक्तव्य तो देना ही चाहिए। इस घटना के कारण आसाम, जो एक सीमावर्ती राज्य है, में तनाव है। अतः मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ी संख्या में किसी न किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण सूचनाएं मिली हैं। यदि मैं उन पर चर्चा की अनुमति देने लगूँ तो मैं समझता हूँ कि एक मांग भी स्वीकृत नहीं हो पायेगी।

संयुक्त मोर्चे की सरकार के हटाने से उत्तर प्रदेश के विरोधी दल के सदस्य उत्तेजित हैं जो कि स्वाभाविक भी है। इसी कारण मैंने इस मामले के यहां उठाने की अनुमति दी है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : यह एक ऐसी घटना है जिसके होने की आशा नहीं की जाती थी। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने बहुमत नहीं खोया था। अपने आन्तरिक मतभेद के कारण वे अपना नेता बदलना चाहते थे। ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए केन्द्रीय सरकार ने वहां की विधान सभा को ही भंग कर दिया। मेरे विचार में कामरोको प्रस्ताव के द्वारा सरकार की भर्त्सना करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा कुछ ही मिनटों में सभा के सामाने आवेगी और मुझे विश्वास है कि गृह कार्य मंत्री शीघ्र ही उस पर चर्चा के लिये तैयार हो जायेंगे। इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार होगा तथा गृह कार्य मंत्री से भी परामर्श किया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

“परफारमेन्स बजट्स आफ सलैक्टेटेड आर्गनाइजेशन्स 1968-69”

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं अतारांकित प्रश्न संख्या 4398 के उत्तर में 14 दिसम्बर, 1967 को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में, ‘परफारमेन्स

बजट्स आफ सलैक्टेड आर्गनाइजेशन्स 1968-69' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-869/68]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स एण्ड त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स—सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : श्री फरूद्दीन अली अहमद की ओर से मैं :

- (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 519क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-870/68]
- (दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।
- (3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-871/68]

नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन—सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

- (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नीवेली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नीवेली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-872/68]

खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्न की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 634 में प्रकाशित हुए। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-873/68]

नौ सेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री मं० रं० कृष्ण की ओर से निम्न को सभा-पटल पर रखता हूँ :

नौ सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) (संशोधन) विनियमन, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 3-ई में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-874/68]

(दो) नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (दूसरा संशोधन) विनियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 4-ई में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-874/68]

उत्तर प्रदेश के बारे में राज्यपाल का प्रतिवेदन तथा उद्घोषणा

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं निम्न पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूँ :

- (1) राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिले दिनांक 10 अप्रैल, 1968 के प्रतिवेदन की एक प्रति।
- (2) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा की एक प्रति जिसके द्वारा संविधान के राज्य अनुच्छेद 356 के खण्ड (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध

में जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा में परिवर्तन किया गया है।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी-875/68]

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, we are leaving the chamber to raise our protest against this proclamation. It is shameful.

इसके पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

Shri A. B. Vajpayee and some other Hon. Members then left the House

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

पचासवां प्रतिवेदन
Fiftieth Report

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय—पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद—के बारे में प्राक्कलन समिति का पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी
GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे। श्री किरूतिनन अपना भाषण करेंगे।

श्री किरूतिनन (शिवगंज) : अध्यक्ष महोदय स्वतन्त्रता के पश्चात से सरकारी उपक्रमों में लगाये गये धन की राशि बहुत बढ़ गई है। इस समय सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय पूंजी का दो-तिहाई भाग लगा हुआ है। 21 मार्च, 1967 को सरकारी क्षेत्र में 2841 करोड़ रु० की राशि लगी हुई थी और इसमें भी केवल हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड में 1028 करोड़ रु० लगा हुआ है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Deputy-Speaker in the Chair

भिलाई इस्पात कारखाने को 170.15 लाख रु० तथा रूरकेला कारखाने में 190.38 लाख रु० और दुर्गापुर कारखाने में 1316.40 लाख रु० का घाटा हुआ।

हमें ऐसी आशा नहीं दिखाई देती कि भविष्य में हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्य में सुधार होगा।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन में भी 1965-66 की तुलना में कमी हुई है।

हमारे देश में अच्छी किस्म के इस्पात के उत्पादन न होने के कारण हमें विशेष प्रकार का इस्पात अब भी विदेशों से आयात करना पड़ता है। हमारे देश के इस्पात का अधिकांश भाग सरकारी विभागों तथा उपक्रमों में प्रयोग होता है जिनमें रेलवे तथा प्रतिरक्षा विभाग भी शामिल हैं। जो स्लीपर इस्पात विभाग ने दिये हैं उनमें बड़ी खराबियां हैं।

सरकार ने इस्पात कारखानों में जो धन लगाया है उस पर दो प्रतिशत लाभ भी नहीं प्राप्त हो रहा है।

हमने सरकार से प्रार्थना की कि सेलम में इस्पात का एक कारखाना लगा दिया जाये परन्तु हमें बताया गया कि सरकार के पास धन नहीं है। अब सरकार बोकारों इस्पात कारखाना खोल रही है और अनुमान है कि उस पर 1000 करोड़ रु० व्यय होगा। मेरा सुझाव यह है कि बोकारो इस्पात कारखाना लगाने की बजाय इसी राशि से तीन इस्पात कारखाने स्थापित कर दिये जायं जो कि मद्रास, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश में एक-एक हों।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि चौथी योजना में सेलम में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाय।

Shri Bhola Nath (Alwar) : Sir, I support these demands of this Ministry. This age is called steel age. Our Late Prime Minister Pandit Nehru used to call the steel plants are our new pilgrim centres.

If there is some wrong somewhere the fault does not lie in the steel projects. We are marching forward and we would continue to do so.

There is great demand for the tin sheets for construction of houses in Rajasthan. But the black sheets are not meeting the demand in full. I, therefore, suggest that Government should pay attention to this atleast and manufacture more sheets.

I have found that in my constituency the work in the copper mines is going on at a slow space. I want that work should be done on a rapid speed so that the copper wires may be fully utilised in the telephone industry and new telephone connections may be given.

I have been told that there is much coal near the mines which is not being utilised. I want it to be sent to the villages so that people may use them as fuel and the cow-dung may be utilised for agricultural production.

I again want that the tin may be produced in large quantities so that people may not suffer from its inadequacy.

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : Sir, coal and steel are necessary for the development of the country. We have got great reserves of coal in our country which will be sufficient for us for fifty years. But we are not utilising them properly. We should therefore pay attention to this aspect, We should give proper facilities so that we may extract coal in maximum quantity. We should try to extract maximum quantity of coking coal too.

The Tariff Commission has recommended that the collection of cesses on coal should be placed at the disposal of Coal Board directly, so that funds are available to the Coal Board for prompt payment.

The transport capacity of railways in 1967-68 was 245 million tons but we could avail of only 203 million tons out of it.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः सम्बैत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Deputy-Speaker in the Chair

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, about 900 policemen have been suspended.

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न को उठाने का समय नहीं है। श्री बृज भूषण लाल अपना भाषण जारी रखें।

Shri Brij Bhushan Lal : Sir, as I was saying we have coking coal in sufficient quantity which can meet our demands for another fifty to sixty years, but our forest resources are very limited. We have no hope of expanding our forest resources. We should have a plan to supply coal to our villages and save cow-dung for manure.

Steel is very important for the prosperity of a country. It is as important for industrial development as for agricultural development.

Government have invested Rs. 1,028 crores in the steel plants viz, Bhilai, Durgapur and Rourkela steel plants which 36 per cent of the total amount invested in the public sector. But it is said that these plants are not running properly and we have incurred a loss of Rs. 120 crores during the last ten years on these plants. The loss incurred in 1966-67 alone amounted to Rs. 20.55 crores. Again, during 1967-68, the loss was estimated at Rs. 40 crores. Their losses are increasing every year. And then taxation policy is used for meeting the losses of these plants and the poor tax-payer has to suffer. This is a burden on our national economy. The Government should seriously consider what are the factors responsible for this continuing loss.

Gross mismanagement, corruption and leakage in these plants are the factors responsible for this huge loss. There are some people in these plants who indulge in corrupt practices and make money. The General Managers of these plants enjoy vast powers and can create as many new posts as they like. The result is they have made appointments on a large-scale and thus have created a serious problem of heavy over-staffing. These managers also enjoy powers of large scale purchases which are being misused. These powers should be withdrawn from them. The Government should set-up a Board or an advisory committee for the purpose of these large-scale purchases. The recommendations made by the public undertaking committee in regard to these plants should also be implemented properly. Adequate attention should be paid to set the working of these plants right.

There is great anomaly in our planning. We are going to start the Bokaro Steel Plant on which several thousand crores rupees will be spent. I entirely agree that the construction of this project is in the national interest and it can meet the requirement of the country. But should it be allowed to effect expansion of the existing plants? We have stopped further expansion of the existing plants. It is difficult to reconcile the two things.

It appears that the Government is not so serious about these losses being incurred by these public undertakings. In fact, in-efficient and corrupt officers are mainly responsible for this sorry state of affairs. If the Government want to stop the losses being incurred by our steel plants, it is necessary that the present inefficient and corrupt officers are removed from their posts and fresh appointments are made. If this is done, the problem would be solved.

श्री राणे (बुलडाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के साथ-साथ मुझे कुछ सुझाव देने हैं और जहां शिकायत है, कुछ आलोचनाएं भी करनी हैं।

समयाभाव के कारण मैं अपना भाषण सुझावों से आरम्भ करता हूं। किसानों को लोहे की नालीदार चादरों की सप्लाई करने के लिये इस मंत्रालय को इनका निर्माण करने के लिये एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए। किसानों को पिछले दो या तीन वर्षों से ये चादरें नहीं मिल रही हैं और उनकी कीमत बहुत ऊपर चढ़ गई है। किसानों को अपने मकानों की छतों, ढोर शालाओं तथा गोदामों के लिये इन चादरों की सख्त जरूरत है और होती रहती है। आज देश में इन चादरों का कुल उत्पादन 1 लाख 20 हजार टन प्रति वर्ष है और मेरा अनुमान ऐसा है कि हमारी इन चादरों की वर्तमान आवश्यकता पांच लाख टन प्रतिवर्ष है क्योंकि किसानों को कई वर्षों से ये चादरें नहीं मिल रही हैं। उद्योगों को ये चादरें सैकड़ों टन मिल रही हैं किन्तु किसानों को उनके मकानों, इन्जन-घरों आदि के लिये एक भी चादर नहीं दी जा रही है। यह समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि मंत्रालय बड़े पैमाने पर उनका निर्माण-कार्यक्रम आरम्भ न करे।

दूसरा सुझाव यह है कि बोकारो के बाद हमें कोई इस्पात कारखाना स्थापित नहीं करना चाहिए। यह जरूरी है कि सरकार को इन उपक्रमों से राजस्व प्राप्त होना चाहिए। जब तक इन उपक्रमों को व्यापारिक ढंग से नहीं चलाया जाता और उनसे मुनाफा नहीं होता, तब तक नये इस्पात कारखाने नहीं लगाये जाने चाहिए। चालू कारखानों की स्थिति को सुदृढ़ बनाना और उत्पादन में विविधता लाना हमारे लिये जरूरी है।

तीसरा तकनीकी कार्यक्रम के बारे में है। प्रतिवेदन से पता लगता है कि इस्पात कारखानों के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन वह अपर्याप्त है। इस्पात कारखानों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है।

चौथा सुझाव रही माल के सम्बन्ध में है। इस समय हमारे देश से लगभग 5½ लाख टन रही माल का निर्यात किया जाता है जिससे लगभग 12 करोड़ रुपये मिलते हैं। लेकिन इस

रही माल का देश में उत्पादन के लिये उपयोग किया जा सकता है। इस समस्या की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

पांचवा, राज्यों द्वारा इस प्रश्न पर कि किस यूनियन को मान्यता दी जाये, निर्णय लेने में विलम्ब तथा कार्मिक संघों की आपसी वैमनस्यता के कारण औद्योगिक सम्बन्ध और अधिक खराब होते जा रहे हैं। मंत्री महोदय को समवर्ती सूची के आइटम 22 के अन्तर्गत कार्मिक संघों के बारे में संसद् में एक विधेयक पेश करना चाहिए। राज्यों की सहमति तथा उन्हें विश्वास में लेकर ऐसा विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

इस्पात कारखानों के काम की कटु आलोचना की गई है और कहा गया है कि इनमें घाटा प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। किन्तु इनके न होने पर हमें औद्योगिक विकास के लिये प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये मूल्य का आयात करना पड़ता। इन्हीं के कारण हमारे देश में इन दस वर्षों में इतना अधिक औद्योगिक विकास हुआ है और आयात के मामले में भी पर्याप्त बचत हुई है।

इस्पात कारखानों के कार्य तथा कार्य प्रणाली के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने की काफी गुंजाइश है और इस ओर ध्यान भी दिया जाना चाहिए। फिर भी मेरा मत है कि इन कारखानों ने तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में ये कारखाने और अच्छा काम करेंगे और घाटा पूरा करके मुनाफा देने लगेंगे।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the demands of the Ministry. I feel that this Ministry is one of the most important Ministries as it deals with the production of iron and Steel and coal which are the primary necessities for the industrial development of our country and I therefore think that this Ministry deserves more attention. It is not correct to say that we need not establish any more steel plants in the country because we have already got Surplus of steel. The fact is that we require steel for our defence, agricultural development, industrial development and for the all-round development of the country. But the U. S. A. is not interested in the establishment of these plants in our country. So those who are criticising the setting-up of new steel plants and expansion of the existing ones are voicing the interest of the U. S. A.; we should not be guided by such people and should see the interest of our own country. It is very necessary that all efforts are made to augment the capacities of the existing steel plants and also reach the targets laid down for our steel plants.

Expansion of steel plants and increase in production necessarily required a market for steel goods in absence of which these would lead to recession. It is misfortune that we missed the golden opportunity of finding a permanent market for our steel goods in the Arab countries. Those countries had recently stopped their oil supplies to the imperialist countries. We are in need of oil and they were in need of steel and steel goods and we could have availed of that opportunity. But it was not done perhaps because of incurring displeasure of the U. S. A. or the U. K. There is still time that Government make a serious effort in this regard.

Now coming to the performance of these plants, it is a record of continuous inefficiency and mismanagement. It is unfortunate that the public sector projects are in the hands of such people as do not want to see these projects prosper. There are people in these projects who are not at all worried about the losses being incurred by these undertakings ; they are rather responsible for these losses. Although employed in the public sector, they are really interested in the welfare of the private sector and they are rather subserving the interests of the private sector at the expense of the public sector. For instance, the N. C. D. C. wanted to supply coal to the Bokaro Plant but the offer was rejected saying that the coal was of inferior quality. But when the same was auctioned and a private contractor had purchased it, those people purchased that coal from him. Government should set up an inquiry in this regard. So many incidents of this nature are taking place in the private sector. There is gross mismanagement and corruption in the public sector today. The present inefficient and corrupt officers who are working as agents of the private sector should be removed from their posts and fresh appointments made.

The Railway should also Co-operate with the public sector in the matter of wagons for the supply of coal etc. There are cases where this sector had to suffer due to no-supply of wagons by the Railway. Similarly, there is shortage of paper in the country. But the sugar mills are using bagasse as fuel due to non-supply of coal. If coal is supplied there, we can utilise bagasse for manufacturing paper. This will help in solving the problem of consumption of surplus coal as well.

Now coming to machanisation, ours is a vast country with highest density of population. The country is already facing unemployment problem. In view of the large scale unemployment in the country it is necessary that we adopt automation only where it is inevitable otherwise it will make the situation still worse.

Industrial relations are getting from bad to worse. In Some undertakings, management is responsible for causing industrial disturbance. Apart from inter rivalry in unions, the anti-labour policy of the Government is also causing industrial unrest. The general policy of the Government has been not to recognise the most represented unions and Associations of the workers and employes in the public sector undertakings. In all these undertakings, including Durgapur, the Government tried to bring the I. N. T. U. C. unions and discriminated against the other unions. This policy has also created more difficulties for more production etc. The labourers should be treated well and all amenities including accommodation should be provided to them so that they are encouraged to produce more.

There are mineral deposits in South Bihar, Madhya Pradesh and Orissa. Steps should be taken to complete these surveys as early as possible.

श्री हिमन्तसिंहका (गोड्डा) : इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत भारी पूंजी लगी हुई है और यदि उनमें काम उचित ढंग से हो और उनकी व्यवस्था समुचित हो, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि उनसे हमें लाभ न मिले और वे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक न हों ।

[श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए]
[Shri S. M. Joshi in the Chair]

इन उपक्रमों के लिये आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की गई है। और इनमें उत्पादन की हर सुविधा उपलब्ध है। हम इन कारखानों की अधिकतम क्षमता का अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस कारण भी घाटा आ रहा है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इन परियोजनाओं का कार्य समुचित अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को सौंपा जाये और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता दी जाये और यदि वे सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार काम करते हैं, तो उनके काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा उद्योगों से कोई लाभ नहीं होगा।

अब भी ऐसी बहुत सी वस्तुयें हैं जिनका विदेशों से आयात किया जाता है परन्तु आवश्यक मशीनें आदि लगाकर हम उनका देश में निर्माण कर सकते हैं।

विरोधी दल के किसी सदस्य ने यह मांग की थी कि विशाखापत्तनम और हास्पेट में इस्पात के कारखाने लगाये जाने चाहियें। परन्तु मैं यह समझता हूँ कि छोटे इस्पात कारखाने लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि वर्तमान कारखानों का विस्तार किया जाये तो उन पर लागत बहुत कम लगेगी तथा उनमें जो वस्तुयें बनेंगी वे भी सस्ती होंगी।

सरकारी क्षेत्र में अधिकांश कारखानों में बहुत कर्मचारी भर्ती किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि इस वजह से भी उन्हें मुनाफा कम हो रहा है। यदि अनुमान लगाया जाये तो पता चलेगा कि तीन इस्पात कारखानों में से प्रत्येक कारखाने में 7000 से लेकर 8000 तक फालतू कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों पर करोड़ों रुपये का खर्च होता है। इसलिये यदि इन कर्मचारियों का किसी दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जाये तो मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत सुधर सकती है।

मैं समझता हूँ कि रूस से क्रेन मंगाने के लिये उसे हाल में 50 लाख रुपये का क्रयादेश दिया गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि हमारे देश में ही क्रेन बन रही हैं तो रूस से उनका आयात क्यों किया जा रहा है। इन क्रेनों के लिये तो देश के कारखानों को क्रयादेश दिये जाने चाहियें। जो वस्तुयें देश में बनती हों उन्हें विदेशों से नहीं मंगाया जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के कारखानों को तो अपनी वस्तुयें विदेशों में बेचने के लिये प्रयत्न करना चाहिए।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की आलोचना की गई है। मुझे ऐसी घटनाओं का पता है जहां मात्रा तो कम दी गई है और बिल ज्यादा लिया गया हो। ऐसी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये। यह भी कहा गया है कि कोयले की उतनी खपत नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिये थी। यह अनुमान लगाया गया है कि ईंधन के लिये गाय का गोबर जलाया जाता है। इसलिये यदि हम बंगाल और बिहार में अप्रयुक्त कोयले को गांवों में भेजकर उसके बदले गोबर को किसानों के खेतों में खाद के काम लाने की व्यवस्था कर सकें तो उससे कोयले की खपत भी बढ़ जायेगी और किसानों की खाद आदि की समस्या भी हल हो जायेगी। इसलिये इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं अलौह धातुओं के बारे में कुछ कहूंगा। जावर की खान का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। हमारे देश में लगभग 80,000 टन जस्ते की आवश्यकता है जबकि केवल 18,000 टन जस्ता तैयार किया जायेगा। इसलिए हमें जस्ता तैयार करने वाले स्मैल्टर का विस्तार करने का प्रयत्न करना चाहिये।

माननीय मंत्री को किसी परियोजना के पूंजीगत व्यय का भी ध्यान रखना चाहिये। यह बड़े दुख की बात है कि जब किसी परियोजना के बारे में निर्णय किया जाता है तो उसके लिये जो धनराशि नियत की जाती है बाद में वह बढ़ती ही चली जाती है। उदाहरण के तौर पर आप खेतरी ताम्बा परियोजना को ही ले लीजिये। यह परियोजना लगभग 24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई थी। इसके बारे में 1962 में निर्णय किया गया था और अब 1968 वर्ष आ रहा है तथा अभी तक उसमें एक औंस ताम्बे का भी उत्पादन नहीं हुआ है। इसकी लागत अब 89 करोड़ रुपये हो गई है तथा यह लागत अभी और भी बढ़ सकती है। 1971 से पहले इसमें उत्पादन होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जिस परियोजना को आरम्भ किया जाये उसे शीघ्र ही पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की भी काफी बचत होगी। दूसरे, अधिक परियोजनाओं की बजाय कम परियोजनाओं को एक साथ आरम्भ करना चाहिये। इसके अलावा परियोजनाओं का काम योग्य कर्मचारियों के हाथों में दिया जाना चाहिये। उन कर्मचारियों को क्षेत्रीय नीति के अधीन काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेते समय पूंजीगत व्यय पर भी अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि यह अनावश्यक रूप से न बढ़े। अलौह धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भी नहीं होने चाहिये तथा जो वस्तुयें देश में बनाई जा सकती हों उनका आयात नहीं किया जाना चाहिए।

Shri George Fernandes (Bombay-South): The committee on Public undertakings has submitted its report regarding National Coal Development Corporation. In that report the committee has said that the performance of NCDC is a story of unmitigated inefficiency and mismanagement. It has further said that the responsibility for mismanagement and inefficiency of the corporation lies on the shoulders of the top management of National Coal Development Corporation. The second line of management is equally to be blamed. At the end the committee has said that they feel that the Government, although aware of the distressing conditions prevailing in NCDC, did not take any effective action all these years to improve matters.

It is a matter of great sorrow that the behaviour of the bureaucrats in National Coal Development Corporation towards the labourers is very objectionable. The unskilled colliery workers who were ostensibly employed by NCDC to work in the collieries had to work as personal servants in their houses. This is most objectionable.

The condition of Hindustan Steel Limited is no better. Its condition is also the same. Last year a big advertisement was made in all the newspapers of the country to misguide the public by quoting the wrong figures about Hindustan Steel Limited. The heading of that advertisement was "what is the country losing on Hindustan Steel. It is time to consider the

facts.” It was said therein that H.S.L. has a total capital of Rs. 528 crores and has produced things during the last seven years worth Rs. 900 crores. It is absolutely a wrong statement because the capital of Rs. 528 crores is in the form of shares only and does not include loans etc.; which amount to about Rs. 450 crores. Thus the total capital comes to 960 crores which has become at present about 1000 crores.

As far as production in these projects is concerned they have marketed their produce to the tune of Rs. 238 crores in 1966, which became less by 7 crores, the next year, i. e. 1967 they marketed their produce to the tune of Rs. 231 crores. In 1966 it incurred a loss of 1.33 crores and in 1967 of Rs. 23.90 crores. Thus it shows that we are incurring loss on this public undertaking also. But it was shown to the world that everything is going on nicely.

The past experience has shown that the public undertakings under the supervision of bureaucrats have not done good work. At page 3 of the Demand paper a demand for Rs. one lakh and six thousand has been made for three secretaries for the next year. Apart from it they will be getting their T. A. and D. A. I am therefore of the view that the management of these undertakings should be snatched from such bureaucrats and entrusted to those persons who know how to run them.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर): समाजवादी व्यवस्था में किसी भी उद्योग का सूत्रपात करने की आवश्यकता होती है तथा अनजाने में हुई गलतियों के कारण तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा जानबूझ कर किये गये गलत कार्यों की वजह से जो घाटा हो सकता है उस पर भी विचार किया जाना चाहिये। जो व्यक्ति जानबूझ कर गलती करें उन्हें अवश्य दण्ड दिया जाना चाहिये। दूसरी ओर जो गलतियाँ अनजाने में हुई हों उनके बारे में कड़ाई से काम नहीं किया जाना चाहिये।

पन्द्रह वर्ष पहले जब आरम्भ में सरकारी क्षेत्र की पहली परियोजना इस्पात का विकास करने के लिये आरम्भ की जानी थी तो गैर-सरकारी क्षेत्र में यह कहा जाता था कि इसकी कोई मांग नहीं होगी। आज भी वही बात कही जाती है। परन्तु मांग है और वह बढ़ती रहेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि जब हम सरकारी क्षेत्र के बारे में निर्णय करें तो हमें उसे उसके कामों को लाभ की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये बल्कि दूसरी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहा है उनका निर्माण टिस्को में नहीं होता है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड योजना प्राथमिकताओं तथा बहुत से उद्योगों के लाभ के लिये योजना में निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है।

ऐसा लगता है कि इस्पात उद्योग में 40 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है। परन्तु लम्बी अवधि वाले उद्योगों के लिये हमें यह सहन करना ही पड़ेगा। बशर्त कि उन उद्योगों में आशा की कोई किरणें दिखाई दें। प्रश्न यह है कि क्या हम इस उद्योग को उस स्थिति में ला सकते हैं जिसमें इसकी सारी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि इसकी पूरी क्षमता की मांग होने की कोई सम्भावना नहीं है। परन्तु मैं तो यह समझता हूँ कि यह जो तर्क

दिया गया है यह बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे इस उद्योग का मनोबल गिर जायेगा। इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

इस्पात के मामले में लाभ ही कसौटी नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। दो वर्ष पूर्व और पिछले वर्ष भी मन्दी के समय राज्य उपक्रमों की इस्पात की मांग कम हो गई थी। इसलिये सम्बन्धित कर्मचारियों पर आरोप लगाना बेकार है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है तथा इन उपक्रमों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में साहस से काम नहीं लिया गया है। स्थिति इतनी खराब है कि हाल में रूसी विशेषज्ञों को भी कहना पड़ा है कि हम अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठीक काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि इन उपक्रमों की समूची कर्मचारी नीति का परीक्षण किया जाये और इसमें ऐसे परिवर्तन किये जायें जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि जिस कर्मचारी को जिस काम के लिये नियुक्त किया गया है, वह उस काम को पूरा करता है। हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को काफी अच्छा वेतन देते हैं, इसलिये उनसे यह आशा करने के साथ-साथ कि वे अपने काम को पूरा करें उन्हें अपने कामों के लिये जिम्मेदार भी बनाया जाना चाहिये। रूस तथा अन्य देशों में कर्मचारियों को नीतियों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार बनाया जाता है और यदि वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें दंड दिया जाता है। इसी प्रकार अमरीका में भी, जहां निजी क्षेत्र पद्धति है, कर्मचारियों को अपने कामों का जिम्मेदार बनाया जाता है और यदि वे उन्हें पूरा करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। परन्तु हमारे देश में स्थिति ही और है। हमारे यहां कोई कर्मचारी चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों न करे और उससे उद्योग को चाहे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न हो, उसे कोई सजा नहीं दी जाती और इसके विपरीत उसकी पदोन्नति कर दी जाती है। यदि यही पद्धति बनी रही और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों की पदोन्नति को उनकी सेवा की सफलता से सम्बन्धित नहीं किया गया, तो हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई नहीं बचा सकेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संसद् को दिलचस्पी लेनी चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, इसलिये संसद् सदस्यों को उनके कार्य संचालन में रुचि लेनी चाहिये। इसके साथ-साथ सरकार को भी चाहिये कि वह संसद् सदस्यों को इन उपक्रमों के कार्य संचालन के साथ सम्बद्ध करने का प्रयत्न करे, ताकि वे इन उपक्रमों की कठिनाइयों को समझकर उन्हें सुलझाने के उपाय कर सकें। मुझे ज्ञात है कि बहुत सी समितियों ने सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध आदि की जांच की है और कुछ उपचारात्मक सुझाव दिये हैं। परन्तु उनके सुझावों पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को इन उपक्रमों में सुधार करने पर विचार करना चाहिए तथा इन उपक्रमों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये। यदि

ऐसा किया जाता है तो तभी हम अपने उपक्रमों के कार्यसंचालन की स्थिति का सुधार कर सकते हैं, अन्यथा कोई सुधार संभव नहीं है।

श्री रमानी (कोयम्बतूर) : महोदय, यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि देश के औद्योगिक विकास के लिये जो चीजें मूल रूप से आवश्यक हैं, जैसाकि इस्पात, कोयला तथा अन्य धातु उनका उत्पादन इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। यह मंत्रालय हिन्दुस्तान स्टील, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा ऐसे ही अन्य संगठनों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नियंत्रित करता है तथा इस मंत्रालय की सफलता इस बात पर निर्भर है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यसंचालन में सुधार करने तथा उनके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में यह मंत्रालय कहां तक सफल रहा है। यदि हम इस दृष्टि से इस मंत्रालय की सफलता का मूल्यांकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि यह मंत्रालय अपने कर्तव्यपालन में बुरी तरह से असफल रहा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारी हानि हुई है। वर्ष 1966-67 में 20.5 करोड़ रुपये की हानि हुई है और वर्ष 1967-68 के पहले 9 महीनों में 22.3 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है तथा घाटे की यह राशि और भी बढ़ सकती है। इसकी तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र में लाभ हो रहा है। टिस्को को वर्ष 1966-67 में 14.12 करोड़ रुपये का और इस्को को 7.40 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसलिये गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र अकुशल है और अधिकारीगण उद्योग नहीं चला सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के आलोचकों का कहना है कि क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चलते रहे हैं, इसलिये बोकारो इस्पात कारखाने को स्थापित नहीं किया जाना चाहिये।

सरकार निदेशकों का एक बोर्ड या कोई ऐसा ही संगठन बनाने का विचार कर रही है तथा उसका विचार है कि उस बोर्ड में गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के जो सरकारी क्षेत्र के विस्तार और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना के विरुद्ध हैं—प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये। यदि सरकार की यही नीति रही कि पूंजीपतियों तथा एकाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों को जो सरकारी क्षेत्र को खत्म करना चाहते हैं, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये, तो सरकारी क्षेत्रको और भी ज्यादा हानि होगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस्पात का अधिक से अधिक उत्पादन करने का उद्देश्य क्या है? इस्पात के अधिक उत्पादन का उद्देश्य देश का अधिकाधिक औद्योगिकरण करना है। देश के औद्योगिककरण के लिये यह बहुत आवश्यक है। परन्तु इस्पात के मूल्य की स्थिति क्या है? वर्ष 1964 में इस्पात की कुछ किस्मों पर सरकार ने मूल्य नियंत्रण लागू किया था, जिसे मई 1967 में हटा लिया गया था। उसके बाद इस्पात के मूल्य बढ़ गये हैं। इसके कारण छोटे उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बारे में सभा में कई बार विचार-विमर्श किया जा चुका है। यदि ऊंचे मूल्यों के कारणों का पता लगाया जाता और उन्हें दूर किया जाता, तो अधिक अच्छा होता।

एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह लौह अयस्क की सप्लाई से सम्बन्धित है। तीनों सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को लौह अयस्क की सप्लाई खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की जाती है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इसकी कटु-आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि 19 मई, 1966 की खान मालिकों की एक बैठक में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये मूल्यों के मामले पर और निर्यात सप्लाई पर ही विचार हुआ था, परन्तु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। समिति ने खान मालिकों के साथ बातचीत में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को शामिल न करने के खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निर्णय को अनुचित बताया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का इस मामले में मूल हित निहित था और यह अधिक अच्छा होता यदि बातचीत के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खान मालिकों के साथ-साथ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया होता। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के इस रवैये से खनिज तथा धातु व्यापार निगम और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा हो गया है। फिर खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष ने खान मालिकों की एक बैठक बुलाई थी और एक प्रस्ताव पास किया था कि भविष्य में खान-मालिकों को ठेकों के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास सीधे नहीं जाना चाहिये। खान मालिकों की यह सर्वसम्मत सिफारिश है कि जो खान मालिक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से सीधी बातचीत करेगा या कोई ठेका करेगा वह खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से कोई व्यापार नहीं कर सकेगा। समिति ने इसकी आलोचना की है तथा इस सम्बन्ध में समिति के प्रतिवेदन के पैरा 170 में कहा गया है कि समिति इस निर्णय को बहुत आपत्तिजनक समझती है, क्योंकि इससे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर दबाव डाला जा रहा है कि या तो वह खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों को स्वीकार करे अथवा उसे इस्पात कारखाने बन्द करने पड़ेंगे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने, जो कि स्वयं एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है एक दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विरुद्ध ऐसा निर्णय करने की खान मालिकों को अनुमति दी है। यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि यह निर्णय एक ऐसी बैठक में किया गया है जिसको खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बुलाया गया था, जिसके सभापति खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष थे तथा जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम की भांति राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की भी कटु-आलोचना की है। समिति ने राष्ट्रीय कोयला विकास सम्बन्धी अपने दसवें प्रतिवेदन के पैरा 106 में उत्पादन के आंकड़े दिये हैं। उक्त पैरा में लिखा है कि वर्ष 1960-61 में 1 करोड़ 11 लाख टन का उत्पादन हुआ और वर्ष 1962-63 में यह उत्पादन घटकर 61.70 लाख टन रह गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन के पैरा 108 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की आलोचना करते हुए कहा है कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि वर्ष 1965-66 के अन्त तक 3 करोड़ 50 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 68.2 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी रही। समिति ने प्राक्कलन समिति की

सिफारिशों के क्रियान्वित न किये जाने की भी आलोचना की है। समिति ने कहा है कि गैर-सरकारी लोग लोह अयस्क की सप्लाई के बारे में प्रबन्धकों पर छाये हुए हैं तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम जैसे संगठनों में उच्च अधिकारी अपने पदों पर बैठे-बैठे भारी लाभ कमा रहे हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम रूरकेला जैसे इस्पात कारखाने को पर्याप्त लौह अयस्क की सप्लाई नहीं कर रही है तथा निर्यात पर अधिक ध्यान केन्द्रित किये हुए हैं। उसी कारण से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को भारी नुकसान होता है और गैर-सरकारी कम्पनियों को यह कहने का अवसर मिलता है कि सरकार अकुशल है तथा सरकारी क्षेत्र को सफल बनाने में वह विफल रही है। सरकार जनता के धन को बर्बाद कर रही है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करूंगा जो कि सरकार की श्रम नीति के सम्बन्ध में है। सरकार की श्रमिक-विरोधी नीति के कारण उत्पादन घट गया है। भिलाई में जून 1967 में सुरक्षा गार्डों ने मजदूरों पर हमला किया और वहां भारी झगड़ा हुआ। मंत्रालय ने भी मजदूर विरोधी रवैया अपनाया तथा उन्हें उदण्ड व्यवहार का दोषी ठहराया गया। रूरकेला में मजदूरों के संघ को मान्यता नहीं दी गई है। दुर्गापुर सहित सब सरकारी उपक्रमों में सरकार ने इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संघों को लाने का प्रयत्न किया है तथा दूसरे संघों के साथ भेदभाव किया गया है। इस नीति के कारण उत्पादन आदि में कठिनाई पैदा हो गई है।

अपने वक्तव्य के दौरान कल सम्बन्धित राज्य मंत्री महोदय ने कहा है कि अमरीका, जापान तथा जर्मनी में उत्पादन गिर गया है। मैं समझता हूं कि उन देशों के साथ हमारी अर्थ-व्यवस्था की तुलना करना गलत है। वे ऐसे देश हैं जिन्होंने सारे संसार को अपने प्रभाव में किया हुआ है तथा संसार के देशों को अपना माल निर्यात करते हैं और उनका शोषण करते हैं। अब उनकी अर्थ-व्यवस्था संकट में है। अमरीकी डालर स्वयं संकट है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था की तुलना उन देशों के साथ नहीं करनी चाहिये, क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था विकासशील स्थिति में है तथा हमको आत्म-निर्भर होना है। यह बड़े खेद की बात है कि 20 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं कर सके हैं, और मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण सरकार की गलत नीति है। सरकार विदेशी मंडियां तलाश करने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारे देश में ही पर्याप्त मंडियां हैं। हमारे देश के 50 करोड़ लोगों को दैनिक आवश्यकता की चीजों की जरूरत है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय ने 170 करोड़ रुपये के अनुदानों की मांग की है। यह बहुत अधिक राशि है तथा इस मंत्रालय को इतनी राशि नहीं दी जानी चाहिये। मैं इन मांगों का विरोध करता हूं। यदि मंत्रालय का इतिहास कार्य-दक्षता का रहा होता, तो मुझे इन मांगों के बारे में कोई आपत्ति नहीं होती, परन्तु इस मंत्रालय का

इतिहास तो कुप्रबन्ध तथा राष्ट्रीय हानि का इतिहास रहा है। इस मंत्रालय को “इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय” न कह कर “राष्ट्रीय हानि तथा निराशा का मंत्रालय” कहना अधिक उचित होगा। इन भागों में 110 करोड़ रुपये की राशि बोकारो इस्पात कारखाने के लिये मांगी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बोकारो इस्पात कारखाने को भी इसी प्रकार चलाया जायेगा, जिस प्रकार हिन्दुस्तान स्टील को चलाया जा रहा है? अतः जब तक मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन नहीं देंगे कि बोकारो कारखाने को कुशलतापूर्वक चलाया जायेगा, तब तक हम इन भागों का समर्थन नहीं कर सकते।

गत वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील की स्थिति बहुत दयनीय रही है। मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में केवल 20 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा हुआ है। यह अनुमान गलत है। घाटा केवल 20 करोड़ रुपये का नहीं हुआ है, बल्कि बहुत अधिक हुआ है। घाटे के बारे में मंत्रालय ने जो आंकड़े दिये हैं, वे भ्रामक हैं। लाभ-हानि जानने का सही तरीका यह है कि पहले हमें यह देखना चाहिये कि एक संस्था में कितनी पूंजी लगी हुई है और उस पूंजी पर कितना लाभ प्राप्त हुआ है। मान लो हिन्दुस्तान स्टील में यदि 900 अथवा 1000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और यदि उस पर उस लाभ की दर 5 प्रतिशत भी लगाई जाये, तो लाभ की राशि 50 करोड़ रुपये आती है। परन्तु 50 करोड़ रुपये मिलने की बजाये 20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि घाटे की राशि 20 करोड़ नहीं बल्कि 70 करोड़ रुपये है। यह पिछले सात वर्षों से चल रहा है। यह स्थिति पूर्णतयः असंतोषजनक है और किसी भी कारण से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति से तीन बड़ी हानियां हुई हैं और वे यह हैं कि इससे करदाता का धन बर्बाद किया गया है और राष्ट्रीयकरण तथा समाजवाद के नाम पर झुब्बा लगा है।

घाटे के कारणों का उल्लेख करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि घाटे का मुख्य कारण मंदी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। हमने गत 15 वर्षों में तीन पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई हैं। योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था में मंदी नहीं हो सकती, क्योंकि योजना का एक उद्देश्य यह होता है कि मंदी नहीं होगी। समाजवादी कहते हैं और इसे सब स्वीकार करते हैं कि योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था में मंदी नहीं हो सकती, मंदी अथवा आर्थिक संकट तो केवल पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में होता है। पहले तो मैं इस बात को ही स्वीकार नहीं करता कि देश में मंदी है और यदि देश में मंदी है भी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि टाटा परिवार कैसे लाभ कमा रहा है। वह भी तो भारत में ही है। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था योजना-बद्ध नहीं है और सरकार की सब योजनाएँ बेकार हैं।

अब मैं श्रमिक उपद्रवों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक उपद्रव बहुत अधिक हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप आंकड़ें इक्ठ्ठे करें, तो सिद्ध हो जायेगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में अधिक श्रमिक उपद्रव हुए हैं। इन श्रमिक उपद्रवों का कारण यह है कि सरकार ने श्रमिक

विरोधी नीति अपनाई हुई है। सरकार कार्मिक संघों में राजनीति ले आई है। इसी कारण से यह सब उपद्रव हो रहे हैं। सरकार इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को मान्यता देती है, चाहे मजदूर उसके समर्थक हों या नहीं। रूरकेला की रूरकेला मजदूर सभा को केवल तभी मान्यता दी गई है, जबकि उड़ीसा सरकार ने यह सिफारिश की कि इसको मान्यता दी जाये। यदि उड़ीसा में कांग्रेस सरकार होती, तो इस सभा को मान्यता नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त श्रमिक उपद्रवों का कारण यह भी है कि सरकार मजदूरों को अविश्वास की दृष्टि से देखती है तथा उनका विश्वास कभी नहीं करती है। मैंने तीस वर्षों तक कार्मिक संघों में काम किया है तथा मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि हमारे मजदूर बहुत अच्छे हैं। सरकार को उन पर विश्वास करना चाहिये तथा उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिये। हमारे श्रमिक इतने अच्छे हैं कि यदि उनके वेतन में वृद्धि किये बिना भी आप उनके साथ उचित व्यवहार करें, तो वे संतुष्ट हो जायेंगे। सरकार मजदूरों की मनोभावना को नहीं समझ सकती है और इसी कारण से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक उपद्रव होते हैं और उत्पादन में गिरावट आती है।

निर्यात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हमारे इस्पात और लौह लोहे के उत्पादों का निर्यात 33 करोड़ रुपये का होगा। यह कोई बड़ी रकम नहीं है। यह भी कहा गया है कि हमारे लोहे और इस्पात के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होने की आशा है। मुझे इस बारे में बहुत सन्देह है। उत्पादन लागत को कम किये बिना हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होड़ नहीं कर सकेंगे। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हम निर्यात के परिणामस्वरूप लाभ उठा रहे हैं अथवा घाटा उठाकर निर्यात कर रहे हैं। यदि हम घाटा उठाकर निर्यात कर रहे हैं, तो यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारा निर्यात तभी संभव है, जब कि हम प्रतियोगितात्मक दर पर इस्पात तैयार करें। यदि बोकारो का प्रबन्ध कुशल हुआ तो इस्पात का हमारा उत्पादन काफी होगा और तब हम तैयार माल का निर्यात कर सकेंगे।

हमें अपना विदेशी व्यापार और अधिक बढ़ाना होगा। हमें खनिज लोहा विदेशों में विशेषकर जापान में अवश्य निर्यात करना चाहिये। प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारी बन्दरगाहों पर ढुलाई सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं और वे आधुनिक भी नहीं हैं। हमें उनमें सुधार करना होगा। सरकार उड़ीसा में पारादीप बन्दरगाह के विकास पर 40 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मैं मैसूर राज्य में हुबली से कारवाड़ तक भी एक ऐसी ही परियोजना बनाने का सुझाव देता हूँ। यह बेल्लारी हास्पेट क्षेत्र में खनिज लोहे के निर्यात के लिये बहुत आवश्यक है। कारवाड़ विश्व में सबसे अच्छे बन्दरगाहों में से एक है और खनिज लोहे के लिये यह बन्दरगाह सबसे नजदीक है। इसका आधुनिक ढंग से विकास किया जाना चाहिये। सरकार को रेलवे मंत्रालय तथा परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के साथ भी इस सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिये ताकि मैसूर राज्य में बेल्लारी-हास्पेट का कच्चा लोहा तेजी से और कम खर्च पर निर्यात किया जा सके।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी सभी बातों का उत्तर तो नहीं दे सकूंगा किन्तु अपने मंत्रालय की नीतियां बनाते समय मैं उन पर अवश्य ध्यान दूंगा।

माननीय सदस्यों का ध्यान खासतौर पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की हानियों तथा उसके कार्य-संचालन के विभिन्न पहलुओं की ओर गया है। सरकारी क्षेत्र में जितनी पूंजी लगी हुई है उसकी 36 प्रतिशत पूंजी हिन्दुस्तान स्टील में लगी हुई है। अतः इसकी सफलता अथवा असफलता का हमारे देश की भावी आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

स्मरण रहे कि हमने इस्पात उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा काफी बाद में शुरू किया है। अतः शुरू में एक बड़ी कठिनाई यह है कि बिक्री क्षेत्र इस्पात का कुल ब्लाक 1,176 रुपये प्रति टन के मुकाबले में 2,500 टन है। इसी के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। अन्तर इतना बढ़ जाता है कि ब्याज तथा मूल्य-ह्रास शुल्क का अनुमान लगाते हुए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात में लगभग 170 रुपये प्रति टन का घाटा रहता है। यह बात समझ लेने पर स्थिति को समझा जा सकता है। मूल्य-ह्रास दर 1964 के बाद 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। इस प्रकार प्रति टन 26 रुपये बढ़ गये और इसके फलस्वरूप उत्पादन की लागत भी बढ़ गई।

तुलना करने के लिए जापान के यावटा वर्क्स और अमरीका के बेथलेहम का उल्लेख किया गया है। यावटा वर्क्स और बेथलेहम की बिक्री का प्रतिशत क्रमशः 20.44 और 19.50 है और इसकी तुलना में, अत्यधिक ब्याज तथा मूल्य-ह्रास के कारण हरकेला, भिलाई और दुर्गापुर की बिक्री का प्रतिशत क्रमशः 34.31, 31.64 और 13.40 है। इस्पात के उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले कच्चे माल तथा दूसरी चीजों पर भिलाई में 68.4 प्रतिशत खर्च हुआ। हरकेला में 65.7 प्रतिशत और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में 71.6 प्रतिशत खर्च हुआ। इसी प्रकार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का 1964-65 के दौरान पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात 1:032 था जबकि 'टिस्को' और 'इस्को' के लिए यही अनुपात बहुत अधिक था। घाटे का यह भी एक कारण है।

पूँछा गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में घाटा क्यों हो रहा है। इसके लिए कई बातें जिम्मेदार हैं। मन्दी का प्रभाव भी इस पर पड़ा है। यह कहना ठीक नहीं है कि हम मन्दी का बहाना कर रहे हैं। हमने अपने कारखानों में उत्पादन को रेलवे तथा अन्य परियोजनाओं तक ही सीमित रखा है। रेलवे की मांग में अचानक कमी होने के कारण इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के आर्डरों को भी भारी पैमाने पर रद्द कर दिया गया। अप्रैल 1967 से लेकर फरवरी 1968 तक हिन्दुस्तान स्टील के 848000 टन इस्पात की वस्तुओं के आर्डरों को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार और कई अन्य कारणों से भी ये नुकसान हुए।

हम सभी श्रम-संगठनों में एक ही मान्यता प्राप्त यूनियन बनाने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी यूनियनों के कारण हमें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों के झगड़ों के कारण भी भारी घाटा हो रहा है। 1967-68 में ही मजदूरों के झगड़ों के कारण 6.35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

मैं स्वयं चाहता हूँ कि 'टिस्को' और इस्को जैसे गैर-सरकारी क्षेत्र के यूनियनों में काम सुचारु रूप से चले। 1920 के शुरू से ही 'टिस्को' को सहायता के रूप में बड़ी रकम समय-समय पर मिलती रही है और इसी कारण इसका काम चलता रहा है। इस उद्योग से हम तुरन्त लाभ प्राप्त करने की बात नहीं सोच सकते और घाटे से भी पूरी तरह नहीं बचा जा सकता। अन्य देशों में भी जहाँ इस्पात का बहुत उत्पादन होता है और जो देश इस्पात का निर्यात भी करते हैं वहाँ भी इस्पात के उत्पादन से होने वाला मुनाफा कम हो गया है। हम भी ऊँचे मूल्य भाड़ा और सीमा-शुल्क का भुगतान करके मशीनें और साज-सामान मंगा रहे हैं। हमने केन्द्र और राज्यों को राजस्व के रूप में लगभग 532 करोड़ रुपये दे दिये हैं।

अब सरकारी क्षेत्र इतना खराब नहीं है और हमें निराश नहीं होना चाहिए और यह महसूस नहीं करना चाहिए कि इस्पात कारखानों में सुधार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ महीनों में इस्पात उत्पादन कार्यक्रमों की स्थिति में सुधार हुआ है। दुर्गापुर जैसे सबसे खराब कारखाने की हालत भी सुधर गई है।

कुछ सदस्यों ने बोकारो को सफ़ेद हाथी कहा है। चूँकि यह परियोजना रूस के सहयोग से चालू की जा रही है इसलिए इन सदस्यों की ऐसी धारणा बन गई है। जो लोग बोकारो का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि सरकार इस परियोजना को चालू करने में हिचकिचा रही है। किन्तु हम अपने कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस तरह से कार्यक्रम बनाया है कि 1971 तक हम उत्पादन शुरू कर देंगे। इस दृष्टि से हमने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इस परियोजना के लिए इस वर्ष 110 करोड़ रुपये नियत कर दिये हैं। हम इस परियोजना के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और 93 करोड़ रुपये मजदूरों के लिए मकान बनाने तथा जमीन को समतल करने के सम्बन्ध में खर्च कर दिये हैं। निर्माण-कार्य शुरू हो गया है और सामान मंगाने के लिए देश में और विदेशों में भी आर्डर भेज दिये गये हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हम इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं।

इस देश में एक गलत धारणा पैदा हो गई है कि जब देश में इस्पात पहले ही फालतू है तो फिर बोकारो इस्पात संयंत्र चालू करने की क्या जरूरत है। किन्तु बोकारो संयंत्र अपनी तरह का एक अलग संयंत्र है और हमारे यहाँ अभी तक इस तरह का कोई संयंत्र नहीं है। इस संयंत्र से इस्पात के उन चपटे उत्पादों का पूर्ति हो सकेगी जो हमें अभी विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान हम 36 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये के इस्पात के चपटे उत्पादों का आयात करते रहे हैं। 1970-71 तक हमारी यह मांग 11 लाख टन तक पहुँच जायेगी और

इस बारे में हमें आयात पर 90 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए हम बोकारो संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं। फिर नियंत्रण, चोरबाजारी तथा वितरण सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं होगी। हम अभी नियन्त्रण समाप्त करने के हक में नहीं हैं क्योंकि जब तक ऐसा इस्पात भी जिसकी हमारे देश में कमी है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक नियंत्रण समाप्त नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान पैकेज डील प्रणाली के अधीन कमी वाले उत्पादों के साथ-साथ अन्य श्रेणियों के उत्पाद भी सप्लाई किये जाते हैं। इन सभी बातों को रोकने के लिए मंत्रालय एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके अधीन लगभग 40 करोड़ रुपये के कमी वाले उत्पादों का आयात भी किया जा सकेगा। फिर वास्तव में नियंत्रण समाप्त किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय आदि के पास भी भेजना होगा।

हम जस्ते तथा जस्तेदार चादरों की मांग के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के हितों के प्रति पूर्णरूपेण जागरूक हैं। पहले एक लाख टन का उत्पादन होता था किन्तु अब यह उत्पादन कम हो गया है। यह उत्पादन टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के हाथ में है। उन्हें भी आयातित जस्ते को प्राप्त करने में कठिनाई होती है और उसका मूल्य भी उचित नहीं है। इसीलिए पिछले वर्ष मई में नियंत्रण समाप्त करते समय मूल्य में लगभग 300 रुपये की वृद्धि कर दी गई थी। इसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ गया और दोनों ही टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी मिलकर एक महीने में लगभग 12,000 टन इस्पात तैयार कर रहे हैं। रूरकेला इस्पात संयंत्र में अगस्त 1968 तक उत्पादन होने लगेगा और इस प्रकार मार्च, 1969 के अन्त तक उत्पादन क्षमता 2,00,000 टन प्रति वर्ष हो जायेगी। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप चोर बाजार में इस्पात का मूल्य 3,000 रुपये प्रति टन से गिरकर 2,400 रुपये प्रति टन हो गया है। यह और भी गिरेगा।

पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जोकि एक राष्ट्रीय विपत्ति थी। हमने उनकी भी 22,000 टन जस्तेदार चादरों की आवश्यकताओं को पूरा किया। महाराष्ट्र सरकार उस क्षेत्र में आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये कदम उठा रही है।

इन वर्षों में कुल उत्पादन 30,000 टन था। कहा गया है कि उत्पादन 5 लाख टन होना चाहिए। यह तो सम्भव नहीं हो सकेगा किन्तु हम 3 लाख टन उत्पादन तक पहुंच जायेंगे।

फालतू सामान की सूची के बारे में भी जिक्र किया गया है। 'टिस्को' के पास 37 से 40 महीनों के लिये सामान जमा है जबकि हमारे पास 25 से 39 महीनों के लिये सामान जमा है। यह जरूरी है क्योंकि सामान उपलब्ध होने के बारे में हमारे देश में स्थिति कुछ अनिश्चित सी रहती है। खासकर विदेशी सहयोगी इन वस्तुओं की सुलभता सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि कुशलता पर इसका असर न पड़े। वे ज्यादा से ज्यादा सामान उपलब्ध करना

चाहते हैं। हमने एक समिति नियुक्त की है जो इस पर विचार करेगी कि इसे कहां तक कम किया जा सकता है।

रूरकेला पाइप कारखाने के बारे में भी कहा गया है। यह भावना पैदा की गई कि यद्यपि यह कारखाना 4 करोड़ रुपये की लागत से चालू किया गया तथापि पिछले कई वर्षों से यह बेकार रखा गया और हमने इससे कोई लाभ नहीं उठाया। हमने मार्च, 1967 तक लगभग 86,742 टन इस्पात तैयार किया और इसमें से 3,500 टन कुवैत को भेजा गया जिससे हमें 7.8 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई। इस कारखाने से अब तक 20 करोड़ रुपये की आमदनी हुई और इस पर 3.73 करोड़ रुपये खर्च हुए। हमने और अधिक आर्डर प्राप्त करने की कोशिश की है और हमें न्यूजीलैंड से लगभग 1.3 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त हुये हैं। हम आस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से भी आर्डर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

अब तक के अनुभव से लाभ उठाकर हमारे इस्पात संयंत्रों का कार्य भविष्य में और अधिक अच्छे ढंग से चलेगा। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि हम समुचित प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। यह कोई सरल काम नहीं है। 'टिस्को' जैसा पुराना संगठन भी, जो 30 से 40 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, कर्मचारियों की संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर सका है। हम असैनिक सेवा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से आने वाले तकनीकी विशेषज्ञों की स्थिति को दृढ़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम एक तरह की 'इस्पात सेवा' कायम करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि तकनीकी विशेषज्ञों को प्रोत्साहन दिया जा सके और गलती करने पर उन्हें दण्ड भी दिया जा सके। असैनिक सेवा के बारे में अनुचित गर्व जैसी कोई बात नहीं है।

हमने अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक संगठनों के नेताओं से बातचीत की है। हमने मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में राज्य सरकारों से भी बातचीत की है। हम अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक नेताओं का ऐच्छिक और सक्रिय सहयोग चाहते हैं क्योंकि मेरा विश्वास है कि मजदूर संघ आन्दोलन एक स्वास्थ्य आन्दोलन है और इसे पूरा समर्थन मिलना चाहिए। यह नगण्य है कि कौन-सा दल या व्यक्ति सक्रिय भाग ले रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और वे यह नहीं देखते कि धमन भट्टियों का क्या होता है। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इस पर सभी का पूरा अधिकार है। हमारा विचार है कि समझौता आदि करने की दृष्टि से एक ही मजदूर संघ को मान्यता दी जानी चाहिये और अन्य संघों को वह समझौता मान्य होना चाहिए। मतदान से ऐसे व्यक्तियों को लाभ होगा जो मजदूर संघ के सदस्य नहीं हैं और मजदूर संघ आन्दोलन को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में न्यायिक प्राधिकार द्वारा जांच करायी जानी चाहिए। हम समझौता करने की दृष्टि से पुनः तीनों संगठनों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, यह कहना उचित नहीं है कि यदि उत्पादन लागत से कम मूल्य पर निर्यात किया जाता है तो निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। हर देश में घरेलू

मूल्य और निर्यात मूल्य अलग-अलग होते हैं और वे राज सहायता देते हैं। हम इस्पात संयंत्रों को आमतौर पर 10 प्रतिशत राजसहायता देते हैं। इससे पिछले 7 या 8 वर्षों में हमारे निर्यात 15 गुणा बढ़ गये हैं जोकि 3 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 50 करोड़ हो गये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। हमें अपने निर्यात ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। हमने अगले वर्ष के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। मेरा अनुमान है कि हम अगले 15 वर्षों में एक करोड़ टन का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे।

इस समस्या को दूर करने में रूस जैसे मित्र देशों ने हमारी बहुत सहायता की है। रूस ने हमारा इस्पात केवल इसलिये खरीदा कि हमारे इस्पात संयंत्र सुचारु ढंग से चल सकें। हाल ही में रूस के विदेशी व्यापार मंत्री ने हमारे देश से 2 लाख टन इस्पात लेने के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार हमें अगले पांच वर्षों में हर वर्ष एक देश से लगभग 40 से 70 करोड़ रुपये की आय होगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए इस्पात, खान और धातु मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये इस्पात, खान और धातु मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगों मतदान के लिए रखी गई तथा पूरी की पूरी स्वीकृत हुई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
72	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय	33,16,000
73	भूगर्भ सर्वेक्षण	9,17,38,000
74	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्वव्यय	14,49,05,000
125	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,16,88,79,000

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस वर्ष 1968-69 के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगों पर विचार करेंगे। जो सदस्य इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
57	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	17,46,000
58	प्रसारण	8,45,81,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,05,12,000
120	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,68,96,000

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : हम काफी समय से यह सुझाव दे रहे हैं कि आल इण्डिया रेडियो के स्थान पर एक निगम कायम किया जाये। सरकार ने अभी तक इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए सरकार ने कोई युक्तियुक्त तर्क भी नहीं दिया है। मंत्री महोदय को एक ऐसा प्रस्ताव पेश करना चाहिये जिससे 'बी० बी० सी०' और 'अमेरिकन रेडियो नेटवर्क्स' के समान एक स्वतंत्र निगम स्थापित किया जा सके। शिक्षा और जानकारी के इस महत्वपूर्ण साधन को किसी राजनीतिक दल या सरकार के हाथों में सौंप देने से लोकतंत्र की सेवा नहीं हो सकती है।

प्रादेशिक भाषाओं के विकास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जहां तक प्रादेशिक भाषा समाचार सेवाओं का सम्बन्ध है, हमारे पास अनुभाग नहीं हैं जो गुजराती, तमिल, तेलगु, कन्नड़ जैसे अलग-अलग भाषाओं के लिए आवश्यक हैं। मैं अंग्रेजी या हिन्दी के विरुद्ध नहीं हूँ। इस समय भारत में 70 प्रतिशत लोग प्रादेशिक भाषाओं में समाचार सुनते हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि मंत्री महोदय ने इन भाषाओं के लिए अलग-अलग विभाग बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। इन सेवाओं के लिए भी अलग संवर्ग होने चाहिये। इन प्रादेशिक भाषाओं सम्बन्धी बहुत से विभागों में समुचित तथा कुशल कर्मचारी नहीं हैं। प्रादेशिक भाषा समाचार सेवाओं का स्तर सुधारने के लिए हमें उचित तथा प्रशिक्षित कर्मचारी भी ढूंढने चाहिये।

सरकार ने अखबारी कागज देने की नीति की जो घोषणा की है उसमें स्कूल तथा कालेज पत्रिकाओं, अध्ययन पत्रिकाओं और शिक्षा गाइडों जैसी महत्वपूर्ण मदों के लिए अखबारी कागज को शामिल नहीं किया गया है। यह बात देश में शिक्षा के प्रसार के प्रतिकूल होगी। उदाहरण के तौर पर इससे पत्रकारिता पाठ्यक्रम और अन्य संस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जो अखबार के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान देती हैं। सरकार इस मामले की जांच करे और प्रतिबन्धों को दूर करे।

छोटे समाचार-पत्रों के अपने मुद्रणालय नहीं होते। वे अपनी सामग्री अन्य मुद्रणालयों में छपाते हैं। इससे छोटे पत्रों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है क्योंकि वे खुले तौर पर अपने पत्रों में ऐसी बातें नहीं छपवा सकते जिन्हें वे छपाना चाहते हैं। प्रेस का मालिक सामग्री को छापने के लिए राजी होने से पहले इसकी छानबीन करता है। इस तरह छोटा समाचार पत्र असहाय है। इसलिए छोटे समाचार-पत्र जांच समिति ने सिफारिश की है कि छोटे या बड़े समाचार-पत्रों द्वारा जो कुछ छपा जाता है उसके लिए मुद्रणालय जिम्मेदार नहीं होना चाहिये। इस सिफारिश को अमल में लाया जाना चाहिये।

जहां तक आकाशवाणी पर वाणिज्यिक प्रसारणों का सम्बन्ध है, इससे छोटे समाचार-पत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। छोटे समाचार-पत्र विज्ञापन और अन्य सुविधाओं से वंचित हो गये हैं। बड़े समाचार-पत्रों को सरकार तथा बड़ी संस्थाओं से काफी विज्ञापन मिल जाते हैं। साबुन, तेल और ऐसी छोटी चीजें, जिनके विज्ञापन पहले छोटे समाचार-पत्रों को मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं क्योंकि विविध भारती ने इन्हें अपने अधिकार में ले लिया है।

आश्वासन दिया गया था कि पूरे देश में टेलीविजन सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हमें टेलस्टार आविष्कार कब उपलब्ध किया जायेगा जिससे हम इस देश में टेलीविजन का लाभ उठा सकेंगे।

फिल्म उद्योग के एक समाचार-पत्र में यह पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि मंत्री महोदय, श्री के० के० शाह, ने कहा है कि यदि फिल्म उद्योग का संकट 15 दिनों में समाप्त न हुआ तो सिनेमाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सभा में इससे इन्कार किया है।

श्री प्र० न० सोलंकी : मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इससे इन्कार कर दिया है। यह संकट अपना बनाया हुआ संकट है। हमें इस प्रश्न पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। फिल्म सेना और अन्य निकाय, जो बम्बई में बनाये गये हैं हमें इस बात से प्रभावित करना चाहते हैं कि फिल्म उद्योग और फिल्म उत्पादक संकट में हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि यह संकट उनका अपना बनाया हुआ है।

यह समस्या सिनेमा थियेटरों के कारण पैदा नहीं हुई। हमारे देश में सिनेमा थियेटरों की सदा से मांग रही है और इसके लिये और सिनेमा थियेटर भी खोले जा सकते हैं। यदि थियेटरों की वास्तव में कमी है और किराये अधिक हैं तो फिल्म निर्माताओं तथा कलाकारों द्वारा प्रदर्शन से और बल प्रयोग की भाषा से इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

फिल्म उद्योग में छिपा हुआ धन बहुत अधिक है। बड़े-बड़े अभिनेता एक-एक फिल्म के लिये 20-25 लाख रुपये तक ले रहे हैं। उनके घरों से लाखों रुपयों की नकदी बरामद की गयी है। फिर दूसरी बात यह है कि फिल्म बनाने की लागत बढ़ गयी है। परन्तु फिल्म की किस्म में कोई सुधार नहीं हुआ। निर्माता लोग महंगी फिल्में बनाते हैं और जब वे नहीं चलतीं तो वे सिनेमा थियेटर के किराये कम करने के लिये कहते हैं।

मेरा सुझाव यह है कि सेंसर बोर्ड को फिल्मों की लम्बाई कम कर देनी चाहिये। अधिक लम्बी फिल्मों में सस्ते मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। फिल्मों की लम्बाई कम करने से उनकी लागत कम करने में सहायता मिलेगी। इस संकट को दूर करने के लिये दो ही तरीके हैं अर्थात् या हम करों में कमी कर दें या फिल्म बनाने की लागत कम कर दें।

एक माननीय सदस्य : इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

श्री प्र० न० सोलंकी : मैं राष्ट्रीयकरण की मांग नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि फिल्म उत्पादन की किस्म में सुधार किया जाये। रचनात्मक फिल्में बनायी जानी चाहिये जिनसे जनता को शिक्षा मिले।

यह ठीक है कि अब स्टाफ कलाकारों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, परन्तु दुर्भाग्य से उनके काम की किस्म में सुधार नहीं हो रहा है। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसके द्वारा एक स्टाफ कलाकार के लिये सेवा हेतु अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिये तीन या चार वर्षों में एक परीक्षा में बैठना आवश्यक हो। इनके काम की किस्म में सुधार करने का और कोई तरीका नहीं है।

आकाशवाणी को राजनीतिक संगठन न बनाकर एक निगम बना देना चाहिये जिससे लोग उसकी सेवा का स्वतंत्र एवं लोकतंत्रीय ढंग से उपयोग कर सकें।

श्री अनन्त राव पाटिल (अहमदनगर) : इस अधिनियम के अधीन दो वर्ष पूर्व भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गयी थी। इस परिषद का उद्देश्य समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा समाचार-पत्रों के स्तर को बनाये रखना और उसमें सुधार करना है। परन्तु वह स्वयं ही संकट में है तो वह स्तर में सुधार कैसे करेगी? यह परिषद अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकी और इसलिये मंत्री महोदय को एक समिति की स्थापना करनी पड़ी है जिसका काम अधिनियम के दोष बताना तथा परिषद को प्रभावशाली बनाने के लिये संशोधनों का सुझाव देना है।

पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिये कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं, इसलिये समाचार-पत्रों में स्तर में सुधार करना अत्यन्त कठिन है। प्रेस परिषद ने पिछले दो वर्षों में समस्या के इस पक्ष की ओर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया।

विभिन्न समितियों की स्थापना के समय सम्बन्धित विषयों की जानकारी वाले व्यक्तियों को ही उनका सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिये। प्रेस परिषद अधिनियम के सम्बन्ध में जो समिति स्थापित की गयी है उसमें बहुत सदस्य ऐसे नियुक्त किये गये हैं जिन्हें प्रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पत्र सूचना कार्यालय को पिछले दो वर्षों में प्रादेशिक कार्यालय और शाखाएं खोलकर सुदृढ़ बनाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित अनेक प्रकाशन बहुत अच्छे हैं और शिक्षाप्रद हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि उनमें से अधिकतम प्रकाशन अंग्रेजी में हैं। इस बात को ध्यान में रखकर कि वे प्रकाशन किन लोगों के लिये हैं, उनका प्रकाशन प्रादेशिक भाषाओं में होना चाहिये जिससे किसान तथा अन्य देहाती लोग उनका लाभ उठा सकें।

इस समय हमारे पास अखबारी कागज तैयार करने का केवल एक कारखाना नेपा मिल्स में है जिसका उत्पादन प्रतिवर्ष 30,000 टन है। इसलिये हमें इस सम्बन्ध में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। नेपा मिल्स के कारखाने का उत्पादन हमारी आवश्यकता से बहुत कम है। अतः यदि हमने कागज बनाने का कोई और कारखाना स्थापित न किया तो हमें आयात पर निर्भर करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में कागज बनाने का कारखाना स्थापित किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि छोटे और मध्य दर्जे के समाचार-पत्रों की सहायता की जानी चाहिये परन्तु हम देखते हैं कि ऐसे पत्रों को दी जानी वाली सुविधाएं बहुत कम हैं। परन्तु श्रव्य-दृश्य निदेशालय ने छोटे समाचार-पत्रों की जांच समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर अपनी नीति की समीक्षा की है। परन्तु प्रेस रजिस्ट्रार तथा अन्य संगठन उपरोक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

आकाशवाणी संहिता बनाने, वाणिज्यिक विज्ञापन आरम्भ करने और आकाशवाणी एककों पर परिवार नियोजन एकक स्थापित करने के लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। वाणिज्यिक प्रसारण का समय बढ़ा दिया जाना चाहिये तथा इस सूची में कुछ और केन्द्र भी सम्मिलित किये जाने चाहिये।

फिल्मस डिवीजन द्वारा निर्मित कुछ वृत्त चित्र तथा कुछ रूपक बहुत अच्छे हैं, उनसे काफी जानकारी तथा शिक्षा मिलती है। इन चित्रों में और विविधता लाई जानी चाहिये।

फिल्म उद्योग संकट के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमें वह फिल्में चाहिये जो सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करें।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal): All India Radio and other Government publicity media should be imbued with national spirit. The name All India Radio does not appear to be appropriate as this name apparently meant for undivided India. There should be only one name for this organisation throughout the country, e. g. there is All India Radio, Delhi, All India Radio, Jullundur but then there is Radio, Kashmir instead of All India Radio, Srinagar. This is not proper. We should have one name for the entire country.

Sanskrit is our source language. When West Germany has been propagating Sanskrit, there is no reason why India should fall in the rear. We should, therefore, take all possible steps for the propagation of Sanskrit.

It does not look appropriate that Sanskrit should be neglected in our country. It is necessary that there should be talks in Sanskrit in the Radio. From the Radio Station at Bhopal some programmes should be broadcasted in Sindhi language because many of our displaced Sindhi brothers are living around Bhopal.

We see that when there is any attack on our country then we start singing songs of patriotism and our patriotism is aroused. But patriotism is not a reactionary emotion. We must have patriotic feelings always towards our country whether there is any attack or not.

The conditions of service of the Radio Artists should be improved. They deserve decent treatment. The organisation which the artists have formed for their welfare should be approved. There should be a good relation between the artists and the administration. The bureaucratic mentality should go and there should be fellow-feeling between them.

The Film industry is not functioning well. The nationalisation of the Film industry is not the proper solution of the problem. There is a necessity of proper guidance to this industry.

The Press information Bureau gives importance to the newspapers which are in English and the other newspapers are neglected which are in regional languages. The newspapers in our Indian languages are given secondary place. This step motherly treatment towards them is not justified.

We should make documentary films on such matters as cow-protection, Kutch area etc. so that people may get full information regarding these problems.

श्री के० जगैया (ओंगोल) : केन्द्रीय सूचना सेवा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है। यहां पर अधिकारियों के ग्रेड ढांचे में बड़ी असंगति है। इस केन्द्रीय सूचना सेवा को 1960 में बनाया गया था। इसका निर्माण प्रजातंत्र के सुचारु रूप से और सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए किया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश इससे केवल उन थोड़े से लोगों को लाभ पहुंच रहा है जो ऊंची जगहों पर हैं।

दिनांक 1 सितम्बर, 1965 से केन्द्रीय सूचना सेवा में उच्च पदों के वेतनमान बढ़ाये गये थे लेकिन निम्न श्रेणियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया गया। 9 विभिन्न ग्रेड वाली छः स्तर प्रणाली से केन्द्रीय सूचना सेवा के कम वेतन पाने वाले अधिकारियों को बहुत हानि हुई है जो व्यवहारिक रूप से अधिकांश कार्य करते हैं। केन्द्रीय सूचना सेवा में चतुर्थ ग्रेड के अधिकारियों का वेतनमान अन्य मंत्रालयों में उसी पद की तुलना में बहुत कम है। उच्चतम पद तथा निम्नतम पद के वेतन में 1:6 का अनुपात है। यह उपयुक्त समय है जबकि सरकार को सेवा में उनके द्वारा की गयी स्थिरता को मानना चाहिए और युक्तिसंगत तथा कुशल प्रचार तंत्र की योजना को शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। इसके लिये वर्तमान ग्रेड ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए तथा 9 विभिन्न ग्रेडों को समाप्त किया जाए। तीन या चार स्तर वाली प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए जिसमें पदोन्नति के नियमित अवसरों का ब्योरा दिया हो और उसमें निम्नतम ग्रेड के लिए कम से कम 350-900 रुपये का वेतनमान रखा जाए। प्रस्तावित ग्रेड ढांचे के ग्रेड 1 से 4 के लिए प्रत्यक्ष भर्ती और परीक्षाएं कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए स्थगित की जायं और सभी पदोन्नतियां सेवाओं के वर्तमान कर्मचारियों में से की जायं। सम्पूर्ण सेवा को शत प्रतिशत राजपत्रित बनाया जाय।

केन्द्रीय सूचना सेवा को तकनीकी तौर पर एक अखिल भारतीय सेवा घोषित किया जाना चाहिए। इससे सेवा की गतिशीलता में वृद्धि होगी, बुद्धिमान तथा कार्यकुशल अधिकारियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे तथा राष्ट्रीय एकता शीघ्र प्राप्त की जा सकेगी।

केन्द्रीय सूचना सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करने पर जो नवयुवक प्रतिनियुक्ति पर हैं उनकी अनिश्चितता तथा असुरक्षा समाप्त हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त एक और सूचना सेवा है जिसे भारत की सूचना सेवा कहते हैं और यह वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित है। एक ही प्रकार की दो सेवाओं का होना काम में दोहरापन है। यदि भारत की सूचना सेवा विदेशों में हमारे प्रचार की देखभाल करती है लेकिन इस

सेवा के अधिकारी विदेशों में इतने दीर्घकाल के लिए रहते हैं कि स्वदेश लौटने पर वे अपने को यहां की स्थिति से परिचित नहीं करा पाते क्योंकि इसके लिए उनके पास बहुत थोड़ा समय होता है, यदि दोनों सेवाओं को मिलाकर एक कर दिया जाय तो इससे देश को और विदेशों में हमारे मिशनों को सहायता मिलेगी ।

टेलीविजन के काम के अधिक जटिल और अत्यन्त विशिष्ट होने के कारण इसके लिए एक अलग निगम का गठन किया जाना चाहिए जो आकाशवाणी से स्वतंत्र हो ।

टेलीविजन का कार्यक्रम मुख्य रूप से शिक्षा तथा कृषि से सम्बन्धित होना चाहिए न कि मनोरंजन के लिए । क्योंकि टेलीविजन रेडियो से भिन्न माध्यम है और इसका काम भी अधिक सूक्ष्म और आयासपूर्ण है इसलिए टेलिविजन के कर्मचारियों के वेतनमान अखिल भारतीय रेडियो के कर्मचारियों के वेतनमान से भिन्न होने चाहिए । टेलीविजन की विस्तार योजना के अन्तर्गत हैदराबाद को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद दक्षिण भारत के मध्य में स्थित है और यह बहुभाषायी प्रदेश भी है तथा यहां मध्यम वर्ग के काफी लोग भी रहते हैं । इसीलिए हैदराबाद में एक उच्च शक्ति वाला शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना चाहिए ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	2	श्री यशवंत सिंह कुशवाह	राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार में उदासीनता की नीति अपनाना ।	100 रुपये
57	3	श्री यशवंत सिंह कुशवाह	पाकिस्तान और चीन के भारत-विरोधी प्रचार का मुकाबला करने में असफलता ।	100 रुपये
58	7	श्री यशवंत सिंह कुशवाह	आकाशवाणी के ग्वालियर केन्द्र की क्षमता बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
58	8	श्री यशवंत सिंह कुशवाह	महाराणा प्रताप जयन्ती के अवसर पर प्रसारण करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	40	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने में असफलता।	100 रुपये
57	41	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी में सामान्य प्रशासन पर होने वाले व्यय में कमी करने में असफलता।	100 रुपये
57	42	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी में अधिकारियों के वेतन को एक हजार रुपये तक सीमित करने में असफलता।	100 रुपये
58	43	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के महा-निदेशालय में चल रहे पक्षपात और भाई-भतीजावाद को रोकने में असफलता।	100 रुपये
58	44	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के महा-निदेशालय के अधिकारियों के वेतन में कमी करने की आवश्यकता।	100 रुपये
58	45	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ-आर्टिस्टों की सेवा-शर्तों एवं उनके वेतनमान में सुधार लाने में असफलता।	100 रुपये
58	46	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के कलाकारों के असंतोष को दूर करने में असफलता।	100 रुपये
58	47	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी से हिन्दी के प्रसार में की जा रही ढिलाई को रोकने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	48	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी से उर्दू में होने वाले प्रसारण को और चुस्तदुरुस्त बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	49	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के कुछ अधिकारियों के हिन्दी-विरोधी रवैये को बदलने में असफलता ।	100 रुपये
58	50	श्री रामावतार शास्त्री	राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किये जाने वाले प्रसारणों के सिलसिले में आचार-संहिता बनाने में असफलता ।	100 रुपये
58	51	श्री रामावतार शास्त्री	प्रसारण के क्रम में कांग्रेस दल को विशेष सुविधा प्रदान करने की नीति न बदलना ।	100 रुपये
58	52	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी द्वारा हिन्दी लेखकों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने में असफलता ।	100 रुपये
58	53	श्री रामावतार शास्त्री	शासक दल को प्रसारण में अधिक समय देना ।	100 रुपये
58	54	श्री रामावतार शास्त्री	प्रसारण के मामले में सभी राजनैतिक दलों को समान अवसर देने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	55	श्री रामावतार शास्त्री	चुनावों के समय विभिन्न दलों को प्रसारण की सुविधा देने संबंधी नीति निर्धारित करने में असफलता ।	100 रुपये
58	56	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के कार्यक्रम और ढांचे में परिवर्तन लाने में असफलता ।	100 रुपये
58	57	श्री रामावतार शास्त्री	चन्दा समिति की सिफारिशों को लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
58	58	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी को कारपोरेशन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
58	59	श्री रामावतार शास्त्री	मसानी समिति की सिफारिशों को प्रकाशित करने में असफलता ।	100 रुपये
58	60	श्री रामावतार शास्त्री	महानिदेशालय से विभिन्न कार्यक्रमों के अनुभवी विशेषज्ञों को न निकालने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	61	श्री रामावतार शास्त्री	महानिदेशालय से नौकरशाहियत का उन्मूलन करने में असफलता ।	100 रुपये
58	62	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी में जातिवाद को मिटाने में असफलता ।	100 रुपये
58	63	श्री रामावतार शास्त्री	मसानी समिति द्वारा नौकरशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	64	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ-आर्टिस्टों को उपेक्षा और घृणा की नजर से देखने की नीति का अन्त करने में असफलता ।	100 रुपये
58	65	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ-आर्टिस्टों को नियमित सेवा में रखने में असफलता ।	100 रुपये
58	66	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ-आर्टिस्टों को मासिक वेतन देने की प्रथा चालू करने में असफलता ।	100 रुपये
58	67	श्री रामावतार शास्त्री	प्रोड्यूसरों को महानिदेशालय से निकालने की सिफारिश रद्द कर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	68	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के प्रशासक वर्ग के वेतन में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	69	श्री रामावतार शास्त्री	प्रोड्यूसरों को कार्यक्रम संबंधी सभी प्रशासनिक अधिकार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	70	श्री रामावतार शास्त्री	प्रोड्यूसरों को शुल्क के स्थान पर वेतन देने संबंधी व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	71	श्री रामावतार शास्त्री	प्रोड्यूसरों को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	72	श्री रामावतार शास्त्री	प्रोड्यूसरों को उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी के बराबर वेतन देने की आवश्यकता।	100 रुपये
58	73	श्री रामावतार शास्त्री	चीफ प्रोड्यूसरों को अपने क्षेत्रों और विषयों में पूरा अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	84	श्री रामावतार शास्त्री	पत्र सूचना कार्यालय के कार्यचालन में सुधार करने में असफलता।	100 रुपये
59	85	श्री रामावतार शास्त्री	प्रकाशन विभाग में अनियमितताएं रोकने में असफलता।	100 रुपये
59	86	श्री रामावतार शास्त्री	समाजवादी विचारों को सुदृढ़ करने वाली पुस्तकें प्रकाशित न करना।	100 रुपये
59	87	श्री रामावतार शास्त्री	समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा समाचारपत्रों की ठीक ठीक संख्या मालूम न करना।	100 रुपये
59	88	श्री रामावतार शास्त्री	प्रकाशित प्रतियों की संख्या बढ़ाचढ़ा कर आवश्यकता से अधिक अखबारी कागज का कोटा प्राप्त करने की चाल रोकने में असफलता।	100 रुपये
59	89	श्री रामावतार शास्त्री	विज्ञापन देने में भेदभाव।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
59	90	श्री रामावतार शास्त्री	समाजवादी विचारों का प्रचार करने वाले पत्रों को विज्ञापन देने में भेदभाव बरतने की नीति ।	100 रुपये
59	91	श्री रामावतार शास्त्री	सेंसर बोर्ड की मनमानी ।	100 रुपये
59	92	श्री रामावतार शास्त्री	जन-हित सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपये
59	93	श्री रामावतार शास्त्री	सामाजिक कुरीतियों पर चोट करने वाली फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपये
59	94	श्री रामावतार शास्त्री	अश्लील चित्रों का निर्माण बन्द करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
59	95	श्री रामावतार शास्त्री	समाजवादी समाज के निर्माण को बल देने सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपये
59	96	श्री रामावतार शास्त्री	फिल्म उद्योग में व्याप्त संकट को दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
59	97	श्री रामावतार शास्त्री	फिल्म उद्योगों में काम करने वाले छोटे कलाकारों के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
59	98	श्री रामावतार शास्त्री	फिल्म उद्योग में व्याप्त अनियमितताएं रोकने में असफलता ।	100 रुपये
59	99	श्री रामावतार शास्त्री	फिल्म संसार में हिप्पीवाद के प्रसार को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
59	100	श्री रामावतार शास्त्री	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिये अच्छे फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता।	100 रुपये
59	101	श्री रामावतार शास्त्री	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की ख्याति।	100 रुपये
59	102	श्री रामावतार शास्त्री	अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	103	श्री रामावतार शास्त्री	अच्छे फिल्म निर्माताओं को सरकारी पुरस्कार देने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	104	श्री रामावतार शास्त्री	समाचारपत्र सलाहकार एककों की अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
120	105	श्री रामावतार शास्त्री	तीसरी योजना में शामिल विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित न करना।	100 रुपये
120	106	श्री रामावतार शास्त्री	तीसरी योजना में शामिल योजनाओं को पूरा करने सम्बन्धी आश्वासन देने की आवश्यकता।	100 रुपये
120	107	श्री रामावतार शास्त्री	1968-69 की योजना में दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की योजना शामिल न करना।	100 रुपये
120	108	श्री रामावतार शास्त्री	चौथी योजना में शामिल योजनाओं को पूरा करने के लिए आश्वासन देने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
120	109	श्री रामावतार शास्त्री	सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि न करना।	100 रुपये
120	110	श्री रामावतार शास्त्री	योजनाओं की कार्यान्विति में अष्टाचार रोकने में असफलता।	100 रुपये
58	111	श्री रामावतार शास्त्री	टेलीविजन पारेषण का विस्तार करने में असफलता।	100 रुपये
58	112	श्री रामावतार शास्त्री	सस्ते टेलीविजन सेटों को उपलब्ध कराने में असफलता।	100 रुपये
58	113	श्री रामावतार शास्त्री	भारत के सभी बड़े नगरों में टेलीविजन सेवाओं का विस्तार करने में असफलता।	100 रुपये
58	114	श्री रामावतार शास्त्री	दरभंगा में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने में असफलता।	100 रुपये
58	115	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के पटना केन्द्र को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
58	116	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के पटना केन्द्र के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	100 रुपये
58	117	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	118	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशों में भारत-विरोधी प्रचार को निष्प्रभाव करने के लिये उच्च-शक्ति वाला ट्रांसमिटर लगाने में असफलता ।	100 रुपये
58	119	श्री रामावतार शास्त्री	अश्लील चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	100 रुपये
58	120	श्री रामावतार शास्त्री	अश्लील चलचित्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	100 रुपये
58	121	श्री रामावतार शास्त्री	अश्लील पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने में असफलता ।	100 रुपये
58	122	श्री रामावतार शास्त्री	अश्लील पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने में असफलता ।	100 रुपये
58	123	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश प्रसारण सेवाओं को कारगर बनाने में असफलता ।	100 रुपये
58	124	श्री रामावतार शास्त्री	विविध भारती कार्यक्रम को अधिक व्यापक बनाने में असफलता ।	100 रुपये
58	125	श्री रामावतार शास्त्री	समाजवादी समाज के अनुरूप कार्यक्रमों को प्रसारित करने में असफलता ।	100 रुपये
58	126	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त हिन्दी को अधिक सरल तथा सरलता से ग्राह्य बनाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	127	श्री रामावतार शास्त्री	हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों का एक संयुक्त कवि सम्मेलन आयोजित करने में असफलता।	100 रुपये
58	128	श्री रामावतार शास्त्री	समाचार समीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
58	129	श्री रामावतार शास्त्री	मसानी समिति की सिफारिशों के अनुसार अफसरों को अधिक अधिकार देने और अफसरों की स्वेच्छा-चारिता की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	130	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों का शोषण रोकने में विफलता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	131	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या घटाने में विफलता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	132	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च अधिकारियों पर फिजूलखर्ची रोकने में विफलता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	133	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों के अधिकारों में वृद्धि करने की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	134	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों को संविदा और अन्य संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देने और तद् विषयक खर्च की मंजूरी देने की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	135	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के कार्यक्रमों का स्तर ऊंचा करने में विफलता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	136	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के कार्यक्रमों का स्तर ऊंचा करने में अफसरशाही द्वारा डाली जाने वाली रुकावटों को दूर करने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	137	श्री रामावतार शास्त्री	मसानी समिति में स्टाफ आर्टिस्टों को शामिल करने में विफलता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	138	श्री रामावतार शास्त्री	चीफ प्रोग्राम प्रोड्यूसरों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व प्रदान करने में विफलता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	139	श्री रामावतार शास्त्री	चीफ प्रोग्राम प्रोड्यूसरों के प्रति, जो नाटकों, वार्ताओं, संगीत शैली, कला और अंतवस्तु के विशेषज्ञ हैं, उपेक्षा की नीति को समाप्त करने में विफलता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	140	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न कार्यक्रमों के अनुभवी विशेषज्ञों को हटाने के षडयन्त्र को समाप्त करने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	141	श्री रामावतार शास्त्री	प्रोग्राम पेश करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय अधिकारों सहित सभी प्रकार के अधिकार देने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	142	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों को अस्थायी कर्मचारी घोषित करने की जब तक वे स्थायी कर्मचारी घोषित नहीं हो जाते तब तक फीस की जगह उचित वेतनमान देने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	143	श्री रामावतार शास्त्री	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भाषाओं के वार्ताकारों को समान उपलब्धियां देने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	144	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों के प्रति भेद-भाव की नीति समाप्त करने में विफलता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	145	श्री रामावतार शास्त्री	वार्ताकारों को समान अधिकार देने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	146	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासनिक भय के वातावरण का अन्त करने में विफलता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	147	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों के साथ किये जाने वाले भेदभाव-पूर्ण व्यवहार को समाप्त करने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	148	श्री रामावतार शास्त्री	नियुक्तियों और पदोन्नतियों में प्रक्रिया को व्यवस्थापित करने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	149	श्री रामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय प्रसारण सेवा बनाने की ओर उसमें प्रोग्राम पेश करने वाले लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता ।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	150	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों के विभिन्न श्रेणियों के भिन्न-भिन्न वेतनमानों को समाप्त कर एक चलता वेतनमान निश्चित करने की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	151	श्री रामावतार शास्त्री	चलता वेतनमान का न्यूनतम वेतन 350 रुपये और अधिकतम वेतन 2,000 रुपये नियत करने की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	152	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ आर्टिस्टों की ठेका प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	153	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों के चयन में विफलता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	154	श्री रामावतार शास्त्री	आकाशवाणी के परिचालन की जांच करने के लिये एक निष्पक्ष आयोग की नियुक्ति करने में विफलता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	155	श्री रामावतार शास्त्री	कामगरों को पद, प्रतिष्ठा और अधिकार देने की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	156	श्री रामावतार शास्त्री	कार्य की क्रियान्विति में विलम्ब समाप्त करने में विफलता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये
58	157	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों की संख्या घटाने की आवश्यकता।	कम करके 1 रुपया कर दिया जाये

अब यह कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

श्री कण्डप्पन (मैटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय का कार्य इतना असंतोषजनक पहले कभी नहीं रहा जितना इस वर्ष रहा है। इस समय फिल्म उद्योग संकट का सामना कर रहा है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में कार्य करने वाले लोग असंतुष्ट हैं। वे सूचना सेवा अथवा प्रसारण सेवा का कोई हल निकालने में असफल रहे हैं। आकाशवाणी के लिये एक निगम की स्थापना का ही प्रश्न लीजिए। चन्दा समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि आकाशवाणी के लिये एक निगम स्थापित किया जाये। किन्तु समझ में नहीं आता है कि इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस सभा के प्रायः सभी सदस्य इस निगम की स्थापना के पक्ष में हैं। हाल के आम चुनावों के बाद इस निगम की स्थापना और भी अधिक आवश्यक हो गई है क्योंकि गैर-कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध आकाशवाणी के साथ अच्छे नहीं हैं। देश में नई शक्तियाँ उभर रही हैं इसलिये प्रसारण को राष्ट्र की सेवा का सरल तथा कारगर माध्यम बनाने का केवल एक ही तरीका है कि आकाशवाणी के लिये एक निगम बनाया जाये।

यह तर्क देना नितान्त गलत है कि राष्ट्रीय एकता के लिये यह आवश्यक है कि केवल आकाशवाणी के नाम का ही प्रयोग किया जाये अन्य किसी नाम का नहीं। तमिलनाडु में आकाशवाणी के लिये वनोली शब्द के प्रयोग से राष्ट्रीय एकता को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिभासम्पन्न लोगों की रचनात्मक शक्तियों को विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिये। तमिलनाडु में आकाशवाणी के लिये वनोली शब्द का प्रयोग करने से अधिक से अधिक लोग आकाशवाणी से होने वाले प्रसारण की ओर आकर्षित होते हैं और उनमें ऐसे शब्द सुनकर एकता और सहकारिता की भावना उत्पन्न होती है जिनसे वे परिचित होते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि आकाशवाणी के लिये केवल वनोली शब्द का ही नहीं, अपितु प्रत्येक क्षेत्र में इसके लिये उसी क्षेत्र की ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय भाषाओं के प्रसारणों में हिन्दी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ दिन में दोपहर को सभी केन्द्रों से दस मिनट तक केवल हिन्दी में ही समाचार प्रसारित किये जाते हैं। ये समाचार अन्य भाषाओं में भी प्रसारित किये जाने चाहिये जिससे हिन्दी भाषा-भाषियों के साथ अहिन्दी भाषाभाषियों को भी लाभ पहुंच सके। गणतंत्र दिवस, परेड आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर अन्य भाषाओं में आंखों देखा विवरण प्रसारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

संस्कृत भाषा महान और समृद्ध है। यह हमें विरासत में मिली है। किन्तु इस भाषा का महत्वपूर्ण प्रचार नहीं हो रहा है। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि भारतवासियों से संस्कृत का अधिक ज्ञान अन्य देशों के लोगों को है। इस प्रकार की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि संस्कृत और तमिल के ज्ञान रखने से हमारा देश और अधिक समृद्ध हो सकता है। इससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी।

कई देशों में भारतीय लोग रहते हैं। उनके लिये जो प्रसारण की व्यवस्था है, वह पर्याप्त नहीं है। अन्य कई देशों में रहने वाले तमिल-भाषी लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके लिये किया जाने वाला प्रसारण कम है। वे चाहते हैं कि इस प्रसारण के कार्यक्रम में वृद्धि की जाये तथा समय में उनकी सुविधा के अनुसार परिवर्तन किया जाये।

हमारे पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में मलय भाषी लोग रहते हैं। उनके लिये मलय भाषा में कुछ नियमित कार्यक्रम प्रसारित किये जाने चाहिये। इसी प्रकार सिंहली भाषी लोग हैं जिनका भारत से इस कारण आध्यात्मिक लगाव है कि भारत भगवान बुद्ध की जन्म-भूमि है। भारत से तमिल, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में कई घंटों तक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं किन्तु हमारे किसी भी आकाशवाणी केन्द्र से सिंहली भाषा में एक घंटे के लिये भी कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है वह इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय करे।

जहां तक समाचार-पत्रों को सरकार द्वारा विज्ञापन दिये जाने का सम्बन्ध है, सरकार के रवैये से छोटे समाचार-पत्र संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को छोटे समाचार-पत्रों के हितों को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार देश की क्षेत्रीय भाषाओं को विज्ञापन देने के बारे में पक्षपातपूर्ण वर्तव करती है। विज्ञापन न मिलने के कारण छोटे समाचार-पत्र घाटे पर चलते हैं। समाचार-पत्र वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वर्तमान युग में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः किसी भी भाषा के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के साथ, जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करते हैं, विज्ञापन देने के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जिससे वे अपना कार्य सफलतापूर्वक जारी रख सकें।

अब मैं सेंसर व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की सेंसर प्रणाली संतोषजनक नहीं है। भारत में विदेशी फिल्मों का आयात किया जाता है। विदेशी फिल्मों तथा देश में निर्मित होने वाली फिल्मों के लिये हमारी कसौटियां भिन्न-भिन्न हैं। विदेशी फिल्मों में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें भारतवासी सहन नहीं कर सकते हैं। किन्तु यह विचित्र बात है फिर भी ऐसी फिल्में भारत में दिखाई जाती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले की भली भांति जांच की जानी चाहिये और विभिन्न भाषायी क्षेत्रों की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर एक समान कानून बनाया जाना चाहिये।

Shri Amrit Nahata (Barmer): At present the number of cinema houses in our country is inadequate and their number should be increased. There are some foreign film companies which own picture house in the cities and they are making huge profits. These companies may be compelled to give money to the Government in the form of loans so that they can build a number of smaller cinema houses with better standard of cleanliness and better sanitation. Fifty per cent of the existing picture houses are already in unhygienic conditions and efforts should be made to improve their conditions.

The entertainment tax is too much which ranges from 25 to 100 per cent in various parts of the country. The audiences have to bear the burden of these taxes. The tax should be reduced so that the common may also afford to go in for entertainment.

The present crisis in the film industry is due to the purely commercial outlook of the producers and distributors. Since the distributors finance the production of films they dictate terms to the producers. The film industry needs to be freed from the grip of the private commerce. Then only it will progress on the right lines and give us purposeful and better films. As a step in this direction, the Government should enter the field of film production. They should engage talented directors and artists and encourage them to produce standard films, which they are certainly capable of doing.

The standard of Indian films is miserably poor and what they call entertainment is nothing but muck; they are full of vulgarity and obscenity. This kind of film production has to be stopped. Films have a great purpose and educative values. Unfortunately this aspect of film making has never been given any thought by the Government or the industry. The result is this filth which is coming out in the name of films. It is the commercialisation of film production which is largely responsible for the present state of affairs.

The members of censor Board are not capable to improve the standard of Indian films. The Government should pay due attention to this matter.

कार्य मंत्रणा समिति BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सत्रहवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Mr. Deputy Speaker, it was decided that one full day will be allotted.

उपाध्यक्ष महोदय : जब यह परिचालित किया जायेगा, तो कल यह सभा के सामने आयेगा।

Shri Ishaq Sambhali : I am making correction. It was decided that after question hour a full day discussion will be held.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, soon after independence when Indian Cabinet was formed this portfolio of Information and Broadcasting was kept by Sardar Vallabhbhai Patel himself. That indicated the importance attached to this portfolio. Later on this portfolio was not taken seriously by his successors.

The Ministry of Broadcasting is full of persons who are either communists or communalists. The hon. Minister should pay heed to this aspect. After the release of Sheikh

Abdullah, too much publicity was given to him and he was boosted as a hero of the nation. That only showed the type of persons who are there in that department. A person who was detained by the Government should not have been given so much publicity. First five to seven minutes of the 15 minutes of news bulletin were devoted to him.

Similarly they gave much publicity to the wedding of the son of Prime Minister Smt. Indira Gandhi.

There is a group in the AIR which is deliberately neglecting the Indian languages. They did not broadcast that statement of the Congress President in which he said that he would try to make speeches in Hindi in future, But they gave publicity to the statement of Shri Mohan Lal Sukhadia in which he stated that Hindi should not be imposed on others. All this work relating to anti-Indian languages seems to be proceeding in a planned manner.

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए]
[Shri G. S. Dhillon in the Chair]

There was a scheme to make the Hindi department of AIR self reliant in regard to news and editorials. But after 1962 many posts in that department were abolished. In the case of English department of AIR they created some more posts. AIR is dependent on B.B.C. in regard to its news pertaining to South East Asia and West Asia. Why then have they kept two English reporters ?

After 1965 the constitutional position is that Hindi is our main official language of India and English is an associate language. But in AIR they still consider English to be the main language and Hindi the regional language only. Hindi news bulletins should be given the same importance as you give to English bulletins.

There are three departments of urdu in AIR. There should be one department for it so that there is no duplication in work.

About the staff of AIR I want to say that there should be some improvement in the service conditions of them. The regional news agencies are being given a step motherly treatment. They should be given the same facilities are given to the English news agencies.

Indian films are very popular in the Arab countries, in Israel and in Iran. They earn much foreign exchange also and as such we should promote the same so that country may be benefited by the foreign exchange earning.

I have been told that P.T.I. is going to have a building of its own which will cost Rs. 55 lakh. Similarly a very intelligent person was reported to have been appointed as head of U.N.I. I want that Hindi side of news should be given similar facilities. We lay more emphasis on foreign news with the result that our local news do not get needed publicity. There should be more news in our papers concerning this country. Similarly more importance should be given to cultural and social programmes and news. At present we find only political news in our bulletins. I hope the Hon. Minister will give a serious thought to my suggestions and will make the A.I.R. a strong organisation.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli): Sir, I want to raise my voice against the obscene pictures and advertisements. They are creating a very bad effect on the character of our

children. The films can be used for moulding the character of our people and to give proper education. Even Acharya Vinobha raised his voice against such obscene films but I do not know what was happened to that. Even in T.V. we are copying the Americans. The Government should lay down the guide lines and limits and ask the film producers not to go beyond those limits. There should be legislation about it.

The time for commercial broadcasts should not be increased. They should have minimum time.

There is no need to have regional publicity officers. No body knows what work they do and as such these posts should be abolished. Their work should be entrusted to state publicity units.

The Finance Minister has increased the stamp duty on small periodicals and papers. This will have adverse effect on these newspapers.

Hindi is very popular in many Asian countries. The Hon. Minister should take steps to increase its popularity.

The papers are being judged on the basis of their circulation. There is much black market in the newsprint. Government should pay attention to the proper distribution of newsprint. We have scarcity of newsprint and as such we should make full and proper use of whatever is available. We should not hesitate even to bring legislation regarding obscene pictures, if necessary.

श्री नाथनार (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का विरोध करता हूँ। हमारे देश की आकाशवाणी तथा समाचार-पत्रों को यहां की घटिया योजनाओं की प्रशंसा के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंत्रालय भारतीय कांग्रेस समिति का एक विभाग हो।

यदि आकाशवाणी पर गाने आदि का कार्यक्रम न हो तो उसे कोई सुनने वाला नहीं होगा।

विपक्षी दलों के कितने ही लाख लोगों का प्रदर्शन हो परन्तु आकाशवाणी उसका समाचार नहीं देगी। उदाहरण के लिए साम्यवादी (माक्सवादी) दल के 3 लाख तथा मुसलिम लीग के एक लाख लोगों का कालीकट में प्रदर्शन हुआ परन्तु उसका समाचार प्रसारित नहीं किया। उसके बदले यदि कोई मंत्री 100 व्यक्तियों के सम्मुख भी भाषण दे दें तो उसका समाचार दस पन्द्रह मिनट तक सुनने को मिलेगा।

सरकार ने आकाशवाणी में अधिक कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए लगाया हुआ है। उन कर्मचारियों को बड़े-बड़े वेतन दिये जाते हैं। छोटे कर्मचारियों की मांगों पर बहुत समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है। इस कारण विदेशी प्रभाव वहां बहुत बढ़ गया है जिनमें अमरीकी जासूसी विभाग का प्रचार भी शामिल है। कुछ बड़े-बड़े कर्मचारी विदेशी राजदूतावासों से मेल रखे हुए हैं। वियतनाम के लोगों की लड़ाई को

पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जाता। जितना प्रचार उनका किया जाता है उतना ही प्रचार अमरीकी प्रसारण का किया गया।

वर्ष 1967 में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1395 फिल्मों को प्रमाण-पत्र दिये जिनमें भारतीय फिल्मों की संख्या केवल 1159 थी। विदेशी फिल्मों का हमारे नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

फिल्मों में कार्य करने वाले लोगों की स्थिति बहुत बुरी है परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई कानून पास नहीं किया गया है।

बाल-फिल्म सोसायटी का कार्य केवल आंकड़े निर्माण करना ही रह गया है। उसके कार्य की आलोचना भी हुई है। भारत सेवक समाज को प्रचार के नाम पर सरकार ने लाखों रुपये दे दिये हैं। सरकार ने वह राशि देना तब बन्द किया जब उन्होंने अपने लेखापरीक्षित हिसाब किताब पेश नहीं किये।

समाचार सूचना व्यूरो का मुख्य कार्य अब मंत्रियों के कार्यक्रमों तथा भाषणों का प्रचार करना ही रह गया है।

सरकार समाचार-पत्रों पर भी प्रभाव डालने का कार्य कर रही है।

केरल के लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि वहां एक शक्तिशाली ट्रांसमिशन केन्द्र हो परन्तु वह मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है।

इसलिए यह जो 25 करोड़ रु० मांगा जा रहा है यह इस देश के शासक दल, पूंजिपतियों और जमींदार वर्ग के कार्यों के प्रचार के लिये प्रयोग किया जायेगा। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि भ्रष्ट कांग्रेस का राज्य शीघ्र ही समाप्त होगा।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): Mr. Chairman, I strongly oppose the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting. This ministry is big only in size but not in work and utility. There is much bureaucracy in the ministry and much insult of the workers and artists. There should be a corporation of A.I.R. There is much exploitation of the workers in A.I.R. The motor staff are given very little payment. They wanted to see the minister but were refused permission.

The condition of artists is pitiable. The contract system on A.I.R. should come to an end now. The services of artists should be regulated. There should be a Broadcasting service to select them and the influence of officials should decrease. There is much to be done in the Film industry. The Hindi films are creating a very bad influence on our youngmen. The condition of extra artists is very bad. They made representations to the Government but to no avail.

I welcome the improvement made in the Urdu programme. That programme has become very interesting and popular now.

The talk on national integration are delivered only in English. They should be broadcasted in regional languages too.

I would again request the Hon. Minister who is very young that some attention should be paid to ameliorate the condition of artists who are being exploited. I hope he will pay attention to it.

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्द्याल) : महोदय, मैं इस मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ। इस मंत्रालय का ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण कार्य है। यह मंत्रालय अपने विभागों द्वारा देश की आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों को ठीक दिशा दे सकता है।

आकाशवाणी के विभिन्न विभागों को अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य करना चाहिये। इस समय हमारा देश एक गम्भीर समय से गुजर रहा है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 अप्रैल, 1968/28 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April, 17, 1968/Chaitra 28, 1890 (Saka).